Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 01

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 04/05

03. Referee Board 06

04. Spokesperson's 08

(Science / विज्ञान)

05. Another General Part of Common Fixed Point Theorem for Two self maping in fuzzy 10
metric spaces (Dr. Sangeeta Biley)

06. भौतिक विज्ञान में प्रारंभिक इकाईयों का सूत्र विधि का शोध (डॉ. डी. एस. बामनिया, शिवराम मेहता) 12

(Home Science / गृह विज्ञान)

07. Study On The Effect Of Organic And Inorganic Maternal Milk Insufficiency In Gross Motor 14
Development Of Children In The Age Group Of 0-2 Year's In Rewa City (Sangita Sharma)

08. फ्लोराइड युक्त पेयजल का किशोरियों के शारीरिक विकास पर प्रभाव (किरण चौहान, डॉ. मंजू शर्मा) 17

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

09. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन (बैंक ऑफ बड़ौदा एवं 19
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के संदर्भ में) (डॉ. के. एस. पटेल, छाया शाक्य)

10. विज्ञापन के माध्यम से सौन्दर्य प्रसाधनों का विक्रय (डॉ. दिपाली सुराना)..... 24

11. भारत में एम-कॉमर्स की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य (डॉ. आलोक कुमार यादव) 27

12. उद्यमिता विकास में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं उद्यमिता विकास केन्द्र की भूमिका का अध्ययन 30
(उज्जैन संभाग के सन्दर्भ में) (नीतू सूर्यवंशी, डॉ. संदीप जोशी)

13. उद्यमिता का महत्त्व - वर्तमान परिप्रेक्ष्य में (डॉ. ज्योति सोनी) 33

14. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं ग्रामीण विकास की संभावनाएँ (डॉ. पी. के. अग्रवाल) 35

(Economics / अर्थशास्त्र)

15. Government Initiatives For Skill Development In India (Dr. Sushma Saini, Dr. Abha Saini) 36

16. महिला सशक्तिकरण में साप्ताहिक हाट बाजार के योगदान का अध्ययन (म.प्र. के खरगोन, बड़वानी जिले के..... 39
संदर्भ में) (डॉ. कुशल जैन कोठारी, मंजुला चौहान)

17. आधुनिक जीवन शैली एवं पर्यावरण प्रदूषण (डॉ. अमोल मांजरेकर) 42

(History / इतिहास)

18. बुरहानपुर - निमाड़ प्रदेश का मध्यकालीन एक बहुचर्चित ऐतिहासिक नगर (आमिर कुरेशी, डॉ. ओ. पी. शर्मा) 44

19. वन सत्याग्रह एवं बालाघाट जिला (डॉ. संकेत कुमार चौकसे) 47
20. महत्वाकांक्षी शाहजहाँ (डॉ. निशा गुप्ता) 49

(Sociology / समाजशास्त्र)

21. Impact Of Ashrama Schools On Tribal Girls Education In Karnataka - Social Work Perspective (Dr. Usharani B.) 51
22. एच.आई.वी/एड्स के प्रति युवा विद्यार्थियों में जनजागरूकता का समग्र अध्ययन(इन्दौर नगर में निवासरत एड्स पीड़ित महिलाओं के विशेष संदर्भ में) (डॉ. सुधा सिलावट, डॉ. त्रिपत कौर चावला, सुमन सिंह) 54
23. सामाजिक संबंधों पर मोबाइल फोन की भूमिका का अध्ययन (डॉ. अहिल्या तिवारी) 57
24. सागर जिले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का पोषण स्तर का अध्ययन (संतोष अहिरवार) 60

(Geography / भूगोल)

25. इन्दौर जिले की देपालपुर तहसील में जैविक कृषि का कृषकों के आर्थिक विकास पर प्रभाव (धर्मेन्द्र सिंह चौहान) 63
26. खंडवा जिले के कोरकू जन जाति महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन (मृदुलारानी मंडल) 67

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

27. आदिवासी जीवन का यथार्थ और ग्लोबल गाँव के देवता (डॉ. जया प्रियदर्शिनी शुक्ल) 69
28. डॉ. गिरिराजशरण जी अग्रवाल के व्यंग्य प्रहार (निधि पाटीदार, डॉ. चन्दा तलेरा जैन) 72
29. हिन्दी पत्रकारिता उद्भव एवं विकास (संतोष कुमार) 74
30. रमेशचन्द्र शाह के साहित्य में विधाओं का वैविध्य (किरण अलावा, डॉ. संध्या गंगराडे) 76
31. श्री लाल जी शुक्ल का कृतित्व और व्यक्तित्व (पुष्पा बर्डे) 78
32. ग्रामीण विकास में पत्रकारिता का योगदान (डॉ. सियाशरण ज्योतिषी) 80
33. हिन्दी साहित्य में चन्द्रगुप्त 'विक्रमादित्य' का चरित्रांकन (प्रेम सिंह कुम्भकार, डॉ. गणेश लाल जैन) 82

(Music / संगीत)

34. तत् वाद्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व (डॉ. ऋचा उपाध्याय) 83
35. आदिवासी करमा नृत्य गीतों का प्रासंगिक चिंतन (मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. स्वल्पा बड़गैंया) 86

(Education / शिक्षा)

36. निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों का संस्थागत ढाचें का अध्ययन (प्रियंका कटियार, प्रो. शुभा व्यास) 88
37. किशोर सुधारगृह में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का किशोर अपराधियों के अन्त: पारस्परिक संबधों के सन्दर्भ में अध्ययन (डॉ. ग्रीष्मा शुक्ला, नीलम शर्मा) 94

38. डिजिटल शिक्षा का शिक्षकों के विकास पर प्रभाव (डॉ. शिवाली शाक्या) 98

(Psychology / मनोविज्ञान)

39. पितृसत्ता और महिला हिंसा (मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में)(डॉली जोशी) 100
40. सामान्य एवं आदिवासी छात्रों की व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन (घनश्याम डेहरिया) 103

(Others / अन्य)

41. उराँव-सदान जनजाति-जाति निरंतरण (सोमनाथ उराँव) 105
42. खड़िया जनजाति की पारम्परिक गहने एवं गोदना (शालिनी मिंज) 108
43. शिक्षा के विकास में वैदिक कालीन ग्रन्थालयों का महत्व (अरविन्द अतुलकर, श्रद्धा वर्मा अतुलकर) 110
44. अजन्ता एवं बाघ के भित्ति चित्रों में संख्यातीत हाव-भाव का अद्‌भुत संयोग (डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, अनुभा) 112
45. मालवा का परिचय व भित्ति चित्र (बबीता यादव) 116
46. Reflection Of Caste And Class Discrimination In Indira Goswami's Novel 118
The Moth-Eaten Howdah Of The Tusker (Dr. Swati Chandorkar, Akanksha Agrawal)
47. Women Empowerment in India through Parliament (Dr. Poornima Sharma) 121
48. ब्रिटेन और अमेरिका में किशोर अपचारिता एवं सुधार व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल) . 123
49. गौ प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था/संस्कृति की मेरुदंड (डॉ. नितिन सहारिया) 125
50. Indian State and Protest Movements is Contemporary Era (Dr. Archana Singh) 128
51. The Emotional Intelligence, Toughness and Resilience of Basketball Players and How 130
it Impacts their Performance (Dr. Hitesh Chandra Raval)

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, **Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)**
			***** Commerce *****
Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Naresh Kumar, Assistant Professor,Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
			***** Management *****
Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
			***** Law *****
Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
			***** Arts *****
Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
		(5)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(6)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
			***** Home Science *****
Diet/Nutrition	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Science		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
Development		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
			***** Education *****
Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
			***** Architecture *****
Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)
			***** Physical Education *****
Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
			***** Library Science *****
Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Another General Part of Common Fixed Point Theorem for Two self maping in fuzzy metric spaces

Dr. Sangeeta Biley*

Abstract - Our aim of this paper is to obtain Another General part of common fixed point theorem for two self mappings in S-fuzzy metric space, which generalize the result of singh and chauhan [7]
Key Words - S-Fuzzy metric space, common fixed point, t-norm.

Introduction - Many attempts have been made for proposing non additive models of uncertainty. Most radical attempt was initiated by L. Zadeh [8] in 1965.

Many authors have introduced the concept of fuzzy metric spaces in different ways [4], [5], kramosil and michalek[6] is one of them. Recently singh and chouhan [7] developed a new concept of generalized fuzzy metric space (or s-fuzzy metric space) and proved Banach contraction principle in this newly developed space.

In this paper we establish another general part of common fixed point theorem, which generalize the result of singh and chauhan [7].

Preliminaries :-

Definition 1: [7] The 3-tuple (X,S,*) is said to be a S-fuzzy metric space if X is an arbitrary set, "*" a continuous t-norm and S is a fuzzy set on X^3 x $(0,\infty)$ satisfying the following conditions :

i) S(x, y, z, t) >0
ii) S(x, y, z, t) = 1 if and only if x = y = z (coincidence)
iii) S(x, y, z, t) = S(y, z, x, t) = S(z, y, x, t) (symmetry)
iv) (x, y, z, r+s+t) $\geq$S (x, y, w, r)* S (x,w,z,s)* S(w,y,z,t) (tetrahedral inequality)
v) S(x, y, z, •): $(o,\infty) \rightarrow$ [0, 1] is continuous for all x, y, z, w$\in$ X and r,s, t > o

Geometrically,S(x, y, z, t) represents the fuzzy perimeter of the triangle whose vertices are the points x, y and z with respect to t > o.

Definition - 2:[7] A sequence $\{x_n\}$ in a S-fuzzy metric spaces (X,S, *) is called a Cauchy sequence if and only if for each $\in$> o, t > o there exists $n_0 \in N$ such that.

$S(x_n, x_m, x_p, t) > 1-\in$ for all n, m, p $\geq n_o$

Definition – 3:[7]A S- fuzzy metric space in which every Cauchy sequence is a convergent sequence, called a complete S-fuzzy metric space.

Before proving our main result we first prove the following lemma.

Lemma 1: S(x, y, z, •) is non-decreasing for all x, y, z in X.

Proof :Suppose S(x, y, z, p) > S(x, y, z, t) >S (x, y, z, r) for all x, y, z in X and for some o < p< t < r. Then

S(x,y, y, r) > S(x, y, y, 2r)
> S(x, y, y, p) * S(x, y, y, t) *S(y, y, y, 2r-t-p)
=S(x, y, y, p) * S(x, y, y, t)
= S(x, y, y, t)

or

S(x, y, y, r) > S(x, y, y, t)

Which is a contraction.

This completes the proof.

Our result is.

Theorem – 1 Let T and P be two self mapping of a complete S-fuzzy metric space (X, S,*)with continuous t-norm "*" defined by a * b = min {a, b} : a, b $\in$[o , 1], satisfying the conditions.

(1.1) $S^2(T^a x, P^b y, kt) \geq \max\{S^2(x, y, t), S^2(x, T^a x, t), S^2(y, P^b y, t), S(y, T^a x, 2t), S(x, P^b y, 2t),\}$

For all x, y,z in X; o< k < 1, t > 0

(1.2) $\lim_{t\to\infty} S(x, y, z, t) \rightarrow 1$

Then T and P have a unique common fixed point in X.

Proof :

* (Mathematics) Swami Vivekanand Govt. P.G. College, Harda(M.P.) INDIA

Proof :

Consider an arbitrary point x_o in X and Define sequence $\{x_n\}$in X, by $x_{2n+1} = T^a x_{2n}$ and $x_{2n+2} = P^b x_{2n+1}$ ∀ n = 0, 1, 2 .....

On using (1.1) for $p \in N$, we have

$S^2(x_1, x_2, kt) = S^2(T^a x_0, P^b x_1, kt)$

$\geq \max \{S^2(x_0, x_1, t), S^2(x_0, T^a x_0, t), S^2(x_1, P^b x_1, t), S(x_1, T^a x_0, 2t), S(x_0, P^b x_1, 2t)\}$

$\geq \max\{S^2(x_0, x_1, t), S^2(x_0, x_1, t), S^2(x_1, x_2, t), S(x_1, x_1, 2t), S(x_0, x_2, 2t)\}$

$\geq \max \{S^2(x_0, x_1, t), S^2(x_1, x_2, t)\}$

$\geq S^2(x_0, x_1, t)$

or

$S(x_1, x_2, kt) \geq S(x_0, x_1, t)$ .....(1.3)

Now again

$S^2(x_2, x_3, kt) = S^2(P^b x_1, T^a x_2, kt)$

$= S^2(T^a x_2, P^b x_1, kt)$

$\geq \max \{S^2(x_2, x_1, t), S^2(x_2, T^a x_2, t), S^2(x_1, P^b x_1, t), S(x_1, T^a x_2, 2t), S(x_2, P^b x_1, 2t)\}$

$\geq \max\{S^2(x_1, x_2, t), S^2(x_2, x_3, t), S^2(x_1, x_2, t), S(x_1, x_3, 2t), S(x_2, x_2, 2t)\}$

$\geq \max \{S^2(x_1, x_2, t), S^2(x_2, x_3, t)\}$

$\geq S^2(x_1, x_2, t)$

or

$S(x_2, x_3, kt) \geq S(x_1, x_2, t)$ .....(1.4)

Proceeding in the same way, we have in general

$S(x_n, x_{n+1}, kt) \geq S(x_{n-1}, x_n, t)$ .....(1.5)

Now using the same arguments as in theorem [1] we can prove that $\{x_n\}$ is a Cauchy sequence .

Since (X,S,*) is complete, so $\{x_n\}$ converges to some point u in X.

Now by (1.1) we have

$S^2(T^a u, x_{2n+2}, kt) = S^2(T^a u, P^b x_{2n+1}, kt)$

$\geq \max\{S^2(u, x_{2n+1}, t), S^2(u, T^a u, t), S^2(x_{2n+1}, P^b x_{2n+1}, t), S(x_{2n+1}, T^a u, 2t), S(u, P^b x_{2n+1}, 2t)\}$

$\geq \max\{S^2(u, x_{2n+1}, t), S^2(u, T^a u, t), S^2(x_{2n+1}, x_{2n+2}, t), S(x_{2n+1}, T^a u, 2t), S(u, x_{2n+2}, 2t)\}$

on letting $\lim_{n\to\infty}$ we have

$S^2(T^a u, u, kt) \geq \max\{S^2(u, u, t), S^2(u, T^a u, t), S^2(u, u, t), S(u, T^a u, 2t), S(u, u, 2t)\}$

$\geq \max\{S^2(u, u, t), S^2(u, T^a u, t)\}$

$\geq S^2(u, T^a u, t)$

Which is a contraction , hence $T^a u = u$

similarly we can prove that $P^b u = u$

i.e. $u = T^a u = P^b u$

so u is common fixed point of T^a and P^b

Now put x= Tu and y=Pu in (1.1) we have

$S^2(T^a Tu, P^b Pu, kt) \geq \max\{S^2(Tu, Pu, t), S^2(Tu, T^a Tu, t), S^2(Pu, P^b Pu, t), S(Pu, T^a Tu, 2t), S(Tu, P^b Pu, z, 2t)\}$

This implies that

$S^2(T^a Tu, P^b Pu, kt) \geq S^2(Tu, Pu, t)$

$\Longrightarrow$ $T^a Tu = Tu$ and $P^b Pu = Pu$

$\Longrightarrow$ Tu is a fixed point of T^a and Pu is fixed point of P^b

But u is fixed point of T^a and P^b

$\Longrightarrow$ $Tu = Pu = u$

$\Longrightarrow$ u is a common fixed point of T and P

References :-

1. Biley, S.,General part of Common Fixed Point theorem for Two self mapping in Fuzzy metric Spaces, Naveen Shodh Sansar,(Jan.. to March 2019) Vol. II, 38-40.
2. Biley, S.,Common Fixed Point theorem for Two self mapping in Fuzzy metric Spaces, Naveen Shodh Sansar,(oct. to Dec.2018) Vol. I, 32-34.
3. Biley, S.,Common Fixed Point Theorems in fuzzy Metric spaces for two mapping, Naveen Shodh Sansar,(oct. to Dec.2017) Vol. II, 18-19.
4. Erceg, M.A., Metric spaces in fuzzy set theory, Jour. Math. Anal. Appl. 69 (1979), 205-230.
5. Keleva, O and seikkala, S. , On fuzzy metric spaces : fuzzy sets ans system, 12 (1984), 215-229.
6. Kramosil, O. and Michalek, J. , Fuzzy metric and statistical metric spaces, kybernetika 11 (1975), 336-344.
7. Singh, B. and Chauhan, M.S. , Generalized fuzzy metric spaces and fixed points theorem, Bul. Cal. math. Soc. 89 (1997), 457-460.
8. Zadeh, L.A. : Fuzzy sets Information and control, 8 (1965), 338-353.

****

भौतिक विज्ञान में प्रारंभिक इकाईयों का सूत्र विधि का शोध

डॉ. डी. एस. बामनिया * शिवराम मेहता **

प्रस्तावना – भौतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है। भौतिक विज्ञान मानव जीवन का वह विज्ञान है जो कि वैज्ञानिक तत्व के रहस्य को खोजकर मानव जीवन के उपयोगी या अनुपयोगी के लिये मानक मात्र को निर्धारीत कर किसी भी राशि को ज्ञात करने के लिए मानक मात्रक को निर्देशित किया गया।

भौतिक विज्ञान में प्रारंभिक इकाइयों कि प्रचलित विधि –

1. बडी इकाई से छोटी इकाई ज्ञात के लिए गुणा करें।
2. छोटी इकाई से बडी इकाइ ज्ञात के लिए भाग करें।

भौतिक विज्ञान में उक्त प्रारंभिक इकाईयों की प्रचलित विधि द्धारा एवं मेरे द्धारा प्रारंभिक इकाईयों का वर्णित नये सूत्र विधि का शोध किया गया है।जो कि इनइकाईयों जैसे–मिलीमीटर, सेण्टीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, मिरीयामीटर, ज्ञात करने के लिए वर्णित सूत्र विधि एवं प्रचलित विधि से किसी भी प्रकार का प्रष्न हल करने पर दोनो का उत्तर एक समान पाया जाता है।

- प्रारंभिक इकाईयॉ जैसे –मिलीमीटर, सेण्टीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, मिरीयामीटर, को एक इकाई से दूसरी इकाई को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित वर्णित सूत्र विधि का शोध है।

$$\text{सूत्रविधि} - u_2 = u_1 \times 10^{(n_1 - n_2)}$$

यहॉ, इकाईयों का मान –

$u_1 = (unit)$ बड़ी इकाई।

$u_2 = (unit)$ छोटी इकाई।

- u_1 (यू वन) के स्थान पर बड़ी इकाई का मान रखे।
- u_2 (यू टू) के स्थान पर छोटी इकाई का मान रखे।
- इकाई का स्थानीय मान :–

$n_1 = (\text{unit})$ बड़ी इकाई।

$n_2 = (\text{unit})$ छोटी इकाई।

इकाईयों का स्थानीय मान –

- n_1 (एन वन) के स्थान पर उसी बड़ी इकाई का स्थानीय मान रखे।
- n_2 (एन टू) के स्थान पर उसी छोटी इकाई का स्थानीय मान रखे।
- प्रारम्भिक इकाईयों के अनुक्रम के अनुसार स्थानीय मान हमेषा स्थाई रूप से अंकित है। यह कभी अपना स्थान नही बदल सकते है।
- आप जब चाहे तब इकाईया का स्थानीय मान सूत्र विधि 10 की घात एन वन और एन टू के स्थान पर रख सकते हो।
- चूँकि शून्य, एक से लेकर सात तक अंक स्थाई रूप से अंकित कर इकाईयों का स्थानीय मान याद करने के लिये पद्धति दी गइ है।
- इकाईयों का स्थानीय मान निम्न प्रकार से है–

इकाई	स्थानीय
मिलीमीटर	= 0
सेन्टीमीटर	= 1
डेसीमीटर	= 2
मीटर	= 3
डेकामीटर	= 4
हेक्टामीटर	= 5
किलो मीटर	= 6
मिरीया मीटर	= 7

प्रश्न निम्न इकाईयों को एक इकाई से दूसरी इकाईयों में परिवर्तन करने के लिए वर्णित सूत्र विधि से प्रश्न का हल करें।

1. 50 सेण्टीमीटर को मीटर में बदले।
2. 5 मीटर को किलो मीटर में बदले।
3. 4 सेण्टी मीटर को हेक्टामीटर मेंबदले।
1. 50 सेण्टीमीटर को मीटर में बदले।

उदा. 1 दिया है कि इकाई का मान

छोटी इकाई u_2 = 50 सेण्टीमीटर।

बड़ी इकाई u_1 = मीटर ज्ञात करना है ?

उक्त इकाई का स्थानीय मान लेने पर

n_1 = 3 मीटर

n_2 = 1 सेन्टी

सूत्र –

$u_2 = u_1 \times 10^{(n_1 - n_2)}$

* सहायक प्राध्यापक (गणित) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, सेन्ट्रल जेल, बड़वानी (म.प्र.) भारत

$$50 = u_{1\times10}\,(3-1)$$
$$50 = u_{1\times10}\,(2)$$
$$50 = u_{1\times10\times10}$$
$$50 = u_{1\times100}$$
$$\frac{50}{100} = u_1$$
$$0.5 = u_1 Ans$$

2. 5 मीटर को किलोमीटर में बदले।

उदा .2 दिया है कि इकाई का मान

छोटी इकाई $u_2 = 5$ मीटर।

बड़ी इकाई $u_1 =$ किलोमीटर ज्ञात करना है ?

उक्त इकाई का स्थानीय मान लेने पर।

$$n_1 = 6$$
$$n_2 = 3$$

सूत्र – $u_2 = u_{1\times10}\left(n_1 - n_2\right)$

$$5 = u_{1\times10}\left(6-3\right)$$
$$5 = u_{1\times10}\left(3\right)$$
$$5 = u_{1\times10\times10\times10}$$
$$5 = u_{1\times1000}$$
$$\frac{5}{1000} = u_1$$
$$0.005 = u_1 Ans$$

(3) 4 सेण्टीमीटर का हेक्टामीटर में बदले।

उदा.3 दिया है कि इकाई का मान।

छोटी इकाई $u_2 = 4$ सेण्टीमीटर।

बड़ी इकाई $u_1 =$ हेक्टामीटर ज्ञात करना है ?

उक्त इकाई का स्थानीय मान लेने पर

$$n_1 = 5$$
$$n_2 = 1$$

सूत्र – $n_2 = \left(n_1 - n_2\right)$

$$4 = u_{1\times10}\left(5-1\right)$$
$$4 = u_{1\times10}\left(4\right)$$
$$4 = u_{1\times10\times10\times10\times10}$$
$$4 = u_{1\times10000}$$
$$\frac{4}{1000} = u_1$$
$$0.0004 = u_1 Ans$$

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. लूसेंट प्राथमिक अंकगणित, ज्यामितिय, इन्टरनेट।
2. शिवराम मेहता–, भारत देश पर आधरित गणित मे नया शोध,नवीन शोध संसार, सितम्बर 2017 Volume II, Issue XIX

****

Study On The Effect Of Organic And Inorganic Maternal Milk Insufficiency In Gross Motor Development Of Children In The Age Group Of 0-2 Year's In Rewa City

Sangita Sharma*

Abstract - This study examined the study on insufficient breast milk mother's of children in department of pediatrics, Gandhi memorial hospital, Rewa. The cases included would be randomly selected for the mother's attending under clinic of department of pediatrics shyam shah medical college rewa. Three hundred sixty mothers would be interviewed during the period of study. All the mothers would be carefully interviewed and the following point would be recorded in the Performa, i.e , address and other information regarding the milk insufficiency and also children gross motor development delay .The mean was found to be organic maternal milk insufficiency 70.65 and inorganic maternal milk of insufficiency 70.47 with SD organic maternal milk insufficiency 8.41 and inorganic maternal milk of insufficiency 8.41. The table and figure shows the insignificant and difference between mean of organic and inorganic maternal milk of insufficiency of subject base line process normal insufficiency gross motor levels. The difference was no significant t= 0.20.

Key Word - Maternal milk insufficiency, gross motor development.

Introduction - Breastfeeding is the recommended method of infant feeding worldwide. While the nutritional and immunological advantages of breastfeeding are well documented, consistent study result concerning the psychosocial benefits are more elusive. the pathways by which breastfeeding affects psychosocial and emotional development are difficult to disentangle and are not always uni-directional. Confounding variables, such as maternal education, are closely associated with the practice of breastfeeding, yet are also determinants of psychosocial development. Environment factors interact with biological determinants, modifying their observed effect on development. For example, engle *et al.* 4 suggest that maternal vocalization patterns may differentially modulated the influence that child nutrition status has on cognitive development .further, polite postulated that not only do environmental factors (such as vocal stimulation) have a direct and modifying effect on children's development, the reverse is also true – a developmentally advanced child elicits more stimulation from a caregiver.

The effects of breastfeeding on children's development have important implication for both public-health policies and for the design of targeted early intervention strategies to improve the developmental outcomes of children at risk s a result of biological (e.g. prematurity) or social adversity (e.g. poverty). To date, research has provided clear support for the nutritional and health benefits of breastfeeding, I with appropriate caution noted for women who are ill or on medication. There is also evidence of small consistently positive effect of breastfeeding on intellectual. Less well studied is the relationship between breastfeeding and child psychosocial development.

Gross Motor Development - Pertains to development of locomotion, general body control and specific motor skills. As already discussed, development of locomodation occurs in an orderly sequence with the ultimate goal of gaining independent and volitional movements.

0-4 weeks - In first few weeks of life, flexed and asymmetrical postures (due to ATNR) predominate. Thus, a newborn baby lies with head turned to one side and limbs predominantly flexed. In prone position also, because of flexed postures, pelvis is high and knees are drawn under the abdomen. Because of poor neck control, there is no lifting of head in ventral suspension and there is complete head lag, when the baby is pulled to sitting position. Gradually, the extensor muscles gain strength, head control develops, primitive reflexes disappear and symmetric posture begins to predominate. Therefore, if the same infant is examined at 4 weeks, chin is lifted up momentarily and there is some intermittent partial extension of hips and knees in prone position.

0-6 months - By 8 weeks, head is mostly in the midline and chin is lifted off the couch intermittently (so that the plane of face is at an angle of 45^0 to the couch) in prone position. In the position of ventral suspension, baby maintains the head in the plane of rest of the body.

12 weeks - There is no more asymmetrical tonic neck reflex attitude in supine position. In prone position, pelvis is flat, legs are fully extended, chin and shoulders and lifted off the couch with weight borne on forearms. Developing head

* **Research Scholar, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.) INDIA**

control is seen in ventral suspension as well whereby head is lifted and maintained well beyond the plane of the body.
20 weeks - Head control is complete so that there is no head wobble even if the infant is swayed in sitting position.
6 months-1 year - Gross motor development proceeds from sitting to standing and achievement of ambulation. Initially, infant moves with abdomen on the ground (creeping/commando crawling; 8 months). Therefore, he crawls (on hands and knees with abdomen off the ground; 9 months). Though the terms creeping and crawling are used synonymously in English literature, term crawling is used in general sense, when the baby moves with abdomen off the ground. So, we have retained the above terminology. Later, infant stands and walks (with support, followed by without support).
Reviews - A study was conducted on beneficial effect of breast milk in the NICU on the developmental outcome to extremely low birth weight infants at 18 months of age. Beneficial effects of breast milk on cognitive skills and behavior ratings have been demonstrated previously intern and very low birth weight infants. Extremely low birth infants are known to be at increased risk for developmental and behavior morbidities. This study suggested that potential long term benefits of receiving breast milk in NICU for extremely low birth infants may be to optimize cognitive potential and reduce the need for early intervention and special education service.

A study was conducted on young mothers who chose to breast fed their baby. A retrospective questionnaire of 138 mothers aged between 17 and 24 years was assessed. Breast feeding for at least 6 months was positively associated with attending a breast feeding support group, believing it to be easy, being part of an environment where breast feeding is normative and being encouraged to breast feed by others. The study findings concluded that initiation and duration among this at risk group is important for both infant and maternal health. Proving professional and peer support encouraged the mother to continue breast feeding are important steps in rising in breast feeding rates among young mothers.

Five percent of mothers may have a primary inability to lactate due to inadequate glandular tissue resulting from hypo plastic breasts, breast surgery such as mastectomy, breast reduction, or cyst removal (Neifert, M. R., 2001). Breast surgery, including nipple piercing, can disrupt the ductal and neurological pathways. Additional causes of primary inability to lactate are severe illness such as postpartum hemorrhage with Sheehan's syndrome, infection, or hypertension (Neifert, M. R., 2001).
Aims and objectives - To study of organic and inorganic maternal milk insufficiency of gross motor development in children.
Hypothesis - There would be significant difference between organic women's child gross motor will be increase than inorganic maternal milk insufficiency.
Tools - denver ii the data were collected from denver development screening scale test (D.D.S.T) . it is constructed in 1967 by Frankenburg and Dodds
Material method – sample size 360.
The data were collected in 180 organic and 180 inorganic of maternal milk insufficiency mother child.
Result -
Gross Motor Table. (See in the next page)

Showing the graph significance of difference between mean of organic maternal milk insufficiency and inorganic group of milk insufficiency of Gross Motor. **(See in the next page)**
Discussion - The aims of this research were to hear from this small group of women who were milk insufficiency, to learn about their experiences of breastfeeding and to report what influenced their decision about initiation and cessation of breastfeeding. The specific exploration of difficulties with breastfeeding largely aligned with other related research. These were the challenging nature of breast feeding, which included perceived insufficient breast milk supply , and latching difficulties . so my research mostly focus in lactating mother .they are suffering from organic and inorganic maternal milk insufficiency . this study was dedicated to all mothers . i have180 organic maternal milk insufficient mother's and 180 inorganic maternal milk insufficient mother,s . total 360 mother,s included this study and mostly compared with organic and inorganic mother,s milk of children which effaced are maternal milk insufficiency. I have cross check 180 mother's of children on the effect of organic and inorganic maternal milk insufficiency gross motor development .
References :-

1. i Arora , N .D 1970 a study of locally prevalent feeding practices the first five of life .
ii Anderson JW,johnstone BM, remley DH 1999 breast – feeding and cognitive development ; a meta – analysis American journal of clinical nutrition.
iii. Lessen R, Kavanagh K. position of the academy of nutrition and dietetics ; promoting and supporting breastfeeding . J acad nutr diet 2015;155;444-449. Doi; 10.1016/j. jand. 2014.12.014
iv. Savion F, bebetti S, Lignori S A , Sorrent M, Cordero D, Montezemolo L. Advances on human milk hormones and protection against obesity, Cell . Mol bio. 2013; 59; 89-98
e. Infant and young child nutrition (accessed on 14 november 2012) .
2. Neville MC; Anatomy and Physiology of lactation. Pediatric clinics of North America. 2001, 48(1):13-34].
3. Ingram J, Taylor H, Churchill C, Pike A, Greenwood R; Metoclopramide or Domperidone for increasing maternal breast milk output: a randomised controlled trial, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed [Epub ahead of print], 2011.
4. Jones W, Breward S; Use of Domperidone to enhance lactation: What is the evidence?, Community Practitioner 2011; 84(6):35-37.

5. Milson S, Breier B, Gallaher BW, Cox VA, Gunn AJ, Gluckman PD et al.; .Growth hormone stimulates galactopoesis in healthy lactating woman. Acta Endocrinologica.1992; 127(4):337-343.

Gross Motor Table

S.No.	Subjects	N	M	SD	SED	t	P
1.	Organic group Insufficiency of D.Q.	180	70.65	8.41	0.87	0.20	>0.01
2.	Inorganic group Insufficiency of D.Q.	180	70.47	8.41			

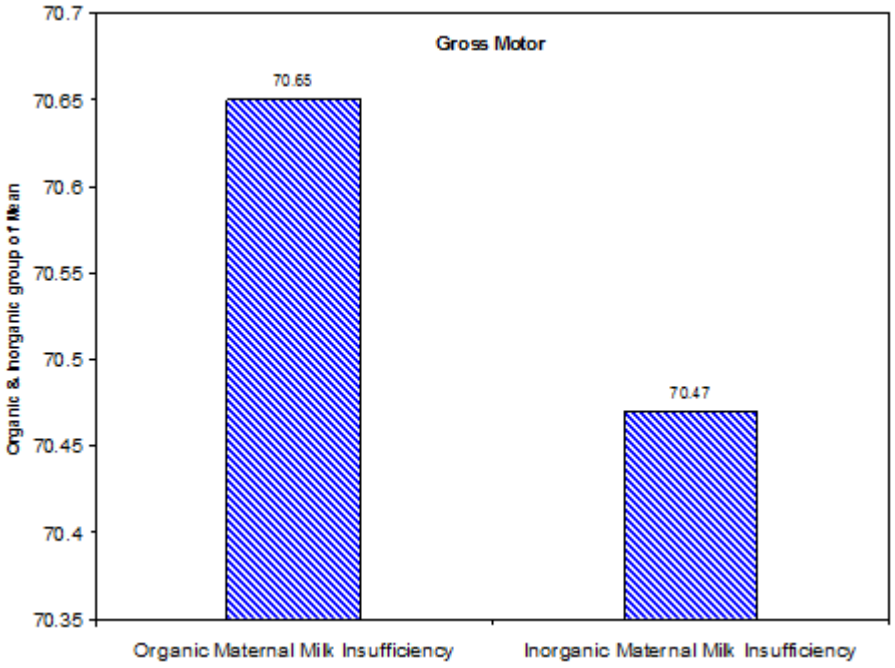

****

फ्लोराइड युक्त पेयजल का किशोरियों के शारीरिक विकास पर प्रभाव

किरण चौहान * डॉ. मंजू शर्मा **

शोध सारांश – पेयजल गुणवत्ता का किशोरियों के शारीरिक विकास पर प्रभाव पडता है। प्राय: यह देखा गया है की ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता के अभाव के कारण जल से उत्पन्न बीमारियों से ग्रसित होते है। सामान्य व्यक्ति एक दिन में लगभग दो लीटर पानी पीता है। इस आधार पर सामान्यत: मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग दो से तीन मिलीग्रम फ्लोराइड पहुँचता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पानी में फ्लोराइड की सुरक्षित मात्रा तय की है। हमारे क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव अधिक होने से सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन दो लीटर से अधिक पानी पीता है। डॉक्टर भी अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह देते है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रभावित इलाकों में पेय पदार्थो और भोजन इत्यादि के माध्यम से मानव शरीर में सुरक्षित सीमा से अधिक फ्लोराइड पहुँचता है और वही कालांतर में बीमारी का कारण बनता है।

शब्द कुंजी – किशोरियों के शारीरिक विकास, शैक्षिक, सामाजिक समायोजन।

प्रस्तावना – पेयजल गुणवत्ता की समस्या विश्वव्यापी है। पीने का पानी या पीने योग्य पानी, समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पानी होता है, जिसका तत्काल या दीर्घकालिक नुकसान के न्यूनतम खतरे के साथ सेवन या उपयोग किया जा सकता है। अधिकांश विकसित देशों में घरों, व्यवसायों और उद्योगों में जितने पानी की मात्रा की आपूर्ति की जाती है, उसमें से एक बहुत ही छोटे अनुपात का उपयोग पेयजल और या खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जाता है। ज्यादातर बडे हिस्सों में पीने योग्य पानी की उपलब्धता लोगों तक अपर्याप्त मात्रा में होती है और वे बीमारी के कारकों, रोगाणुओं या विषलै तत्वों के अस्वीकार्य स्तर या ठोस पदार्थो से संदूषित स्त्रोतों का इस्तेमाल करने को मजबूर है। इस तरह का पानी पीने योग्य नहीं होता है और पीने या भोजन तैयार करने में इस तरह के पानी का उपयोग बडे पैमाने पर त्वरित और दीर्घकालिक बीमारियों का कारण बनता है, साथ ही कई क्षेत्र में यह मौत और विपत्ति का एक प्रमुख कारण है। कई क्षेत्र में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के उपरांत भी गुणवत्ता युक्त पानी, जल शोधन तकनीक एवं वितरण प्रणालियों तक आमजन की पहूँच ना होना चिन्ताजनक है। ग्रामीण क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी का स्त्रोत एकमात्र छोटी–छोटी जलधाराऐं हैं, जो अक्सर नालों की गंदगी से सीधे तौर पर संदूषित होती है।

पानी का उपयोग करने से पहले उसको उपचारित करने की आवश्यकता होती है, यहां तक कि गहरे कुओं या झरनों के पानी को भी, उपचारित करने की आवश्यकता होती है, जल स्त्रोतों में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा फ्लोरोसिस जैसी घातक बीमारी को निमंत्रण दे रही है। इसके सबसे ज्यादा शिकार आदिवासी और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग ही होते हैं। पानी के स्त्रोत में फ्लोराइड की मात्रा बढ जाने का इन्हें कोई पता नहीं चल पाता, और जब तक पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे बुरी स्थिति उन बच्चों और किशोरों की होती है, जिनके सामने सारी जिन्दगी सामने होती है पर वे स्थाई रूप से विकलांग हो चुके होते है, चाहकर भी फिर कुछ नहीं बदला जा सकता। यह स्थिति भयावह है ।

फ्लोराइड का सांद्रण बढ जाने से कैल्शियम फ्लोरोएपेटाईट की परतें हड्डियों के जोडों के बीच की खाली जगहों में भरकर सख्त हो जाती है, इससे हड्डियॉ विकृत होकर पीडा दायक हो जाती है । इसके शुरूआती लक्षणों में दांत और मसूडों का काला होना, दांतों की सुरक्षा परत का खत्म होना, दांतों का टेढा–मेढा होना, दांतों का कमजोर होना अथवा पाचन तंत्र में गड़बड़ी माना जाता है। यह तो हुई शुरूआत की बात लेकिन यह क्रम यहीं नहीं रूकता बल्कि इससे आगे हाथ और पैरों की हड्डियां मुड़ने लगती है और वे विकृत होकर स्थाई विकलांगता को जन्म देती है । इसे फ्लोरोसिस बीमारी के रूप में पहचाना जाता है। छोटे–छोटे गांवों में इलाज तो दूर इनकी पहचान ही बहुत देर से हो पाती है। केवल आम लोगों के बीच इसके प्रति जागरूकता ही से ही बचाव किया जा सकता है।

साहित्य का पुनरावलोकन – शोध के विषय को सैद्धान्तिक आधार तथा ज्ञान के विद्यमान स्तर का बोध साहित्य के पुनरावलोकन से होता है–

1. भारत सरकार (2000) द्वारा क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करते हुऐ बताया की राजीव राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में सुरक्षित पेयजल बस्तियों में हैण्डपंप,स्टैण्ड पोस्ट से करता है, 80 प्रतिशत बीमारी दूषित पेयजल से होती है।
2. पार्क के.(2000) के अनुसार मानव विशेषत: विकासशील देशों की जनसंख्या को प्रभावित करने वाल प्रमुख कारक सुरक्षित हो जाता एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति है, जल जो आसानी से उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में हो, विषाणुओं से मुक्त हो। सुरक्षित जल के अभाव में स्वस्थ जीवन असंभव है। जल सभी प्रकार के जीवों के लिए न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवीय जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उद्देश्य –

1. किशोरियों के शारीरिक विकास एवं पारिवारिक समायोजन के संबंध को ज्ञात करना।

* शोधार्थी (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत
* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर(म.प्र.) भारत

2. किशोरियों के शारीरिक विकास और शैक्षणिक समायोजन के संबंध को ज्ञात करना।

शोध विधि – यह शोध फ्लोराइड युक्त जल से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित है। जिसके अंतर्गत रतलाम जिले के बाजना विकासखण्ड में फ्लोराइड युक्त जल से प्रभावित ग्रामों के आधार उद्देश्यपूर्ण विधि के द्वारा किया गया है, जिसमें रतलाम जिले के बाजना विकासखण्ड में कुल 50 किशोरियों का चयन किया गया। अध्ययन में तथ्यों का संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची, गोविंद तिवारी द्वारा निर्मित समायोजन सूची, अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन कर आंकडे एकत्रित किए गए।

परिणाम – पेयजल गुणवत्ता का किशोरियों के शारीरिक विकास पर प्रभाव पाया गया। जिसमें किशारियों की शारीरिक अपंगता, दांतों का पीला होना पाया गया।जिसमें यह ज्ञात होता है कि पेयजल गुणवत्ता के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण उनका सामाजिक समयोजन ठीक से नहीं हो पाने से असामन्जस्य की स्थिति बनी रहती है।

परिणाम एवं विश्लेषण – शोध अध्ययन में किशोरियों से प्राप्त प्राथमिक आंकडों के आधार पर एकत्रीत जानकारी अनुसार पेयजल गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का अभाव मुख्य रूप से शैक्षणिक समायोजन को प्रभावित कर रहा है।

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण एवं निष्कर्ष –

पेयजल गुणवत्ता के प्रति जागरूकता संबंधी विवरण क्रमांक – 1

क्रमांक	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	20	40
2	नहीं	30	60
	कुल	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत किशोरियों को पेयजल गुणवत्ता की जानकारी नहीं है, चूकि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल गुणवता के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और 60 प्रति प्रतिशत किशोरियों को पेयजल गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पाई गई।

शैक्षिक समायोजन के संबंधी विवरण क्रमांक –2

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	समायोजन	15	30
2	असमायोजन	35	70
	कुल	50	100

उपरोक्त तालिका अनुसार किशोरियों का समायोजन 30 प्रतिशत एवं असमायोजन 70 प्रतिशत पाया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि समायोजन का प्रतिशत कम होना ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की आर्थिक स्थिति के कारण शैक्षणिक स्तर कम होने से पेयजल गुणवत्ता के प्रति जागरूकता के अभाव को परिलक्षित करता है।

सुझाव –

1 ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की आर्थिक सम्पन्नता हेतु कारगर उपाय का क्रियान्वयन:–

1 पेयजल गुणवत्ता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
2 ग्रामीण क्षेत्र में समय– समय पर पेयजल एवं स्वास्थ्य का परीक्षण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए।
3 पेयजल स्त्रोतों को प्रदूषित होने से बचाव व दूषित पेयजल से होने वाली बीमारियों के प्रति जन जागरूकता लाना चाहिये।
4 पेयजल स्त्रोतों हैण्डपंप के रूप में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैण्डपंप तथा पेयजल टंकी, स्टेण्ड पोस्ट आदि के माध्यम से प्रदायित परीक्षित जल का उपयोग किया जाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. Andey Er. Subhash, Chandrashekara Dr. K.V. guidance Manul for Drinkig Water quality Monitring and Assesment, 2010, Neeri Nagpur & NICD, Delhi.
2. महाजन डॉ. धर्मवीर एवं महाजन डॉ कमलेश, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, 2007, विवके प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7
3. सिसोदिया कु. किरण, आदिवासी समाज में सामाजिक प्रगति एक मुल्यांकन, अलीराजपुर तहसील के संदर्भ में, 2000, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर।
4. डेविड डॉ. अल्का, किशोरावस्था, विवाह एवं पारिवारिक जीवन, 1196, शिवा प्रकाशन, इंदौर।
5. एच.के.कपिल, अनुसंधान विधियॉ, 2012, 4/230,कचहरी घाट, आगरा।
6. पी.डी. पाठक, शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2
7. सिंहल डॉ. मोहन, सांख्यिकी, श्री महावीर बुक डिपो, पब्लिशर्स, 2603,नई सडक दिल्ली।

****

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन (बैंक ऑफ बड़ौंदा एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के संदर्भ में)

डॉ. के. एस. पटेल * छाया शाक्य **

प्रस्तावना – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक है जिनमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी होती है। निजी क्षेत्र के बैंक वे बैंकहै जिनमें इक्विटी को उप-शेयरधारकों द्वारा धारित किया जाता है अर्थात कोई गवर्नर शेयरहोल्डिंग नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शुरूआती दौर में इंडियन बैंकिंग उद्योग पर अपना दबदबा बनाया। वित्तीय क्षेत्र संस्थान ने बैकिंग उद्योग और निजी क्षेत्र के बैंकों में उन्नत तकनीकी और पेशेवर प्रबंधन की मदद से कई बदलाव किए, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। देश में 1980 से 2000 के बीच दस नए निजी बैंकों का लाइसेंस दिया गया। इसके बाद से बैंकिग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और सेवाओं में सुधार का माहौल बना निजी बैंकों के साथ एटीम मोबाइल बैंकिंग इन्टरनेट बैंकिग डे अलर्ट आदि जैसी सुविधाएँ भी बाजार में आयी। इसका असर सरकारी बैंकों के कामकाज पर भी पडा और उनके कामकाज करने के तरीके में बुनियादी बदलाव आएअभी देश में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 22 निजी क्षेत्र के बैंक विद्यमान है, इसके अलावा 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। देश के मौजूदा बैंकिग बाजार में करीब 70 प्रतिशत बैंकों का कब्जा है निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिस्पर्धा में आने से बैंकिंग सेक्टर में खर्च और मुनाफे के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है। एक रिपोट के अनुसार निजी बैंकों का प्रति कर्मचारी मुनाफा 10.6 से12.4 प्रतिशत है, जबकि सरकारी बैंकों के मामले में यह केवल 5.5 प्रतिशत से 7.00 प्रतिशत के बीच है। देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों में कुल मिलाकर 12 लाख अधिक कर्मचारी काम कर रहे है हाल के वर्षो मे सार्वजनिक क्षेत्र के हजारो बैंक कर्मचारी निजी क्षेत्र में चले गये। कर्ज देने के मामले मे भी सरकारी बैंकों की विकास दर निजी बैंकों से कम है।

अध्ययन के उद्देश्य – अध्ययन के मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना करना।

परिकल्पना – भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अनुसंधान पद्धति और अवधि – अनुसंधान सेकेन्डरी डाटा पर आधारित है जो संबधित बैंक की वाषिक रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा, भारतीय बैक्स एजुकेशन प्रकाशनों पत्रिकाओं दस्तावेजों और अन्य प्रकाशित जानकारी से एकत्र किया गया है। शोध अध्ययन की अवधि वित्तीय वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 तक पांच वर्ष की अवधि को कवर करती है एक बैंकों के सैपल का नमूना सार्वजनिक क्षेत्र के(बैंक ऑफ बड़ौंदा) और एक का निजी क्षेत्र से(आई.सी.आई.सी.आई. बैंक) चयन किया गया है यह मानदंड 2017-2018 के दौरान बैंकों द्वारा उच्चतम बाजार पूंजीकरण पर आधारित है। विश्लेषण - परीक्षण के साधन, माध्य और रेखाकंन का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना करने के लिए किया है।

बैंको की कुल आय **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल आय 43402.45 करोड रूपये है जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50305.69 करोड रूपये हुई है। निजी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय वर्ष 2013-14 में 54606.00 करोड रूपये आय है जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 72385.52 करोड रूपये हुई है। वित्त वर्ष 2011-12 में 115.647 करोड रूपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में 165.795 करोड़ यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक बैंकों की आय निजी क्षेत्र के बैंक की आय से कम है। निजी क्षेत्र के बैंकों का कुल रू. 329981.20 करोड़ है, जो औसतन 65996.26 करोड रूपये है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आय रू.239091.80 करोड़ है जो औसतन 47818.36 करोड़ है। उपयुक्त ग्राफ से यह सार्वजनिक और निजी दोनो क्षेत्रों के कुल आय में वृद्धि हुई है। और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्रों की बैंकों की कुल आय में वृद्धि हुई है।

बैंकों का कुल शुद्ध ब्याज **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

सारणी में यह देखा गया है कि 2013-14 व 2017-18 के बीच सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों की कुल शुद्ध ब्याज वित्तीय वर्ष 2013-14 में 40463.00 करोड़ रूपये से वित्तीय वर्ष 2017-18 में46056.42 करोड़ हुई है। निजी क्षेत्र के बैंकों का कुल शद्ध ब्याज 292839.30 करोड़ रू. है। जो औसतन 58567.98 करोड़ रू. है, वही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध ब्याज 221706.90 करोड़ रू. है, जो औसतन 44341.37 करोड रू. है। उपरोक्त ग्राफ से यह देखा गया हे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की ब्याज आय निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक बैंकों की आय कम होती है।

बैंकों का परिचालन लाभ **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

सारणी में यह देखा गया है कि 2013-14 से 2017-18 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का परिचालन लाभ वर्ष 2013-14 में 9353.00 करोड़ और वर्ष 2017-18 में 12005.55 करोड़ के साथ बढा है। कुल परिचालन लाभ 51064.62 रू. है जो औसतन 10212.92 करोड़ रू. है निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल परिचालन लाभ में 2013-14 से 2016-17 तक लगातार वृद्धि हुई है। जिसमें वर्ष 2017-18 में मुनाफे में कमी आ रही है। निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल परिचालन लाभ 111406.00 रू. है जो औसतन 22281.20 करोड रू. है। उपरोक्त ग्राफ में यह देखा गया है कि

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय एम.एल.बी. कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

सार्वजानिक और निजी क्षेत्र दोनों के मुनाफे में वृद्धि हुई है और निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक बैंकों के मुनाफे को कम कर रहे हें।

बैंकों का कुल शुद्ध लाभ **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका में यह देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ बढ़ा है कभी कम हुआ है या हानि भी हुई है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक में वर्ष 2015-16 में 5396.00 करोड़ व वर्ष 2017-18 में 2431.81 करोड़ रू. में शुद्ध लाभ घटा है। जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ भी कभी कम हुआ है या बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में पिछली बार की तुलना में शुद्ध लाभ बढा है जबकि उसके बाद लगातार शुद्ध लाभ कम हुआ है। निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल शुद्ध लाभ 47290.00 रू. है जो औसतन 9458.04 करोड़ रू. है। उपरोक्त ग्राफ से यह देखा गया है वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुनाफे में उतार-चढाव आया हैं।

बैंकों की परिसंपत्तियों पर रिटर्न **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका से यह देखा गया है कि चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्तियों पर कुल 2013-14 से 2017-18 तक लगातार कमी आ रही है। जबकि चयनित निजी क्षेत्र के बैंको की संपत्ति पर वर्ष 2014-15 में बढा है यह भी देखा गया है कि चयनित निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या अधिक है उपरोक्त ग्राफ से यह देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की रिटर्न अवधि के दौरान निरंतर रूप से प्रभावित होते है।

शून्य परिकल्पना का परीक्षण स्टूडेन्ट् टी परीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ के बीच कोई सार्थक अंतर नही है।

$$r = -0.997$$

$$t = \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \times \sqrt{n-2}$$

$$= \frac{-0.997}{\sqrt{1-0.997^2}} \times \sqrt{5-2}$$

$$= \frac{-0.997}{0.770} \times 1.73$$

$$t = 2.24$$

t का परिकलित मान = 2.24

t का सारणी मान 0.05 = 1.86

Hence Table Value <Calculated Value = (1.86<2.24)

अत:शून्य परिकल्पना कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है। असत्य है, क्योंकि यहाँ की गणना की वेल्यु, के सारणीयन मूल्य से अधिक है।

निष्कर्ष -

1. सभी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कुल आय ने अध्ययन के सभी वर्षो में कुल मिलाकर अच्छी वृद्धि दर्ज की
2. दोनों क्षेत्रों के लिए शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि देखी जा रही है।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए परिचालन लाभ की मात्रा निजी क्षेत्र बैंककी तुलना में बहुत अधिक है।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अध्ययन के पहले वर्षो में शुद्ध लाभ की अधिकतम मात्रा दर्ज की एवं बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों ने लगातार मुनाफा कमाया है।
5. परिसंपत्तियाँ पर वापसी के मामले में सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लिए एक स्थिर वृद्धि प्रदर्शित की जाती है। क्योंकि इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में गिरावट का रूझान दर्ज किया जाता है।

सुझाव -

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यावसायिकता परिदृश्य और बेहतर ग्राहक सेवा को लागू करके उनकी उपयोगिता बढ़ानी चाहिए।
2. शुद्ध लाभ और इसकी विकास दर को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ द्वारा गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए।
3. परिचालन खर्चा को लागत नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए कम किया जाना चाहिए।
4. सार्वजनिक बैंकों द्वारा परिसंपत्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।
5. ग्रामीण क्षेत्रों को भी संतुलित क्षेत्रीय विकास के रूप में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सेवा प्रदान करने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Donald R Cooper and Pamela S Schinder (2009) Busineees Research Methods" New Delhi, Tata MC graw Hill Education Private Ltd.
2. Kothari C.R. (2004) Research Methodology, New Delhi New Age Internation Publication
3. Mohan S And Elangovan R. (2011) Research Methodology in Commerce , New Delhi Deep and Deep Publication Pvt.Ltd
4. Shekhar K C and Lekshmy Shekhar (2010) Banking Theory and Practice Noida Vilas Publication House Pvt. Ltd
5. Reserve Bank of India and Indian Banks Association Report for the concerned period
6. Anand K (2015) Financial Performance of public sector banks and private sector banks in india Research Explore Vol IV,Issue II July December 2015
7. D.K.Malhotra El as (2011) Evaluation the performance of commercial banks in india in Asia Pacific Journal of finance and Banking research Vol 5 No 5 2011
8. Visisha Shah (2015) An analysis on the performance of private and public sector banks india In international journal for technological research in engineering volume 3, issue 4 December 2015
9. योजना पत्रिका - भारत सरकार।
10. नई दुनिया, दैनिक भास्कर - भोपाल, इन्दौर।
11. इकोनॉमिक्स टाईम्स - मुम्बई ।
12. बैंकों व भारतीय रिजर्व बैंक की वाषिक रिपोर्ट।

बैंकों की कुल आय

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा)	निजी क्षेत्र के बैंक (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक)
2013-14	43402.45	54606.00
2014-15	47365.55	61267.00
2015-16	49060.14	68062.00
2016-17	48957.99	73660.76
2017-18	50305.69	72385.52
कुल	239091.80	329981.30
मध्य	47818.36	65996.26

स्त्रोत: बैंकों व भारतीय रिजर्व बैंक की वाषिक रिपोर्ट

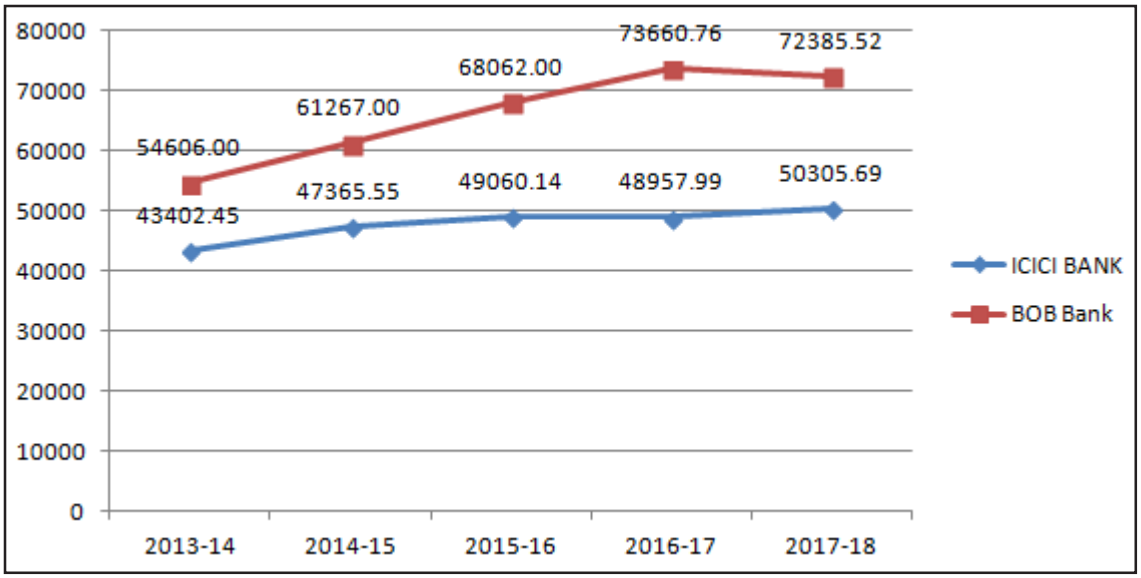

बैंकों का कुल शुद्ध ब्याज

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा)	निजी क्षेत्र के बैंक (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक)
2013-14	40463.00	49479.25
2014-15	44915.00	54964.00
2015-16	45799.00	59293.73
2016-17	44473.45	66939.98
2017-18	46056.42	62162.35
कुल	221706.90	292839.30
मध्य	44341.37	58567.98

स्त्रोत- बैंकों व भारतीय रिजर्व बैंक की वाषिक रिपोर्ट।

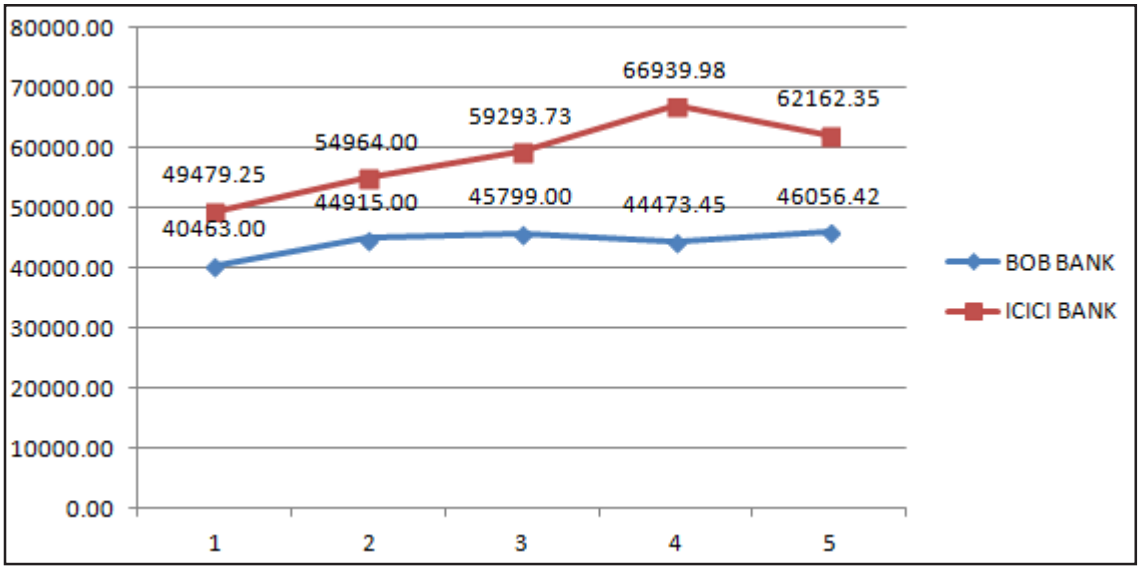

बैंकों का परिचालन लाभ

	बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा)	निजी क्षेत्र के बैंक (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक)
2013-14	9353.00	16595.00
2014-15	9915.00	19720.00
2015-16	8816.00	23863.00
2016-17	10975.07	26487.00
2017-18	12005.55	24741.00
कुल	51064.62	111406.00
मध्य	10212.92	22281.20

स्त्रोत - बैंकों व भारतीय रिजर्व बैंक की वाषिक रिपोर्ट।

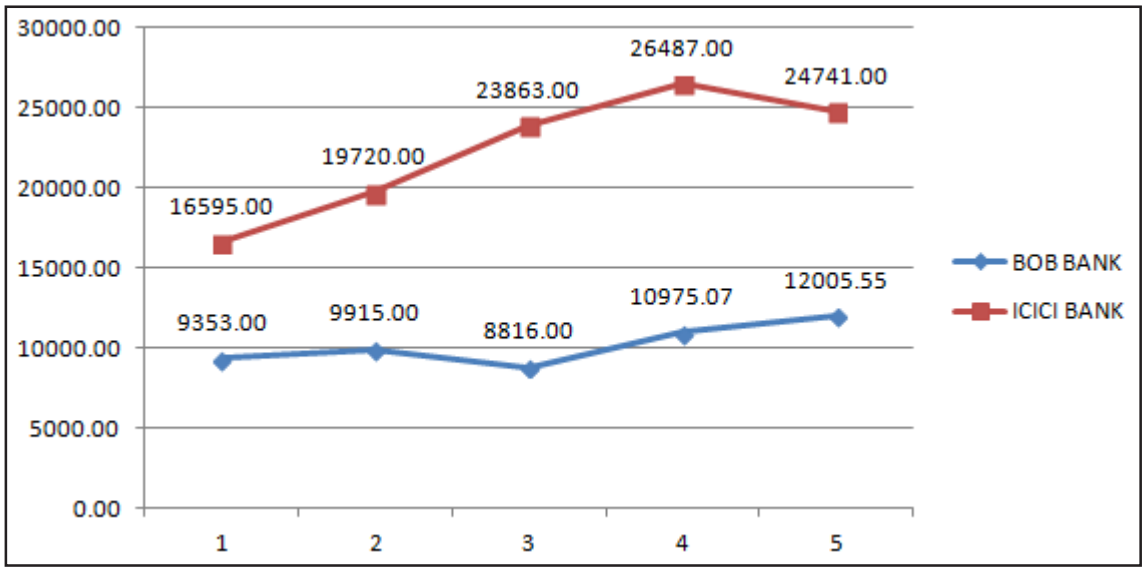

बैंकों का कुल शुद्ध लाभ

	बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा)	निजी क्षेत्र के बैंक (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक)
2013-14	4541.00	9810.00
2014-15	3398.00	11175.00
2015-16	5396.00	9726.00
2016-17	1383.14	9801.80
2017-18	2431.81	6777.42
कुल	1494.33	47290.00

मध्यस्त्रोत - बैंकों व भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट।

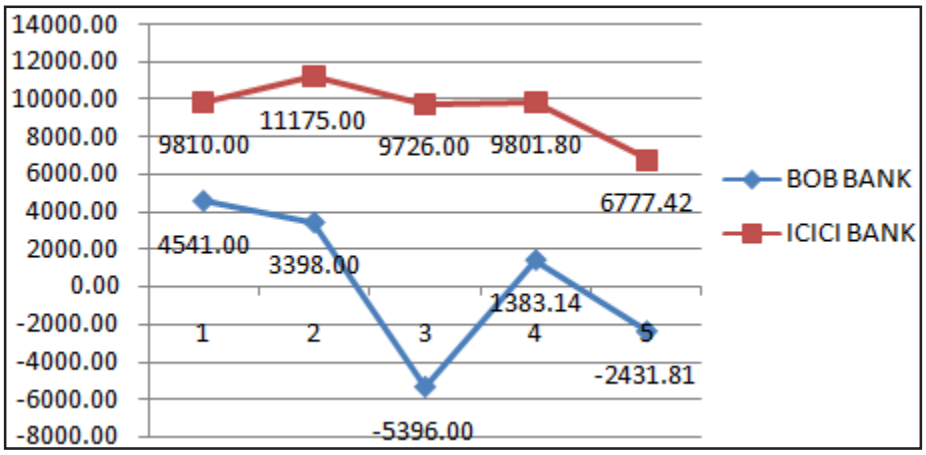

बैंकों की परिसंपत्तियों पर रिटर्न

	बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा)	निजी क्षेत्र के बैंक (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक)
2013-14	0.68	1.78
2014-15	0.47	1.86
2015-16	0.80	1.34
2016-17	0.19	1.26
2017-18	0.33	0.77
कुल	0.21	7.01
मध्य	0.042	1.40

स्त्रोत - बैंकों व भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट।

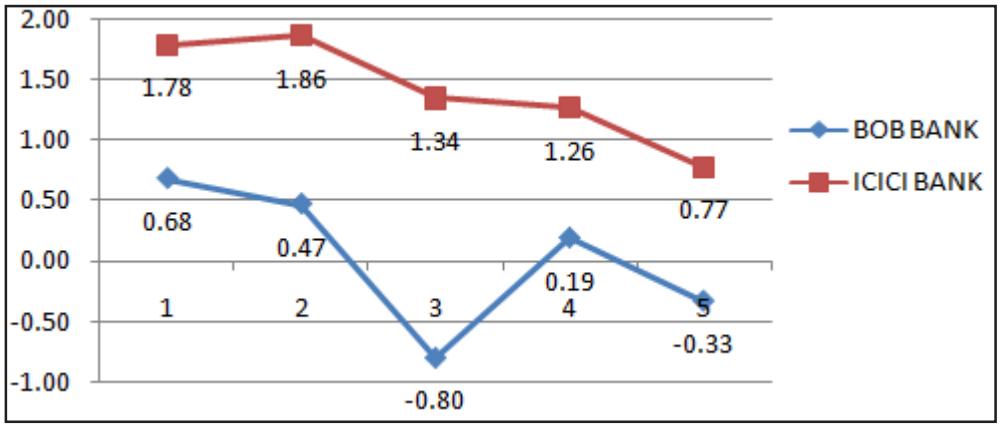

****

विज्ञापन के माध्यम से सौन्दर्य प्रसाधनों का विक्रय

डॉ. दिपाली सुराना *

प्रस्तावना – आज के युग में सौन्दर्य का बहुत महत्व हो गया है। सभी की मंशा होती है की खूबसूरत दिखे इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए बाजार में कम्पनीयों ने अपने प्रोडक्ट निकाले है। उसके विक्रय का माध्यम विज्ञापन है तथा विज्ञापन में बताए गए प्रोडेक्ट का विक्रय अधिक होता है। प्रस्तुत अध्ययन का आधार समंक है। इन्दौर के व्यस्तम इलाका पश्चिमी क्षेत्र में सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग करने वाले बहुत से उपभोक्ता है। अत: उन सभी से सम्पर्क स्थापित कर विज्ञापनों का उन पर प्रभाव ज्ञात करना एक कठिन कार्य है। अत: हमने देव निदर्शन के माध्यम से समग्र का समुचित प्रतिनिधित्व करने वाली 50 इकाईयों का चयन कर चयनित ईकाईयों से हस्ताक्षर अनुसूची की पूर्ति करवाकर समंकों को एकत्रित किया है व उसके साक्षात्कार के माध्यम से आवश्यक सूचनाऐं प्राप्त की है।

प्राप्त सूचनाओं एवं समंकों को सरल व बोधगम्य बनाने हेतु उनका वर्गीकरण व सारणीयन किया गया है। निष्कर्षो की प्राप्ति के लिए सांख्यिकी की प्रचलित विधियों से प्राप्त सूचनाओं व समंकों का विश्लेषण किया गया है।

हमारे द्वारा किए अध्ययन में सौन्दर्य प्रसाधन के विज्ञापनों की प्रभावशीलता इस प्रकार है–

सर्वेक्षित उपभोक्ताओं का सामान्य परिचय – सामान्य परिचय में उम्र का उल्लेख भी प्रस्तुत शोध की प्रश्नावली में उपभोक्ताओं से करवाया गया था क्योंकि व्यक्ति पर उम्र का काफी प्रभाव पड़ता है। उसकी कार्यक्षमता,सक्रियता,चिंतन,मनन एवं निर्णय उम्र से प्रभावित होती है। निम्न तालिका इस सर्वेक्षण में सर्वेक्षित किए गए उपभोक्ताओं की आयु संरचना को प्रकट करती है–

तालिका क्रमांक 1

आयु संरचना

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	20 वर्ष से कम	12	24
2.	20 से 30 वर्ष के बीच	18	36
3.	30 से 40 वर्ष के बीच	10	20
4.	40 से 50 वर्ष के बीच	8	16
5.	50 से 60 वर्ष के बीच	2	4
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस सर्वेक्षण के अनुसार सौन्दर्य प्रसाधन का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला युवा वर्ग (24%+36%+60%) है, शेष 40% में से 20% लोग 30 से 40 वर्ष के मध्य आयु वाले है। व शेष 20% लोगों में से 40 से 50 वर्ष के मध्य आयु वाले 16% व 4% लोग 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग सौन्दर्य प्रसाधन का प्रयोग करते है।

सौन्दर्य प्रसाधन के उपभोक्ता सर्वाधिक युवा वर्ग के होने के कारण ही निर्माता या उत्पादक अपने विज्ञापन इन्ही के अनुरूप तैयार करते है।

उपभोक्ता का शैक्षणिक स्तर – किसी भी व्यक्ति का काम करने का ढंग बहुत कुछ उसके शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वह अपना प्रत्येक कार्य भलीभांति सोच–विचार कर करेगा। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता शिक्षित है, तो वह विज्ञापन के संदेश को अच्छी तरह समझकर, उसकी वास्तविकता को परखेगा, कि क्या विज्ञापन में दर्शायी गयी विशेषताऐं उत्पाद में है। इसके बाद ही वह उस वस्तु का उपयोग प्रांरभ करेगा। जबकि दूसरी और एक बिना पढ़ा लिखा उपभोक्ता विज्ञापन की विशेषताओं की तुलना अपने द्वारा प्रयोग किये जा रहे सौन्दर्य प्रसाधनों से नहीं करेगा।

इस सर्वेक्षण में हमने सौन्दर्य प्रसाधन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के शैक्षणिक स्तर का भी पता लगाने का प्रयास किया जो कि इस प्रकार पाया गया –

तालिका क्रमांक 2

उपभोक्ताओं शैक्षणिक स्तर

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाई स्कूल से कम	12	24
2.	हाई स्कूल	16	32
3.	स्नातक	12	24
4.	स्नातकोत्तर	10	20
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन्दौर के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक 32% उपभोक्ता हाईस्कूल पास 24% हाई स्कूल से कम व स्नातक है। जबकि स्नातकोर योग्यता रखने वाले 20% है।

उपभोक्ता के आय स्तर – हमने अपने सर्वेक्षण द्वारा इन्दौर के पश्चिमी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के आय स्तर को भी जानने का प्रयास किया जो अग्रानुसार है–

तालिका क्रमांक 3 –

उपभोक्ता का आय स्तर

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	कुछ नहीं (आश्रित)	15	30
2.	1001 से कम	10	20
3.	1000 से 5000 के बीच	12	24
4.	5000 से 10000 के बीच	8	16
5.	10000 या उससे अधिक	5	10
	योग	50	100

* सहायक प्राध्यापक, रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, इन्दौर(म.प्र.) भारत

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 30% सौन्दर्य प्रसाधन के उपभोक्ता परिवार पर आश्रित है तथा 25% उपभोक्ता की आय 1000 से 5000 के बीच के है। जबकि 5000 या उससे अधिक उपभोक्ता 10% ही है।

उपभोक्ता का व्यवसाय या पेशा

हमने अपने सर्वेक्षण से यह भी पता लगाया है कि व्यवसाय या पेशे की दृष्टि से सौन्दर्य प्रसाधन के उपभोक्ता किस प्रकार के है,सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी इस प्रकार है–

तालिका क्रमांक 4

उपभोक्ता का व्यवसाय या पेशा

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	विद्यार्थी	15	30
2.	सरकारी सेवक	10	20
3.	गैर सरकारी सेवक	13	26
4.	व्यापारी एवं व्यवसायी	9	18
5.	गृहणी	3	6
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से इन्दौर के पश्चिमी क्षेत्र कें सर्वेक्षण के अनुसार 30% उपभोक्ता विद्यार्थी है। जबकि 26% गैर सरकारी सेवक एवं 6% गृहणी है। अत: स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे का सौन्दर्य प्रसाधन के उपयोग पर भी प्रभाव पड़ता है।

सौन्दर्य प्रसाधन का उपयोग करने के कारण – सौन्दर्य प्रसाधन के उपभोक्ता कई कारणों से इसका उपयोग करते है। कुछ इसमें उबटन आदि से कम समय लगने व कुछ इसके आसानी से उपलब्ध होने, तो कुछ इसका उपयोग शरीर की सफाई व देखभाल का अधिक वैज्ञानिक ढंग होने के कारण करते है। कुछ उपभोक्ता ऐसे भी होते है, जो कि विज्ञापनों से प्रभावित होकर इसका उपयोग करते है। इस सम्बन्ध में इस सर्वेक्षण में उपभोक्ता की स्थिति इस तालिका से स्पष्ट है–

तालिका क्रमांक 5

सौन्दर्य प्रसाधन का उपयोग करने के कारण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	आसानी से उपलब्ध होने के कारण	7	14
2.	शरीर देखभाल का अधिक वैज्ञानिक ढंग होने के कारण	20	50
3.	मिट्टी,स्नान,उबटन,बेसन से श्रेष्ट होने कारण	3	6
4.	समय की बचत के कारण	8	16
5.	विज्ञापनों से प्रभावित होकर	6	12
6.	परिवारिक प्रतिष्ठा का सूचक होने के कारण	1	2
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 50% उपभोक्ता सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग शरीर की सफाई एवं देखभाल का अधिक वैज्ञानिक ढंग होने कारण करते है। जबकि 12% उपभोक्ता समय की बचत के कारण उपयोग करते है। केवल 2% उपभोक्ता पारिवारिक प्रतिष्ठ का सूचक होने से प्रसाधनों का प्रयोग करते है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विज्ञापनों से प्रभावित होकर ही उपभोक्ता इन प्रसाधनों का प्रयोग नहीं करते है।

सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग से पुर्व उपयोग – सौन्दर्य प्रसाधनों के उपभोक्ताओं में से कई उपभोक्ता ऐसे भी है, जो कि सौन्दर्य प्रसाधनों को प्रयोग में लाने से पूर्व प्राकृतिदत्त वस्तुओं का प्रयोग करते है। इनकी जानकारी इस तालिका से स्पष्ट है–

तालिका क्रमांक 6

सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग से पूर्व उपयोग

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	आटे का चोकर	2	4
2.	बेसन का उबटन	5	10
3.	दूध या मावा	3	6
4.	शुरू से ही प्रसाधन का प्रयोग	40	80
	योग	50	100

सर्वेक्षण तालिका से स्पष्ट है कि 80% उपभोक्ता शुरू से सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते है। क्योंकि इस 80% में अधिकांशतया विद्यार्थी वर्ग आता है। कुछ उपभोक्ता ही प्राकृतिदत्त पदार्थो का प्रयोग करने के पाश्चात्य ही सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते है। अत: इनके अधिकांश प्रयोग पर विज्ञापनों का व्यापक प्रभाव है।

सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग के पश्चात् भी किसी अन्य वस्तु का प्रयोग– हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि क्या आज भी उपभोक्ता सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करने के बाद भी किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करता है। अथवा नही ?

तालिका क्रमांक 7

सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग के
पश्चात्य भी किसी अन्य चीज का प्रयोग

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	4	8
2.	नही	46	92
	योग	50	100

इस तालिका से स्पष्ट है कि केवल 8% उपभोक्ता ऐसे है जो प्रसाधनों के प्रयोग के पूर्व या पश्चात् भी किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करते है। जबकि 92% उपभोक्ता केवल प्रसाधनों को ही प्रयोग में लाते है।

परिवार के सभी सदस्यों द्वारा सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना – सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं में कुछ उपभोक्ताओं के परिवार के सभी सदस्य सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते है, जबकि कुछ अन्य साधन जैसे उबटन/मिट्टी आदि का उपयोग करते है–

तालिका क्रमांक 8

परिवार के सभी सदस्यों द्वारा
सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग के

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	30	60
2.	नही	20	40
	योग	50	100

इस तालिका से स्पष्ट है कि सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग 60% परिवार के सदस्य करते है तथा 40% लोग सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग नहीं करते है।

सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रचलित ब्राण्ड – जिस प्रकार सभी व्यक्ति का स्वभाव एक सा नहीं होता ठीक उसी प्रकार यह एक माननीय प्रवृति है कि प्रत्येक व्यक्ति की पसन्द भी अलग–अलग होती है। इसीलिए सौन्दर्य प्रसाधन बनाने वाली कम्पनियों द्वारा अपने–अपने उत्पाद में अलग–अलग विशेषता का विज्ञापन की सहायता से उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाती है। निर्माता

या उत्पादक का प्रयास यही रहता है कि वे अपने उत्पाद में नई-नई व अलग-अलग विशेषताऐं एवं जिससे उपभोक्ता की रूचि में परिवर्तन संभव हो सके।

तालिका क्रमांक 9
सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग के

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	लक्मे	20	40
2.	पोण्ड्स	10	20
3.	अयूर	3	6
4.	रेवलॉन	1	2
5.	ब्ल्यू हेवन	5	10
6.	टिप्स एण्ड टोस	4	8
7.	अम्बर	-	-
8.	मॉई फेयर लेडक्ष	2	4
9.	ऐलिट	-	-
10.	शहनॉज हुसैन (हर्बल)	5	10
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 40% उपभोक्ता सर्वाधिक प्रचलित ब्राण्ड लक्में का उपयोग करते है। इसके बाद क्रमश: पोण्ड्स, ब्ल्यू हेवन, शहनाज हुसैन आदि प्रचलित बॉण्ड्स का उपयोग करते है। अम्बर, एलिट के उपभोक्ता बिलकुल नहीं है।

परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक ही कम्पनी के सौन्दर्य प्रसाधन का प्रयोग करना - वर्तमान में अधिकांश उपभोक्ताओं के परिवार के सभी सदस्य एक ही कम्पनी के सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते है या नहीं यह निम्न तालिका से स्पष्ट है-

तालिका क्रमांक 10
परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक ही कम्पनी के
सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	करते है	27	54
2.	नहीं करते है	23	46
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 54% सौन्दर्य प्रसाधनों के उपभोक्ता परिवार एक ही कम्पनी के उत्पाद का प्रयोग करते है तथा 46% परिवार में सभी सदस्य अलग-अलग कम्पनी के उत्पादों को उपयोग में लाते है। सामान्यत: लक्में का प्रयोग अधिक किया जाता है।

हमेशा एक ही कम्पनी के सौन्दर्य प्रसाधन का उपयोग - वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में सौन्दर्य प्रसाधन बनाने वाली अनेक कम्पनियाँ बाजार में है और वे सभी अलग-अलग ब्राण्ड के प्रसाधन अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत करती है। यह प्रस्तुतीकरण विज्ञापन के माध्यम से होता है। वे चाहते है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता उनके ही ब्राण्ड का प्रयोग करें इस हेतु वे अपने उत्पाद की न केवल गुणवत्ता आकार में परिवर्तन करते है बल्कि लागत भी तुलनात्मक रूप से कम करने की कोशिश करते है व इस परिवर्तन की सूचना विज्ञापनों के माध्यम से दी जाती है। ऐसे में कई उपभोक्ता अन्य उत्पादों की विशेषताओं से प्रभावित होकर वर्तमान प्रयुक्त उत्पाद की जगह उसका प्रयोग करने लगते है। हमने अपने सर्वेक्षण में यह भी जानने का प्रयास किया है कि उपभोक्ता सदैव एक ही कम्पनी के सौन्दर्य प्रसाधन का प्रयोग करते है अथवा उसे बदलते रहते है।

तालिका क्रमांक 11
हमेशा एक ही कम्पनी के सौन्दर्य प्रसाधन का प्रयोग

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	करते है	24	48
2.	बदलते रहते है	26	52
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 52% उपभोक्ता सौन्दर्य प्रसाधन के उत्पादक को बदलते रहते है। जबकि 48% उपभोक्ता हमेशा एक ही कम्पनी के उत्पादों का प्रयोग में लाते है।

उत्पाद बदलने के कारण - ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि 52% उपभोक्ता उत्पादों का प्रयोग बदल- बदल कर करते है। हम अपने सर्वेक्षणों में यह भी पता लगाने का प्रयास किया कि ये सौन्दर्य प्रसाधन को क्यों बदलते है।

निष्कर्ष - हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है, सौन्दर्य प्रसाधन के उपयोग को बढ़ाने में विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा सभी ब्रांड अपने उत्पादन को विक्रय के लिए विज्ञापन का सहारा लेती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

भारत में एम-कॉमर्स की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य

डॉ. आलोक कुमार यादव *

शोध सारांश – एम-कॉमर्स वास्तव में ई-कॉमर्स का एक अग्रिम संस्करण है, जिसके द्वारा मोबाइल पर इन्टरनेट का उपयोग कर व्यवसाय की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है । ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जिसमें डेस्कटॉप एवं लेपटॉप कंप्यूटरों पर इंटरनेट का उपयोग कर लेनदेन किया जाता है। ई-कॉमर्स द्वारा कभी भी, कहीं भी त्वरित गति से मॉल एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जा सकता है। लोग विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं की खोज एवं तुलना कर ऑनलाइन लेन-देन कर सकते हैं और ईमेल एवं फंड ट्रांसफर कर सकते है। एम-कॉमर्स (मोबाइल कॉमर्स) वास्तव में किसी स्थान विशेष पर जाये बिना वायरलेस उपकरण जैसे मोबाइल के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का क्रय और विक्रय है। एम-कॉमर्स उपयोगकर्ताओं को एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। मोबाइल फोन, मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के लेन-देन जैसे विभिन्न उत्पादों की खोज, खरीदारी, धनराशि का हस्तानांतरण, टिकट बुकिंग, उपयोगिता बिलों का ऑनलाइन भुगतान पूर्ण गोपनीयता के साथ सम्पादित किए जाते है। इस प्रकार, एम-कॉमर्स की सर्वव्यापकता, गतिशीलता, और लचीलेपन की क्षमता ने इस सुविधाा को आम लोगों में लोकप्रिय बना दिया है। इंटरनेट का उपयोग करके ग्राहक विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मोबाइल वाउचर, कूपन और लॉयल्टी कार्ड, स्थान-आधारित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वे भारतीय खुदरा ग्राहक जो स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे है, उनमें से लगभग 83% मोबाइल फ़ोन पर खरीदारी कर रहे है, जो प्रदर्शित करता है कि भारत में एम- कॉमर्स का तेजी से विस्तार हो रहा है। विशेष रूप से इस समूह में 90% ग्राहक, 25-34 आयु वर्ग के ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे है। इस आलेख में मोबाइल कॉमर्स की उपयोगिता, लाभ, हानियाँ और भारत में इसके भविष्य पर प्रकाश डाला जा रहा है।

प्रस्तावना – मोबाइल कॉमर्स को आमतौर पर 'एम-कॉमर्स' कहा जाता है, जिसमें उपयोगकर्ता किसी भी प्रकार का लेन-देन, माल की खरीद और बिक्री सहित, किसी भी सेवा की जानकारी हासिल करने से लेकर उसका स्वामित्व या अधिकार हस्तान्तरण और तत्पश्चात मौद्रिक लेनदेन एवं रुपयों का अंतरण मोबाइल हैंडसेट पर वायरलेस इंटरनेट के द्वारा कर सकता है। वाणिज्य की अगली पीढ़ी शायद मोबाइल कॉमर्स या एम-कॉमर्स हो। इसकी व्यापक संभावित पहुँच को देखते हुए प्रमुख मोबाइल हैंडसेट निर्माण कंपनियां 2WAP(वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल) द्वारा स्मार्टफ़ोन को सक्षम कर रही है और जो अधिकतम वायरलेस इंटरनेट प्रदान करता है, जिससे वेब सुविधाएं द्वारा वैयक्तिक, आधिकारिक और वाणिज्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो जो बाद में एम-कॉमर्स के लिए बहुत लाभप्रद होगा।

एम-कॉमर्स को एक वायरलेस इंटरनेट-सक्षम डिवाइस के माध्यम से कहीं भी सामान खरीदने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है:

- 'मोबाइल द्वारा ई-कॉमर्स प्रदान करना।'
- मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यावसायिक सूचनाएं प्राप्त कर क्रय-विक्रय करना, मांग एवं पूर्ति की शृंखला को पूर्ण करते हुए लेन-देन करना।
- मोबाइल वाणिज्य से तात्पर्य उस वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से है जिसमें मोबाइल या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (PDA) जैसे आसान उपकरणों का उपयोग वाणिज्य करने के लिए किया जाता है। कहा जा सकता है कि ई-कॉमर्स की अगली पीढ़ी वायरलेस है जिसमें तार और प्लग-इन डिवाइस कोई आवश्यकता नहीं है

अनुसंधान पद्धति – यह शोध पत्र गुणात्मक और द्वितीयक समंकों पर आधारित है।जिसे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, प्रबंधकीय जर्नल, पुस्तकों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं एवं जानकारियों से एकत्रित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. एम-कॉमर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का अध्ययन करना,
2. एम-कॉमर्स के लाभ और सीमाओं को जानने के लिए
3. भारत में एम-कॉमर्स की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य का सिंहावलोकन करना।

मोबाइल पर उपलब्ध उत्पाद और सेवाएं –

1. मोबाइल ब्राउज़िंग – वर्तमान में एक मोबाइल धारक बिना पर्सनल कम्प्यूटर का उपयोग किए अपने मोबाइल के ब्राउज़र का उपयोग कर दुनिया भर के प्रोडक्ट की जानकारी हासिल कर उन्हें ऑनलाइन खरीद सकता है। लोकेशन बेस्ड मोबाइल एप ग्राहकों को सही समय, सही स्थान एवं सही व्यक्ति को वस्तुएं एवं सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है। अमेजान, फ्लिपकार्ट, जोमाटो, स्नेपडील आदि इसके उदाहरण है।

2. मोबाइल बैंकिंग – बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को अपने बैंक खातों की जानकारी एक्सेस करने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते है। इन मोबाइल एप्स के द्वारा आसानी से मनी ट्रान्सफर

* प्राचार्य, इंदिरा गांधी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

के साथ–साथ विभिन्न बिलों का भुगतान किया जा सकता है। स्टेट बैंक का योनो, फ़ोनपे या पेटीएम इसके उदाहरण है।

3. सामग्री की खरीद और वितरण – वर्तमान में, मोबाइल सामग्री जैसे रिंगटोन, वालपेपर, गेम्स, एप्स, म्यूज़िक, वीडियो आदि की खरीद और वितरण मोबाइल फोन पर की जा रही है। फोरजी नेटवर्क से युक्त मोबाइल जिसमें डाउनलोड की बेहतर गति होती है, पर ये सभी कार्य सेकेंड्स में घर बैठे पूर्ण हो जाते है।

4. मोबाइल मनी ट्रांसफर – अब मनी ट्रांसफर मुख्य रूप से मोबाइल फोन के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। इसकी शुरुवात केन्या की एक कम्पनी सफारीकॉम द्वारा की गई थी। अधिकांश मॉल, संस्थानों और दुकानों में स्थिर स्वचालित टेलर मशीन (ATM) पाई जाती है लेकिन विशेष आयोजनों मेलों, कार्निवाल, परेड या विशेष यात्राओं के दौरान जब आसपास कोई एटीएम उपलब्ध नही होता है तब अस्थाई तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित की जा सकने वाली मोबाइल एटीएम मशीन स्थापित की जाती है।

5. मोबाइल टिकटिंग – विभिन्न प्रकार की टिकिटों को मोबाइल फोन पर बुक किया जा सकता है, उसे अंतरित किया जा सकता है। टिकट चेक होने पर अपने मोबाइल फोन को तत्काल प्रस्तुत करके, उन टिकट का उपयोग किया जा सकता है। अब अधिकांश मोबाइल धारक इस तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं।

6. मोबाइल वाउचर, कूपन और लॉयल्टी कार्ड – वाउचर, कूपन, और लॉयल्टी कार्ड के वितरण के लिए मोबाइल टिकटिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। ये आइटम एक वर्चुअल टोकन द्वारा दर्शाए जाते हैं जो मोबाइल पर भेजा जाता है

7. स्थान–आधारित सेवाएं – मोबाइल वाणिज्य या एम–कॉमर्स लेनदेन के समय मोबाइल धारक की लोकेशन की जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे उपयोग के समय स्थानीय जानकारी, छूट, मौसम की जानकारी ली जा सकती है और लोगों की ट्रैकिंग एवं निगरानी रखी जा सकती है।

8. सूचना सेवाएं – समाचार, स्टॉक कोट, खेल स्कोर, आर्थिक लेख, ट्रैफिक रिपोर्टिंग, आपातकालीन अलर्ट, स्थान आधारित सूचनाएं आदि सूचना सेवाओं की विस्तृत विविधता को मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। उपयोगकर्ता के मोबाइल डिवाइस को वास्तविक यात्रा पैटर्न के आधार पर अनुकूलित ट्रैफ़िक जानकारी, भेजी जा सकती है। यह अनुकूलित डेटा एक सामान्य ट्रैफ़िक–रिपोर्ट की तुलना में अधिक उपयोगी है,जो आधुनिक मोबाइल उपकरणों के आविष्कार से पहले अव्यावहारिक था।

9. मोबाइल ब्रोकरेज – मोबाइल उपकरणों के माध्यम से दी जाने वाली स्टॉक मार्केट सेवाएं अब अधिक लोकप्रिय हो गई हैं। ये ग्राहक को बाजार के विकास पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं।

10. मोबाइल मार्केटिंग और विज्ञापन – मोबाइल कॉमर्स के संदर्भ में, मोबाइल पर भेजे गए मार्केटिंग संदेश मोबाइल मार्केटिंग को संदर्भित करते है। कम्पनियों की रिपोर्टो से पता चलता है कि पारम्परिक विज्ञापन अभियानों की बनिस्पत ग्राहक मोबाइल मार्केटिंग में बेहतर और तत्काल प्रतिक्रिया देते है। इसका प्राथमिक कारण मोबाइल एप्लिकेशन और इसे सक्षम करने वाली वेबसाइट होती है। यहाँ उपभोक्ता एक विपणन संदेश या डिस्काउंट कूपन प्राप्त कर सकते हैं।

एम–वाणिज्य के लाभ और सीमाएँ – एम–कॉमर्स के कुछ लाभ नीचे वर्णित हैं:

1. उपयोग करने में आसान – मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना आसान है। इन एप्लीकेशन्स को उपयोग में लाने के लिए किसी विशेष कौशल या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती हैं। इसके अलावा उपभोक्ता आसानी से प्रोडक्ट खरीद कर बिल की डिलीवरी पर भुगतान कर सकते है।

2. सर्वसुलभ पहुंच – मोबाइल फोन हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं और यह सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रेता मोबाइल फोन और एप्लीकेशन्स के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं और ग्राहक उत्पादों को खोजने के लिए विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा विक्रेता तक पहुंच सकते हैं। दूरियों का फासला होने पर भी विक्रेता और ग्राहक एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं।

3. उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सौदा – उपभोक्ता विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके विभिन्न आइटम खोज कर सकते हैं। उनकी लागत, डिलीवरी समय और स्थान की तुलना कर आदेश कर सकते है और सबसे अच्छा सौदा प्राप्त कर सकते है।

4. समय की बचत – उपभोक्ता आवश्यक उत्पाद खोज सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं और भौतिक दुकानों का दौरा किए बिना सबसे अच्छा सौदा प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार उनका यात्रा करने का समय और धन बचता है। वह मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कभी भी कहीं भी उत्पाद खरीद सकता है। एम–कॉमर्स ग्राहकों को मूवी टिकट, रेलवे टिकट, हवाई टिकट, ईवेंट टिकट बुक करने में सक्षम बनाता है, जिससे काफी समय की बचत होती है। जैसे बुक माई शो, आईआरसीटीसी मोबाइल एप्लिकेशन ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं प्रदान करता है।

5. सुरक्षित लेनदेन – मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर उपभोक्ता सुरक्षित लेनदेन कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते है। लेन–देन के प्रमाणीकरण के लिए ऑन टाइम पासवर्ड (OTP लिए उत्पन्न होता है। जिसका उपयोग सुरक्षित एम–भुगतान के लिए किया जाता है।

एम–कॉमर्स से हानियाँ –

1. छोटी स्क्रीन – उपभोक्ता के कार्य को मोबाइल डिवाइस की छोटी स्क्रीन एक ही डिस्प्ले स्क्रीन में ज्यादा प्रोडक्ट को देखना मुश्किल बना देती है। किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए यूजर को तस्वीरों को बार बार ज़ूम करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के कारण उपभोक्ता थकान महसूस करने लगता है। इसके अलावा आई केचिंग तस्वीरों को यूजर पकड़ नही पता इसलिए रिटेलर के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है।

2. सुरक्षा – मोबाइल सुरक्षा में नियमित रूप से सुधार हो रहा है। लेकिन अधिकांश उपभोक्ता मोबाइल डिवाइस पर लेनदेन पर विश्वास नहीं करते । इंटरनेट की तुलना में हैकर्स के लिए मोबाइल डिवाइस नेटवर्क को हैक करने के अधिक अवसर होते है। इसलिए मोबाइल पर लेन–देन सुरक्षित लेनदेन होना चाहिए।

3. मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन – मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल एप्लिकेशन के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन इसके उपयोग को सीमित कर देता है।

4. धीमी प्रक्रिया – मोबाइल डिवाइस की गति व्यक्तिगत कंप्यूटर से कम है। सर्चिंग के दौरान उपभोक्ताओं को फ़्लैश वीडियो और प्लग–इन

जैसी सामग्री को हटाना पड़ता है, जिसमे बहुत समय खर्च होता है। इस तरह धीमी गति के कारण आदेश देने और उत्पादों की डिलीवरी में समय ज्यादा लगता है।

भारत में एम–वाणिज्य सेवाओं का भविष्य – भारत में लगातार मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ रहा है, यह केवल कॉल करने के लिए नहीं बल्कि दोस्तों और परिवार के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनता जा रहा है । मोबाइल फोन तकनीक ने एक नई परिपाटी का विकास किया है और वह है मोबाइल कॉमर्स । निम्न तालिका भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता और उसमें भी स्मार्ट फ़ोन उपयोगकर्ताओं में वृद्धि को दर्शाया गया है –

तालिका संख्या 1**(देखे)**

तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि भारत में स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष तक मोबाइल कॉमर्स से कुल सकल बिक्री 37.96 यूएस बिलियन डॉलर तक होने का अनुमान है।

निष्कर्ष – भविष्य के व्यवसाय में मोबाइल कॉमर्स एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। एम–कॉमर्स सेवाओं की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। बाजारों में तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ विभिन्न भुगतान रणनीतियों, और अधिक ग्राहक जागरूकता मोबाइल के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। अगले पांच वर्षों में एम–कॉमर्स से बिक्री चौगुनी तक होने का अनुमान है। कुछ ई–कॉमर्स साइटों (जैसे अमेज़ॅन) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जबकि अधिकांश व्यवसायों ने केवल एम–कॉमर्स की सफलता का अनुभव किया। हालाँकि, इन सभी में एक बात समान है कि वे अब अपने ब्रांड को बढ़ाने, अपनी बिक्री बढ़ाने और प्रतिस्पर्धियों के साथ मेल–जोल रखने के लिए एम–कॉमर्स को सार्वभौमिक रूप से पहचानते हैं। संक्षेप में, एम–कॉमर्स का भविष्य उज्ज्वल है, और ऐसा लग रहा है कि यह और भी शानदार हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अर्चना एम नवरे: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन कम्प्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाल्यूम 5 इशु 4
2. http://www.regalix.com/insights/m-commerce-trends-in-india-2016
3. https://yourstory.com/mystory/m-commerce-in-2019-trends-to-keep-up-with-and-bene-wbx3hb5125
4. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-is-fastest-growing-e-commerce-market-report/articleshow/66857926.cms
5. https://www.statista.com/statistics/274658/forecast-of-mobile-phone-users-in-india/

तालिका संख्या 1

वर्ष	भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता (मिलियन में)	भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता (प्रतिशत में)
2014	199.08	21.2
2015	251.79	26.3
2016	299.24	29.8
2017	399.95	33.4
2018	373.88	36.0
2019(अनुमानित)	401.74	39.0

स्त्रोत – www.statista.com

****

उद्यमिता विकास में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं उद्यमिता विकास केन्द्र की भूमिका का अध्ययन (उज्जैन संभाग के सन्दर्भ में)

नीतू सूर्यवंशी * डॉ. संदीप जोशी **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में उद्यमिता विकास में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं उद्यमिता विकास केन्द्र की भूमिका का अध्ययन (उज्जैन संभाग के सन्दर्भ में) पर विचार किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, विकास के साथ अधिक शिक्षित और कुशल कार्यबल के लिए मांग बढ़ी है। इसके जवाब में, भारत सरकार ने सामान्य शिक्षा में निवेश का विस्तार किया है और उच्च शिक्षा को जारी नहीं रखने वाले युवाओं के लिए स्कूल बाद के व्यावसायिक प्रशिक्षण के वितरण का विस्तार और सुधार करने की मांग की है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण रोजगार प्राप्ति सुलभ सहज नहीं रही है। युवाओं को यही अवसर सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से शैक्षणिक स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण मार्गदर्शन का कार्य कर रोजगार की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करता है। अत: व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) एवं उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) की भूमिका प्रभावशाली रही है।

शब्द कुंजी – उद्यमिता विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आईटीआई, सेडमेप।

प्रस्तावना – किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। उद्यमीय क्षमताओं के द्वारा ही तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है तथा एक देश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अधिकांश देशों में उद्यमियों की कमी होती है। जबकि देश के आर्थिक विकास में अहम् भूमिका के कारण सदैव उनकी मांग बनी रहती है। विकास प्रयासों के बावजूद उद्यमियों की पूर्ति सदैव कम हो पाती है। अत: एक ऐसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा प्रभावी उद्यमीशील वर्ग का विकास हो, ताकि आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके।

शोध अध्ययन का उद्देश्य –

1. स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन के अवसरों में उद्यमिता विकास की भूमिका का अध्ययन करना।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं उद्यमिता विकास केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दी गई सेवाओं एवं प्रशिक्षण का अध्ययन करना।

साहित्य का पुनरावलोकन–

1. Enterpreneurship Development in India. Role of Economic Growth, Foreign Investment and Financial Development - Amit. Research Scholar, IIFM, Bhopal Aug - 2014 यह शोध पत्र भारत में उद्यमिता विकास पर आधारित है। इस शोध पत्र में बताया गया है कि भारत के आर्थिक विकास की चाबी स्वरोजगार है। स्वरोजगार के माध्यम से हम अपने क्षेत्रीय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग कर अपने गाँवों का विकसित कर सकते हैं। इस शोध पत्र के द्वारा वित्तीय विकास, आर्थिक विकास और विदेशी निवेश पर उद्यमिता विकास के प्रभाव को बताया गया है।

2. A study on Entrepreneurship Development process in india - Ms Indira Kumari, Research, Dibrugarh University (Assam) 4 April 2014.–प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में उद्यमिता विकास (ईडी) प्रक्रिया और उद्यमिता की भूमिका का अध्ययन करने के लिए एक प्रयास किया गया है तथा देश की आर्थिक उन्नति में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के महत्व का अध्ययन किया गया है। उद्यमी विकास के लिए देशभर में अनेक संस्थान स्थापित किए गए है। जैसे – नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्माल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस हैदराबाद, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टरयूनरशिप गुवाहटी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्टरप्योनरशिप एण्ड स्माल बिजिनेस डेवेलपमेन्ट।

3. A study of Social Entrepreneurship in india - Tripda Rawal (Asst. Prof. The Bhopal School of Social Science, Bhopal) - इस शोध पत्र में यह निष्कर्ष पाया गया है कि सामाजिक उद्यमशीलता, सामाजिक सेवा और उद्यमशीलता का अच्छा मिश्रण है। आमतौर पर उद्यमशीलता आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है और सामाजिक लाभों को अनदेखा कर क्रूरता से लाभ प्राप्त करता है। किन्तु वर्तमान औद्योगिकीकरण के युग में आर्थिक विकास और सामाजिक लाभ को साथ में लिया जाता है।

4. Overview of entrepreneurship development programme in Madhya Pradesh - Rashmi Soni March 2016 - इस शोधपत्र में शोधकर्ता ने यह निष्कर्ष पाया है कि मध्यप्रदेश राज्य में सरकार द्वारा शुरू उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ईडीपी के माध्यम से उद्यमियों को ऐसी जानकारी दी जाती है,जो सरकारी योजनाओं का सबसे अच्छा फायदा उठाने के लिए सुविधाजनक होती है। सरकार इस कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, अधिग्रहण, विलय, उत्पादकता में सुधार आदि विषयों पर मदद एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है।

शोध की प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों

*शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
**प्रोफेसर, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

एवं सामग्री पर आधारित है। आईटीआई एवं सैडमेप के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिक सूचनाएँ एवं तथ्य साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एवं प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा कर एकत्रित किए गए है। उज्जैन संभाग में 6 जिले उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास और शाजापुर में स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टेनोग्राफी, ड्रेस मेकिंग, ड्राफ्टमेन (मैकेनिक), कटिंग, सुईंग, कम्प्यूटर, फैशन टेक्नालॉजी, इलेक्ट्रानिक्स जैसे कोर्स चलाए जाते हैं तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में कम्प्यूटर व स्क्रीन प्रिंटिंग, सिलाई व बैग निर्माण, ब्युटी पार्लर एवं मेहंदी, नर्सिंग सहायक जैसे कोर्स चलाए जाते हैं। अत: इनमें से प्रत्येक कोर्स की सूचनाएँ प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं से न्यादर्श के आधार पर एकत्र की गई है। विगत वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त युवकों में से 50 प्रशिक्षणार्थियों को न्यादर्श हेतु दैवनिर्दशन विधि के रूप में चयन किया गया है। द्वितीयक समंक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उद्यमिता विकास केन्द्र, सरकार व अन्य संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित सामग्री एवं लेखों से प्राप्त किए गए।

शोध कार्य की प्रासंगिकता – व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में वोकेशनल पाठ्यक्रम सामान्यत: रोजगारोन्मुखी ही होते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन शोधार्थी का इसी दिशा में एक प्रयास है। अध्ययन के निष्कर्ष से जहाँ युवा प्रशिक्षणार्थियों को यह ज्ञात हो सकेगा कि उनको उद्यमी बनाने के लिए सरकार द्वारा (विशेषकर आई.टी.आई. एवं सैडमेप द्वारा) अब तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं और इनके लिए क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है जिससे उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं उद्यमिता विकास केन्द्रों द्वारा किए गए प्रयासों का एक निरपेक्ष मूल्यांकन किया गया जिससे सरकार, योजनाकार और स्वयं प्रशिक्षण संस्थानों को यह ज्ञात हो सकेगा कि लक्ष्य के अनुरूप क्या, कहाँ तक प्रयास हुए है और उसके क्या प्रभाव सामने आए है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत शोध इस दिशा में होने वाली भावी शोध के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकेगा।

उद्यमिता विकास में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका- मध्यप्रदेश में 200 से अधिक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है, जो कि प्रशिक्षणार्थीयों को तकनीकी एवं गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य राज्य के युवाओं को गुणवत्ता मूलक और रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना तथा इनके लिये संरचनात्मक विकास एवं अवसरों की अभिवृद्धि करना है। ताकि उच्च गुणवत्ता युक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा म.प्र. के युवाओं को रोजगार अवसरों को मुहैया करवाने में मदद प्राप्त हो सकें। वर्तमान में 150 से अधिक ट्रेड्स को इसमें शामिल किया गया है।

आईटीआई में प्रदान किया जाने वाला सर्टिफिकेट दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस कारण इस प्रमाण-पत्र के आधार पर विश्व में कहीं भी आवेदन किया जा सकता है। भारत सरकार ने उद्योगों में केवल आईटीआई प्रमाणित श्रमिकों को काम करने के लिए अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया जा रहा है, इससे बड़ी हद तक रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

उद्यमिता विकास में सैडमेप की भूमिका – उद्यमिता एवं उद्यमशील क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश में उद्यमिता विकास केन्द्र की स्थापना 17 नवम्बर 1988 में की गई। इसका प्रमुख कार्य भावी उद्यमियों की पहचान करना, इनको बढ़ावा देना और प्रशिक्षण प्रदान करना, कार्यरत उद्यमियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना आदि है। उद्यमिता विकास केन्द्र ने विधिवत् रूप से प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने कार्य की शुरूआत वर्ष 1991 के प्रारम्भ में की तथा लगातार इस क्षेत्र में कार्यरत है। इसे राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्षेप में 'सेडमैपय के रूप में जाना जाता है।

सैडमेप के उद्देश्य –

1. सम्भावित उद्यमियों की पहचान, उनको उद्यमशील क्रियाओं के लिए प्रेरित करना, उनका चयन करके निम्न ग्रामीण वर्ग एवं निम्न मध्यम वर्ग के उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए तैयार करना।
2. विभिन्न वर्ग के लोगों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उद्यमिता के बारे में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएँ आयोजित करना।
3. उद्यमिता से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि को प्रशिक्षण प्रदान कर उद्यमिता के क्षेत्र में कारगर ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना।

इस प्रकार उद्यमिता विकास के लिए मध्यप्रदेश में उद्यमिता विकास केन्द्र की स्थापना की गई है, जो उद्यमिता एवं उद्यमशील क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने विभिन्न उद्देश्यों को लेकर लगातार प्रयासरत है

उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) की समस्याओं के सुझाव –

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु को शैक्षणिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि युवक-युवतियों को कार्यक्रम की जानकारी होने से वे उद्यमिता विकास में योगदान दे सके, तथा इससे आयोजक संस्था को उपयुक्त प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं होने तथा प्रचार प्रसार की समस्या भी नहीं होगी।
2. प्रायोजक संस्था उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये विभिन्न सुविधाएं आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि आयोजक संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किये जा सके।
3. स्थानीय स्तर के लोगों के समर्थन के साथ-साथ संबंधित जिले के अन्य स्तर के लोगों के समर्थन के साथ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कि जाना चाहिए।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की समस्याओं के सुझाव-

1. वर्तमान में संस्थान प्रशिक्षण के साथ केवल मार्गदर्शन प्रदान कर पाता है, इसके अतिरिक्त संस्थान अन्य कोई सहायता नहीं कर रहा है। संस्थान को प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को ऋण उपलब्ध कराने, विभिन्न उद्योगों में नौकरी उपलब्ध कराने, नए व्यवसाय को प्रारम्भ करने से संबंधित जानकारी देने से संबंधित सहायता भी देनी चाहिए।
2. आई.टी.आई उज्जैन में अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों से युवा आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते है। उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या रहने की होती है। कई बार तो युवतियां रहने की समस्या हल न कर पाने के कारण प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चली जाती है। अत: संस्थान को छात्रों की प्रवेश संख्या के अनुसार स्वयं का छात्रावास उपलब्ध करवाना चाहिए।
3. संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान तथा उपरान्त रोजगार से संबंधित प्लेसमेंट सुविधा देने हेतु फेक्ट्रियां, कम्पनियां, बुटिक एवं गारमेन्ट शॉप से सम्पर्क कर इस क्षेत्र में रोजगार से संबंधित अवसरो को ढुंढना चाहिए।

निष्कर्ष –

1. उद्यमिता विकास केन्द्र (सैडमेप) की तुलना में औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान (आईटीआई) द्वारा आयोजित व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास कम हुआ है, क्योंकि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण उपरांत अधिकाधिक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वरोजगार को अपनाने के स्थान पर रोजगार को प्राथमिकता दी गयी तथा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपने क्षेत्र में पूर्व से ही संचालित उद्यमों को दृष्टिगत रखते हुए उन्ही उद्यमों को रोजगार हेतु चयन किया अथवा उद्यम प्रारंभ किया गया। सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा तकनीकी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कम संख्या में आयोजित हुए है। इसका मुख्य कारण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जिला स्तर पर आयोजित होना तथा सूचना का अभाव होना है।

2. प्रशिक्षण उपरान्त स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार स्थापित करने से पलायन रूका है। क्यों कि प्रशिक्षण उपरान्त अधिकाधिक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्थानीय स्तर पर मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखकर उद्यम प्रारंभ किए गए है। प्रशिक्षण के दौरान बाजार का सर्वेक्षण से भी प्रशिक्षणार्थियों को स्थानीय स्तर पर उद्यमों की स्थिति स्पष्ट हुई है।
3. उद्यमिता प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षित हितग्राही बैंकों से ऋण की अनुपलब्धता के कारण स्वरोजगार प्रारंभ नहीं कर पाते है, क्योंकि बैंकों द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूरी करने पर ही ऋण स्वीकृत किये जाते है, इनमें सबसे प्रमुख ग्यारन्टी की समस्या रहती है।

उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनायी गयी। तत्पश्चात उद्यम प्रारंभ किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. उद्यमिता विकास केन्द्र, रिपोर्ट कार्ड 2013
2. उद्यमिता समाचार पत्र, अप्रैल 2013
3. उद्यमिता विकास केन्द्र की वेबसाइट www.cedmapindia.org.
4. वेबसाइट www.mpdt.nic.in
5. डॉ. जैन एवं शर्मा (2011), 'उद्यमिता के मूलाधार,' रमेश बुक डिपो, जयपुर।
6. डॉ. गंगेले एवं जैन (2009), 'उद्यमिता विकास', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
7. कोठारी, मिश्रा एवं साहू (2009), 'उद्यमिता विकास', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
8. एस.के. जैन (2004), 'उद्यमिता', दीपक प्रकाशन, ग्वालियर।

****

उद्यमिता का महत्त्व – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

डॉ. ज्योति सोनी *

प्रस्तावना – वर्ष 1918 में वैश्विक स्तर पर पाठ्यक्रम संबंधी पहली पुस्तक 'द करीकूलम' में जॉन फ्रैंकलिन बॉबेट ने लिखा था कि पाठ्यक्रम में उन बातों का उल्लेख हो जिससे विद्यार्थी अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके और अपने देश का इतिहास, साहित्य व संस्कृति के बारे में जान सके।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि छात्रों के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि वे उच्च अंकों के साथ परीक्षाएँ पास कर लें अपितु युवाओं में नई जमीन तलाशने व रचनात्मक समाधान खोजने का आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या हम अपने आईआईटी ग्रेज्युएट्स को डिर्टजेंन्ट बेचते देखना चाहते हैं।

वर्तमान शिक्षा पद्धति से देश में साक्षरता की दर तो बढ़ती जा रही है लेकिन सार्वजनिक व निजी दोनो ही संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्त इतनी कम है कि साल के अंत में डिग्री के नाम पर छात्रों को एक कागज थमा दिया जाता है जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं होती। कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले स्नातक बेरोजगारी की संख्या में इजाफा ही कर रहे है। आज का युवा शिक्षित तो है लेकिन रोजगार की चुनौतियों के लिए पूर्णतया तैयार नहीं है और न ही बेरोजगारी के अनुपात में रोजगारों का सृजन हो रहा है।

कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता हैं । जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो वह अपना जीवन यापन करने हेतु सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होने लगता है। अत: समाज में युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसरों हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना आवश्यक है। भारत में बेरोजगारी के बोझ से निजात पाने के लिए युवाओं की मानसिकता में परिवर्तन करना आवश्यक है। आर्थिक सर्वे 2017–18 के अनुसार रोजगार सृजन मुख्य चुनौती है। अत: युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार अथवा नौकरी देने वाला बनना चाहिए। कारीगरी सीखनी जरूरी है, उदाहरण के लिए यदि आपको मिट्टी का बर्तन बनाना है, तो किस किस्म की कितनी मिट्टी लेनी है, किस अनुपात में पानी डालना है, वो सब मिश्रण चाक पर रखकर कितनी बार, कितने प्रेशर से घुमाना है, यह सब सीखने के बाद ही आप मिट्टी के सुंदर बर्तन बना सकते हैं अर्थात् कार्य के प्रति हमारी रूचि व उसे बेहतर ढ़ंग से करने की हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमें सफलता दिलाती है। कहा जाता है कि आत्मनिर्भरता से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को स्टार्टअप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। परम्परागत डिग्री के साथ आंत्रप्रेन्योरशिप की पढ़ाई भी आवश्यक है। आंत्रप्रेन्योरशिप युवाओं को केवल मनीअर्नर नहीं बनाता बल्कि उसे जॉब प्रोवाईडर भी बनाता है। हैदराबाद में आंत्रप्रेन्योरशिप पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में, भारतीय आंत्रप्रेन्योर पर इवांका ट्रंप जैसी शख्सियतों की चर्चा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। आंत्रप्रेन्योरशिप आम बोलचाल में प्रयुक्त शब्द एवम् मानव जीवन का आधारभूत दर्शन है। यह मनुष्य को कर्म करने हेतु प्रेरित करती है। लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ गीता भी समूचे जगत को कर्म करने का ही उपदेश देती है। व्यावसायिक जगत की सम्पूर्ण नींव आंत्रप्रेन्योरशिप पर आधारित है। स्टीवेन्शन के अनुसार उद्यमिता एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत लोग अपने नियंत्रण वाले संसाधनों की परवाह किए बिना अवसरों की खोज करते हैं। समाज की क्षमता का पूर्ण दोहन करने, सामाजिक व आर्थिक तौर पर समाज को पूर्ण विकसित करने हेतु, हमें शिक्षित व स्वप्रेरित आंत्रप्रेन्योर चाहिए।

लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। लीक छोड़ तीनों चलें,
शायर, सिंह, सपूत।

लीक से हटकर सोचना और सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग कर, रचनात्मक तरीके से कार्य करना, व्यक्ति को सफलता के शिखर पर ले जाता है। महान उद्योगपति जमशेद जी टाटा की कहानी सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है – 1890 में उन्हें बॉम्बे की पाईकस होटल में जाने नहीं दिया गया। वहॉ बोर्ड लगा था यभारतीय व कुत्ते को प्रवेश नहीं इसलिए उन्होंने उस होटल से अधिक भव्य होटल बनाया जो भारतीयों के लिए खुला था। 'ताजमहल पैलेस होटल' जिसे आज दुनिया के शानदार होटलों में शामिल किया जाता है, जबकि पाईकस कब का बंद हो चुका है। उद्यमशीलता सफलता की कुंजी है, जो हमें शिखर तक पहुंचाती है । केवल भाग्य या अवसर से वारेन बफेट, बिल गेट्स, लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी सफलता के उच्च शिखर पर नहीं पहुंचे हैं। यदि हम युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग करेंगे तो विश्व गुरू ही नहीं अपितु विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में जाने जाएगे। जिस व्यक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा होगी, वह संघर्षों का सामना करते हुए उच्च स्तर को प्राप्त करता है। जीवन और जोखिम का चोली दामन का साथ है, जितनी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाते जाएगे उतना ही विकास का स्तर भी बढ़ जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट में यह फार्मूला सिखाया जाता है कि NO RISK NO GAIN, TAKE PAIN RECEIVE GAIN व्यक्ति हर संकट और चुनौती को पायदान बनाकर चढ़ता जाए तो वह अवश्य ही अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। खलील जिब्रान कहते हैं 'आगे बढ़ो, कभी रूको मत, क्योंकि आगे बढ़ना पूर्णता है, आगे बढ़ो और रास्ते में आने वाले काँटों से डरो मत, क्योंकि वे सिर्फ शरीर का गंदा खून निकालते हैं।' विद्यार्थी जीवन हो या व्यावसायिक, प्रत्येक क्षेत्र में आई चुनौतियों को अपने लिए प्रेरणा मानकर आगे बढ़ते रहने से सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। अब्राहिम लिंकन का यह कहा प्रसिद्ध है– 'भविष्य का पूर्वानुमान लगाने का श्रेष्ठतम तरीका है, उसे निर्मित करना।'

वर्तमान में नई सहस्त्राब्दी के युवाओं का अपने कार्यस्थल पर स्वागत

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय पी. डी. वाणिज्य एवम् कला महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) भारत

करके व्यावसायिक संगठन अब अपनी कर्मचारियों संबंधी रणनीति को इस तरह ढ़ाल रहे हैं, जो युवा प्रतिभाएँ आकर्षित करें। आईआईएम बेंगलुरू का आंत्रप्रेन्योरशिप विषय पर पीएचडी कराने के पीछे तर्क है कि इससे देश में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यह नई विश्व व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर ग्लोबल लीडर को पैदा करने में सहायक होगा। उद्यमिता विषय पर शोध एक सराहनीय कदम है। देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता पर शोध को नियमित शोध का हिस्सा बनाना ताकि नवाचार के क्षेत्र में बेहतर वातावरण का निर्माण हो सके अत्यंत आवश्यक है। उद्यमशिलता के क्षेत्र में न केवल शोध को लेकर बल्कि खुद का उद्यम शुरू करने के प्रति भी रूझान बढ़ा। मौजूदा शैक्षणिक वातावरण में कॉलेज प्रशासन, छात्रों और अध्यापकों के बीच नये सुझाव, अन्वेषण, मान्यताओं और सिद्धांतों में परिवर्तन लाना होगा ताकि छात्र केवल डिग्रीधारी न बनें, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी हो। स्कूल व कॉलेज से निकलने वाले प्रत्येक छात्र को नौकरी मिल पाना संभव नहीं है इसलिए छात्र अपने को सक्षम बनाते हुए स्वरोजगार हेतु प्रेरित हों एवम् ऐसे उद्योग का चुनाव करें जो समीपस्थ क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे माल से चल सके और उसी क्षेत्र में आसानी से उसकी खपत हो सकें । व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग करते हुए व्यक्ति स्वयं का कार्य करने में सक्षम हो सके, यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्धेश्य होना चाहिए।

वर्तमान में केन्द्र सरकार ने रोजगार व शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। सरकार द्वारा नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। प्लेसमेंट से ज्यादा सरकार का फोकस मेंक इन इण्डिया, स्टेण्ड अप इण्डिया जैसी योजनाओं के जरिए स्टार्टअप को बढ़ाने पर है। देश को समृद्ध करने हेतु उद्यमिता व आर्थिक भागीदारी के महत्व को स्वीकारते हुए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया ,मेक इन इंडिया , अटल इनोवेशन मिशन (AIM), जन धन –आधार मोबाइल (JAM), डिजिटल इंडिया , स्टैंडअप इंडिया , पारंपरिक ई–संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास (TRED), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) आदि अनेक योजनाऐं संचालित की जा रही है। भारत में मध्यम वर्ग के साथ घरेलू बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। कारोबार में आसानी के लिए नियमन व लायसेंस की रूकावटें दूर हुई हैं। औद्योगिक पंजीकरण की अवधि तीन से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है। लगभग 70 प्रतिशत उत्पाद बिना किसी अनुमति के बनाये जा सकते हैं। स्टार्टअप इण्डिया का गैर कृषि क्षेत्रकों पर गहरा असर पड़ा क्योंकि बहुत से उद्यमियों ने वायब्रेट उद्यमों की शुरूआत कर दी थी। यह उचित समय है कि शहद उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन क्षेत्रकों की सफलता को देखते हुए स्टार्टअप इण्डिया को कृषि क्षेत्रक तक विस्तारित किया जाए। उद्यमिता से संबंधित कोर्स, डिग्री स्कील्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ग्रामीण इलाकों में भी प्रारम्भ किया जाना चाहिए। आंत्रप्रेन्योरशिप को संरक्षित करने के लिए इसे आसान बनाने की आवश्यकता है। किन्नर जैसे भिन्न लिंगी लोगों के लिए आंत्रप्रेन्योर होने की चार गुना संभावना है क्योंकि उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार, बैंक, टेक्नोलोजी के नये आयाम रचते उद्यमी, सभी को मिला जुला प्रयास करना होगा। उद्यमियों के विकास पर आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम का महत्व निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है–

1. मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग।
2. रोजगार के नये अवसरों का सृजन
3. बेरोजगारी की समस्या का समाधान
4. गरीबी में कमी
5. आर्थिक स्थिति में सुधार
6. आत्मनिर्भरता का स्तर बढ़ना
7. सशक्त व सक्षम युवा पीढ़ी का विकास
8. आपराधिक वृतियों में कमी

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति हेतु जितना आवश्यक औद्यौगिकीकरण है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है– उद्यमी समाज का विकास , उद्यमियों का विकास , उद्यमिता का विकास । अत: उद्यमिता का अध्ययन आज आर्थिक विकास का केन्द्र बिन्दु है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. 'बहुत कम देशों में भारत जितनी सम्भावनाऐं'– दैनिक भास्कर (28.02.2018)
2. 'युवाओं को बेरोजगारों की भीड़ नहीं, कुशल संसाधन में बदलें'– दैनिक भास्कर (13.01.2018)
3. 'आटोमेशन के साथ दशकों बाद पहली बार बढ़ेगी आंत्रप्रेन्योरशिप' – दैनिक भास्कर (29.12.2018)
4 'पढ़ाई के साथ स्टार्टअप शुरू करने का नया दौर'– पत्रिका (24.12.2017)
5. 'उद्यमशीलता दिखाकर हल खोजने होगें'– दैनिक भास्कर (30.11.2017)
6. 'सिर्फ इमारतों से नहीं हटेगी बेरोजगारी '– पत्रिका (24.11.2017)
7. 'हायर एजुकेशन में उद्यमशीलता पर शोध में बढ़ा युवाओं का रूझान'– पत्रिका (15.11.2017)
8. 'उद्यमिता भी आवश्यक'–पाक्षिक पत्रिका प्रज्ञा अभियान (01.05.2017)

****

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं ग्रामीण विकास की संभावनाएँ

डॉ. पी. के. अग्रवाल *

प्रस्तावना – आर्थिक विकास की धुरी, कृषि उद्योग एवं तृतीयक क्षेत्र की परिधि से ही निर्धारित होती है। इन क्षेत्रों का जितना विकास होगा आर्थिक शक्तिकरण भी उतना अधिक होगा।

वर्तमान समय से भारत के आर्थिक विकास की सबसे अधिक संभावना है, तो वह है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्योंकि यह एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें अभी सकल घरेलू उत्पाद का योगदान मात्रा 0.75 प्रतिशत है, जब कि औद्योगिक उत्पाद का हिस्सा 4 प्रतिशत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से ग्रामीण विकास ही दशा और दिशा दोनों ही बदली जा सकती हैं। इसमें अपार संभावनाएँ भी है क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना स्थानीय कच्चे पदार्थ से आसानी से की जा सकती है तथा विविधता के आधार पर इसका विकेन्द्रीयकरण भी किया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में जहॉ भारत में शहरीकरण हो रहा है तथा नगर आर्थिक विकास स्तर प्राप्त कर रहे हैं। इसके विपरित ग्रामीण क्षेत्रा में न तो ग्रामीण अधोसंरचना का विकास हो रहा है और न ही ग्राम्य विकास, जबकि आज भी भारत की 68 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है।

खाद्य प्रसंस्करण – औद्योगिक उत्पाद – खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के द्वारा कृषि और उससे संबंधित उद्योगों को प्रसंस्कृत किया जाता है तथा उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि की जाती है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कृषि और पशुओं के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे गेहूँ से आटा, चना से दाल अथवा बेसन, इसी प्रकार फल–फूलों को भी प्रसंस्करण के माध्यम से उसके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार किया जाता है जैसे – अचार, मुरब्बा, चटनी, नमकीन, जैम, बिस्कुट,आयुर्वेदिक पेय पदार्थ, चिप्स आदि जब कि पशुओं से प्राप्त मुख्य उत्पाद दुध से दही, मक्खन, घी, पनीर , मावा, आइस्क्रीम इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों में और भी कई अन्य प्रकार के उत्पादों को जो मांग आधारित हो शामिल किया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण – ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कारण संसाधनों का बेहतर उपयोग, रोजगार में समान भागीदारी, निरंतर ऊर्जा आपूर्ति एवं अधोसंरचनात्मक विकास तथा सामाजिक नवाचार के पक्षों को भी शामिल किया जा सकता है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान मैसूर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यदि 10 लाख रूपये से एक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाए तो इससे पॉच लोगों को प्रत्यक्ष और तीन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा तथा आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी इसके साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इन इकाईयों की स्थापना से महिला श्रमिकों को भी रोजगार प्राप्त हो सकेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से कृषि और उससे संबंधित उत्पादों को संसाधनों के रूप में तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। जिसके लिए अतिरिक्त भंडारण की समस्या, मंडियों तक परिवहन व विपणन की समस्या तथा अतिरिक्त उत्पादन में बिचौलियों की भूमिका को भी समाप्त किया जा सकता है इससे किसानों में जागरूकता बढ़ेगी आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी तथा शहरों की ओर पलायन में कमी आयेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक नवाचारों का प्रसारण भी किया जा सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, आर्थिक सुरक्षा, विकास के माध्यम से लोगो में जागरूकता, तार्किकता और तकनीक के प्रति विश्वास बढ़ेगा तथा परंपरावदी सामाजिक सोच से मुक्ति मिलेगी।

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विकास और विस्तार हेतु सुझाव –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार ग्रामीाण विकास का आधार स्तंभ हो सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार हेतु आमुलचूल बदलाव की आवश्यकता है और खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्राम्य रोजगार की संभावनाएँ बढेंगी।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक इकाई की स्थापना की जानी चाहिए तथा निजी निवेशकों को एकल खिड़की समाधान की सुविधा दी जानी चाहिए तथा कर छूट देना भी एक सकारात्मक कदम हो सकता है।
4. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में कार्य करने वाले मानव श्रम के लिए प्रशिक्षण आदि की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना संबंधी विभिन्न मंत्रालयों के बीच परस्पर समन्वय होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अन्य वे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिससे खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना एवं संचालन में सुविधा हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय पा.ध. वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) भारत

Government Initiatives For Skill Development In India

Dr. Sushma Saini* **Dr. Abha Saini****

Abstract - India is fast developing country. To contribute to the growth of economy, we need to have skilled workforce which can be available by vocational education and training system. Skill development refers to equipping an individual with marketable skills. Skills and knowledge are important factors for economic growth of the country. Skills are imparted through the process of 'learning by doing' and are 'done on the job'.

As India moves progressively towards becoming a 'knowledge economy' it becomes increasingly important that the country should focus on advancement of skills. India has that potential of skill labour force from organized and unorganized sector. Our formal education and training system is not producing "work ready" youth. Thus skill up gradation is fundamental to personal development, employment and employability.

National Skill Development Initiative will empower all individuals through improved skills, knowledge, nationally and internationally recognized qualifications to gain access to decent employment and ensure India's competitiveness in the global market.

Key Words - Initiatives, Knowledge, Efficiency, Skill Development, Employment etc.

Introduction - Human Resource Development plays an important role in economic development. Skill Development program is a right step in this direction. The main goal of the programmes is to create opportunities, space and scope for the development of the skill of the Indian youth. The emphasis is to skill the youths in such a way so that they get employment and also improve entrepreneurship. The new programme aims at providing training and skill development to 500 million youth of our country by 2020, covering each and every village.

Various schemes are also proposed to achieve this objective. There should be a balanced growth in all the sectors and all jobs should be given equal importance. There should be a balanced growth in all the sectors and all jobs should be given equal importance. Every job aspirant would be given training in soft skills to lead a proper and decent life. Skill development would reach the rural and remote areas also. Corporate Educational Institutions, Non-Government Organizations, Government, Academic Institutions, and Society would help in the development of skills of the youths so that better results are achieved in the shortest time possible.

The global economy is expected to witness a skilled man power shortage to the extent of around 56 million by 2020. Hence there is an opportunity for India to meet the skilled manpower requirements in India as well as abroad. Thus skill building is necessary to improve the effectiveness of production.

Review of Literature - Richard T. Gill (1965) has candidly remarked, "The point is that economic development is not a mechanical process; it is not a simple adding up of assorted factors. Ultimately, it is a human enterprise. And like all human enterprises, its outcome will depend finally on the skill, quality and attitudes of the men who undertake. Dadabhai Naoroji has also candidly explained in his classic work "Poverty and Un-British Rule in India" that the drain of wealth from India under the British was the major cause of the increase in poverty in India during that period, which in turn arrested the economic development of the country. According to the Human Development Report (1997), Human Development is thus a process of widening people's choice as well as raising the level of well-being achieved.

According to NaMo (2016), Skill India won't be just a programme but a movement. Here, youth who are jobless, college and school dropouts, along with the educated ones, from rural and urban areas, all will be given value addition. The new ministry will be the certifying agency. Certificates will be issued to those who complete a particular skill or programme and this certificate has to be recognized by all public and private agencies and entities, including overseas organizations. Skill India is a programme for the entire nation.

Commenting on the approval of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 2016-2020, Shri Rajiv Pratap Rudy (Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship (Independent Charge) said, "This is a big

*Head & Associate Professor (Economics) D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA
**Head & Associate Professor (Political Science) J.K.P. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

step for us towards empowering the youth of our country and we are certain to strengthen the system and make these trainings more effective with robust monitoring and outcome, with this new version of PMKVY.

Objectives - The objectives of present study are -

- To Understand the Concept of Skill Development
- To Study the Policy Initiatives taken by the Central Government.
- To Find out Gaps in the Evolving Skills Eco-System
- Actions to be taken for Implementation

Methodology - The present work is conceptual in nature and based on secondary data made available from Reports, Government Documents and Publications, Websites etc.

Concepts of Skill Development - Skill development refers to equipping an individual with marketable skills. Skills and knowledge are important factors for economic growth of the country. Skills are imparted through the process of 'learning by doing' and are 'done on the job'. The main aim of skill development is to support achieving rapid and inclusive growth through -

(a) Enhancing individuals and Employability to meet labour market demands.
(b) Improving productivity and living standards of the people.
(c) Strengthening competitiveness of the country.
(d) Attracting investment in skill development.

Policy Initiatives Taken By The Central Government - Improved training and skill development has to be a critical part of the employment strategy. Both the Tenth and the Eleventh Plans noted the large gap between the number of new entrants to the labour force and inadequate availability of seats in vocational and professional training institutes. The Eleventh Plan also identified various sectors with prospects for high growth in output, and for generation of new employment opportunities. Accordingly, the Eleventh Plan aimed, inter alia, at launching a National Skill Development Mission which would bring about a paradigm change in handling "Skill Development" programmes and initiatives. Subsequently, the Union Cabinet approved a Coordinated Action Plan for Skill Development, which envisaged a target of 500 million skilled persons by 2022.

1. Coordinated Action Plan for Skill Development - A three-tier institutional structure consisting of:

Prime Minister's National Council On Skill Development - The Prime Minister's National Council has endorsed a vision of creating 500 million skilled people by 2022 through skill systems, which must have high degree of inclusiveness in terms of gender, rural/urban, organized/ unorganized, and traditional/contemporary. The Council will lay down the overall, broad policy objective, financing, and governance models and strategies relating to skill development, review the progress of the scheme and guide mid-course correction, including addition and closure of parts or whole of any particular programme or scheme, and coordinate public/private sector initiatives in a framework of collaborative action. The strategy to achieve such skill systems will depend upon innovative mechanisms for delivery through the Central Government, states, civil society, community leaders, and Public–Private Partnerships (PPPs).

National Skill Development Coordination Board (NSDCB) - The Board is expected to enumerate strategies for implementing the decisions of the Prime Minister's National Council on Skill Development and develop appropriate operational guidelines and instructions for meeting the larger objectives of skill development.

National Skill Development Corporation (NSDC) - The third tier of the coordinated action on skill development is NSDC, which is a non-profit company under the Companies Act with an appropriate governance structure. As mandated by the National Policy on Skill Development, NSDC will make periodic as well as annual reports of its plans and activities and put them in the public domain. The Corporation is expected to meet the expectations of the labour market, including the requirements of the unorganized sector.

2. National Policy On Skill Development - The Skill Development Policy provides an enabling environment and the Council and the NSDCB provide a mechanism for implementation at the highest level. The National Policy on Skill Development also provides a national policy response to guide the formulation of skill development strategies and coordinated action by all concerned by addressing the various challenges in skill development:

- The enormous size of the task in building a system of adequate capacity.
- Diversifying skill development programmes to meet the changing requirements, particularly of the emerging knowledge economy.
- Ensuring quality and relevance of training.
- Building true market place competencies rather than mere qualifications.
- Creating effective linkages between school education and skill development.
- Ensuring equitable access to all, in particular the youth, disadvantaged groups, minorities, the poor, women, people with disabilities, dropouts, and those working in the unorganized sector.
- Reducing mismatch between supply and demand of skills.
- Promoting greater and active involvement of social partners and forging a strong, symbiotic, PPP in skill development.

3. State Skill Development Missions (SSDM) - In line with the Coordinated Action on Skill Development, the state governments were also requested to set up their own State Skill Development Missions for skill development to address the specific problems of multiple interfaces with the state governments in securing approval for both central and state schemes relating to skill development.

4. Social Security - An effective social security system is an important part of inclusiveness. With a growing economy and active labour market policies, it is an

instrument for sustainable social and economic development. It facilitates structural and technological changes, which require an adaptable and mobile labour force. With globalization and structural adjustment policies, social security assumes a renewed urgency.

The government enacted the Unorganized Workers Social Security Act, 2008 and implemented various social security schemes. The government has also constituted a National Social Security Board headed by the Union Minister of Labour and Employment under the Unorganized Sector Workers Social Security Act, 2008.

Gaps In The Evolving Skills Eco-System - Gaps in the evolving skill eco-system, which are required to be bridged towards achieving the goal set out by the Prime Minister's Council include -

(i) Absence of comprehensive and accurate data on the number of individuals trained through the various skill development programmes;
(ii) Absence of skills infrastructure required to impart skills helping the youth to acquire employment in emerging sectors, such as IT, Biotechnology, Nano-Technology, Pharmaceuticals, Alternative Energy, and High-End Construction and Engineering, where opportunities are abundant and the wages are attractive;
(iv) Absence of an inclusive approach to have a concerted strategy for imparting skills to large sections of the population employed in the unorganized sector; and
(v) Absence of adequate resources and resource focus.

Actions To Be Taken For Implementation -

(1) For ensuring effective implementation of existing programmes, an implementation strategy and detailed implementation plan with achievement targets and time-lines would need to be put in place.
(2) It is important that the skill training that is provided is of quality. In this respect, it is important to create a labour market information management system.
(3) Capacity building of public officials is required for skills training in 'New Economy' sectors, such as Biotechnology, Nano-Technology, Construction Industry, and the Oil and Gas Industry to nurture successful PPPs.
(4) The extent of functional autonomy to institutes, such as ITIs needs to be enhanced to improve the effectiveness of IMCs further.
(6) There is a need for forming a policy for social security with a focus on clearly defined objectives, techniques to be adopted for providing social security to the different target groups, and financing and administrative arrangements.
(9) There is a need for further extension of the social security net to the unorganized sector.

Conclusion - India is emerging with one of the youngest population and has global opportunities due to human resource reservoir. By promoting PPP models of financing skill development, more employment can be generated. The corporate houses could participate actively in industry based skill development programmes and by channelizing funds allocated for corporate social responsibility. India suffers from skilled manpower deficiency due to absence of required skills among the workforce. If this skill gap is removed, India can become the global manpower hub for skilled manpower. Skill development efforts need to be accelerated and existing schemes shall be reviewed, strengthened. Greater focus on International Collaborations and informal sector would increase the skills. Local trainers will be upgraded and developed into master craftsmen. India will not only be ahead in the race but can also be game changer.

References :-

1. Richard T. Gill, Economic Development: Past and Present (New Delhi, 1965), page.19
2. United Nations development Programme, Human Development Report 1997 (New Delhi: Oxford University Press, 1997), p. 15.
3. http://planningcommission.nic.in.
4. http://www.skilldevelopment.gov.in
5. http://www.nsdcindia.org.
6. http://www.ficci.com.

****

महिला सशक्तिकरण में साप्ताहिक हाट बाजार के योगदान का अध्ययन (म.प्र. के खरगोन, बड़वानी जिले के संदर्भ में)

डॉ. कुशल जैन कोठारी * मंजुला चौहान **

प्रस्तावना – भारत गाँवों का देश हैं, यहाँ की कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय-विक्रय की दृष्टि से हाट बाजार महत्वपूर्ण हैं। हाट बाजार में क्रय-विक्रय के लिए महिलाएं भी आती हैं क्योंकि यहाँ घरेलू उपयोग की वस्तुएं अधिक आती हैं। अत: ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का आकलन करना भी आवश्यक है। साप्ताहिक हाट बाजार में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं,जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण की स्थिति को जान सकतें हैं। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर आत्मनिर्भर कर विकास करना हैं। जिसके माध्यम से महिलाओं में इतनी जागरूकता उत्पन्न की जा सके कि वे स्वावलंबी बनकर सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कर सके व महिलाओं की स्थिति एवं दशा परिवर्तित हो सके।

शोध अध्ययन की प्रासंगिकता एवं महत्व – भारत जैसे विकासशील देश में महलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास से ही ग्रामीण विकास होगा है। ग्रामीण महिलाओं के लिए साप्ताहिक बाजार महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में महिलाएं भी क्रय-विक्रय के लिए आती है। अत: प्रस्तुत शोध अध्ययन में वह जानने का प्रयास किया जाएगा कि महिला सशक्तिकरण में साप्ताहिक हाट बाजार का क्या योगदान है जाना जाएगा।

शोध अध्ययन के उद्देश्य – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में परिवर्तन में योगदान का अध्ययन।

शोध अध्ययन की उपकल्पना –

1. साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व व पश्चात् ग्रामीण महिला क्रेताओं, विक्रेताओं के सशक्तिकरण में कोई अंतर नही हैं।

शोध अध्ययन की विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली का चयन किया गया जिसमें मध्यप्रदेश के खरगोन, बड़वानी जिलों की 17 तहसीलों में से 4 तहसील का चयन किया गया। प्रत्येक तहसील से 2-2 साप्ताहिक बाजार का चयन किया गया कुल 08 बाजार का अध्ययन किया गया। प्रत्येक साप्ताहिक बाजार से 25-25 ग्रामीण क्रेता, विक्रेता का चयन किया गया। 200 ग्रामीण क्रेता व 200 ग्रामीण विक्रेता को लिया गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक समंको का प्रयोग किया गया।

महिला सशक्तिकरण के विकास में योगदान – ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का आकलन करना भी आवश्यक है। साप्ताहिक हाट बाजार में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण की स्थिति को जान सकते हैं। अत: साप्ताहिक हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण बढ़ा हैं या नहीं की विवेचना तालिका क्रमांक 1.1 में स्पष्ट किया गया हैं-

नल परिकल्पना (Ho)-'साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व व पश्चात् ग्रामीण महिला क्रेताओं के सशक्तिकरण में कोई अंतर नही हैं'।

तालिका क्र.-1.1 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण की स्थिति 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पश्चात् की तुलना की गई हैं, जिसमें कि 5 वर्ष पूर्व 39.44 प्रतिशत क्रेताओं का कहना हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण हुआ था तथा 60.56 प्रतिशत क्रेताओं का कहना हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ था। जबकि 5 वर्ष पश्चात् 86.54 प्रतिशत क्रेताओं का कहना हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण हुआ हैं तथा 13.46 प्रतिशत क्रेताओं का कहना हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ हैं।

इस संबंध में तय परिकल्पना नल परिकल्पना (Ho)-'साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व व पश्चात् ग्रामीण महिला क्रेताओं के सशक्तिकरण में कोई अंतर नहीं हैं'। इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग का उपयोग किया गया। जिसमें df-1 का 5 प्रतिशत स्तर पर x^2=3.841<4.188 परिणामों में सार्थकता पाई गई हैं, अर्थात साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व व पश्चात् ग्रामीण महिला क्रेताओं के सशक्तिकरण में अंतर पाया गया नल परिकल्पना (Ho) अस्वीकार की जाती हैं। निष्कर्ष रूप में साप्ताहिक हाट बाजार से 5 वर्ष पश्चात् महिला सशक्तिकरण बढा हैं। अत: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से ग्रामीण विकास हुआ हैं।

हाट बाजार से महिलाओं का सशक्तिकरण कई प्रकार से हुआ हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक,एवं जागरूकता की दृष्टि से सशक्त हुई हैं।महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से बढा हैं की विवेचना को तालिका क्रमांक 1.2 में स्पष्ट किया गया हैं-

तालिका क्र.-1.2 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण के प्रकार की स्थिति 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पश्चात् की तुलना की गई हैं औसत दृष्टि से 5 वर्ष पूर्व 62.19 प्रतिशत क्रेताओं का कहना है कि हाट बाजार से सभी प्रकार से महिला सशक्तिकरण हुआ था तथा 5 वर्ष पश्चात् 76.94 प्रतिशत क्रेताओं का कहना है कि हाट बाजार से सभी प्रकार से महिला सशक्तिकरण हुआ हैं। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात् महिला सशक्तिकरण बढ़ा हैं। अत: शोध अध्ययन से स्पष्ट हैं कि साप्ताहिक हाट बाजार का महिला सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान हैं, साप्ताहिक हाट बाजार से महिलाएं हर तरह से सशक्त

* शोध निर्देशक, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (अर्थशास्त्र) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

हो रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के सशक्त होने से सामाजिक विकास होगा। ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं की स्थिति का आकलन करना भी आवश्यक है। साप्ताहिक हाट बाजार में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं,जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण की स्थिति को जान सकतें हैं।अत: साप्ताहिक हाट बाजार से महिला विक्रेताओं का सशक्तिकरण बढ़ा हैं या नही की विवेचना तालिका क्रमांक 2.1 में स्पष्ट किया गया हैं–

नल परिकल्पना (Ho)–'साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व व पश्चात् ग्रामीण महिला विक्रेताओं के सशक्तिकरण में कोई अंतर नही हैं'।

तालिका क्र.– 2.1**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण की स्थिति 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पश्चात् की तुलना की गई हैं, जिससें स्पष्ट हैं कि 5 वर्ष पूर्व 55 प्रतिशत विक्रेताओं का कहना हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण हुआ था तथा 45 प्रतिशत विक्रेताओं का कहना हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ था। जबकि 5 वर्ष पश्चात् 87 प्रतिशत विक्रेताओं का कहना हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण हुआ हैं तथा 13 प्रतिशत विक्रेताओं का कहना हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण नही हुआ हैं।

इस संबंध में तय परिकल्पना नल परिकल्पना (Ho)–'साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व व पश्चात् ग्रामीण महिला विक्रेताओं के सशक्तिकरण में कोई अंतर नहीं हैं'।इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग का उपयोग किया गया। जिसमें df - 1 का 5 प्रतिशत स्तर पर x^2=3.841<5.933 से परिणामों में सार्थकता पाई गई हैं, अर्थात साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व व पश्चात् ग्रामीण महिला विक्रेताओं के सशक्तिकरण में अंतर हैं। इसलिए नल परिकल्पना (Ho)अस्वीकार की जाती हैं। अत: स्पष्ट हैं कि 5 वर्ष के पश्चात् साप्ताहिक हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण बढ़ा हैं। इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से ग्रामीण विकास हुआ हैं। 5 वर्ष पूर्व हाट बाजार में महिलाओं की तुलना में पुरूष विक्रेता अधिक होते थे, परंतु धीरे–धीरे हाट बाजार में महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी हैं। हाट बाजार में व्यापार करने लगी हैं व अपने व्यवसाय को पूरे मनोयोग–विनम्रता और उदारता के साथ करती हैं। साथ ही परिवार में निर्णय की भूमिका में बराबर का योगदान कर रही हैं, इस बदलाव के पीछे महज हाट बाजार का सामाजिक प्रभाव ही हैं।

हाट बाजार से महिलाओं का सशक्तिकरण कई प्रकार से हुआ हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त हुई हैं।तालिका क्र. 2.1 से स्पष्ट साप्ताहिक हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण बढा हैं अत: महिला सशक्तिकरण किस प्रकार बढ़ा हैं, की विवेचना तालिका क्रमांक 6.5.2.3 में स्पष्ट किया गया हैं–

तालिका क्र.– 2.3 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट हैं कि हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण के प्रकार की स्थिति 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पश्चात् की तुलना की गई हैं, जिससे स्पष्ट हैं कि हाट बाजार से 5 वर्ष पूर्व महिला सशक्तिकरण के प्रकार थे। उनमें 85 प्रतिशत विक्रेताओं के अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम हुई थी, 30 प्रतिशत विक्रेताओं के अनुसार राजनैतिक रूप से सशक्त हुई थी, 74 प्रतिशत विक्रेताओं के अनुसार सामाजिक रूप से सशक्त हुई थी, 78 प्रतिशत विक्रेताओं के अनुसार जागरूकता के रूप में सशक्त हुई थी। परंतु 5 वर्ष पश्चात् हाट बाजार से सामाजिक सम्बन्धों के विस्तार के प्रकार हैं, 95 प्रतिशत विक्रेताओं के अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं, 55 प्रतिशत विक्रेताओं के अनुसार राजनैतिक रूप से सशक्त हुई हैं, 90 प्रतिशत विक्रेताओं के अनुसार सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं, 98 प्रतिशत विक्रेताओं के अनुसार जागरूकता के रूप में सशक्त हुई हैं। औसत दृष्टि से 5 वर्ष पूर्व 57.8 प्रतिशत विक्रेताओं का कहना है कि हाट बाजार से सभी प्रकारसे महिला सशक्तिकरण हुआ था तथा 5 वर्ष पश्चात् 73 प्रतिशत विक्रेताओं का कहना है कि हाट बाजार से सभी प्रकार से महिला सशक्तिकरण हुआ हैं। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात् महिला सशक्तिकरण बढ़ा हैं।

निष्कर्ष – साप्ताहिक हाट बाजार का महिला सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान हैं। साप्ताहिक हाट बाजार से महिलाएं हर तरह से सशक्त हो रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के सशक्त होने से सामाजिक विकास होगा। 5 वर्ष पूर्व हाट बाजार में महिलाओं की तुलना में पुरूष विक्रेता अधिक होते थे, परंतु धीरे–धीरे हाट बाजार में महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी हैं। हाट बाजार में व्यापार करने लगी हैं व अपने व्यवसाय को पूरे मनोयोग–विनम्रता और उदारता के साथ करती हैं। साथ ही परिवार में निर्णय की भूमिका में बराबर का योगदान कर रही हैं, इस बदलाव के पीछे महज हाट बाजार का सामाजिक प्रभाव ही हैं।

समस्या –

1. **बैठने की व्यवस्था का अभाव –**विक्रेताओं के लिए बैठने के लिए व दुकाने लगाने के लिए उचित व्यवस्था का अभाव पाया गया हैं।
2. **शरण स्थान का अभाव –**हाट–बाजार में किसी भी प्रकार का शरण–स्थान भोजन करने, आराम करने और प्रतिकूल मौसम में उनके सिर छुपाने के लिए उपल्बध नहीं हैं।
3. **पेयजल की व्यवस्था का अभाव –** बाजार में अब तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव हैं। यहां तक की पेयजल की भी व्यवस्था नहीं हैं। यहाँ दुकानें लगाने वाले व्यापारी और खरीदी के लिए आने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण सबसे अधिक परेशानी होती हैं।

सुझाव –

1. ग्राम पंचायत/नगरपालिका द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार लगाने के लिए उपयुक्त बाजार स्थान की व्यवस्था करना चाहिए ताकि विक्रेताओ और क्रेताओं को क्रय–विक्रय करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
2. पंचायत को हाट बाजार ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पर बाजार के लिए पर्याप्त स्थान हो, वहाँ पर पीने के पानी की उपलब्धता भी हो व साफ–सफाई भी करवाना चाहिए।
3. ग्राम पंचायत/नगरपालिका द्वारा हाट–बाजार में शरण स्थान की व्यवस्था करना चाहिए । ताकि क्रेता–विक्रेता के लिए भोजन करने, आराम करने और प्रतिकूल मौसम में उनके सिर छुपाने के लिए अच्छा रहेगा

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. शर्मा पीयूष (2001) – सेंधवा तहसील के हाट बाजारों का आर्थिक विश्लेषणात्मक अध्ययन पृ.क्र.20–21
2. गुप्ता सुनिता (2002) – 'दक्षिण–पश्चिम मध्यप्रदेश के आदिवासी विपणन केन्द्र तथा ग्रामीण विकास एक भौगोलिक अध्ययन' ।
3. शर्मा कालुराम (2004). आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले के ग्रामीण विपणन केन्द्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन पृ.क्र.1–3
4. शुक्ल एस. एम. एवं सहाय एस. पी. (2008)–सांख्यिकीय के सिद्धांत साहित्य पब्लिकेशन आगरा पृ.स. 63–64

5. सिंग विक्रम एवं बजाज आस्था (2012) – 'ग्रामीण बाजार के विकास में हाट बाजार की भूमिका' पेज नं.–628–638

तालिका क्र.–1.1

हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण की स्थिति

क्र.	5 वर्ष पूर्व महिला सशक्तिकरण की स्थिति	5 वर्ष पश्चात् महिला सशक्तिकरण की स्थिति		कुल	काई वर्ग(X^2)
		हाँ	नहीं		
1	हाँ	32(30.78%)	9(8.66%)	41(39.44%)	4.188
2	नही	58(55.76%)	5(4.80%)	63(60.56%)	
	कुल	90(86.54%)	14(13.46%)	104(100%)	

स्त्रोत– प्राथमिक समंक।

तालिका क्र.–1.2

महिला सशक्तिकरण के प्रकार की स्थिति

क्रमांक	महिला सशक्तिकरण के प्रकार	5 वर्ष पूर्व		5 वर्ष पश्चात्	
		विक्रेताओं की संख्या	प्रतिशत	विक्रेताओं की संख्या	प्रतिशत
1	आर्थिक रूप से	34	83	76	84
2	सामाजिक रूप से	28	68	83	92
3	राजनैतिक रूप से	8	19	36	40
4	जागरूकता के रूप में	32	78	82	91
	औसत	25.5/41	62.19	68.75/90	76.94

स्त्रोत–प्राथमिक समंक।

तालिका क्र.– 2.1

हाट बाजार से महिला सशक्तिकरण की स्थिति

क्र.	5 वर्ष पूर्व महिला सशक्तिकरण की स्थिति	5 वर्ष पश्चात् महिला सशक्तिकरण की स्थिति		कुल	काई वर्ग(X^2)
		हाँ	नहीं		
1	हाँ	69(51%)	5(4%)	74(55%)	5.933
2	नही	49(36%)	13(9%)	62(45%)	.015
	कुल	118(87%)	18(13%)	136(100%)	

स्त्रोत– प्राथमिक समंक।

तालिका क्र.–2.2

महिला सशक्तिकरण के प्रकार की स्थिति

क्रमांक	महिला सशक्तिकरण के प्रकार	5 वर्ष पूर्व		5 वर्ष पश्चात्	
		विक्रेताओं की संख्या	प्रतिशत	विक्रेताओं की संख्या	प्रतिशत
1	आर्थिक रूप से सक्षमता	63	85	112	95
2	राजनैतिक रूप से	22	30	65	55
3	सामाजिक रूप से	55	74	106	90
4	जागरूकता के रूप में	58	78	116	98
	औसत	49.5/74	66.75	99.75/118	84.5

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

****

आधुनिक जीवन शैली एवं पर्यावरण प्रदूषण

डॉ. अमोल मांजरेकर *

प्रस्तावना – आधुनिक जीवन शैली एवं स्वस्थ पर्यावरण आज की जीवनधारा में दो विरोधाभासी अभिप्राय हो गए हैं, जिनमें पुन: अंतर्सामंजस्य एवं अन्योन्याश्रितता आज की ज्वलंत आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही व्यक्ति एवं प्रकृति में स्वस्थ संतुलन बनाया जा सकता है।

प्रकृति ही सृष्टि की जननी है। आज सृष्टि के सर्वोच्च जीव मनुष्य का विकास प्रकृति ने ही किया है। प्रकृति एक स्थिर एवं स्थाई पारिस्थितिक तंत्र है, जबकि मानव का जीवन चक्र अस्थाई होता है। मनुष्य अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर है, परंतु विगत कई दशकों से मनुष्य ने प्रकृति से अपनी जरूरतों से ज्यादा संसाधनों का दोहन प्रारंभ कर दिया। आधुनिक जीवन शैली पर्यावरणीय मैत्री एवं से संबंध में बाधक है।

आधुनिक जीवन शैली ने औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों के विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक विदोहन इत्यादि ने मिलकर मानव एवं पर्यावरण के मध्य स्थापित संतुलन को तोड़ दिया है। आधुनिकता, विकास एवं सभ्यता की अंधी दौड़ में दौड़ रहे वर्तमान सभ्य समाज ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, जो उसकी नजर में आर्थिक सामाजिक विकास की अवधारणा का प्रतीक हैं। इसमें लिए गए निर्णय आत्मघाती सिद्ध हुए हैं, जो पर्यावरण की गुणवत्ता के ह्रास के प्रमुख कारण है।

आज विश्व के किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास के साधनों को बंद कर देना संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक विकास से ही देश की प्रगति संभव है, परंतु औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, विकासात्मक कार्यों, बहुद्देशीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन पर्यावरणीय अंतर्तादत्म्य के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

आधुनिक जीवन शैली में मानव ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और आत्महित अभीष्ट मान लिए हैं तथा अन्य उत्तरदायित्व एवं प्रतिबद्धताएँ उसके लिए द्वितीयक हो गई, गौण हो गईं, इसी कारण जीवन के अस्तित्व पर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है।

प्रदूषण की अवधारणा पर्यावरण के अवनयन से उत्पन्न हुई है। विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण के प्राकृतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसे ही पर्यावरण का अवनयन कहते हैं, अर्थात पर्यावरण के तत्वों की नैसर्गिक गुणवत्ता का ह्रास होना ही पर्यावरण का अवनयन है। पर्यावरण के प्रत्येक घटक में कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं, प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं। विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण के यह विशिष्ट गुण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, इसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है, पर्यावरण का खराब, अनुपयुक्त एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 'जब हमारे बाहरी वातावरण में इस प्रकार के पदार्थ मिल जाते हैं, जिनसे वह मानव तथा उसके पर्यावरण के लिए खतरनाक बन जाता है, तो इस अवस्था को प्रदूषण कहते हैं।'

आज प्रदूषण सर्वव्यापी हो गया है। जल, थल, वायु और मृदा के साथ साथ हमारा अंतरिक्ष भी आज प्रदूषित हो गया है। आज हर दिवस पर्यावरणीय वातावरण के बिगड़ते हालात की याद दिलाता है, क्योंकि अब रोज ही ऐसी खबरें आती हैं कि भविष्य में धरती पर मानव जाति के वजूद को लेकर ही आशंका पैदा हो जाती है। हाल ही में दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों की सूची जारी हुई, तो उसने 15 भारत के थे। 49 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच रहे राजस्थान के मरुस्थलीय चुरु और श्रीगंगानगर को छोड़ भी दें तो देश के कई शहरों में लगातार तापमान 44 डिग्री रहा है। दक्षिण भारत के भी कई शहरों में यह आंकड़ा छू लिया है। बढ़ते तापमान का रिश्ता जल संकट से है और वर्तमान में हम महाराष्ट्र के बहुत से क्षेत्रों में भीषण जल संकट देख रहे हैं। बुंदेलखंड, मध्यप्रदेश में भी हालात कोई बेहतर नहीं है। पर्यावरण का संकट अब ऐसा संकट नहीं रहा कि पेड़ लगा लिए, पानी की बचत कर ली और निश्चिंत होकर बैठ गए। इसका चरित्र वैश्विक हो गया है इसलिए राष्ट्रों के स्तर पर ही इसका समाधान मुमकिन है। दुर्भाग्य से अमेरिका एक ऐसे समय पर्यावरण को महत्व नहीं दे रहा है, जो देने की सख्त जरूरत है। राष्ट्रों के स्तर पर अब भी आर्थिक हितों को ही महत्व दिया जा रहा है। परिणाम यह है कि जैव विविधता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पेड़-पौधों, प्राणियों के लुप्त होने की दर प्राकृतिक दर से हजार गुना ज्यादा हो गई है। इसके कारण इकोलॉजी पर दबाव बढ़ गया है। फसलों की जेनेटिक किस्में घटने से खाद्यान्न का उत्पादन घट रहा है। पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने की फसलों की क्षमता दयनीय है। वातावरण में पैदा हो रही कार्बन डाइऑक्साइड समुद्रों में अवशोषित हो रही है, इससे समुद्र का जल एसिडिक हो रहा है।

सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मधय प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर साल ग्राउंड वाटर लेवल 1.3 फीट से 1.9 फीट तक नीचे गिर रहा है। बोर्ड ने 2016 में भोपाल को सेमी क्रिटिकल जोन में शामिल कर दिया था। पिछले साल राजधानी में 1146 मिलीमीटर की तुलना में 795.70 मिलीमीटर बारिश हुई। 1 साल पहले 2017 में भी 25 फ़ीसदी कम बारिश हुई।

आई आई एस सी बेंगलुरु की 2016 में आई रिपोर्ट ने चेताया था कि भोपाल का ग्रीन कवर एरिया तेजी से घटकर 2018 तक महज 11 प्रतिशत रह जाएगा, लेकिन हकीकत इससे भी भयावह निकली। वन विभाग ने ग्रीन बिल्डिंग के नाम पर 12 एकड़ में लगे 98 प्रतिशत पेड़ खत्म कर दिए। भोपाल का ग्रीन कवर घटकर 9 प्रतिशत आ पहुंचा।

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

विश्व पर्यावरण दिवस पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की भारत के पर्यावरण रिपोर्ट 2019 में खुलासा हुआ कि प्रदूषित हवा के मामले में देश में मध्यप्रदेश छठे स्थान पर है। सबसे बदतर स्थिति 3.9 बिहार और पश्चिम बंगाल की है। प्रदेश में 1 साल में दूषित हवा ने 83045 जिंदगी ने छीन ली। भास्कर एक्सक्लूसिव ने लिखा है कि यदि वायु प्रदूषण पर काबू पा लिया तो 1.9 साल औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के मामले में मधयप्रदेश को 100 मे से 52 अंक दिए हैं। गरीबी और भूख से मुक्ति, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर इलाज जैसे 16 लक्ष्य तय किए गए थे। देश में सबसे बेहतर स्थिति 69 अंक के साथ केरल और हिमाचल प्रदेश की है। उत्तार प्रदेश और बिहार को क्रमश: 42 और 48 अंक दिए गए हैं।

इन समस्त घटनाचक्रों से स्पष्ट है कि आज जलमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल में ऐसा कोई भी घटक नहीं है जो मानवीय हस्तक्षेप से बचा हो। सभी अपना स्वाभाविक स्वरूप खो चुके हैं। इन सबके लिए पूर्णरूपेण मानव की आधुनिक जीवन शैली एवं उसके द्धारा विकसित समाज जिम्मेदार है। यह घटनाएं यदि समय रहते रोकी ना गई तो संपूर्ण जीवमंडल के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए नितांत आवश्यक है कि वर्तमान की विकट पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए सुनियोजित, सूसंगठित एवं सुविचारित संरक्षण एवं संवर्धान आवश्यक है। हमें अपनी आधुनिक जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए पर्यावरण से स्वस्थ तादात्म्य स्थापित करना होगा। पर्यावरण प्रबंधन द्धारा ही सतत विकास और संतुलित विकास की अवधारणा को साकार रूप दिया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पर्यावरण भूगोल ओमेगा पब्लिकेशन दिल्ली – 110002 डॉ. रेणु त्रिपाठी डॉ. अपर्णा त्रिपाठी।
2. पर्यावरण और पारिस्थितिकी हिमालय पब्लिकेशन हाउस मुम्बई डॉ. विजय कुमार तिवार।
3. दैनिक भास्कर 5 जून 2019
4. दैनिक भास्कर 6 जून 2019

****

बुरहानपुर - निमाड़ प्रदेश का मध्यकालीन एक बहुचर्चित ऐतिहासिक नगर

आमिर कुरेशी * डॉ. ओ. पी. शर्मा **

शोध सारांश – पांचवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी की अवधि को मध्यकाल कहा जाता है। भारत का मध्यकाल भारी राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित रहा। इस प्रक्रिया में नगरों का निर्माण और विनाश सर्वाधिक हुआ। राजपूत राजाओं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैय्यद वंश, लोदीवंश, शर्की वंश, फारूकी राजवंश, मुगल वंश तथा मराठों ने मध्यकाल में साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पुराने किला नगरों का जीर्णोद्धार और नवीन नगरों को बसाया। बुरहानपुर नगर फारूकी राजवंश के बादशाह नासिर खान फारूकी द्वारा ई. सन् 1400 में बसाया गया था। यह नगर बाद के सभी शासकों का निवास स्थान तथा अपने राज्य की राजधानी बना लिया था। इस प्रकार बुरहानपुर दो सौ वर्षों तक खानदेश की राजधानी बना रहा। मुगल बादशाह अकबर ने ई. सन् 1600 में खानदेश को अन्तिम रूप से अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ईसवी सन् 1600 के पश्चात् बुरहानपुर मुगल साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान बन गया। ईसवी सन् 1635 में बुरहानपुर बरार सहित खान देश सूबे की राजधानी मात्र रह गया था। उसकी समृद्धि घटने लगी थी। फ्रांसीसी यात्री टेबनियर ने 1641 और 1659 में दो बार नगर की यात्रा की उसने इस महान् नगर को काफी जीर्ण अवस्था में पाया। मुगल शासकों ने शुद्ध जल प्रदाय के लिए आठ जलप्रदाय प्रणालियों का निर्माण कराया था। ये निर्माण कला के अद्धितीय नमूने हैं जो मुगल यांत्रिक कला की पटुता और कुशलता के शानदार उदाहरण हैं। अधिकांश रूप में ये शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में बनवाए गए थे।

शब्द कुंजी – बुर्ज, महराब, नक्काशी, कोरनिश, आहूखाना।

प्रस्तावना – पांचवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी की अवधि को मध्यकाल कहा जाता है। भारत का मध्यकाल भारी राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित रहा। इस प्रक्रिया में नगरों का निर्माण और विनाश सर्वाधिक हुआ। राजपूत राजाओं द्वारा राज्य की सुरक्षा हेतु कठिन स्थानों पर किलाबंद नगर बसाए गए। उस समय पहाड़ियों पर समतल सपाट भू-भाग पर नगर बसाना अधिक उपयुक्त समझा गया था। मैदानी भागों में भूमि ऊँचा कराकर चारों ओर दीवार और खाई से सुरक्षा का ध्यान रखकर नगर बसाये गये थे। सर्वाधिक ऐसे नगर राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और गुजरात में बसाए गए। बहुचर्चित नगरों में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, रणथम्भोर, कुम्मलगढ़, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, आमेर, जयपुर आदि अमेढ़ किला नगर थे। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के ग्वालियर, मांडू, चन्देरी, असीरगढ़, देवगिरि (भोपाल) नगर बसाए गए। आठवीं शताब्दी के अंत तक बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में दर्जनों नये नगर बसाए गए तथा पुराने नगरों का जीर्णोद्धार किया गया। मध्यकाल में कन्नौज, मथुरा और दिल्ली शक्ति के प्रमुख केन्द्र थे। तेरहवीं शताब्दी तक राजपूत राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। आपसी मतभेद के कारण बाहरी आक्रमणों को झेलना कठिन हो गया था।

भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण (1175-1206 ई.) के बाद सम्पूर्ण उत्तर भारत की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इस प्रकार पेशावर से बंगाल तक सम्पूर्ण उत्तर भारत पर गुलाम वंश का साम्राज्य हो गया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अल्तमश (1210-1236 ई.) सिद्ध हुआ। उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पुराने किला नगरों का जीर्णोद्धार और नवीन नगरों को बसाया। इन नगरों में सरहिल्द, कलिन्जर, मुल्तान तथा उच्च उल्लेखनीय है। अल्तमश के पश्चात् बलबन (1236-1286 ई.) ने उत्तरी भारत का साम्राज्य सम्भाला। जलालुद्दीन खिलजी (1290ई.) के आक्रमण के बाद भारत पर खिलजी वंश का अधिकार हो गया। इसका सम्राज्य सम्पूर्ण भारत वर्ष पर फैला हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन नगरों का जीर्णोद्धार कर प्रशासनिक पकड़ को बहुत मजबूत बनाना था। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अन्तिम खिलजी शासक की हत्या कर दी गई। अन्तिम खिलजी शासक के अंत के बाद सम्पूर्ण भारत पर तुगलक वंश का आधिपत्य हो गया। इस वंश के शासकों मे मुहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने कुछ राजपूताना भाग को छोड़कर सम्पूर्ण भारत वर्ष पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसके शासनकाल में सम्पूर्ण भारत में पुराने किला नगरों को सुदृढ़ किया गया और दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी नगर के रूप में बसाया गया। इस वंश के शासको ने अनेक नगर बसाए जिनमें जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, गुलवर्गा, पाटन और द्वारसमुद्र आदि प्रमुख है। तैमूर लंग (1398ई.) के आक्रमण के बाद स्थिति असन्तुलित हो गई। सैय्यद वंश (1414-1451 ई.) तथा लोदीवंश (1451-1526 ई.) के शासकों की कमजोर शासन के परिणामस्वरूप देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। बाबर (1525ई.) के आक्रमण के समय भारत अनेक राज्यों में बट गया था। इनमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, खानदेश, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, बहमनी और विजय नगर का नाम उल्लेखनीय है। 1450 ई. में शर्की वंश के मुसलमानों द्वारा जौनपुर को राजधानी नगर बनाया गया। दूसरी ओर दक्षिण में स्थित विजयनगर देश का सबसे बड़ा नगर बन गया था। 16वीं शताब्दी में पेकिंग के बाद यह विश्व का दूसरा बड़ा नगर था। लोदी वंश के शासकों ने अनेक नगर बसाए

* शोधार्थी (इतिहास) शासकीय एम.जी.एम. महाविद्यालय, इटारसी (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय एम.जी.एम. महाविद्यालय, इटारसी (म.प्र.) भारत

थे। सिकन्दर लोदी ने प्रथम बार आगरा नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे चलकर मुगलों ने भी इसे अपनी राजधानी के रूप में रखा।

दक्षिण भारत में हिन्दू राजाओं का शासन होने के कारण उन्होंने राजधानी नगरों के अलावा मंदिर नगर, धार्मिक नगर, बन्दरगाह नगर, किलानगर और व्यापारिक नगरों का निर्माण किया। 13 वीं शताब्दी में चोल, चेर और पाण्ड्या शासकों ने सर्वाधिक नगरों का निर्माण कार्य कराया था। मदुराई, कांचीपुरम, तंजाउर, तिरूअनन्तपुरम, तिरूनवेली, तिरूपति, चिचुरापल्ली आदि मंदिर नगर के रूप में स्थापित हुए। कालीकट, विशाखापट्टनम्, मंगलोर, कोचीन, मछलीपट्टनम् आदि बन्दरगाह नगर के रूप में अस्तित्व में आए। किलानगर के रूप में विजयनगर, बंगलोर, विजयावाड़ा, हैदराबाद, हुबली, करनूल, गुलवर्गा, डिन्डीगुल, बेलगाम, मैसूर और नेल्लोर जैसे नगरों का विकास हुआ।

भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1525 ई. में की थी। इस समय से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक मुगलकालीन शासन में सर्वाधिक नगरों का निर्माण कार्य किया गया। मुगल शासकों में अकबर बादशाह ही एक ऐसा शासक रहा है, जिसकी प्रशासकीय दक्षता के परिणामस्वरूप सूबा, सरकार, दस्तूरी और परगना स्तर में संचालन के लिए मुख्यालय के रूप में नगर बसाए गए तथा पुराने नगरों को सुव्यवस्थित किया गया। मथुरा, प्रयाग तथा काशी जैसे धार्मिक नगर भी इनके शासनकाल में विकसित रूप प्राप्त कर सके। इनके शासन काल में राजमार्गों का निर्माण, नदी परिवहन, समुद्री व्यापार की वृद्धि के कारण नगरों का तीव्रता से विकास हुआ। कृषि की उन्नति, गृह उद्योग का विकास के परिणामस्वरूप नगरों का समुचित विकास हुआ। अकबर ने आगरा नगर को राजधानी नगर के रूप में विकसित किया जो आगे चलकर भारत का विशालतम नगर बना। ऐसा कहा जाता है कि यह पेकिंग से भी बड़ा नगर बन गया था। इलाहाबाद में किला एवं नगर की स्थापना इसी समय हुई। इस कालखण्ड में फतेहपुर सीकरी, अमृतसर, बरेली, राजमहल, हुगली, फिरोजाबाद, जलालाबाद, तिलहर, अकबरपुर, जलालपुर, अनूपनगर, मुगलसराय, लखनऊ, बंगलौर, हैदराबाद, जहाँगीराबाद आदि नगरों की स्थापना हुई। आजमगढ़, सीरा, औरंगाबाद और बैलोर नगर औरंगजेब द्वारा बसाए गए थे। राजपूतों पर विजय के बाद पुराने नगरों को सुदृढ़ कर नये नगरों को बसाया गया था। जैसलमेर, सूरतगढ़, जोधपुर, मारवाड़, अमरकोट, बीकानेर आदि नगर मुगलों द्वारा निर्मित किए गए थे।

अठारहवीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य क्षीण पड़ गया और मराठों का साम्राज्य स्थापित हो गया। मराठा राजाओं ने नागपुर, बीजापुर, असीरगढ़, बड़ौदा, दमन तथा अहमदाबाद जैसे नगरों की स्थापना की। इसी दौरान अंग्रेज, पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी व्यापारियों ने अपने अधिवास समुद्र किनारे बनाने प्रारम्भ कर दिए थे। अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में बन्दरगाह निर्मित कर भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। कलकत्ता नगर की स्थापना 1686 में हुई थी। 1750 तक देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर बन गया। इसी प्रकार बम्बई और मद्रास नगर का विस्तार भी तीव्र गति से हुआ। पाण्डिचेरी और चन्दन नगर को फ्रांसीसियों ने बसाया जबकि डच व्यापारियों ने श्रीरामपुर को बसाया। गोवा में पोर्तगालियों ने पणजी और मरमगोवा को विकसित किया। इसी युग में तटीय नगरों में नेगापट्टम, कारीकल, देवीकोट और पुलीकट का विकास हुआ। 1857 तक सम्पूर्ण अधिकांश भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया। वे एक के बाद एक राज्य को अपने अधिकार में लेते गए और पुराने नगरों को सुदृढ़ बनाकर वहाँ अपनी चौकियाँ बनाते गए। निमाड़ प्रदेश में इस काल के नगरों में खण्डवा, मान्धाता, खरगोन, बुरहानपुर, असीरगढ और भीकनगाँव का नाम उल्लेखनीय हैं-

बुरहानपुर – यह एक एतिहासिक नगर है, जो शेख बुरहानउद्दीन के नाम पर स्थापित ताप्ती नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। वर्ष 2003 में बुरहानपुर को जिले दर्जा मिल चुका है अत: यह अपने जिले का जिला मुख्यालय तथा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। यह बम्बई-दिल्ली रेलमार्ग पर बम्बई से 504 कि.मी. तथा खण्डवा से 69 किलोमीटर दूर बसा है। यह नगर फारूकी राजवंश के बादशाह नासिर खान फारूकी द्वारा ई. सन् 1400 में बसाया गया था।[1] यह नगर बाद के सभी शासकों का निवास स्थान तथा अपने राज्य की राजधानी बना लिया था। इस प्रकार बुरहानपुर दो सौ वर्षों तक खानदेश की राजधानी बना रहा। मुगल बादशाह अकबर ने ई. सन् 1600 में खानदेश को अन्तिम रूप से अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इस दौरान बुरहानपुर की फारूकी राजधानी दक्षिण, अहमद नगर, मालवा और गुजरात के प्रतिद्वंदी मुस्लिम शासकों द्वारा लगातार लूटी जाती रही। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में यह नगर मराठों द्वारा कई बार लूटा गया। सन् 1716 में दक्कन सूबा की भू-राजस्व के एक चौथाई भाग की मराठों की मांग मान ली गई। इससे बार-बार की लड़ाईयाँ समाप्त हो गई। सन् 1720 में आसफ निजाम-उल-मुल्क-दक्खन का शासन हस्तगत कर बुरहानपुर में काफी समय तक रहा और यहीं 1748 में उसकी मृत्यु हो गई। सन् 1731 में नगर के चारों ओर ईंटों की एक विशाल दीवार बनवाई गई, जिसकी परिधि लगभग 5.5 मील थी। इसमें अनेक बुर्ज, आठ विशाल फाटक, 12 छोटी-छोटी खिड़कियाँ थी। सन् 1760 में निजाम ने बुरहानपुर पेशवा को दे दिया और उसने 1778 में इसे सिंधिया का हस्तनान्तरित कर दिया था। 1786 में यह नगरी भयंकर अग्नि कोपों से बुरी तरह नष्ट हो गई। बुरहानपुर नगर अधिकतर मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। इस प्रकार उनके द्वारा बनवाए गए मकबरे, मस्जिद, किले और अन्य इमारते दर्शनीय है।

ईसवीं सन् 1520 और 1540 के मध्य फारूकी राजाओं में से किसी ने बीबी मस्जिद नामक एक महत्वपूर्ण स्मारक बनवाया था। अब यह मस्जिद पूर्णत: जर्जर हो चुकी है, यह एक आयताकार मस्जिद है। जिसकी लम्बाई 132 फुट और चौड़ाई 48 फुट है। इसकी दीवारे 4.5 फुट मोटी और छत चौकोर खंभों की चार पंक्तियों पर स्थित है। मुख्य द्वार के दोनों ओर विशाल वर्गाकार मीनारे हैं। महराबो और खंभों के बीच छोटे-छोटे खुले स्थान है जिनमें सामने निकले हुए छज्जे बने हैं। विद्वानों के अनुसार इसकी केन्द्रीय पर्दा दीवार की पार्स मीनारे ही थी। ऐसी धारणा है कि मस्जिद के सामने की सम्पूर्ण दीवार पर ईंट बाद में लगाई गई थी। विद्वानों की राय है कि मस्जिद का निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ।

नगर में बीबी मस्जिद के सामने ही जामा मस्जिद भी स्थित है। यह उत्तम और मजबूत ईमारतों में से एक है, जो काल और मौसम के आघातों को सहकर भी अक्षुण्य बनी है। बीबी मस्जिद के समान इसमें सामने की दीवार नहीं है और सभी 15 महरावे दालान में खुलती है। यह 157 फुट लम्बी 54 फुट गहरी है।[2] इस पर जो शिलालेख है, उसमें अरबी और संस्कृत में निर्माण की तारीख लिखी हुई हैं। जो फारूकी राजा आदिल शाह के शासनकाल के ईसवी सन् 1589 से मेल खाती है। शिलालेख में गजनी बादशाहों का वंशज होने का दावा रखने वाले फारूकी राजाओं की वंशावली दी हैं। बायीं ओर की मीनार की दीवार के बाहर अकबर का ईसा सन् 1600 का एक शिलालेख है। जिस पर असीर और खानदेश की विजय का उल्लेख हैं। ईमारतों के मीनर एक मात्र अलंकरण पिछली दीवारों के आलो के आर्य स्तम्भों पर हैं जो उच्च

कोटि की नक्काशी से युक्त हैं। ऐसा लगता है कि अलंकरण का कार्य अकबर की विजय के कारण रोक दिया गया था। कुछ अलंकरण का कार्य अकबर ने करवाया था।

फारूकी राजा आदिल खॉ प्रथम ने भी बहुत से सुन्दर महलों और बुरहानपुर में एक किले का निर्माण कराया था, जिसकी ऊंचाई 80 फुट है। यह किला ताप्ति नदी के दाहिने तट पर अवशेष के रूप में पाया जाता है, यह एक संरक्षित ईमारत है। नगर के निकट ही ईदगाह स्थित है, जिसे आदिल खान प्रथम द्वारा बनवाई गई थी। इस काल में बुरहानपुर तथा राज्य ने सम्पूर्ण वैभव की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया था, जो इससे पहले किसी भी शासक ने प्राप्त नहीं किया था। इन ईमारतों के अलावा आदिल शाह और नासिर खान के मकबरे उल्लेखनीय हैं। नासिर खान के मकबरा एक सदी सा वर्गाकार ईमारत है, इसके ऊपर एक ऊँचे अष्टकोणीय ड्रम पर निर्मित एक विशाल गुम्बद है। एक सुन्दर छज्जा कोरनिशा नक्काशीदार ब्रेकेट तक चला गया है। छज्जे के ऊपर की गहरी मुंडेर एक पट्टी द्वारा विभाजित है। इन मुंडेरों पर कुछ खड़े कंगूरों के अवशेष हैं और यह विशाल गुंबद ऊपर जाकर ऊँचे कलश का रूप लेता है। इसी के समीप आदिल शाह का मकबरा स्थित है। इसके अलावा अन्य फारूकी रानियों और राजाओं के मकबरे भी यही स्थित हैं। ये सभी मकबरे बाहर की ओर से वर्गाकार और भीतर की ओर से अष्टकोणीय है। ईसवी सन् 1600 के पश्चात् बुरहानपुर मुगल साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान बन गया।

मुगल साम्राज्य के दौरान ईसवी सन् मे 1614 ई. में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजे गए राजपूत सर टॉमसरो ने बुरहानपुर के शहजादे परवेज से अनुमति लेकर एक कारखाना स्थापित किया था। 1608-11 ई. में विलियम फिंच ने बुरहानपुर को एक बड़ा और समृद्ध नगर कहा था। अन्य लोगों ने इसे सुन्दर उद्यानों और किलों का उल्लेख किया लेकिन ईसवी सन् 1635 में बुरहानपुर बरार सहित खान देश सूबे की राजधानी मात्र रह गया था।3 उसकी समृद्धि घटने लगी थी। फ्रांसीसी यात्री टेबनियर ने 1641 और 1659 में दो बार नगर की यात्रा की उसने इस महान् नगर को काफी जीर्ण अवस्था में पाया।

मुगल काल के स्मारकों में कुछ मकबरे जनाना स्नानागार और एक सुव्यवस्थित जल प्रदाय प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है। शाहनवाज खॉ का मकबरा बुरहानपुर से एक मील दूर निर्मित एक विशाल ईमारत है। इसकी बहन की शादी शाहजहाँ से हुई थी।[4] शाहनवाज खॉ खानखाना मिर्जा अब्दुल खॉ का पुत्र और खानखान बैरम खॉ का पौता था। इस मकबरे की गुंबद खरबूजे की आकार की है। सबसे पवित्र मकबरा फकीर हजरत शाह भिखारी का है। जो उताबली नदी के किनारे पर स्थित है। ताप्ती के दक्षिण किनारे पर बुरहानपुर बादशाह किले के ठीक सामने दानयाल द्वारा निर्मित आहूखाना है। यह मुगल शहजादों का आमोद-प्रमोद का उद्यान तथा शिकारगाह था। इस आहूखाने के अधूरे कार्य को शहंशाह शाहजहाँ ने पूरा कराया था। उसने दो शानदार ईमारतों और फब्बरों का निर्माण कराया था। पूर्वी भाग में बाग थे, जो मुगलों का दूसरा आमोद-प्रमोद का स्थल था। बादशाही किले परिसर में प्रारम्भिक मुगल ईरानी शैली का जनाना स्नानागार है। स्नानागारों में अकबर, जहांगीर और जहांगीर के प्रसिद्ध मंत्री खानखाना मिर्जा का एक समकालीन शिलालेख है। राजा की छत्री एक अन्य उल्लेखनीय स्मारक है जो ताप्ती और मोहना नदी के संगम पर स्थित है। यह छत्री मुगल सेना के सेनापति राजा जयसिंह की स्मृति में औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी।

मुगल शासकों ने शुद्ध जल प्रदाय के लिए आठ जलप्रदाय प्रणालियों का निर्माण कराया था। ये निर्माण कला के अद्धितीय नमूने हैं, जो मुगल यांत्रिक कला की पटुता और कुशलता के शानदार उदाहरण हैं। अधिकांश रूप में ये शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में बनवाए गए थे। सतपुड़ा पहाड़ियों से ताप्ती नदी की ओर बहने वाले भूमिगत स्त्रोतों को तीन स्थानों पर रोका गया है, जिसे मूल भण्डारा, सूखा भण्डारा और चिंताहरण भण्डारा कहा जाता है। महल और नगर के मध्य भाग की पूर्ति मूल भण्डारा से की जाती थी। यह वायु कूपकों से युक्त लगभग 13000 फुट सुरंगमार्ग से जाता है। सुखा भण्डारा से उद्यान की सिंचाई की जाती थी। सन् 1890 ई. खूनी भण्डारा और सूखा भण्डारा से पानी ले जाने वाले पाईपों के स्थान पर ढलवा लोहे की पाईप लाईन डाली गई थी। शेष जल प्रणालियों में से तीन बहादुरपुर की ओर जो कि उस समय नगर का एक उपनगर था और छटवीं राव रतन हाड़ा द्वारा बनवाए गए महल की ओर ले जाई गई थी। इन जल प्रणालियों पर थोड़े-थोड़े अंतरालों पर जल के स्तर से ऊपर की ओर पक्के पोले स्तंभ बनाए गए हैं।

यह नगर उद्योग व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से विकासशील है। कपास उत्पादकों के लिए यह एक बड़ा बाजार बन गया है। 1894 से कपास औटने तथा दबाने के कई कारखाने खुल गए हैं। 1908-9 ई. में सूती कपड़ा मिल स्थापित हो गयी है। यह जिला विद्युत करघा, हथकरघा, बुनाई, बीड़ी निर्माण, तेल प्राई आदि उद्योगों का उद्योग केन्द्र बन गया है। यहाँ समस्त जिला स्तरीय कार्यालय स्थित है। 1401 ई. में बुरहानपुर की जनसंख्या 33341 थी, जो बढ़कर अब 210886 हो गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 सांकलिया, एच.डी. एक्स्कैवेशन्स एट महेश्वर एण्ड नावदाटोली, पृ. 1-15
2 रिपोर्ट ऑफ दी ऑर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिल्द नौ, पृ. 115
3 निमाड़ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1908, पृ. 216-17
4 विलियम फॉस्टर, अर्ली ट्रव्हल्स इन इंडिया, पृ. 16 और 131-47

****

वन सत्याग्रह एवं बालाघाट जिला

डॉ. संकेत कुमार चौकसे *

शोध सारांश – असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात् गांधी जी द्वारा संचालित दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था–सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह भारतीय स्वाधीनता के लिए किया गया वृहत् प्रयास था, जिसमें छात्र, श्रमिक, किसान, महिला, ग्रामीण इत्यादि सभी वर्गों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अंकित की। मध्यप्रांत एवं बरार में भी आंदोलन की लगभग वही स्थिति थी जो कि देश के अन्य भागों में थी। सत्याग्रह की एकमात्र भिन्नता यह थी कि नमक कानून उल्लंघन करने के स्थान पर जिसके लिए यहाँ कोई प्राकृतिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सत्याग्रह के रूप में वन सत्याग्रह को अपनाया गया। वनाच्छादित बालाघाट जिले में तो यह सत्याग्रह भारी उत्साह से संचालित किया गया, जिसमें यहाँ के ग्रामीणों एवं वनवासियों का अविस्मरणीय योगदान रहा। प्रस्तुत शोधपत्र में वन सत्याग्रह में बालाघाट जिले के योगदान को बतलाने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – वन सत्याग्रह ।

प्रस्तावना – मार्च 1930 में ही महात्मा गांधी ने संघर्ष टालने का अंतिम प्रयास करते हुए ताल्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की। लॉर्ड इरविन द्वारा इस पर कोई ध्यान न दिए जाने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों को साथ लेकर साबरमती से दांडी तक की ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ में इस यात्रा के राष्ट्रीय महत्व को नहीं समझा था। ब्रिटिश समाचार पत्रों ने इस यात्रा पर प्रश्न उठाते हुए लिखा था कि 'समुद्र का पानी उबालने और ब्रिटिश सरकार को भारत से हटाने का भला क्या संबंध हो सकता है?'[1] परंतु जैसे-जैसे गांधीजी अपने पथ पर अग्रसर होते गए, जनता का उत्साह बढ़ता गया। जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर सरकार से संघर्ष करने के लिए सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र के उपयोग की भांति उनकी पद यात्रा भी जन आंदोलन को गतिमान करने की दिशा में एक बहुत ही सफल प्रयोग सिद्ध हुई।[2]

अपनी पद यात्रा के दौरान गांधीजी दर्जनों गाँव से होकर निकले। जहाँ न केवल उनके सत्याग्रह का संदेश जन-जन तक पहुँचा बल्कि लोगों को यह अनुभव होने लगा कि गांधीजी हमारे हितों के लिए संघर्ष कर रहे है। अत: हमें उनका साथ देना चाहिए। इस प्रकार दैनिक उपयोग की वस्तु नमक पर सरकारी नियंत्रण तथा उस पर कर के विषय को लेकर सत्याग्रह करने से गांधीजी को देश के सीधे साधे, पिछड़े और निरक्षर समुदाय का समर्थन मिला तो वहीं दूसरी और उनके आलोचक भी उनकी सफलता को देखकर निरूत्तर हो गये। लगभग 325 कि.मी. की दूरी 24 दिनों में तय कर गांधीजी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, जहाँ उन्होंने 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया।[3] इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया शीघ्र ही यह आंदोलन भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया तथा विभिन्न स्थानों में लोगों ने अपने-अपने तरीकों से कानून के अवहेलना कर आंदोलन का संचालित किया। बालाघाट जिले में नमक कानून का उल्लंघन कुशलतापूर्वक किया गया तथा यहाँ के निवासियों ने इस सत्याग्रह में उत्साहपूर्वक योगदान दिया। इस क्षेत्र की समुद्रतट से दूरी एवं व्यय की अधिकता के कारण दीर्घ अवधि तक इस आंदोलन को संचालित कर पाना संदिग्ध था। अतएव यहां नमक सत्याग्रह के स्थान पर वन सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया।

महात्मा गांधी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन के लिए राष्ट्र का आव्हान किया, तब बालाघाट भी शेष भारत के साथ भाग लेने को तत्पर था। मध्यप्रांत के संदर्भ में नमक कानून भंग करने के आंदोलन का स्थान वन सत्याग्रह ने ले लिया और बालाघाट जैसे विशाल वन क्षेत्र वाले जिले के लिए तो इसका विशेष महत्व था। जंगल सत्याग्रह के समय बालाघाट जिला कांग्रेस के सर्वेसर्वा चिंतामनराव केलकर थे। उनके निवास स्थल पर इस सत्याग्रह की योजना हेतु आवश्यक विचार-विमर्श कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई एवं जंगल सत्याग्रह में भाग लेने का निर्णय लिया गया।[4] बालाघाट जिले के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र विठ्ठल इंदापवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चिंतामन केलकर महोदय के नेतृत्व में 25 अगस्त 1930 को एक विशाल जनसभा आयोजित की गई जिसमें सर्वसम्मति से 1 सितम्बर 1930 को बालाघाट जिले में वन सत्याग्रह का शुभारंभ करने का निर्णय लिया। इस जनसभा के अगले ही दिन अर्थात 26 अगस्त 1930 को केलकर एवं मोहरीरकर महोदय को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन उन पर मुकदमा चलाया गया एवं दोनों को चार-चार माह की सजा एवं दो-दो सौ रू. के जुर्माने का दण्ड दिया गया।[5]

बालाघाट जिले के स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में 1 सितम्बर 1930 का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन लगभग 20,000 सत्याग्रहियों का एक जुलूस गांधी चौक से रवाना हुआ। इस जुलूस में जिले के सभी वर्ग जैसे- कृषक, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, वनवासी इत्यादि शामिल थे। ये लोग वारासिवनी, कटंगी, लालबर्रा, बैहर, लांजी तथा अन्य स्थानों से आकर जुलूस में शामिल हुए थे। जुलूस की विशालता को देखते हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें सैंकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, कई लोगों को गिरफ्तार कर सजा दी गई। परंतु इससे सत्याग्रहियों के उत्साह

*अतिथि विद्वान (इतिहास) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

में कोई कमी नहीं आई।[6] बद्रीनारायण अग्रवाल के नेतृत्व में बालाघाट-सिवनी मार्ग पर स्थित गर्राघाट के शासकीय वन में घास एवं वृक्षों की कटाई कर जंगल कानून की अवज्ञा की गई। इस आंदोलन को प्रांरभ करने से पूर्व ही सत्याग्रहियों ने इसकी विधिवत् सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी थी। अतएव कानून का उल्लंघन करने के कारण स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर दण्डित किया गया। लांजी क्षेत्र में स्वामी नित्यानंद, लक्ष्मण पटेल, आवाजी रेंच, बालकृष्ण रामटेक्कर, भवानी पटेल इत्यादि स्थानीय नागरिकों ने जंगल सत्याग्रह को गति प्रदान की और सरकारी जंगल से घास एवं वृक्ष काटकर वन कानूनों की अवहेलना की। प्रतिक्रियास्वरूप पुलिस द्वारा अन्य स्वयंसेवकों के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।[7]

वन सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं इंदापवार, केलकर एवं मोहरीरकर गिरफ्तारी के बाद लालबर्रा क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह की अगुवाई कर ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाया। नगपुरा में प्रेमलाल गढ़ेवाल, सराद्या चौहान, सोनू पवार, अमरतलाल तेली, दुर्जन लोधी द्वारा नगपुरा के निकटवर्ती रक्षित वनों में जंगल कानूनों का उल्लंघन किया गया। परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा इन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। प्रेमलाल गढ़ेवाल को 6 माह की सजा और 25 रूपये जुर्माना लगाया गया, जुर्माना न दिए जाने के कारण इनकी सजा एक माह और बढ़ा दी गई। अमरतलाल तेली को चार माह का कारावास दिया गया। दुर्जन लोधी जो इसके पूर्व झण्डा सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 6 माह की सजा काट चुके थे, को पुन: वन सत्याग्रह में शामिल होने पर 6 माह की सजा दी गई। उस समय जेल में कैदियों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। बालाघाट जेल में 40 व्यक्तियों का स्थान होने के बाद भी 80 कैदियों को रखा गया था, जिससे इन सत्याग्रहियों को अनेक कष्ट उठाने पड़े।[8]

बालाघाट की वारासिवनी तहसील में भी वन सत्याग्रह व्यापक रूप से संचालित किया गया। यहाँ के प्रमुख सत्याग्रही चिंतामन लोधी, बुद्धूलाल गढ़ेवाल, राधाकिशन मिश्रा, शिवप्रसाद सोनी, गोविंदराय पवार, दषरथ गढ़ेवाल एवं किसनलाल लोधी ने सत्याग्रह में भाग लिया। इन सभी को भी जंगल कानून भंग करने के कारण दण्डित किया गया। इसके विपरीत जिले के बैहर एवं परसवाड़ा क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित होने के कारण इस आंदोलन में विशेष रूप से शामिल नहीं हुए। इस आंदोलन के दौरान जिले के लगभग 66 गाँवों ने स्वाधीनता संग्राम में प्रतिनिधित्व किया तथा जिले के लगभग 150 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए।[9] वन सत्याग्रह में बालाघाट जिले के नवयुवकों एवं विद्यार्थियों का विशेष योगदान रहा। इस सत्याग्रह में बालाघाट शासकीय हाईस्कूल के छात्र तथा नगर के नवयुवक स्वयंसेवकों की सेवा के लिये रेडक्रास के रूप में जुलूस में सम्मिलित हुए। ये सभाओं के आयोजन और प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उस समय के युवा नेता फणीन्द्रनाथ ने इस जिले के स्वाधीनता संघर्ष में बहुमूल्य योगदान दिया था।

लांजी के पास पालडोंगरी के पटेल भवानीप्रसाद, जो कि 1930 में शासकीय हाईस्कूल बालाघाट के छात्र थे, ने इस संदर्भ में बताया है-10 'मैं 1930 में गवर्नमेंन्ट हाईस्कूल बालाघाट में 10वीं अंग्रेजी में पढ़ता था। रहने वाला पालडोंगरी का था। पढ़ने के लिये बालाघाट आया था और सर्व श्री चिंतामनराव केलकर के बाड़े में रहता था। वे कट्टर देशभक्त थे उनके चरणों में रहकर मुझे भी देश भक्ति की प्रेरणा मिली। गांधी जी नमक-सत्याग्रह कर रहे थे। हमारे जिले में पिकेटिंग होती थी और जंगल सत्याग्रह जोरों पर चालू था। स्कूल में अपने साथियों के साथ मैंने भी तिरंगा झंडा फहराने की योजना बनाई और योजना सफल हुई। अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद हुआ। स्कूल बंद होने पर स्व. श्री चिंतामनरावजी केलकर ने मुझे आदेश दिया कि मैं लांजी क्षेत्र पहुँचकर जंगल सत्याग्रह के काम को आगे बढ़ाऊ। उस समय अक्टूबर का महीना था। लांजी क्षेत्र के कांग्रेसी नेता श्री लक्ष्मण पटेल, कुम्हारी कला के आबाजी रेंच, बालकृष्ण रामटेककर आदि गिरफ्तार हो चुके थे। मेरे कांधो पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। मैं 18 वर्ष से कम उम्र का था। मैंने अपनी सामर्थ भर रात दिन प्रचार कार्य किया और महीने भर एक दिन को आड़ चार-चार स्वयंसेवक जंगल सत्याग्रह के लिए भेजता था। इस तरह एक साथ ही मैं अपने करीब 60-70 साथियों सहित गिरफ्तार हो गया। मुझे 6 मास की सश्रम कारावास की सजा हुई।'

6 फरवरी 1931 को पं. मोतीलाल नेहरू का देहावसान हो गया जिससे समस्त भारत में शोक की लहर का गई। बालाघाट जिले ने आमसभाओं तथा हड़तालों के द्वारा अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित की । 24 मार्च 1931 को भगतसिंह की शहादत से देश के युवा वर्ग में रोष पैदा हुआ। बालाघाट के उच्च कक्षा के छात्रों ने 'विद्यार्थी संघ' का निर्माण किया तथा उनके मध्य भी राजनैतिक अधिकारों पर विचार-विमर्श किया जाने लगा। 25 मार्च 1931 को प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान के अवसर पर विद्यार्थी संघ ने छात्र सभा का आयोजन कर अपना क्षोभ एवं दु:ख व्यक्त किया। शासकीय हाईस्कूल बालाघाट के छात्रों ने अपने विद्यालय पर तिरंगा झण्डा फहराने का साहस किया जिससे एक माह तक शाला बंद रखी गई।[11] यह आंदोलन लगभग 5 माह चलकर 1931 में समाप्त हो गया। आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रेमचंद गढ़ेवाल, बुद्धूलाल गढ़ेवाल, शंकरपुरी, अमरतलाल तेली, काषीनाथ महार, किसनलाल कलार इत्यादि ने लगानबंदी, शराबबंदी तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार इत्यादि कार्यक्रम अपनाकर सत्याग्रह को गति प्रदान करने का प्रयास किया किन्तु इस बार शासन की दमनात्मक नीति अत्यधिक कठोर होने के कारण आंदोलन व्यापक रूप धारण नहीं कर सका तथा शीघ्र ही समाप्त हो गया। इस प्रकार यद्यपि यह आंदोलन स्वतंत्रता के लक्ष्य को तुरंत न प्राप्त कर सका तथापि यह स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय है। इसने देश में एकता, जागृति तथा गौरवपूर्ण राष्ट्रीयता का संचार किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुरू,एस.डी. - मध्यप्रदेश में स्वाधीनता संघर्ष (1857-1950), पृ. 195
2. सक्सेना, घनश्याम - जंगल सत्य और जंगल सत्याग्रह, पृ. 87
3. नोट्स ऑन द सिविल डिसओविडिएन्स मूवमेंट इन द सी.पी. एंड द बरार 31 दिमम्बर 1930 पैरा 04
4. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खण्ड- एक, पृ. 166
5. तिवारी, बृजबिहारी, बालाघाट जिले के 50 वर्ष, पृ. 17
6. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वही, पृ. 166
7. भारतीय स्वाधीनता संग्राम और बालाघाट जिले का योगदान, जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट 1972, पृ. 14-15
8. तिवारी, बृजबिहारी, वही, पृ. 15
9. भारतीय स्वाधीनता संग्राम और बालाघाट जिले का योगदान, जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट 1972, पृ. 15
10. तिवारी, बृजबिहारी, वही, पृ. 18
11. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खण्ड-एक, पृ. 166

महत्वाकांक्षी शाहजहाँ

डॉ. निशा गुप्ता *

शोध सारांश – शाहजहाँ अपनी न्याय प्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय हुए। शाहजहाँ को ताजमहल के लिए सदैव याद किया जाता है। शाहजहाँ के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली का लालकिला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। शाहजहाँ मात्र 36 साल की उम्र में हिन्दुस्तान का बादशाह बन गए। शाहजहाँ सबसे बेहतर मुगलवास्तु कार थे। 15 साल की उम्र से ही इन्हें आर्किटैक्चर से लगाव हो गया था। इनके काल में शासन शांतिपूर्ण और समृद्ध था। इन्होंने भेदभाव रहित एक अच्छे न्यायधीश और प्रजा के लिए एक कुशल शासक के रूप में छवि स्थापित कर रखी थी।

शब्द कुंजी – न्यायधीश, कुशाग्र, संगमरमरी भवन, अनन्य प्रेम, आकांक्षा।

प्रस्तावना – शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी, 1592 ई0 को हुआ था। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है 'खुशी प्रदान करने वाला'[1] उसकी माता मारवाड़ के शासक उदयसिंह की पुत्री 'जगत गोसाई' (जोधाबाई तथा भानमती के नाम से भी इसे पुकारा गया है)[2] अकबर भी अपने इस पोते को बहुत प्यार करता था जिसका कारण बाल्यकाल से ही खुर्रम का बुद्धिमान होना था। अत: अकबर ने स्वयं अपनी देखरेख में उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। यद्यपि शाहजहाँ की बुद्धि कुशाग्र तथा स्मरण शक्ति तीव्र थी तथापि उसने तुर्की एवं फारसी भाषा सीखने की अपेक्षा धनुष-बाण, तलवार तथा अश्वारोहण में अधिक ध्यान दिया।

खुसरों के विद्रोह के अवसर पर खुर्रम को राजधानी की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। सन् 1607 ई0 में उसे 8000 जात और 5000 सवार का पद दिया गया। सन् 1612 ई0 में अर्जुमन्दबानू बेगम से उसका विवाह हुआ। वह नूरजहाँ के भाई आसिफ खाँ की पुत्री थी और शादी के बाद मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। पतिपरायणा यह स्त्री स्वभाव से बडी दयालु एवं धर्मभीरू थी। इस्लाम के प्रति उसे लगाव था और वह कट्टरता से उसका पालन करती थी जिसका प्रभाव शाहजहाँ पर भी पडा। शाहजहाँ अपनी पत्नि मुमताज महल को बहुत चाहता था। उसी के सानिध्य में वह वास्तुकला की ओर उन्मुख हुआ और उत्तराधिकार में प्राप्त चित्रकारी वाली रूचि संगमरमरी भवनों की दीवारों पर सुरूचिपूर्ण जडे हुए आलेखनों ने ले लिया।

मुमताज महल ने सन् 1631 ई0 में अपने चौदहवें बच्चे को जन्म दिया और प्रसव के समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी स्मृति में वह कई दिनों तक शोकमग्न रहा लेकिन उसने मुमताज के लिए जो किया वह संसार के किसी प्रेमी ने नहीं किया, उसने उसकी स्मृति में 'ताजमहल' का निर्माण कराया जिसकी गणना विश्व के सात आश्चर्यो में की जाती है।

शाहजहाँ बड़ा तेज एवं महत्वाकांक्षी था, उसने कांगडा, मेवाड़ और अहमद नगर के अभियानों पर सफलता प्राप्त कर 'शाहजहाँ' (विश्व का सम्राट) की उपाधि अपने पिता से प्राप्त की थी। दक्षिण भारत में जब युद्ध संचालन का भार उसे सौंपा गया तो उसने वहाँ भी अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। मुगल वंश में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। बादशाह की मृत्यु के पश्चात् पुत्रों में युद्ध होता था और अन्त में जो सफल होता था, वह अन्य भाईयों की निर्दयता से हत्या कर सत्ता सुनिश्चित कर लेता था।[3]

शाहजहाँ के काल में मुगल चित्रकला का रूप बदल गया। उसकी व्यक्तिगत रूचि चित्रकला में नहीं बल्कि इमारतें बनवाने में थी। फिर भी उसने उन सांस्कृतिक परम्पराओं से छेड़छाड़ नहीं की जिनकी स्थापना उसके पितामह ने की थी। चित्रकार निरन्तर मुगल दरबार में संरक्षण पाते रहे और चित्रकला पलती रही।[4] वह अपने पूर्वजों के समान चित्रकला का राजकीय संरक्षण तो करता रहा परन्तु अकबर और जहाँगीर के समान चित्रकला में उसका अनुराग नहीं था। फलत: उसके राज्यकाल में चित्रकला की प्रगति रूक गई और उसका पतन प्रारम्भ हो गया। शाहजहाँ ने राजदरबार में चित्रकारों की संख्या भी घटाकर कम कर दी, उनका सम्मान भी घट गया। इससे अल्पकाल में ही चित्रकला शाही पोषण और संरक्षण से वंचित हो गई।

शाहजहाँ अपने राज्य की समृद्धि एवं दरबारी अदब-कायदे के क्रियान्वयन में वह इतना व्यस्त रहता था कि व्यक्तिगत रूप से वह चित्रकारों एवं उनकी कृतियों पर ध्यान नहीं दे सका। शाहजहाँ कालीन चित्रकला, जहाँगीर के शासनकाल में विकसित कला-शैली की परम्परा के अनुसार आगे बढ़ी किन्तु बाद में शाहजहाँ की धार्मिक कट्टरता एवं वास्तु-कला के प्रति उसके अनन्य प्रेम के कारण इसके स्वाभावित विकास में अवरोध आ गया। उस समय तत्कालीन चित्रकार सम्राट को प्रसन्न रखने हेतु चित्र पर ज्यादा रियाज करने लगे। महीनकारी एवं अधिक ब्योरे के कारण चित्रों की लुनाई (लावण्य) में कमी आ गई और धीरे-धीरे वे भावहीन होते गए। यद्यपि शाहजहाँ के कार्यकाल में चित्रों का निर्माण यथावत होता रहा और चित्रों में किसी भांति कमी भी नहीं आई फिर भी उनमें जहाँगीर काल की उत्कृष्टता लक्षित नहीं होती।[5]

शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। दरबारी शान शौकत, तड़क-भड़क, अदब-कायदे एवं शाही दबदबे के बीच चित्रकार दब गया। इस समय चित्र भाव शून्य हो गये जो लोगों को

*एसोसिएट प्रोफेसर, जे. के. पी. पी. जी. कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

ज्यादा आकर्षित न कर पाए। धीरे–धीरे बादशाह की रूचि भी इस ओर से हटने लगी और उसके स्थान पर वह वास्तुकला की ओर उन्मुख हुआ।

मुगल राजवंश में केवल शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह चित्रकला का पोषक बना रहा। उसने चित्रकारों को शाही संरक्षण देने का प्रयास किया, जैसा कि लंदन में इण्डिया ऑफिस में सुरक्षित उसके चित्रों के एलबम से प्रतीत होता है। परन्तु उत्तराधिकार के युद्ध में दारा के करूण और दुखद अन्त ने उसकी साम्राज्य और राजनीतिक विषय की आंकाक्षाओं को ही नहीं, अपितु चित्रकला के संरक्षण को भी समाप्त कर दिया।

इसका फल यह हुआ कि चित्रकारों को सामन्तों और अन्य छोटे राजघरानों में जाकर नौकरी करनी पड़ी जैसा राजस्थान और हिमाचल प्रदेशों में हुआ। अनेक चित्रकार बाजारों में कला मन्दिर या चित्रशालाएँ बनाने तथा अपनी जीविका के लिए साधारण जनता के बीच अपने चित्रों को बेचने के लिए बाध्य हो गए।

शाहजहाँ के शासनकाल की चित्रकला में चटकीले रंगो की अधिक प्रधानता आ गई थी। इस समय व्यक्ति चित्र (Portraits) अत्यन्त सुन्दर सजीव तथा भावपूर्ण बनाए जाने लगे। शाहजहाँ ने अपने काल के इतिहास की एक प्रति 'पादशाहनामा' के नाम से चित्रित कराई जिसमें कई सौं चित्र थे। अब ये चित्र सब इधर–उधर बिखर गए है। अधिकतर ब्रिटेन में विंडसर पैलेस में सुरक्षित है।

इस समय के कुछ 'स्याह कलम' के चित्र भी मिलते हैं, जो केवल काली रेखाओं के चित्र है, इनमें रंग नहीं है। चित्र बनाकर उनमें ऊपर अण्डे की सफेदी का लेप चढ़ा दिया दिया गया है, जिससे काली रेखाएं सुरक्षित बनी रहें। इसी समय के बहुत से दरबारी चित्र अब भी प्राप्त है, जिनमें दरबारी शान–शौकत तथा अनुशासन के दर्शन होते है। इस समय के व्यक्ति चित्रण व छवि–चित्रण करने वाले कलाकारों में मीर हाशिम का नाम उल्लेखनीय है। इस समय चित्रों के हाशियों के बादल व देवदूतों का चित्रण है।[6]

शाहजहाँ एक अद्भुत वास्तुविद एवं महान भवन निर्माता था। उसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसका शासनकाल गौरवपूर्ण, ऐश्वर्यशाली, सुन्दरतम तथा अद्धितीय कला–कृतियों के निर्माण का युग था। इस समय सफेद संगमरमर और अन्य कीमती पत्थरों का प्रयोग अधिकतम पच्चीकारी कीमती रंगों का प्रयोग आदि कला की विशेषता बन गए। उसकी इमारतों से ऐसा अनुभव होता है जैसे – जौहरी और चित्रकार के कार्यो को पत्थरों में जड़ दिया गया हो। शाहजहाँ को स्थापत्य कला का शौक था।

उसने न केवल नवीन इमारतों का ही निर्माण कराया बल्कि आगरा और लाहौर के किले में उसने अकबर द्धारा बनवाई गई इमारतों को तुड़वाकर नवीन इमारतें बनवाई।

शाहजहाँ अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बहुत ही लोकप्रिय रहे। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्णयुग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल माना गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ0 ए0 के मित्तल – मध्यकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास।
2. एल0पी0 शर्मा – मुगलकालीन भारत।
3. डॉ0 श्याम बिहारी अग्रवाल – भारतीय चित्रकला का इतिहास (मध्यकालीन)।
4. डॉ0 वी0एस0 भार्गव – मुगलकालीन भारत।
5. श्री बी0एन0 लुणिया – मुगलकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास।
6. डॉ0 लोकेश चन्द्र शर्मा – भारत की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास।

****

Impact Of Ashrama Schools On Tribal Girls Education In Karnataka - Social Work Perspective

Dr. Usharani B.*

Abstract - Education is the important pillar to every human being to understand his self-esteem. When we compare to urban and rural people, tribal who are living in remote and isolated area, it is quite difficult to reach basic formal education system. Providing education is not just bringing changes and development in the tribal area, it also benefits for the society. This study is based on both primary and secondary data, Chikmagaluru and Chamarajanagara districts of karanataka state will be selected as research study area. The present study describes the gender disparity on education among the tribes; the study needs to trace the tribal girl's enrolment in the Ashrama Schools. It tries to highlights the role of NGOs & Government interventions through their encouragement for tribal culture like folk dance, folk songs & unique cultural practices, because schools are not only centre for learning, but also theatre for cultural activities. The major results of the research study will be evidence for main causes for girl children school dropouts and present barriers for perform cultural practices. Therefore, the Government of Karnataka should think seriously about the process of formal education systems especially for tribal girls, separate Ashrama schools for tribal girls and very important suggestions as more awareness programmes, action plans, research activities should be organised through the Social work interventions.

Key Words - Tribal Girls, Ashrama Schools, Social Work Interventions, NGOs, Enrolment, School Dropouts.

Introduction - The Ashram schools have played an important role in raising the literacy levels of the scheduled Tribes. They provide the necessary environment conductive to learning. Education has a marked influence on the future of an individual; hence, education is often called the key to bright future. An individual who has acquired higher education will also have higher occupational aspirations. In Indian history, we find that the upper castes have benefited with the help of education, but lower castes and tribes lagged behind socially, economically, culturally because they were denied the benefits of education until recently.

Education is one of the primary agents of transformation towards development. Education is in fact, an input not only for economic development of tribes, but also for inner strength of the tribal communities, which helps them in meeting the new challenges of life. It is the single most important means by which individuals and society can improve personal endowments, build capacity levels, overcome barriers, and expand opportunities for a sustained improvement in their wellbeing. Professor Amartya Sen recently emphasized education as an important parameter for any inclusive growth in an economy. But the tribes lag behind not only the general population, but also the Scheduled Caste population in literacy and education (Manjunatha B.R & M R Gangadhar 2018)

The male-female gap in literacy and educational attainment among the scheduled tribes is significant. Education, especially in its elementary form, is considered of utmost importance to the tribals because it is crucial for total development of tribal communities and is particularly helpful to build confidence among the tribes to deal with outsiders on equal terms. Despite the sincere and concerted efforts by the government for the overall development, but they are not able to participate in the process of development, as they are not aware of most of the programs and policies made for their upliftment. This is mainly due to the high incidence of illiteracy and very low level of education among the tribal people. (Sahu, 2014)

Government planners see education as indispensable for helping tribal peoples cope with national integration. Compared with the literacy rates of 73.00% for the general population, literacy among tribal peoples in India is at most 59%. As per 2011 Census, literacy rate for STs in India improved from 47.1% in 2001 to 59% in 2011. Among ST males, literacy rate increased from 59.2% to 68.5% and among ST females, literacy rate increased from 34.8% to 49.4% during the same period. Literacy rate for the total population has increased from 64.8% in 2001 to 73% in 2011. Thus, there is a gap of about 14 percentage points in literacy rate of STs as compared to the all India literacy rate. ST female literacy rate is lower by 15 percentage points as compared to overall female literacy rate in 2011. The Union and the state governments have spent considerable

*Guest Faculty (Social Work) Kuvempu University, Shivamogga (Karnataka) INDIA

sums of money for tribal children education, but the results are meager. (Census of India, 2011)

Statement of the Problem - The nature and extent of the Ashrama schools are varies from place to place, region to region and within a tribe region from one social group to another. While researching the problem, the specific context must be considered. The problem of gender disparity in tribal education is discussed in the context of tribal girl children.

Research Questions -

1. What are the challenges hindering for tribal girl education in Karnataka?
2. Whether there is any impact of Ashram Schools on tribal girl education?
3. What are the actionable suggestions to solve these problems?

Objectives of the Study -

- To describes the gender disparity on education among the tribes
- To study the needs to trace the tribal girl's enrolment in the Ashrama Schools
- To tries to highlights the role of NGOs & Government interventions

Methods of the Study - The present study is based on primary data collected from 100 sample households from tribal settlements in Menasinahadya, Chikmagalur district, 10 Tribal settlements of Gundlupet taluk of Chamarajanagara district. Following the purposive sampling method. A schedule is used to collect data and used Interview, observation, group discussion methods.

Review of Literature - Kabita Kumari (2014) examined challenging issues of tribal education in India with the help of literacy rate, enrolment ratio and drop-out rates. Study reveals that there is increasing tendency of tribal literacy rates from 1961 to 2011 (8.54 per cent to 63 per cent). There is increase in the Gross Enrolment for the classes I to V but there is slow increase in the girls' enrolment ratios. The study suggests that, appointment of sufficient teaching faculty, awakening the tribal parents, focusing on female education and giving importance for higher education will serve objectives of tribal education.

Saraswati (2016) analysed the educational status of tribal community with the help of literacy rate. The paper highlighted the challenging issues of tribal education in Odisha. The Central and State Governments are initiated various education supportive measures like establishment of Ashram Schools, Ekalavya Model Residential Schools and Pre Matric and Post Matric scholarships etc. if these facilities fully available to needy tribal students ,then there will be increase in the educational status of tribal children.

Result and Discussions - The literacy rate of STs in Karnataka is a cause for concern, as it has consistently been lower than that of the total population. Among ST population in 1991, the highest literacy rate across districts was recorded in Dakshina Kannada district with 62.70 per cent and the lowest literacy rate was in Raichur district with 14.40 per cent, indicating a difference of 48.30 per cent points. This difference got reduced to 43.94 per cent during 2001. The highest literacy rate during 2001 was seen in same district as that of in 1991 i.e., Dakshina Kannada district with improvement of 10.25 per cent in 2001. Similarly the lowest literacy rate was also seen in the same district as that of in 1991 i.e., Raichur district with improvement of 14.61 per cent in 2001. During the period 1991-2001, the highest gain or improvement in literacy rate among ST population was recorded in Chitradurga district with improvement of 29.83 per cent points. It was followed by Uttar Kannada and Bidar district with 27.64 and 19.48 per cent respectively. Similarly the lowest gain in literacy rate during this period among ST population was seen in Bijapur district with just 1.89 per cent points.

Profile of the girl children attending school - Majority of the children belonged to nuclear families and very few children belonged to joint family which might be due to migration of the people from one area to other area. Regarding education most fathers were illiterate and very few of them were educated up to secondary school level where as all mothers were illiterates.

Perceptions of girl children about ashrama school restrictions in education - Results revealed that majority of the children frequently faced problems with lack of teachers in schools and sixty percent of the children were of the opinion that teachers were not showing interest in teaching. These findings can be strengthened by a study which revealed that good teaching requires careful planning of contents and experiences. It is clear from the results that more than one third of the girls expressed about lack of interest in studies, which might be due to more interest in traditional activities than studies. One third of the girls and very few boys perceived that their parents have negative attitude towards education.

Community restrictions as perceived by tribal girl children - The results indicated that less number of girl children were attending to high school which might be due to this is age of girls to attaining physical maturation, so parents and society also raise objection to sent the girls to school after maturation.

Social work intervention to tribal education - Social workers in India are faced with an extremely diverse reality. The interplay of social, cultural, economic, political and even geographical factors presents an extraordinarily complex context to engage with. Factors such as ethnicity, tribe, region, caste and religion greatly influence the culturo-historical and socio-political contexts often constructing intersections of realities that are difficult to decipher. India has more than two thousand ethnic groups with many more subgroups.

Major findings drawn from the above study are as follows -

- Majority of the girls were helping parents in household activities and some of them were working as child labour and one third of the girls were engaged in animal

grazing and as self-entrepreneurs like tailoring and beedi making.

- Majority of the parents perceived that education is not necessary for girls and there is no immediate gain from education.
- Majority o the girl children perceived that they faced problems with lack of parental support for education to, help mother in animal care and for participation in agricultural work.

Impact of Ashram Schools on Tribal girl education - In Karnataka, Ashram Schools provide free boarding and lodging facilities to the students and provide conducive educational environment. Tribal parents cannot afford present costlier education and they send their children to work which fulfil the objective of division of labour. Poverty is the major factor contributes to their educational backwardness. The tribal parents whose children study in Ashram Schools would be engage in agriculture or traditional activities, which will not support them to provide better education. Expenditure on these put economic pressures on poor tribal parents, such poor children could join Ashram Schools and absorb better education with lodging and fooding facilities at the free of cost under one roof.

Conclusion - The Ashram schools have played an important role in raising the literacy levels of the scheduled Tribes. They provide the necessary environment conductive to learning. Nevertheless, now a day there is no concern about girl child and her learning process in schools system is out of discuss. Girl child is treated as homemakers and helper to their parents. There is need to give priority in her development process. In Karnataka there is number of Ashrama schools for girl children, but there is no proper awareness to parents to admit their girl children to those ashrama schools. It's a big duty of our social worker with apply of social work intervention and group work, case work, community organisation and research methods should give awareness and support to tribal people for better future.

References :-

1. Govt. of India (2011). 2011 Census Report. New Delhi: Office of the Registrar General & Census Commissioner.
2. Mehta, B. 1952. Historical Background of Social Work in India. Indian Journal of Social Work , Vol.13(1). Pp. 1–14. Moorthy, M. 1961. Contemporary Fields of Professional Social Work in India. Indian Journal of Social Work. Vol.22(1). Pp. 65–68.
3. Sahu, K. K. (2014). A Case study on the School dropout Scheduled Tribal students of Wayanad. Journal of Economics and Finance, 3 (2), 48-52.
4. Pradhan, N. (2001). Problem of educating children in tribal communities. Journal of Indian education, XXVII (2).
5. Tata Institute of Social Sciences. 2012. Masters Degree Programme Prospectus 2012-2014, TISS Publication

****

एच.आई.वी/एड्स के प्रति युवा विद्यार्थियों में जनजागरूकता का समग्र अध्ययन(इन्दौर नगर में निवासरत एड्स पीड़ित महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सुधा सिलावट * डॉ. त्रिपत कौर चावला ** सुमन सिंह ***

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधपत्र में वर्तमान समय की सबसे गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभर रही एच.आई.वी. संक्रमण/एड्स के प्रति जनजागरूकता का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शोध अध्ययन कार्य सपन्न किया गया है। इसके लिए इन्दौर नगर के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत युवा विद्यार्थियों का चयन देव निर्दशन विधि की लाटरी पद्धति से किया गया है। एड्स होने के कारण, प्रभाव, निवारण उपायों के विषय में क्रमबद्ध जानकारियाँ, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त की गई है। शासन द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से युवा विद्यार्थी कुछ ज्ञान एवं उपलब्धियाँ भी हासिल कर रहे हैं या नहीं, इन्हीं विशेष बिन्दुओं को ध्यान में रखकर यह शोध कार्य पूर्ण किया गया है। अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करते हुए, युवा विद्यार्थियों द्वारा इस विषय पर बात न करने की संकुचित मानसिकता के साथ ही चौंकाने वाले निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, जो एड्स के प्रति चलाए जा रहे जनजागरूकता कार्यक्रमों पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

'डरना नहीं संभलना होगा, अब एड्स से बचना होगा।' – (नाको – नेशनल एड्स कन्ट्रोल आर्गेनाइजेशन)

प्रस्तावना – मानव अपनी सभ्यता–संस्कृति के विकास का स्वयं ही पर्याय है। मानवीय सभ्यता के इतिहास में मानव ने कई तरह की त्रासदियों को सहा है। मसलन भूकंप, युद्ध, महामारी, ज्वालामुखी का फटना, सूखा बाढ़, सुनामी आदि। वर्तमान में मानव इन त्रासदियों पर तो कुछ हद तक नियंत्रण पा चुका है परन्तु मनुष्य ने कभी भी एड्स जैसी रहस्यमय बीमारी की कल्पना भी नहीं की थी, जिससे वर्तमान में मनुष्य अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही प्रयासरत है। एड्स ने मनुष्य की अगली पीढ़ी के उदय पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार एड्स पर काबू नहीं पाया गया तो यह महामारी धरती से मानव जाति का अस्तित्व हमेशा–हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एड्स अर्थात् एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिण्ड्रोम अर्थात् रोग प्रतिरोध शक्ति में कमी के कारण उत्पन्न हुए रोगों को समूह। आज जहाँ हम विकास की प्रत्येक सीमा पर पार कर रहे हैं। शिक्षा का बढ़ता उच्च स्तर, यौन स्वच्छंदता, लीव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह, युवाओं में सेक्स को लेकर बढ़ता आकर्षण, एड्स रूपी सामाजिक समस्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।[1] आज ज्यादातर युवाओं में विवाह के पूर्व सेक्स संबंध स्थापित करना सामान्य बात हो गई है। देह व्यापार बड़ी सरलता एवं सहजता से फैल रहा है। यही स्थान एड्स के विकास के प्रमुख केन्द्र बिन्दु माने गए हैं। एड्स की बीमारी विकासशील देशों भारत, अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इण्डोनेशिया आदि से तेजी से फैल रही है। यहाँ का गरीब अशिक्षित, मजदूर वर्ग अभी तक एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से पूर्णरूपेण परिचित नहीं है। इसी कारण से युवा वर्ग एड्स की चपेट में बड़ी तेजी से आ रहा है। आज समाज का उत्पादक आयु वर्ग (24–43 वर्ष) के लोग एड्स से अधिक संक्रमित हो रहे हैं। एड्स होने के कारण, प्रभाव एवं निवारण उपायों का विस्तृत अध्ययन इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुय इन्दौर नगर के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् युवा विद्यार्थियों की एड्स के प्रति जनजागरूकता का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यावहारिक शोध अध्ययन कार्य सम्पन्न किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. महाविद्यालयीन अध्ययनरत् विद्यार्थियों की एड्स संबंधी जानकारियों का अध्ययन करना।
2. एड्स रोकने हेतु उपायों का अध्ययन करना।
3. महाविद्यालयीन रेड रिबन क्लब गठन हेतु जानकारी प्राप्त करना।
4. समस्या के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र – इस अध्ययन हेतु म.प्र. के इन्दौर महानगर के चार शासकीय महाविद्यालयों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है।

अध्ययन की ईकाई – चयनित चार शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थियों का चयन अध्ययन की ईकाई के रूप में किया गया है।

शोध निदर्शन प्रक्रिया – शोध अध्ययन केन्द्र हेतु इन्दौर नगर के चार शासकीय महाविद्यालयों का चयन किया गया है। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों में अध्ययन सभी युवा विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थियों का चयन दैव निदर्शन पद्धति (लॉटरी विधि) से किया गया है। प्रत्येक महाविद्यालय से 15–15 विद्यार्थियों का चयन अध्ययन की ईकाई के रूप में किया गया है।

समंक संकलन के स्त्रोत – इस शोध अध्ययन के लिए समंकों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से किया गया है। चयनित विद्यार्थियों से साक्षात्कार अनुसूची भरकर प्राथमिक समंकों का संकलन किया गया है, वहीं द्वितीयक समंकों का संकलन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, रिसर्च

* प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, राऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्रोफेसर, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
*** शोधार्थी (समाजशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

जर्नल्स, शोध आलेख, रिपोर्टस, प्रतिवेदनों, शोध समीक्षकों, ए.आर.टी. सेन्टर, मेडिकल कॉलेज, शासकीय चिकित्सालय से प्राप्त आँकड़ों से संग्रहण किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्ल षण – उद्देश्यों के अनुसार अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है –

1. एड्स क्या है – अध्ययनित शोध विद्यार्थियों से एड्स क्या है ? इस विषय पर जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त अभिमतों को तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक–1 एड्स क्या है, संबंधी जानकारी तालिका

क्र.	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एक बीमारी है	42	70
2	बिमारियों का समूह है	9	15
3	रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी	3	5
4	ज्ञात नहीं	6	10
	कुल योग	60	100

तालिका क्रमांक–1 के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 70 प्रतिशत विद्यार्थी एड्स को एक बीमारी मानते हैं, जबकि वास्तव में यह रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी के कारण उत्पन्न हुए रोगों का समूह है। निष्कर्ष महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में एड्स संबंधी प्राथमिक जानकारी का ही अभाव है।

2. एड्स व एच.आई.वी. में अंतर – शोध अध्ययन के दौरान उत्तरदाता विद्यार्थियों से एड्स व एच.आई.वी. में अंतर संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त निष्कर्ष तालिका क्रमांक–2 में दर्शाये गये हैं–

तालिका क्रमांक–2 एड्स व एच.आई.वी. में अंतर संबंधी तालिका

क्र.	अंतर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	ज्ञात है	9	15
2	ज्ञात नहीं है	51	85
	कुल योग	60	100

तालिका क्रमांक–2 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 85 प्रतिशत महाविद्यालयीन युवा अध्ययनरत् विद्यार्थी एड्स व एच.आई.वी. में अंतर नहीं जानते हैं। निष्कर्षत: विद्यार्थियों में एच.आई.वी. संक्रमण/एड्स से संबंधित सही जानकारी का अभाव है।

3. एड्स होने के प्रमुख कारण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों से एड्स होने के प्रमुख कारणों संबंधी जानकारी को प्राप्त किया गया। इस संबंध में प्राप्त अभिमतों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका क्रमांक–3 एड्स होने के प्रमुख कारणों को दर्शाती तालिका

क्र.	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	यौन संबंधों से	42	70
2	संक्रमित रक्त से	9	15
3	गर्भस्थ माता से अजन्मे शिशु को	0	0
4	संक्रमित सुईयों के उपयोग से	3	5
5	ज्ञात नहीं	6	10
	कुल योग	60	100

तालिका क्रमांक–3 के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 70 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो यौन संबंधों को एड्स होने का प्रमुख कारण मानते हैं। यह सही भी है क्योंकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी असुरक्षित यौन संबंध को ही एड्स की बीमारी फैलाने वाला प्रमुख कारण माना गया है।

4. एड्स का मानव शरीर पर प्रभाव – महाविद्यालयीन अध्ययनरत युवा विद्यार्थियों से एड्स का मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त निष्कर्षों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक–4 एड्स का मानव शरीर पर प्रभाव दर्शाती तालिका

क्र.	प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1	तुरन्त होता है	54	90
2	5–8 वर्ष बाद होता है	6	10
	कुल योग	60	100

तालिका में प्राप्त अभिमत से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 90 प्रतिशत युवा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को यह जानकारी नहीं है कि एड्स का प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि 5 से 8 वर्षों के दौरान धीरे–धीरे होता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट करता जाता है जिसके परिणामस्वरूप शरीर में अन्य बीमारियों का संक्रमण तेजी से होता है। निष्कर्षत: विद्यार्थियों के पास एड्स का प्रभाव संबंधी जानकारियों का अभाव है।

5. एड्स रोकने हेतु उपाय – शोध अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों से एड्स को रोकने हेतु उपायों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त अभिमतों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक–5 एड्स रोकने हेतु उपायों को दर्शाती तालिका

क्र.	उपाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव	48	80
2	नशीली सुईयों को प्रयोग नहीं	0	0
3	गर्भावस्था में जाँच तथा उपचार	3	5
4	सुरक्षित रक्त उत्पादों का प्रयोग	3	5
5	ज्ञात नहीं	6	10
	कुल योग	60	100

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव को एड्स रोकने का प्रमुख उपाय मानते हैं। नशीली संक्रमित सुईयों से भी एड्स फैलता है। यह तथ्य कोई भी विद्यार्थी नहीं जानता है। 10 प्रतिशत विद्यार्थी एड्स रोकने के किसी भी उपाय को नहीं जानते हैं। शिक्षित लोगों से प्राप्त एड्स संबंधी यह तथ्य एक चिंतनीय बिन्दु है। निष्कर्ष: एड्स से बचाव संबंधी सुरक्षा उपायों के विषय में जानकारियों का अभाव है।

6. महाविद्यालयीन रेड रिबन क्लब गठन – अध्ययनरत शोध विद्यार्थियों से उनके महाविद्यालय में गठित रेड रिबन क्लब के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक–6 महाविद्यालयीन रेड रिबन क्लब गठन संबंधी तालिका

क्र.	जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	है	15	25
2	नहीं	45	75
	कुल योग	60	100

तालिका में अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 75 प्रतिशत महाविद्यालयीन युवा विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब गठन संबंधी जानकारी नहीं है। यह एक चौकाने वाला निष्कर्ष तथ्य है। शोध अध्ययन के दौरान महसूस किया गया कि विद्यार्थी एड्स विषय पर बात करने से कतराते हैं, संकोच करते हैं।

अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष –

1. महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में एड्स क्या है, संबंधी प्राथमिक जानकारी

का ही अभाव है।

2. महाविद्यालयीन विद्यार्थी एड्स व एच.आई.वी. संक्रमण में अंतर नहीं जानते हैं।
3. सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने असुरक्षित यौन संबंधों को एड्स होने का प्रमुख कारण माना है।
4. 90 प्रतिशत युवा उत्तरदाता विद्यार्थियों को यह जानकारी नहीं है कि एड्स का प्रभाव मानव शरीर पर कब, कहाँ और कैसे होता है।
5. सर्वाधिक 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एड्स रोकने हेतु असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव को सबसे प्रमुख उपाय स्वीकार किया है।
6. महाविद्यालयों में अध्ययनरत 75 प्रतिशत युवा विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब गठन संबंधी जानकारियाँ नहीं है।

समस्याऐं एवं सुझाव – एड्स विषय पर प्रस्तुत इस शोध अध्ययन कार्य के दौरान शोधार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा है। एड्स विषय पर बात करने से युवा लड़के और लड़कियों दोनों ही कतराते हैं। भारतीय सामाजिक संचरना, सांस्कृतिक मूल्य और प्रतिमानों की दुहाई देते विद्यार्थी खुले तौर पर यौन रोग या यौन संबंधी बीमारी विषय पर बात नहीं करना पसंद करते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु प्रमुख सुझाव निम्न हैं –

1. यौन शिक्षा तथा एड्स विषय संबंधी ज्ञान स्कूली स्तरों से ही युवा विद्यार्थियों को देने की परम आवश्यकता है।
2. डरना नहीं संभलना होगा, अब एड्स से बचना होगा, संबंधी जानकारियों का प्रचार प्रसार जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तरों पर करना ही होगा।
3. माता–पिता, भाई–बहन अन्य रिश्तेदारों को भी अपने युवा सदस्यों में इस विषय पर सुरक्षा व बचाव संबंधी स्वस्थ चर्चा किए जाने की अविलंब शुरूआत की जानी चाहिए।
4. शर्म, संकोच, लोग क्या कहेंगे की मानसिकता को छोड़कर युवा विद्यार्थियों को एड्स जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में बड़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
5. शासन, प्रशासन एवं गैर सरकारी संगठनों को भी एड्स संबंधी कार्यक्रमों, शिविरों, संगोष्ठी, विचार विमर्श कार्यक्रमों में युवाओं की सहभागिता को केन्द्र बिन्दू बनाना चाहिए।
6. समाज की मानसिकता में परिवर्तन हेतु युवाओं को आगे आना होगा तथा एड्स से बचाव, सुरक्षा हेतु इस विषय पर अत्यधिक प्रचार–प्रसार करने में अपनी सहभागिता दर्ज करानी होगी क्योंकि आने वाला राष्ट्र का भविष्य युवाओं पर ही निर्भर है।
7. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्कूली शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यूनिसेफ, डब्ल्यु. एच.ओ. गेट्स फाण्डेनशन) आदि सभी को मिलजुलकर समन्वित एवं संगठित प्रयास करने की परम आवश्यकता है, तभी एड्स रूपी सामाजिक समस्या का जड़ मूल से उन्मूलन संभव हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जैन, डॉ. लाल एवं वशिष्ठ डॉ. के.सी. – शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, उपकार प्रकाशन, आगरा–2।
2. सिंह, डॉ. एम.एम. – एड्स तथा आधुनिक समाज, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7।
3. रायजादा, डॉ. अजीत – हमारा इन्दौर, कार्यालय आयुक्त, पुरात्व एवं संग्राहलय, म.प्र. भोपाल–1982।
4. शर्मा, अमित कुमार – वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती गंभीर समस्या एड्स, लघु शोध प्रबंध, समाजशास्त्र (उत्तरार्द्ध) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
5. आपटे, श्री प्रदीप – काया और एड्स एक अंतयुर्द्ध – इन्दौर फाउण्डेशन का फॉर एड्स रिसर्च।
6. चाँदेकर, डॉ. रमेश – सामाजिक अनुसंधान – सत प्रकाशन संचार केन्द्र, इन्दौर।
7. रोजगार और निर्माण – 06/04/2009 से 12/04/2009 पृष्ठ क्र. 24
8. सिविल सर्विसेस क्रॉनिकल, मार्च 2018, समसामयिकी – 2010 पृष्ठ क्र. 152
9. नईदुनिया समाचार पत्र – शनिवार, 27 नवंबर 2010, भारत में बढ़ता एड्स का खतरा।
10. मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से प्राप्त अध्ययन सामग्री।
11. भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी – स्पेक्ट्रम प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण, 2010।
12. आहूजा, राम – सामाजिक समस्याऐं – एड्स, पृष्ठ 456 से 470, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
13. रेड रिबन एक्सप्रेस विशेषांक – महानगर इन्दौर, नईदुनिया विशेषांक, 14 सितंबर 2007, पृष्ठ क्रमांक 05
14. विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य शासकीय एवं अशासकीय संगठनों की रिपोर्ट्स।
15. ूण्दंबवण्वतहणूूण्नदंपकेण्वतहणूूउचेंबेइण्वतहण सहित कम्प्यूटर इंटरनेट पर उपलब्ध विषय संबंधी अध्ययन सामग्री।
16. दीक्षित, नुपुर – विंडो पीरियड ब्लड ट्रांसफर में हो सकता है, एड्स, पत्रिका समाचार पत्र, इन्दौर।
17. गुप्ता, प्रो. एम.एल., शर्मा, डॉ. डी.डी. – समाजशास्त्र एक अध्ययन, सामाजिक समस्याऐं, एड्स साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, संस्करण–2017, पृष्ठ क्र. 737
18. सारस्वत, डॉ. ऋतु – एड्स की रोकथाम में मानवाधिकार एक सफल प्रयास, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, अंक–दिसंबर 2007, पृष्ठ क्र. 04

****

सामाजिक संबंधों पर मोबाइल फोन की भूमिका का अध्ययन

डॉ. अहिल्या तिवारी *

शोध सारांश – किसी भी स्थान एवं किसी भी समय किसी से भी संपर्क करना मोबाइल फोन के द्वारा ही संभव हो सकता है। माता-पिता के प्रति कर्तव्य, भाई-बहनों के लिए एक सलाहकार, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, पति-पत्नि के लिए विश्वास एवं रिश्तेदारों के कुशलता की जानकारी, ये सभी भूमिका मोबाइल फोन के द्वारा ही आसानी से निभाए जाते हैं।

प्रस्तावना – भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है, सामाजिक संबंधों में मजबूती का होना। विश्व में भारत सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं निभाने के लिए प्रसिद्ध है और यह संबंध बनाने एवं निभाने की परंपरा सदियों से भारत की विशेषता रही हैं। सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ एवं सामाजिक संस्कृतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक संस्था में विवाह एक ऐसी संस्था है, जो विभिन्न रिश्तों का निर्माण करती है तथा उन रिश्तों को सामाजिक रूप से निभाने का उत्तरदायित्व भी सिखाती हैं। इसी प्रकार संस्कृतियों में अभौतिक संस्कृति के साथ ही भौतिक संस्कृति भी सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता लाने में सहायक होती है। इसी भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत एक नाम आता है, मोबाइल फोन का जो वर्तमान में सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केरी स्टार्फिंग (2007)[1] ने अपने अध्ययन में बताया कि मोबाइल फोन पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों को मजबूत एवं अटूट बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। मोबाइल फोन संबंधों को बेहतर बनाने में उपयोग किया जाने वाला दूरभाषी यंत्र हैं। मोबाइल सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में एवं अपने अनुभवों को बांटने में भावनात्मक मदद करता हैं। के.पी. श्रीवास्तव (2005)[2] के अनुसार मोबाइल फोन का उपयोग एक व्यक्ति को सामूहिक समर्थन एवं सामाजिक पहचान दिलाने में मदद करता है। मोबाइल फोन सामाजिक संबंधों के द्वारा हमारे परिवारिक एवं व्यक्तिगत संबंधों में सुधार करता है एवं सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता हैं।

मोबाइल फोन दूर-दराज के रिश्तेदारों से संपर्क बनाने एवं उनसे मानसिक एवं भावात्मक रूप से जुड़े रहने में मदद करता है। परिवार के सदस्यों से समय-समय पर सलाह लेना एवं देना दोनों मोबाइल फोन के कारण सरल हो गया है। बोल्टन (2006)[3] एवं स्टीव जॉब्स (2012)[4] ने बताया है कि मोबाइल फोन समय के साथ चलने एवं परिवार के सदस्यों से सामाजिक रूप से जुड़े रहने में मदद करता है। डेविड (2012)[5] ने बताया कि मोबाइल फोन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन का एक विकसित परिणाम है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया ने सामाजिक संबंधों में भी बदलाव किया है। आज के परिवेश में हमारे पास सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए कम समय है, इस कमी को दूर करने के लिए मोबाइल फोन महत्वपूर्ण संचार तकनीकी में आता है।

अध्ययन का उद्देश्य – सामाजिक संबंधों पर मोबाइल फोन की भूमिका का अध्ययन करना।

उत्तरदाताओं का चयन – शोध अध्ययन हेतु रायपुर नगर का चयन किया गया है और रायपुर नगर से न्यादर्श के रूप में 250 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

मोबाइल फोन का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव – मानवीय संबंध जटिलताओं से परिपूर्ण होता है। हर मनुष्य में क्रोध, ईष्या एवं लालच का कुछ न कुछ अंश मौजूद रहता है, जो संबंधों पर प्रभावी होते है। संबंधों को बनाना सहज है क्योंकि कुछ संबंध प्रकृति प्रदत्त होते है, तो कुछ अर्जित होते हैं किन्तु संबंधों को बनाए रखना कठिन होता है। आधुनिक सुविधा के साधन संबंधों को बनाने में कम लेकिन बिगाड़ने में अधिक सहायक होते है।

मोबाइल फोन भी सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार लोग इतने नजदीक पहले कभी नहीं थें जितने की आज है। बढ़ती संचार व्यवस्थाओं ने जिसमें मोबाइल फोन का नाम पहले आता है, सामाजिक दूरियों को कम कर दिया हैं।

उत्तरदाताओं द्वारा इस संबंध में प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका क्रमांक – 1

मोबाइल फोन का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव

क्रं.	सामाजिक संबंधों प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	संबंधों में दूरियाँ	78	31.2
2.	संबंधों में नजदीकियाँ	172	68.8
	योग	250	100

उपरोक्त तालिका में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 68.8 प्रतिशत उत्तरदाता मोबाइल फोन के कारण सामाजिक संबंधों में नजदीकियाँ होना मानते हैं, किन्तु 31.2 प्रतिशत उत्तरदाता मोबाइल फोन के कारण सामाजिक संबंधों में दूरियों का उत्पन्न होना मानते हैं।

सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मोबाइल फोन की भूमिका – मोबाइल फोन सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोबाइल फोन ही वह साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज एवं परिवार के प्रत्येक कार्य क्षेत्र से जुड़ा रहता हैं, विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों की जानकारी मोबाइल फोन से तत्काल प्राप्त हो जाती है। हमारे विभिन्न

* सहायक प्राध्यापक, अध्यापक शिक्षा संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

संबंध मोबाइल फोन की ही देन होती है। बच्चों के स्कूल के प्राचार्य से हमारा संबंध मधुर है, लेकिन हमारी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, केवल मोबाइल फोन से ही समय-समय पर बात होती रहती है। इसी प्रकार के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं।

उत्तरदाताओं द्वारा मोबाइल फोन सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सहायक है, इस संबंध में प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :-

तालिका क्रमांक - 2

सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मोबाइल फोन की भूमिका

क्रं.	मोबाइल फोन की भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सहयोगात्मक	185	74
2.	असहयोगात्मक	65	26
	योग	250	100

तालिका क्रमांक 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मोबाइल फोन को सामाजिक संबंधों के लिए सहयोगात्मक बताया तथा 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मोबाइल फोन को सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में असहयोगात्मक भूमिका के रूप में बताया।

सहयोगात्मक भूमिका का स्वरूप - सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मोबाइल फोन विभिन्न प्रकार से सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। मोबाइल फोन से जहाँ अपनत्व की भावना का विकास होता है, वहीं विभिन्न प्रकार के कार्यों के सम्पादन में भी अछूता नहीं है, साथ ही साथ वर्तमान में यह सुख-दुख में व्यक्ति को मानसिक सबल प्रदान करता है। चूंकि व्यक्ति हमेशा सब के साथ रहें यह संभव नहीं है, ऐसी दशा में देश-दुनिया से जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने में सहयोगात्मक भूमिका निभाता आ रहा है।

इस संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा एकत्र आंकड़ों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 2.1

सहयोगात्मक भूमिका का स्वरूप

क्रं.	सहयोगात्मक भूमिका का स्वरूप	आवृत्ति N=185	प्रतिशत
1.	सामाजिक क्रियाकलापों की जानकारी से	67	36.2
2.	हर क्षण पारिवारिक सदस्यों से बात द्वारा	56	30.2
3.	कठिन परिस्थितियों में सहायक बनकर	22	11.9
4.	विचारों का आदान-प्रदान द्वारा	40	21.7
	योग	185	100

तालिका क्रमांक 2.1 में मोबाइल फोन के सामाजिक संबंधों पर सहयोगात्मक भूमिका संबंधी उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 36.2 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात की पुष्टि करते हैं, कि मोबाइल फोन सामाजिक क्रियाकलापों की जानकारी दे कर सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। 30.2 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोबाइल फोन के द्वारा हर क्षण पारिवारिक सदस्यों से संपर्क होने से सामाजिक संबंधों में सहयोगात्मक भूमिका निभाता है।

21.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि विचारों के आदान-प्रदान में मोबाइल फोन सहयोगात्मक भूमिका निभाकर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाता है, 11.9 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मोबाइल फोन कठिन परिस्थितियों में संबंधियों के सहायक बनकर सहयोगात्मक भूमिका निभाता है।

असहयोगात्मक भूमिका का स्वरूप - सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में जहाँ मोबाइल फोन सहयोगात्मक भूमिका निभाता है, वहीं पर कुछ मामलों में मोबाइल फोन असहयोगात्मक भूमिका निभाने में भी पीछे नहीं है। असहयोग की भावना असंतुष्टि के कारण उत्पन्न होती है। मोबाइल फोन पर अधिक समय तक किसी से बात करना या किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी असहयोग की भावना को जन्म देता है।

अवकाश के दिन जब व्यक्ति को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए तब भी वह दिन भर मोबाइल फोन पर घंटों समय व्यतीत करता है, जो सामाजिक संबंधों के लिए अहितकर है। सामाजिक संबंध मोबाइल फोन से नहीं अपितु सामाजिक मेल-मिलाप से बनता है।[27]

मोबाइल फोन किस प्रकार से सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में असहयोगात्मक भूमिका निभाता है, इस संबंध में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है -

तालिका क्रमांक - 2.2

असहयोगात्मक भूमिका का स्वरूप

क्रं.	असहयोगात्मक भूमिका का स्वरूप	आवृत्ति N=65	प्रतिशत
1.	अधिक उपयोग से रिश्तों में कड़वाहट	21	32.3
2.	गलतफहमियों के द्वारा	25	38.4
3.	अगोपनियता	12	18.4
4.	मानसिक तनाव द्वारा	7	10.9
	योग	65	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 38.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मोबाइल फोन से उत्पन्न गलतफहमियों को सामाजिक संबंधों के लिए नुकसान दायक बताया।

32.3 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि मोबाइल फोन का अधिक उपयोग सामाजिक संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न करके असहयोग की प्रवृत्ति को जन्म देता है। 18.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मोबाइल फोन सामाजिक संबंधों में कुछ गोपनीय बातों को उजागर करने के कारण सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है, जिससे सामाजिक संबंधों में असहयोगात्मक रूप देखने को मिलता है तथा शेष 10.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मोबाइल फोन मानसिक तनाव उत्पन्न करता है।

मोबाइल पर बातचीत से पारिवारिक सदस्यों की प्रतिक्रिया - किसी भी कार्य को करने के बाद प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक है। प्रतिक्रिया ही कार्य की परख को दर्शाता हैं। मोबाइल फोन पर बात करने के बाद पारिवारिक सदस्यों के द्वारा प्रतिक्रिया किया जाना स्वाभाविक है। कुछ सदस्य खुश रहते है, तो कुछ नाराज रहते है या फिर तटस्थ रहते है।

मोबाइल फोन से वार्ता जब सीमित एवं लाभकारी हो तो खुश होना उचित है किन्तु मोबाइल फोन पर व्यस्त होने से अन्य सदस्यों या अन्य आवश्यक कार्यों की उपेक्षा करने पर पारिवारिक सदस्यों का नाराज होना सही लगता है। कभी-कभी तटस्थ रहना भी अपने आप में संतोष प्रदान करता है। मोबाइल फोन से बात करने से पारिवारिक सदस्यों की प्रतिक्रिया ही पारिवार की अहमियत को दर्शाता है। हमें प्रोत्साहित करता है कि मोबाइल

फोन के अलावा भी कुछ आवश्यक है, जो मोबाइल फोन से भी ज्यादा करीब हो।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं से इस संबंध में प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक – 3

मोबाइल पर बातचीत से पारिवारिक सदस्यों की प्रतिक्रिया

क्रं.	सदस्यों की प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	खुश रहना	75	30
2.	नाराज होना	15	6
3.	तटस्थ रहना	160	64
	योग	250	100

उत्तरदाताओं से मोबाइल फोन के प्रति पारिवारिक सदस्यों की प्रतिक्रिया संबंधित संकलित तथ्यों से स्पष्ट हैं कि 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्य तटस्थ रहते हैं, 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्य खुश रहते हैं, शेष 6 प्रतिशत उत्तदाताओं के पारिवारिक सदस्य उनके मोबाइल फोन पर बात करने से नाराजगी जाहिर करते हैं।

निष्कर्ष – निष्कर्ष स्वरुप कहा जा सकता है कि मोबाइल फोन सामाजिक संबंधों में नजदीकियाँ लाता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आवश्यक है कि हम अपने संबंधों को जिम्मेदारी से निभाए। मोबाइल फोन सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। देश को एकसूत्र में बाँधने के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी सदस्यों में एकता स्थापित हो और सहयोग की भावना हो। सहयोग से ही हम अपने कार्य को बखूबी संपादित कर सकते हैं और समाज में अपनी भूमिका एवं प्रस्थिति दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि उनके मोबाइल फोन में बात करने से उनके परिवार के सदस्य ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि मोबाइल फोन हमारे समाज में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और हमारे सामाजिक संबंधों को और भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

सुझाव –

1. मोबाइल फोन का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि सामाजिक संबंधों की अपेक्षा न हों ।
2. मोबाइल फोन को रिश्तों से अधिक प्राथमिकता नहीं देना चाहिए।
3. मोबाइल फोन से संबंधित शिष्टाचार का पालन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. केरी, स्टार्फिंग (2007); पारिवारिक रिश्तों में मोबाइल फोन की भूमिका, MMM और GSM एसोसिएशन (gsma) 23 ब्राइटन, यूके, पृ. 43–47.
2. श्रीवास्तव, के.पी.(2005) सामाजिक संबंध एवं मोबाइल फोन, शोध पत्र, Vol.(5), No.3 पृ. 162–166.
3. बोल्टन, (2006); मोबाइल फोन का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव, सूचना संचार सोसायटी, ब्रिटेन, पृ. 56.
4. स्टीव, जॉब्स, (2012), स्वस्थ प्रौद्योगिकी के साथ अपने परिवार का संबंध, शोध प्रबंध, सेन फ्रांसिसकों विश्व विद्यालय, पृ. 89.
5. डेविड (2012); मोबाइल प्रौद्योगिकी और रिश्ते, सामाजिक आंदोलन और शिक्षा पर प्रभाव, न्यू मिडिया सोसायटी स्वीडन, 12(1), पृ. 13–14
6. दैनिक भास्कर, दैनिक समाचार पत्र रायपुर, मधुरिमा विशेषांक, 7 जून 2013.

****

सागर जिले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का पोषण स्तर का अध्ययन

संतोष अहिरवार *

प्रस्तावना – पोषण का संबंध उन वस्तुओं से होता है, जो जीवित प्राणी अपने वातावरण से ग्रहण करता है मानव को अपना जीवन संचालित करने के लिए पोषण के साथ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह किसी भी देश समाज, जाति लिंग, धर्म, स्तर का क्यों न हो भोजन उसके स्वास्थ्य का मूल आधार है जिसकी प्राप्ति हेतु वह निरन्तर प्रयास करता है। मनुष्य को अपनी वृद्धि एवं विकास तथा नई कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की पूर्ति के साथ-साथ प्रोटीन आहार की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

उद्देश्य – प्रस्तावित शोध,अध्ययन क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सागर जिले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में पोषण स्तर का भौगोलिक, सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, इसके अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. सागर जिले में अनुसूचित जातियो एवं जनजातियों के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना।
2. शोध क्षेत्र में खाद्य संसाधनों का विश्लेषणकरना।
3. सर्वेक्षित परिवारों में आहार उपयोग प्रतिरूप पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर का विश्लेषण करना।
4. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में पुरूष एवं महिला, बच्चों में अलग-अलग पोषण स्तर ज्ञात करना एवं पोषण स्तर में कमी को ज्ञात करने के अतिरिक्त उन कारणों का भी पता लगाना जो कि इसके लिए उत्तरदायी है।

आँकड़े एवं विधितंत्र – अध्ययन क्षेत्र में पोषण स्तर की गणना हेतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरूष महिला वर्ग के आधार पर प्राथमिक स्तर पर आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। द्धितीयक स्तर पर आंकड़े प्राप्ति हेतु जिला सांख्यिकी विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खाद्य उपलब्धता की गणना की गई है। प्राथमिक स्तर पर जो अध्ययन किया गया है अध्ययन क्षेत्र सागर जिले की अनुसूचित जातियाँ, एवं जनजातियों में पुरूष महिला वर्ग के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन किया गया इस अध्ययन में उन आंकड़ों की गणना की गई जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पुरूषों के जाति समूह के आधार पर पोषण स्तर का विश्लेषण किया गया है। इसी प्रकार द्धितीय आंकड़ों की प्राप्ति एवं उनके विश्लेषण खाद्य के आंकड़ों के आधार पर औसत उत्पादन की गणना के आधार पर किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – सागर जिला म.प्र. के उत्तर मध्य भाग पर स्थित है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 23^0 10' से 24^0 27' उत्तरी अक्षांश एवं 78^0 4' 79^0 21' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 10.252 वर्ग कि.मी है। सागर जिले में कुल विकास खण्डों की संख्या 11 तथा 11 तहसीले है। 11 नगर, 2076 ग्रामों की संख्या है, कुल जनसंख्या 2378458 इसमें पुरूषों की संख्या 1256257 , स्त्री की संख्या 1122201 है। लिंगानुपात 896 है। जनसंख्या घनत्व 232 अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 501630,पुरूषों की संख्या 266306 एवं महिलाओं की जनसंख्या 235324, अनुसूचित जनजातियों की संख्या की कुल जनसंख्या 221936 है। इनमें से पुरूषों की जनसंख्या 114771 , महिला 107165 (2011 जिला सागर जनसंख्या कार्यालय)

खाद्य उपलब्धता – भोजन अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से मिलकर बनता है। इन्हीं में पोषक तत्व पाये जाते हैं। संतुलित आहार में खाद्य की मात्रा की उनकी गुणवत्ता के साथ महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्य पदार्थ वास्तव में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे शरीर को महत्वपूर्ण रासायनिक ऊर्जा के रूप में निर्मित होती है। मनुष्य दिन भर जो कार्य करता है, जिसमें उसकी ऊर्जा का क्रमश: ह्रास होता है। इनकी पूर्ति हेतु शरीर में भूख का अनुभव करता है ताकि वह व्यक्ति भोजन करके पुन: ऊर्जा की पूर्ति करता है। पोषण तत्व किन -किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं तथा इनकी रचना, क्रियाशीलता, नियंत्रण एवं संरक्षण की दृष्टि से इनका महत्व आयु, लिंग, तथा संरचना के अनुसार मानव की भोज्य आवश्यकताओं में भी अंतर आता है।

पोषण स्तर – पौष्टिक जीवन मानव की रीढ़ है। स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। किसी क्षेत्र विशेष में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का सही आंकलन तभी किया जा सकता है, जब उनके पोषण मूल्यों का विश्लेषण किया जाए (मिश्रा 1989)। पोषण एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है तथा यह स्वस्थ्य जीवन के लिए अतिरिक्त आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि विकास एवं क्रियाशील जीवन के लिए संतुलित पोषण आहार आवश्यक है। पदार्थों की उपलब्धता उनके पोषण तत्वों के अनुसार गणना करके की गई है यथा कैलोरी, प्रोटीन, खनिज कार्बोहाडड्रेट , विटामिन आदि। खाद्य उपभोग सामान्यत: उस क्षेत्र विशेष में खाद्य उत्पादन और वितरण द्धारा निर्धारित होता है तथा उस क्षेत्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य और पोषण की निर्धारित करता है। पोषण के अलावा खाद्य पदार्थ शरीर के अन्य अनेक तत्वों की पूर्ति भी करता है, जो स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं (पार्क, 1989 पृ. 324)।

पोषक तत्वों की उपयोगिता – संतुलित आहार उसे कहा जा सकता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में प्राप्त होते है। पोषक तत्व विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में सहायक ऐसे पदार्थ हैं, जो शरीर की वृद्धि विकास एवं शारीरिक टिशुओं की मरम्मत और शरीर को रोगों से बचाने के

* शासकीय एम.जी.एम.पी.जी. कॉलेज, इटारसी, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

लिए आवश्यक होते हैं,अलग-अलग खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व और उसकी मात्रा भी भिन्न -भिन्न होती है। शरीर के विकास के लिए विभिन्न आयु समूहों, लिंग और कुछ विशेष शारीरिक दशाओं में (मात्रा) कुछ अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थो में कैलोरी तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि ये पोषक तत्व मानव शरीर और उसके अंगों की उचित वृद्धि और विकास में सहायकत होते हैं ये पोषक तत्व विभिन्न खाद्य पदार्थो में अलग-अलग अनुपात में पाए होते हैं। खनिज और विटामिन शरीर में ऊर्जा की पूर्ति नहीं करते परन्तु वे शरीर की आवश्यक प्रक्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते करते हैं। कुछ खनिज शरीर के ढांचे की बनावट के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हड्डियाँ, दांत, आदि की रचना एवं संरक्षण। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व संगठन WHO 1975) शारीरिक गुणवत्ता तथा उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु कैलोरी प्रोटीन एवं अन्य प्रमुख पोषक तत्वों की जितनी मात्रा आवश्यक हो, उसकी अनुशंसा की है।

तालिका 1 : प्रतिदिन आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की मानव आवश्यकता

क्रं.	पोषक तत्व	मानक आवश्यकता
1	ऊर्जा	2400 कैलोरी
2	प्रोटीन	60.0 ग्राम
3	वसा	60.0 ग्राम
4	कार्बोहाडड्रेट	600.0 ग्राम
5	खनिज	
	कैल्शियम	900.0 मिली ग्राम
	लौह अयस्क	29.5 मिली ग्राम
6	विटामिन	
	विटामिन ए (केरोटीन)	2400.0 म्युग्राम
	विटामिन बी 1 थायमिन	1.4 मिलीग्राम
	विटामिन बी 2 रायबोफ्लोविन	1.4 मिलीग्राम
	विटामिन बी 2 नियासीन	12.6मिलीग्राम
	विटामिन सी थायमीन	40.0 मिली ग्राम

स्त्रोत : भारतीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान की पोषण आहार विशेषज्ञ समिति

पोषक तत्वों की उपभोग - पोषक तत्व शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण है इसके प्रयोग से शारीरिक क्रियाओं की क्षतिपूर्ति ,शरीरिक विकास, उष्मा उत्पन्न करना, शक्ति प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि में सहायक होते है तालिका से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में कुछ पोषक तत्वों की दैनिक भोजन में संतुलित मात्रा की तुलना में इनकी उपलब्धता न्यूनतम है।

तालिका 2 (देखे अगले पृष्ठ पर)

इन पोषक तत्वों में सर्वाधिक न्यूनता वसा 60 प्रतिशत, कैल्शियम 55.4 प्रतिशत, कार्बोहाडड्रेट 20.1 प्रतिशत एवं विटामिन ए (कैरोटीन) 50.3 प्रतिशत एवं विटामिन सी 46.5 प्रतिशत है। लौह तत्व की कमी 19 प्रतिशत है। जबकि कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता संस्तुत मात्रा से अधिक है इनमें मुख्यत: कैलोरी 1.8 प्रतिशत, प्रोटीन 9 प्रतिशत, विटामिन बी1 (थायमीन) 83.3 प्रतिशत विटामिन बी2 (नियासीन) 79.4 प्रतिशत की उपलब्धता अधिक है। अध्ययन क्षेत्र में संस्तुत मात्र (2400कैलोरी) है जो सर्वेक्षित क्षेत्र में कैलोरी की उपभोग मात्रा 2443.3 कैलोरी ऊर्जा है अर्थात संस्तुत मात्रा (2400 कैलोरी) से 43.3 कैलोरी अधिक है। इसी प्रकार प्रोटीन की उपलब्धता 65 ग्राम है अर्थात संस्तुत मात्रा (60 ग्राम) से 5.4 अधिक है। इसी प्रकार वसा की प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 24 ग्राम है अर्थात संस्तुत मात्रा (60 ग्राम) से 36 ग्राम कम है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 479.2 ग्राम है अर्थात संस्तुत मात्रा (600 ग्राम) से 120.8 ग्राम कम है। कैल्शियम की उपलब्धता 401.1 मिलीग्राम है अर्थात संस्तुत मात्रा (900मि.ग्रा) से 498 मिलीग्राम कम है। लौह तत्व प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति औसत उपलब्धता 23.9 मि.ग्राम कम है। लौह तत्व प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति औसत उपलब्धता 23.9 मि.ग्रा है जो संस्तुत मात्रा 29.5 मि.ग्राम से 5.6 मिली ग्राम कम है।

पोषक तत्वों मे विटामिनों की उपलब्धता भी कम है, अध्ययन क्षेत्र में विटामिन ए की उपलब्धता मात्रा 1193 माइक्रोग्राम है अर्थात संस्तुत मात्रा 2400 माइक्रोग्राम से 1207 माइकोग्राम की उपलब्धता कम है। साथ ही विटामिन बी1 (थायमीन) की उपलब्ध मात्रा 2.2 मिली ग्राम है अर्थात संस्तुत मात्रा (1.2 मि.ग्राम) से 1 मिलीग्राम की उपलब्धता अधिक है विटामिन बी2 (रायबोफ्लोबिन) की उपलब्धता 0.9 मि.ग्रा है अर्थात संस्तुत मात्रा 1.4 मि.ग्रा से 0.5 मलीग्राम कम है। इसी प्रकार विटामिन बी2 नियासीन की उपलब्धता औसत 22.6 मि.ग्रा है अर्थात संस्तुत मात्रा 12.6 मि.ग्रा) से 10 मिलीग्राम अधिक है। विटामिन सी की उपलब्धता औसत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 21.4 मिलीग्राम है अर्थात संस्तुत मात्रा 40 मि.ग्रा से 18.6 मिलीग्रा कम है।

निष्कर्ष - शोध क्षेत्र सागर जिला की जनसंख्या को प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ऊर्जा कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन बी, (थायमीन) बी2 (नियासीन) की उपभोग पर्याप्त मात्रा में है। जबकि वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लौह तत्व विटामिन एक एवं विटामिन सी संस्तुत मात्रा से कम उपभोग मात्रा है।

अध्ययन क्षेत्र में नगरीय एवं ग्रामीण पुरूष वर्ग में पोषण स्तर कम है। नगरीय पुरूष जनसंख्या को कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन बी, (थायमीन) बी2 (नियासीन)संस्तुत मात्रा से अधिक प्राप्त होते हैं। जबकि वसा, कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम, लौह तत्व, रायबोफ्लोविन, विटामिन ए, एवं सी की उपभोग मात्रा संस्तुत मात्रा से कम है।

नगरीय महिला वर्ग में कैलोरी, प्रोटीन, वसा, विटामिन बी1 (थायमीन), विटामिन बी2 (नियासीन) की उपलब्धता संस्तुत मात्रा से अधिक है जबकि कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, लौह तत्व, विटामिन बी2 (रायबोफ्लोविन), विटामिन ए, सी, लौह तत्व कम है। ग्रामीण महिला वर्ग में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिनों की अधिकता है जबकि वसा,कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट , लौह तत्व, बी2 (रायबोफ्लोविन) विटामिन ए. सी. संस्तुत मात्रा से काफी कम है।

उच्च आयु वर्ग वाली जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की कमी का उपयोग करती है। इनमें मुख्यता, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन बी1 (थायमीन),विटामिन बी2 (नियासीन), एवं विटामिन सी की उपलब्धता संस्तुत मात्रा से अधिक है। जबकि वसा कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, लौह तत्वा विटामिन ए एवं विटामिन बी 2 रायबोफ्लोविन संस्तुत मात्रा से इनकी उपलब्धता कम है।

मध्य आयु वर्ग वाली जनसंख्या में पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी है। इनमें मुख्यत: प्रोटीन, विटामिन बी, और बी2 संस्तुत मात्रा से ज्यादा है, जबकि कैलोरी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लौह तत्व बी2 रायबोफ्लोविन विटामिन ए,सी की कमी है।

निम्न आय वर्ग में पोषण का स्तर जनसंख्या में अधिकांश पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है। यह भोजन अपना पेट भरने के लिए करते है न

कि पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए इनमें कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम, लौह तत्व विटामिन ए और विटामिन सी की कमी बनी हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. FAO (1949) : Handbook for the preparation of Food Balance Sheets. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2. Akhtar, Rais (1971) : A note on the Nutritional Geography of kariuganj Village
3. Mishram R.P. (1989) : Population and Food Supply in Madhya Pradesh, Northern Book Centre, New Delhi.
4. Vishwakarma, S. (1997) : Population, Food and Nutrition in Sagar Division, Prachi Asociatesm Sagar.
5. National Institute of Nutrition (1999) : Dietary Guidelines For India's national Institute of Nutrition, Hyderabad, India, PP. 11.
6. Gopalan, C and Others (2004) : Nutritive value of Indian Foods, Health Bulleting No. 23, Hyderabad : National Institute of Nutrition (ICMR.)
7. Mishra, R. P. (2006) : Agriculture Food and Nutrition, Northern Book Centre, New Delhi.
8. District census Handbook (2008-09) : District sagar, Director of census operation, 2008-9

तालिका 2 : जिला सागर : शोध क्षेत्र में पोषण का स्तर

पोषक तत्व	संस्तुत मात्रा	उपभोग मात्रा	संस्तुत मात्रा का प्रतिशत	न्यूनतता/अधिकता	प्रतिशत
कैलोरी (ऊर्जा)	2400	2443.3	101.8	43.3	1.8
प्रोटीन	60	35.4	109.0	5.4	9.0
वसा	60	24	40.0	36	60.0
कार्बोहाडड्रेट	600	479.2	79.9	120.8	20.1
कैल्शियम	900	401.1	44.6	498.9	55.4
लौहतत्व	29.5	23.9	81.0	5.6	19.0
विटामिन -ए (कैरोटीन)	2400	1193	49.7	1207	50.3
विटामिन बी1 थायमीन	1.2	2.2	183.3	1	83.3
विटामिन बी2 रायबोफ्लोविन	1.4	0.9	64.3	0.5	35.7
विटामिन बी2 नियासिन	12.6	22.6	179.4	10	79.4
विटामिन सी	40	21.4	53.5	18.6	46.5

स्त्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित फूड बैलेन्स सीट विधि के अनुसार

****

इन्दौर जिले की देपालपुर तहसील में जैविक कृषि का कृषकों के आर्थिक विकास पर प्रभाव

धर्मेन्द्र सिंह चौहान *

प्रस्तावना – वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियाँ खेती में बन गई है उसके पीछे कथित आधुनिक, कृषि पद्धति की बड़ी भूमिका है। पहले प्रकृति स्वयं ही पारिस्थितिक संतुलन के आधार पर कीटों का नियंत्रण करती थी और किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए जो उपाय अपनाते थे वे उपाय प्रकृति के संतुलन को चुनौती नहीं देते थे, बल्कि उसके काम के पूरक हुआ करते थे। आज जिस तरह से कीट प्रति वर्ष अधिक ताकतवर होकर फसलों पर आक्रमण कर रहे है तो इसके पीछे एक अहम कारण यह भी है, कि आधुनिक कृषि पद्धति में तरह तरह के जहर उपयोग कर प्रकृति के संतुलन तंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा हैं।

खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिषा में काम करते हुए हमें जैविक कृषि के मूल सूत्रों पर अमल करना होगा। शोध अध्ययन क्षेत्र देपालपुर तहसील की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन, मक्का, तिलहन, दलहन है। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूँ, चना, मटर, आलू, लहसुन, प्याज, मसूर, मैथी है। इसके अलावा जायद फसलों में मूँग, सब्जियाँ, मिर्ची, टमाटर, तरबूज, धनियाँ प्रमुख है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के उन्नत तरीकों के साथ–साथ जैविक कृषि का प्रभाव भी निरंतर बढ़ रहा है। कृषक धीरे–धीरे जान गये है कि, रासायनिक कृषि से तुरंत एवं असरदार लाभ तो प्राप्त किया जा सकता है, किंतु लंबे समय तक भूमि की उर्वरा क्षमता को नहीं बनाए रखा जा सकता है। तहसील के अनेक गाँवों में जैविक कृषि का रकबा देखा जा सकता है। जो जैविक खाद एवं जैविक दवाईयों के प्रयोग से आर्थिक लाभ के साथ–साथ उत्तम स्वास्थ्यवर्धक फसलें एवं सब्जियाँ पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे है।

जैविक कृषि में संलग्न कृषकों में छोटे और बडे दोनों कृषक सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र में जैविक कृषि को बढावा देने की अपार संभावना है। क्षेत्र मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। जहाँ उपजाऊ मिट्टी के साथ–साथ प्रचुर मात्रा में पशुधन है। जिससे जैविक कृषि हेतु कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि में कृषकों ने शुरू में जैविक कृषि हेतू असमर्थता दिखाई किंतू शनै: शनै: शिक्षा एवं जागरूकता तथा शासन की सुविधाओं ने जैविक कृषि की दिषा में नया रास्ता खोल दिया है।

देपालपुर तहसील के चम्बल एवं गंभीर नदी के आसपास स्थित गांवों में अब पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण समय के साथ जैविक खेती को अपना रहे हैं तो दूसरी ओर जलाऊ लकड़ी के स्थान पर बायोगैस से भोजन पका रहे हैं। जैविक खेती करने वाले किसान अपने समूह के माध्यम से अन्य कृषकों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। बछोडा, रलायता, गिरोता, गोकलपुर सहित अन्य क्षेत्रों में किसानों ने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को देखते हुए धीरे–धीरे फसल उत्पादन का जैविक तरीका अपनाना शुरू कर दिया है।

किसानों ने रासायनिक खेती के स्थान पर छोटे पैमाने पर जैविक खेती को अपना लिया है। कृषकों का कहना है कि पंजाब में अंधाधुंध रसायन का उपयोग कर खेती होती रही। वहां इसका दुष्परिणाम सामने आया और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लोग ग्रसित होने लगे। यह हम सभी के लिए बड़ा सबक है। हम अब प्राकृतिक तरीके से खाद व कीटनाषक बनाकर खेतों में उपयोग कर रहे हैं।

शोध समस्या का चयन – शोध अध्ययन क्षेत्र इन्दौर जिले की देपालपुर तहसील जो कि सम्पूर्णतया ग्रामीण तथा कृषि में संलग्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढाने में होड़ लगी है। जिसमें रासायनिक तत्वों का भी भरपूर उपयोग हो रहा है। किन्तु भूमि की उर्वरता शक्ति की कमी तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होती नजर आने के कारण अध्ययन क्षेत्र में किसानों का एक बड़ा वर्ग जैविक कृषि की ओर बढ़ रहा है। जिससे न केवल उन्होने पर्यावरणीय तत्वों का सही उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा की वरन् मजबूत आर्थिक स्थिति भी प्राप्त की है। जिसके कारण उनका सामाजिक स्तर भी प्रभावित हुआ है। अत: देपालपुर तहसील के ग्रामों में जैविक कृषि का अध्ययन कर इससे होने वाले लाभ एवं प्रभाव का मूल्यांकन निश्चित ही शोध का विषय है। इससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ ही आने वाली पीढ़ीयों की स्थिती में बदलाव आयेगा।

उद्देश्य – जैविक कृषि का कृषकों के आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना जिसके अन्तर्गत जैविक बाजार, उत्पादन लागत पर प्रभाव, भूमि सुधार पर प्रभाव आर्थिक स्थिति के बदलाव में परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति को अपनाते हुए देपालपुर तहसील के उन 32 ग्रामों का चयन किया गया है, जहाँ जैविक कृषि की जाती है। इन निदर्शित ग्रामों में से कृषकों का श्रेणीकरण किया गया है जिसमें 332 लघु कृषक, 192 सीमांत कृषक तथा 176 बड़े कृषक प्राप्त हुए। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 700 प्राप्त हुई जिसका 50 प्रतिशत अर्थात् 350 कृषकों से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन कृषि विभाग, मंडी कार्यालय, सांख्यिकी, कृषि विस्तार अधिकारी।

जैविक कृषि का कृषकों के आर्थिक विकास पर प्रभाव –

तालिका क्र. 1 : देपालपुर : जैविक कृषि से फसलों के उत्पादन लागत पर प्रभाव का अध्ययन

विकल्प	कृषक संख्या	प्रतिशत
उत्पादन लागत बढ़ी	07	02
उत्पादन लागत में 20 प्रतिशत कमी	98	28
उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत कमी	217	62

* शोधार्थी (भूगोल) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

उत्पादन लागत नगण्य	28	08
योग	**350**	**100**

स्त्रोत – क्षेत्रीय सर्वेक्षण वर्ष 2017–18 के आधार पर

उपरोक्त तालिका के अनुसार 02 प्रतिशत कृषक यह मानते है कि जैविक कृषि करने से उत्पादन लागत बढ़ी इस लागत को वे मानवीय श्रम अर्थात् जैविक उत्पादो के निर्माण में मजदूरी को प्रमुख मानते हैं, 28 प्रतिशत कृषक उत्पादन लागत में 20 प्रतिशत तक कमी, 62 प्रतिशत कृषक 40 प्रतिशत तक कमी, तथा 08 प्रतिशत कृषक ऐसे हैं, जो जैविक कृषि में फसल उत्पादन लागत को नगण्य मानते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त श्रम, पर्याप्त संसाधन तथा पर्याप्त अपशिष्ट (गोबर, कूड़ा, भूसा तथा अन्य साधन) उपलब्ध है। जिनका उपयोग करके खाद तथा जैविक रसायन बनाते हैं।

तालिका क्र. 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

आरेख क्र. 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 2 के अनुसार 04 प्रतिशत कृषक जैविक कृषि को मृदा की कार्यक्षमता बढ़ाने वाला, 04 ह्युमस की मात्रा बढ़ानेवाला, 06 प्रतिशत पानी सोखने की शक्ति का बढ़ाने वाला तथा कृषकों का एक बहुत बडा वर्ग (80 प्रतिशत) यह मानता है कि उपरोक्त सारी शक्तियों एवं मात्रा बहुत बढ़ी है।

16 प्रतिशत कृषकों के अनुसार जैविक कृषि से कृषि भूमि की पानी ग्रहण क्षमता बढ़ी क्योंकि रासायनिक खाद के प्रयोग से भूमि की ऊपरी परत कठोर हो जाने के कारण पानी अंदर नहीं जा पाता जबकि जैविक खाद से ऐसी कोई परत का निर्माण नहीं होता है।

14 प्रतिशत कृषक कम सिंचाई में अधिक उत्पादन को जैविक कृषि के कारण मानते हैं क्योंकि जैविक कृषि से मृदा में नमी की मात्रा में बढ़ोत्तरी हो जाती है जिससे सिंचाई हेतु कम पानी में भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है जबकि रासायनिक खाद के प्रयोग से मृदा कठोर हो जाती है तथा पानी का स्त्रावण नहीं हो पाता है। 35 प्रतिशत मृदा अपरदन में कमी मानते है क्योंकि जैविक संसाधनों का उपयोग करने से मृदा कटाव की मात्रा में कमी आती है जिससे सूक्ष्म जीव तथा सूक्ष्म तत्व की संख्या में वृद्धि होती है जो कि अपरदन में कमी का प्रमुख कारण है तथा उक्त तीनों क्रियाकलापों या प्रभाव का समर्थन 35 प्रतिशत कृषक करते है।

तालिका क्र. 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

आरेख क्र. 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 3 के अनुसार निदर्शित कृषकों का सम्पूर्ण समग्र अर्थात् 100 प्रतिशत यह मानता है कि जैविक कृषि करने से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

कृषकों की आर्थिक स्थिति में जैविक कृषि के कारण परिवर्तन के प्रकार का अध्ययन करने पर 08 प्रतिशत कृषक धन की उपलब्धता का अधिक होना, 02 प्रतिशत कृषक कर्ज की कमी होना, 04 प्रतिशत कृषक कृषि कार्य हेतु साधनों में बढ़ोत्तरी होना, 06 प्रतिशत कृषक रोजगारों के अवसरों में बढ़ोत्तरी होना तथा 80 प्रतिशत कृषक वर्ग उपरोक्त चारों प्रकार के प्रभावों को जैविक कृषि के कारण मानते है क्योंकि प्रति हैक्टेयर व्यय में कमी तथा आय में वृद्धि के कारण उपरोक्त प्रभाव होता है।

इस प्रकार 08 प्रतिशत कृषक अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का कारण घर पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को बताते हैं। उन्हें ये साधन बाजार से नहीं खरीदने पड़ते है। 62 प्रतिशत कृषक रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाईयों की भारी कीमत से छुटकारा पाने को मजबूत आर्थिक स्थिति मानता है।

06 प्रतिशत कृषक मशीनीकरण एवं तकनीकी के प्रभाव को मानता है, क्योंकि रासायनिक कृषि करने पर मृदा कठोर हो जाती हे तथा उसे बार–बार ट्रेक्टर चलाकर पलटना पड़ता है। जिससे श्रम एवं डीजल की खपत होती है। 24 प्रतिशत कृषक जैविक कृषि से उत्पादित फसलोत्पादन का बाजार मूल्य अधिक मिलने को भी आर्थिक स्थिति में मजबूती का कारण मानता है।

निष्कर्ष –

1. अध्ययन क्षेत्र में जैविक कृषि द्वारा फसलों के उत्पादन लागत पर प्रभाव का अध्ययन करने पर 62 प्रतिशत कृषकों के अनुसार उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत कमी हुई 28 प्रतिशत के अनुसार 20 प्रतिशत कमी हुई, 08 प्रतिशत के अनुसार उत्पादन लागत नगण्य हुई, केवल 02 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि, जैविक कृषि से फसलों में उत्पादन लागत बढ़ी ये वे कृषक है जिन्होंने पूर्ण रूप से जैविक कृषि कार्य शुरू नहीं किया है।
2. उपरोक्त सम्पूर्ण अध्ययन को करने के उपरांत अध्ययन क्षेत्र में जैविक कृषि से कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करने पर 100 प्रतिशत कृषकों के अनुसार जैविक कृषि से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के प्रकार को 08 प्रतिशत कृषक धन की उपलब्धता, 02 प्रतिशत कर्ज की कमी, 04 प्रतिशत कृषि साधनों में बढ़ोत्तरी, 06 प्रतिशत रोजगार अवसरों की प्राप्ति तथा 80 प्रतिशत कृषक कर्ज की कमी तथा रोजगार में बढ़ोत्तरी को प्रमुख मानते हैं तथा इस परिवर्तन के प्रकार के कारणों को 08 प्रतिशत कृषक उपलब्ध संसाधनो का उपयोग, 62 प्रतिशत रासायनिक खाद तथा दवाईयों की भारी कीमत, 06 प्रतिशत मशीनीकरण एवं तकनीकी का प्रभाव, 27 प्रतिशत कृषक जैविक कृषि उत्पादित उपज का मूल्य अधिक मिलना मानते हैं। अत: शोध में यह बिंदु स्पष्टत: उभरकर सामने आया कि जैविक कृषि से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
3. अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के उपरांत इस आर्थिक स्थिति से सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन किया गया जिसमें 98 प्रतिशत कृषकों ने आर्थिक परिवर्तन से सामाजिक स्थिति को बेहतर होना बताया।

   सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के प्रकार का अध्ययन करने पर 12 प्रतिशत कृषकों ने मान सम्मान में वृद्धि, 18 प्रतिशत ने रहन–सहन के तरीकों में परिवर्तन, 18 प्रतिशत ने आवास के स्वरूप में परिवर्तन 14 प्रतिशत ने विलासिता की वस्तुओं में बढ़ोत्तरी तथा 38 प्रतिशत कृषकों ने उपरोक्त सभी परिवर्तन के प्रकारों को स्वीकार किया है।

सुझाव :

1. अध्ययन क्षेत्र के कृषकों ने कम ब्याज पर कृषि ऋण देने की बात कही इसका कारण उन्होंने बताया कि कृषि पूर्णत: प्रकृति पर आधारित साधन है, अगर प्रकृति ने साथ दिया तो 100 प्रतिशत, नहीं तो अकाल, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, पाला पड़ने से फसलें नष्ट हो जाती हैं। अत: कम ब्याज रहेगा तो कृषि संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
2. कृषकों ने कृषि यंत्रों जैसे – ट्रैक्टर, सीडड्रिल, ट्रॉली, प्लॉव, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सबमर्सिबल पम्प, डीजल इंजन, पाईप लाईन, बिजली हेतु ट्रांसफॉर्मरों पर ज्यादा सब्सिडी को प्रमुख बताया क्योंकि ये वे संसाधन हैं, जिनकी जरूरत हर कृषक की दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित

हैं। यह लाभ मिलने पर कृषक अधिक समृद्ध एवं उन्नत हो सकेंगे।

3. जैविक कृषि में संलग्न कृषकों के अनुसार फसल उत्पादों का सही मूल्य मिलना चाहिये। इसके विपरीत जब कृषकों की फसलें आती हैं, तब मूल्य कम हो जाता है किन्तु जब बीज बोने का समय आता है तब व्यापारी मनमाने पैसे लेकर कृषकों का शोषण करता है। अत: फसलों का मूल्य निर्धारण करना अति आवश्यक है।
4. कृषकों के अनुसार जैविक कृषि करने पर गोबर गैस संयंत्र लगाने, नॉडेप बनाने, वर्मी कम्पोस्ट बनाने तथा अन्य जैविक खाद तथा रसायन बनाने पर अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए तथा साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि भी देना चाहिए।
5. कृषकों ने फसल बीमा का भी प्रमुख सुझाव दिया जिसमें बताया गया कि प्रति एकड़ या प्रति हैक्टेयर रकबे के हिसाब से बीमा की प्रीमियम राशि की स्पष्ट नीति होनी चाहिए तथा फसलों में नुकसान होने पर इसकी भरपाई तुरंत होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता, एस.के. : 'सांख्यिकी' (2000), परिकल्पना परीक्षण भाग-2, उत्कृष्ट प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. क्र. 110
2. तिवारी, काशीनाथ तिवारी राकेश (2013) : 'कृषि उत्पाद बढ़ाने की रणनीति' कुरूक्षेत्र पत्रिका, जून, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 22-24
3. वैष्णव कमल (2017) : 'बायो एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन' कृषि धारा पत्रिका, अंक - 2 फरवरी 2018, पृ. क्र. 21-22
4. श्रीवास्तव, मनोज (2014) : 'बजट में खेती किसानी को मिली खास तवज्जोय', कुरूक्षेत्र पत्रिका अंक 10, अगस्त, पृष्ठ क्र. 9,10 29, 35
5. Forman Jonathan (1961) : Solid, Food and Health, Natural Food Associates, Texas.
6. Husain Majid (1996) : Systematic Agricultural Geography; Rawat Publication, New Delhi & Jaipur P.No. 102
7. www.organiefarming date 12/11/2014,'आर्गेनिक फार्मिंग से लाभ'

तालिका क्र. 2 - देपालपुर : जैविक कृषि का भूमि सुधार एवं सिंचाई पर प्रभाव का अध्ययन

भूमि सुधार पर प्रभाव	प्रतिशत	सिंचाई पर प्रभाव	प्रतिशत
मृदा की कार्यक्षमता बढ़ी	04	भूमि की पानी ग्रहण क्षमता बढ़ी	16
मृदा में ह्युमस की मात्रा बढ़ी	04	कम सिंचाई में अधिक उत्पादन	14
मृदा में पानी सोखने की शक्ति बढ़ी	06	मृदा अपरदन में कमी	34
मित्र कीट तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ी	06	उपरोक्त सभी कार्यकलापों में वृद्धि	36
उपरोक्त सभी	80		
योग	100		100

स्त्रोत - क्षेत्रीय सर्वेक्षण वर्ष 2017-18 के आधार पर

आरेख क्र. 1 - देपालपुर : जैविक कृषि का भूमि सुधार पर प्रभाव एवं सिंचाई पर प्रभाव का अध्ययन

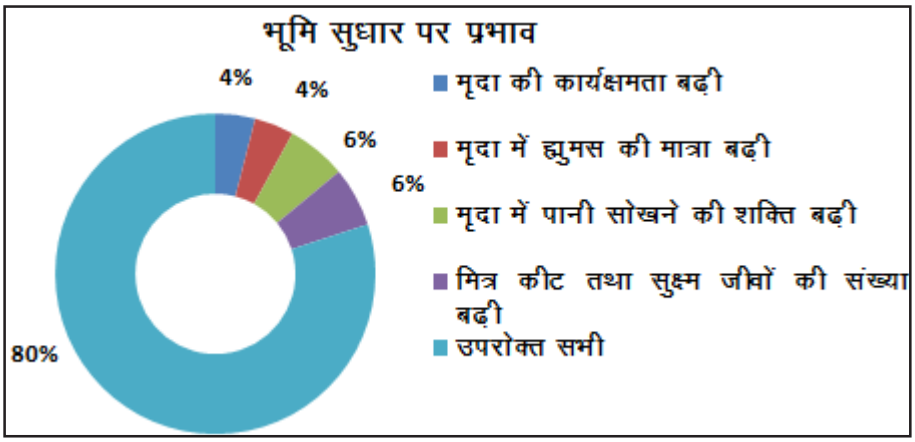

देपालपुर : जैविक कृषि का भूमि सुधार पर प्रभाव एवं सिंचाई पर प्रभाव का अध्ययन

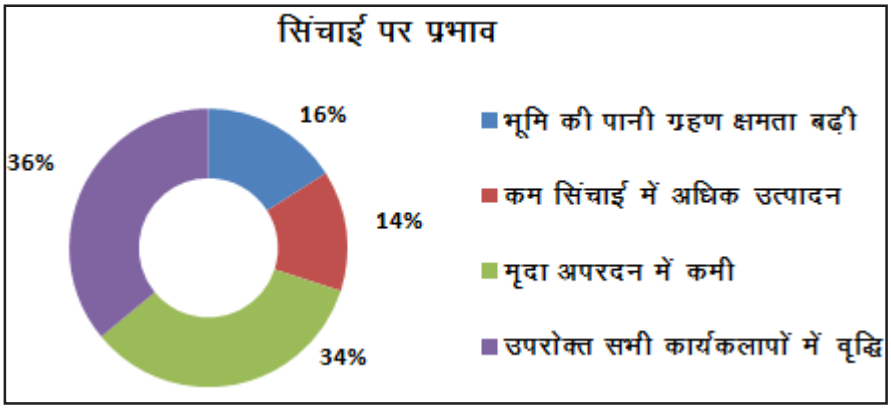

तालिका क्र. 3 – देपालपुर : जैविक कृषि करने से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन/ परिवर्तन के प्रकार /परिवर्तन के कारण

आर्थिक स्थिति में परिवर्तन	प्रतिशत	परिवर्तन के प्रकार	प्रतिशत	परिवर्तन के कारण	प्रतिशत
हाँ	100	धन की उपलब्धता	08	उपलब्ध संसाधनों का उपयोग	08
नहीं	00	कर्ज की कमी	02	रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाईयों की भारी कीमत	62
		कृषि हेतु साधनो में बढ़ोत्तरी	04	मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाव	06
		रोजगार के अवसरों की प्राप्ति	06	जैविक कृषि उत्पादित उपज का मूल्य अधिक मिलना	24
		उपरोक्त सभी प्रकार	80		
योग	100		100		100

स्त्रोत – क्षेत्रीय सर्वेक्षण वर्ष 2017–18 के आधार पर

आरेख क्र. 2 – देपालपुर : जैविक कृषि करने से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

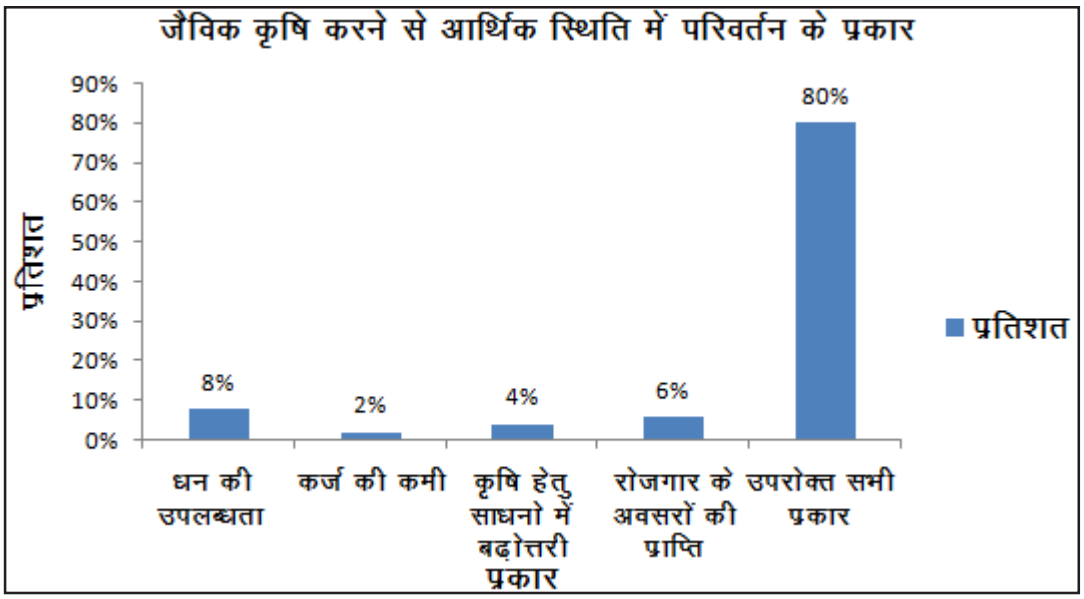

****

खंडवा जिले के कोरकू जन जाति महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

मृदुलारानी मंडल *

प्रस्तावना – किसी भी समाज की प्रगति का सही अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज का नारी समुदाय जो उस समाज का अभिन्न हिस्सा है, कितनी प्रगति कर रहा है। समाज की आंतरिक रचना, सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक स्थिति इस तथ्य से काफी हद तक प्रभावित होती है कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है।

कोरकू जनजाति महिलाओं की स्थिति – परिवार के लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कोरकू महिलाओं का बड़ा योगदान है। ये महिलाए घर के कामकाज के अलावा खेती, कृषि–मजदूरी, मजदूरी, पशुपालन, गृह उद्योग एवं अन्य व्यवसायों के साथ परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।

कोरकू समाज में पुरूषों का आधिपत्य देखने को मिलता है। आर्थिक एवं सामाजिक कार्यो में कोरकू महिलाए पुरूषों का बराबरी से हाथ बंटाती है, बाबजूद इसके धार्मिक कार्यों व जाति पंचायत आदि में महिलाओं का स्थान निम्न माना जाता है।

कोरकू महिला अध्ययन की आवश्यकता – कोरकू समाज के कई पहलुओं पर समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों एवं भूगोल वेत्ताओं द्वारा प्रकाश डाला गया है। परंतु अनेक महत्वपूर्ण पहलू व्यापक अध्ययन के अभाव में आज भी अछूता है। अतएव इस शोध पत्र के माध्यम से इस जनजाति के महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य – हरसूद विकासखंड के छनेरा गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

अध्ययन क्षेत्र – मध्यप्रदेश में कोरकू जनजाति सतपुड़ा के वनांचलों छिन्दवाड़ा, बैतूल, खंडवा जिले में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। अध्ययन हेतु खंडवा जिले हरसूद विकासखंड के कोरकू बाहुल्य ग्राम छनेरा को चुना गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में कुल कोरकू जनसंख्या 5,59,344 है जिसमें 2,85,594 पुरूष एवं 2,73,750 महिलाए शामिल है जो कुल आदिवासी जनसंख्या का 4.57% है।

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार खंडवा में कोरकू जनजाति की कुल जनसंख्या 20,6,809 है, जिसमें 105226 पुरूष एवं 101583 महिलाऐं शामिल है। जिला प्रशासनिक दृष्टि से 5 तहसील एवं 7 विकासखंडो एवं 422 ग्राम पंचायतों में विभाजित है। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह जिला नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य बसा है। जिले अक्षांशीय विस्तार 21.82°3. से 76.35°3. में स्थित है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोधपत्र के अध्ययन के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वीतियक दोनों ही प्रकार से जानकारी का संकलन किया गया है। प्राथमिक समंक हेतु छनेरा ग्राम के 60 कोरकू परिवारों का चयन कर महिलाओं की आर्थिक स्थिति संबंधी जानकारी अवलोकन पद्धति से प्राप्त किये गये।

द्वितीयक समंकों का संकलन पूर्व में किए गए अध्ययनों, पुस्तकों प्रकाशित एवं अप्रकाशित लिखित सामग्री से प्राप्त की गई है।

कोरकू महिलाओं की आर्थिक स्थिति – कोरकू महिलाए घर के काम बच्चों की देख–रेख के साथ–साथ कृषि, कृषि मजदूरी, पशुचरण आदि कार्य भी करती है। छनेरा ग्राम की कुछ महिलाए आस–पास के गांव में ईंट भट्टा एवं सड़क निर्माण कार्यो में संलग्न पायी गयी।

ग्राम छनेरा की सर्वेक्षित अधिकांश कोरकू महिलाओं को अक्षर ज्ञान न होने के कारण हां/नहीं में प्रश्न पूछकर उनकी आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जिन्हें तालिका क्र.01 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

तालिका क्रमांक–1

कोरकू महिलाए पारिवारिक आय उपार्जन में सहायक (ग्राम छनेरा)

क्रं.	आकृति		प्रतिशत (%)
1.	हां	26	43.33
2.	नहीं	15	25.00
3.	मांग के अनुसार	19	31.66
योग	ग्राम छनेरा	60	100

स्त्रोत – ग्राम सर्वेक्षण पर आधारित ।

तालिका क्रं. 1 से स्पष्ट है कि छनेरा ग्राम की कोरकू महिलाए परिवार की आय में सहायता प्रदान करती है। तालिका से विदित होता है कि 43.33% महिलाए आय उपार्जन में परिवार में सहायता करती है। 31.66% महिलायें परिवारिक मांग होने पर ही आय उपर्जान करती हैं। 25% महिलाओं ने उत्तर दिया कि वे केवल घरेलू कार्य ही करती है। आय उपार्जन में सहायक महिलाओं से कारण पूछने पर पता चला कि परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होने के कारण तथा आत्मनिर्भर होने के लिए वे आय उपार्जन करती हैं।

छनेरा ग्राम की महिलाए उक्त क्षेत्रों में कार्य कर पारिवारिक आय उपार्जन में सहायक हैं, जिसे तालिका क्र. 02 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक–2 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका क्रं. 2 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 26.66% कोरकू महिला आय का अर्जन कृषि मजदूरी करके करती है। 20.00% कृषि से 25% मजदूरी करके 13.33% कोरकू महिला वनोपज संग्रह करके आय का उपार्जन करती हैं।

सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं से जानकारी मिली है कि कृषि भू–

* शोधार्थी (भूगोल) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

स्वामित्व कम होने के कारण उन्हें परिवार के भरण–पोषण हेतु कृषि मजदूरी एवं मजदूरी करना पड़ता है। जिनके पास कृषि भूमि है, भी तो बहुत कम जिससे पारिवारिक भरण–पोषण मुश्किल होता है। अत: महिलाओं को बाहर निकल कर कार्य करना पड़ता है।

इन कार्यो के अतिरिक्त भी कई कोरकू महिलाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकार्ता एवं शिक्षिका के रूप में भी कार्य करती पायी गयी।

निष्कर्ष – कोरकू समाज में नारी स्वतंत्रता देखने को मिलती है। इसके बावजूद इन महिलाओं में प्रत्येक स्तर पर पिछड़ापन देखने को मिलता है। इनके मूल में अशिक्षा एवं गरीबी है। इनके आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें दोना–पत्तल निर्माण, जूट का सामान, बांस से वस्तु का निर्माण तथा सिलाई आदि शामिल है। कुछ जागरूक महिलाए उक्त योजनाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक अर्जन कर रही हैं, जिनसे उन परिवारों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मजूमदार एवं मदान, (1974) 'सामाजिक मानव शास्त्र–परिचय', एशिया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
2. शांडिल्य, महेशचन्द्र (1988) 'कोरकू' मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला, भोपाल।

तालिका क्रमांक–2

कोरकू महिला आय उपार्जन के साधन (ग्राम छनेरा)

क्रं.	आय उपार्जन के साधन	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
1.	कृषि	12	20.00
2.	कृषि मजदूरी	16	26.66
3.	मजदूरी	15	25.00
4.	व्यवसाय	09	15.00
5.	वनोपज संग्रह	08	13.33
योग	ग्राम छनेरा	60	100

****

आदिवासी जीवन का यथार्थ और ग्लोबल गाँव के देवता

डॉ. जया प्रियदर्शिनी शुक्ल *

प्रस्तावना – वर्तमान सदी विज्ञान की सदी है। विज्ञान के नित नए अविष्कारों ने दुनिया की परिधि को छोटे-बड़े यंत्रों की स्क्रीन तक सीमित कर दिया है। सूचनाओं की बाढ़, विज्ञापनों का दबाव, दौड़ में बने रहने की चुनौती आदि ने व्यक्ति की अस्मिता के लिए संकट पैदा किया है। यही कारण है कि साहित्य में 'अस्मिता मूलक विमर्श' उठ खड़े हुए यथा-स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि। वर्तमान में दिन-प्रतिदिन ग्लोबल होते समाज में जिस 'अस्मिता मूलक विमर्श' ने हाल में अपनी ओर समाज व साहित्य का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया है, वह है-आदिवासी विमर्श। 'आदिवासी विमर्श' ने आदिवासी जीवन संघर्ष को स्वर देने का ईमानदार प्रयास किया है। यह विमर्श साहित्य में कब शुरू हुआ। उसके विषय में प्राय: अलग-अलग धारणाएँ प्रचलित हैं। एक धारा का मानना है कि आदिवासी साहित्य की शुरूआत दलित साहित्य से हुई[1] तो दूसरी इसे नक्सलवादी आन्दोलनों से जोड़ती है।[2] इसका आरंभ जिन-भी परिस्थितियों में हुआ हो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदी में इस विमर्श को मुखर करने में 'युद्धरत आम आदमी' (संपा. रमणिका गुप्ता) और 'अरावली उद्घोश' (संपा. वी.पी. वर्मा पथिक) जैसी पत्रिकाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई।

सन् 1980 के बाद आदिवासी जीवन पर केन्द्रित लेखन में गति आई और कई उत्कृष्ट रचनाएँ प्रकाश में आई हैं। इसी कड़ी में जिस रचना ने अपनी पहचान बनाई है, वह है, 2013 में प्रकाशित लेखक रणेन्द्र का उपन्यास 'ग्लोबल गाँव के देवता'।

उपन्यासय अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिए गए, चौतरफा शोषण झेलते, आदिवासियों के जीवन-संघर्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति करता है। यही नहीं उपन्यासकार आदिवासियों की दयनीय दशा दिखाकर, मात्र संवेदना नहीं बटोर लेना चाहता वरन् एक ओर वह शोषण के ऐतिहासिक संदर्भों की पड़ताल करता है, तो दूसरी ओर आदिवासियों में धीमी गति से ही सही पर जगती संघर्ष-चेतना का दर्शन भी हमें कराता है।

उपन्यास का आरंभ ही अत्यंत प्रभावी है। यह आदिवासियों के प्रति समाज की मुख्यधारा के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देता है। कथावाचक की प्रतिक्रिया से उपन्यास आरंभ होता है-'नियुक्ति-पत्र देखकर ख़ुश होऊँ कि उदास होऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। लंबी बेरोज़गारी, बदहाली, उपेक्षा, अपमान की गाढ़ी काली रात के बाद रौशनी आयी थी। मैं अब नौकरीशुदा था... दूसरी तरफ जिस स्कूल में पोस्टिंग हुयी थी उसे देखकर दिल डूबा जा रहा था।... क्या पोस्टिंग थी। ख़ुश होने के बदले माथा पीटने का मन होने लगा।'[3]

कथावाचक की यह प्रक्रिया स्पष्ट करती है कि आदिवासी समाज और जीवन हमारे लिए उपेक्षणीय और त्याज्य है। वह कौतुहल की वस्तु तो हो सकता है पर सामान्य जीवन-व्यवहार का अंग नहीं। चिर आकांक्षा और प्रतीक्षा के बाद मिली नौकरी पर भी कथावाचक जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ जाने का अर्थ था आगे बढ़ने के बजाय सदियों पीछे चले जाना। इसी कारण कथावाचक, विधायक की सहायता से अपनी पोस्टिंग बदलवाने की प्रक्रिया में प्रवृत्त होता है। आदिवासी इलाके में जीवन जीने की कल्पना सामान्य-सा जीवन जीने वालों के लिए भी यातनाप्रद है। तब जो लोग वहाँ, उन्हीं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में रह रहे हैं उनके कष्टों और चुनौतियों की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। विडम्बना यह है कि विकास की दौड़ और होड़ में लगा हमारा समाज अपने प्राचीनतम समूह को भूल ही चुका है।

भले ही आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हों पर विकास के क्रम में वे बहुत पीछे धकेल दिए गए। आक्रमणकारियों के तथाकथित 'सभ्य समाज' ने इन मूल निवासियों को न सिर्फ प्रताड़ित, वंचित किया वरन् इनके विषय में पूर्वाग्रह ग्रस्त धारणाएँ भी प्रचारित की। कालान्तर में बिना तथ्यों की पड़ताल किए समाज ने आक्रमणकारी पूर्वजों की; स्वार्थी षड़यंत्रों से प्रेरित; स्थापनाओं को सच मानकर आदिवासियों के विषय में अनेक पूर्वाग्रह पाल लिए। आदिवासियों और मुख्यधारा के समाज के परस्पर सम्पर्क के अभाव में ये पूर्वाग्रह टूटने के स्थान पर दृढ़ होते चले गए। कथावाचक की 'लालचन' को देखकर यही प्रतिक्रिया होती है-'सुना तो था कि यह इलाका असुरों का है, किन्तु असुरों के बारे में मेरी धारणा थी कि ख़ूब लंबे-चौड़े, काले-कलूटे, भयानक, दाँत-वाँत निकले हुए, माथे पर सींग-वींग लगे हुए लोग होंगे। लेकिन लालचन को देखकर सब उलट-पुलट हो रहा था। बचपन की सारी कहानियाँ उलटी घूम रही थी।[4] सत्य का साक्षात्कार कथावाचक को शर्मिंदा करता है और साथ ही पाठक को भी सोचने को मजबूर कर देता है-'हफ़्ता भर से इसे देख रहा हूँ, न सूप जैसे नाख़ून दिखे, न ख़ून पीने वाले दाँत। कैसी-कैसी गलत धारणाएँ। ख़ुद पर ही अज़ब-सी शर्म आ नही थी।'[5]

कैसी त्रासद परिस्थिति है कि स्वार्थवश जिस समाज को शोषित किया गया उनके जीवन को नारकीय बनाया गया। किस्सों-कहानियों में उन्हें ही शोषक, दुराचारी और भोगी-विलासी बना दिया गया। जबकि स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। इन आदिवासियों की जिंदगी का सच बताते हुए हरिराम मीणा लिखते हैं-'छोड़िए इन वातानुकूलित बातों को कि आदिवासी लोग समृद्ध प्रकृति की गोद में नाचते-गाते उन्मुक्त व मस्ती भरा जीवन जीते रहे हैं। हकीकत में देखें तो उनका इतिहास बाहरी आक्रान्ता-घुसपैठियों के दलन-दमन-शोषण, अत्याचार-अन्याय व स्वयं के श्रम-शहादत से भरा पड़ा है। ऐसी ही परिस्थितियों में ये लोग अभावों व असुविधाओं भरी जिंदगी जीते रहते हैं।'[6] यह उपन्यास आदिवासियों के ऐसे संघर्षमय जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति करता है। उपन्यास का पात्र रुमझुम अपने 'पाट' की जिंदगी

* एसोशिएट प्रोफेसर (हिन्दी) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ (उ.प्र.) भारत

की वास्तविकता बताता हुआ कहता है–'पानी और जलावन जुटाने में ही हमारी औरतों की आधी जिंदगी गुज़र जाती है।' कीचड़ में लोटते सूअरों और हमारे बच्चों में फ़र्क क़रना मुश्किल हो जाता है। वहाँ के गेस्ट हाउस के मेस में छत्तीस तरह के व्यंजन। मुहावरे वाले नहीं, सचमुच के..... यहाँ मकई का घट्टा खा–खाकर जीभ पर घट्टा पड़ जाता है। हमारे ज़्यादातर घरों में भात–दाल सब्ज़ी भी पर्व–त्योहार का भोजन है।'[17]

सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि जिन संसाधनों पर इन आदिम जातियों का अधिकार है, उनसे ही इन्हें बेदखल कर दिया गया। पाट पर असुरों के सैकड़ों घरों को उजाड़ कर विकास के नाम पर स्कूल का निर्माण किया जाता है, किन्तु इन्हीं आदिम जातियों के बच्चों के लिए इस स्कूल के दरवाजे बंद है–'असुरों के सौ से ज़्यादा घरों को उजाड़कर बना था यह स्कूल।' पिछले तीस वर्षों का रजिस्टर उठाकर देख लीजिए जो एक भी आदिम जाति परिवार के बच्चे ने इस स्कूल में पढ़ाई की हो!'[8] यही नहीं इस वर्ग के युवाओं को वहाँ नौकरी भी नहीं। रुमझुम बताता है–'मैंने ख़ुद कितनी कोशिश की थी। पिछले दो–तीन वर्षों से कैजुअल शिक्षक के रूप में काम करने की इच्छा है। लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गलती।'[9] इस शोषण पर रुमझुम का प्रतिवाद और विरोध स्वाभाविक है। निरंतर मथे जाते हुए वर्ग की प्रतिक्रिया अन्तत: कहीं तो निकलनी है। रुमझुम का आक्रोशित होना उस वर्ग की टीस और पीड़ा की ही मुखर अभिव्यक्ति है। वह मुख्यधारा के समाज को कटघरे में खड़ा करता हुआ कहता है–'आख़िर हमारी छाया से भी क्यों चिढ़ते हैं ये लोग? माड़–भात खिलाकर अधपढ़–अनपढ़ शिक्षकों के भरोसे, फ़ुसलावन स्कूल के हमारे बच्चे, ज़्यादा–से–ज़्यादा स्किल्ड लेबर, पिऊन, क्लर्क बनेंगे और क्या? यही हमारी औकात है।'[10]

आदिवासियों के इस शोषण में न केवल स्वार्थी 'सभ्य समाज' शामिल है, वरन् सरकार जिस पर सभी के साथ न्याय का उत्तरदायित्व है; भी इनका शोषण करने और इनके प्रति दायित्वों से पल्ला झाड़ने से नहीं चूकती। उपन्यास के पात्र रामकुमार जैसे पढ़े–लिखे लोग इस षड़यंत्र से परिचित हैं। रामकुमार सरकार की इस स्वार्थपरता का उद्घाटन करता हुआ कहता है–'हमें तो लगता है कि जानबूझकर सरकार भी मटिया रही है। चाहती है, पाट पर आबादी जितना जल्दी ख़त्म हो बॉक्साइट निकालने में उतनी ही आसानी होगी।'[11]

रामकुमार की आशंका निर्मूल नहीं है। विकास के नाम पर इन आदिवासियों को निरंतर ठगा गया है। समय–समय पर विभिन्न जातियों ने विस्तार की चाह में इन्हें खदेड़ा है। गंगा सहाय मीणा इस संदर्भ में उल्लेख करते हैं–'पूंजीवाद के विस्तार के साथ ही उदारवादी नीतियों के चलते आदिवासियों या देशज समूहों के जल, जंगल, जमीन को उनसे छीना जाने लगा।'[12] आज भी स्थिति अधिक नहीं बदली। उपन्यास भी यह दर्शाता है। आदिवासियों के संसाधनों का इस्तेमाल तो विकास के नाम पर कर लिया जाता है, पर बदले में उन्हें कुछ मिलता है, तो बस छल और खतरों से भरी जिंदगी। रामकुमार इस दुखद सत्य को बताता हुआ कहता है–'एक तरफ इन खानों ने मजूरी दी तो दूसरी तरफ बर्बादी के सरंजाम भी खड़े किए। पिछले पच्चीस, तीस सालों में खान–मालिकों ने जो बड़े–बड़े गड्ढे छोड़े हैं, बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और मच्छर पलते हैं। सेरेबल मलेरिया यहाँ के लिए महामारी है, महामारी। मुडीकटवा से साल–दो साल पर भेंट होती है किंतु इस जानमारु से तो हर रोज़ भेंट होगी।'[13] प्राकृतिक संसाधनों; जिन पर आदिवासियों का अधिकार है; को आदिवासियों को बहला–फुसलाकर छीन लिया जाता है और सरकार और निजी कम्पनियाँ दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं–'बॉक्साइट ट्रकों की ओवरलोडिंग ने सड़क की हालत खस्ता कर रखी है। सरकार को लगता है कि कम्पनियाँ सड़क–मरम्मत करने में मदद करें। कम्पनियों को लगता है कि सड़क तो सरकार की है। हम टैक्स तो भरते ही हैं, फिर सड़क मरम्मत क्यों करें? बरसात में गड्ढों को लेटराइट से भरकर अपनी ड्यूटी पूरी समझ लेते हैं।'[14]

यही नहीं इस अंतहीन शोषण के बदले में इन आदिवासियों को मिलती है 'फुसलावन स्कूल' जैसी सांत्वना। सरकार द्वारा शोषण के विरुद्ध विरोध के स्वर को दबाए रखने के लिए इस कमजोर, दीन–हीन समूह को फुसलाने–बहलाने के लिए नाम की चीजें दे दी जाती हैं। पाथरपाट जाकर कथावाचक स्वयं असल स्कूल और 'फुसलावन स्कूल' का अन्तर अनुभव करता है। 'भौंरापाट स्कूल सूअर का बखार नज़र आता। आधी–अधूरी बिल्डिंग, जैसे–तैसे बना हॉस्टल, मुर्गीखानों जैसा शिक्षक आवास। जहाँ साफ़–सफाई होनी चाहिए वहीं सबसे ज़्यादा गंदगी। बच्चियों के मेस में कभी झाड़ू–पोंछा लगता भी था कि नहीं।'[15] दुखद यह नहीं कि भौतिक संसाधनों की कमी इस आदिम वर्ग को झेलनी पड़ती है। उससे अधिक दुखद है मुख्य धारा के समाज की मानसिकता। जो इन आदिवासियों को मानव का दर्जा देने को ही तैयार नहीं। जो लोग इनके संपर्क में जीवन जी रहे हैं वे भी इनका शोषण करने से नहीं चूकते। आदिवासियों के लिए बने स्कूल की हेडमिस्ट्रेस की प्रतिक्रिया इस अमानवीय, संवेदनहीन मानसिकता को व्यक्त कर देती है–'कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। केवल मेस की खरीदारी के लिए मारामारी। असल कमाई वही थी। हेडमिस्ट्रेस मुझ पर ही झल्लाती, 'इन मकई के घट्टा खाने वालों को यहाँ भात–दाल मिल जाता है, वही बहुत है। आप अपने हिसाब से क्यों सोचते हैं? कौन इन्हें अपने घरों में खीर–पूड़ी भेंटाता है कि आप मेस–व्यवस्था में सुधार के लिए मरे जा रहे हैं।'[16] यहाँ हेडमिस्ट्रेस का वक्तव्य स्पष्ट करता है कि यह वर्ग आदिवासियों को मूलभूत आवश्यकताओं के लायक भी नहीं समझता। ऐसा ही रवैया मुख्यधारा के समाज का आदिवासी महिलाओं के प्रति भी है। वे मुख्यधारा में पुरुषों की सम्पत्ति समझी जाती है। आर्थिक अभाव की मार झेलते इन आदिवासी परिवारों के पास समझौते करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। लेखक इस सत्य का उद्घाटन करता है–'ये लोग कारीगर से भूमिहीन मजदूर बनकर रह गए। गरीबी ने हर तरह से दीन–हीन बना दिया। बबुआनी ने नए उम्र के लौडों–लपाडों से लेकर अधेड़ विधुरों तक के लिए इनके घर की बहु.बेटियों की देह मर्दानगी आज़माइश का अखाड़ा हो गयी थी।'[17]

इस वर्ग की महिलाएँ केवल भोग्य सामग्री के रूप में देखी जाती हैं। उपन्यास में हम महिलाओं के अधिकारियों – बाबुओं के पास पहुँचा दिए जाने का संदर्भ पाते हैं।

इस प्रकार विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ झेलते इस आदिम समाज की यथार्थ दशा उपन्यासकार पूरी मार्मिकता से व्यक्त करता है। किन्तु साहित्य में यथार्थ वर्णन के साथ–साथ संघर्ष की प्रेरणा भी होती है और जीवन का विश्वास भी। यही लेखक को सकारात्मकता की दिशा भी प्रदान करता है। लेखक आदिवासियों द्वारा किए जा रहे अस्मिता के संघर्ष में पूरा विश्वास रखता है। वह उस संघर्ष चेतना का चित्रण भी उपन्यास में करता है, जो आदिवासियों में धीरे–धीरे जाग रही है। उपन्यास के पात्र रुनझुन, रामकुमार बालचन, बुधिया, ललिता आदि संघर्ष समिति बनाते हैं जो आदिवासियों की मांगों के लिए संघर्ष करती है। यद्यपि लेखक जानता है कि पूँजीपति और सत्ताधारी ताकतों से निबटना आसान नहीं, इसीकारण वह इस सच से आँखें नहीं चुराता और उपन्यास में यह दिखाने का प्रयास करता है कि कैसे

योजनाबद्ध तरीके से भौंरापाट के आदिवासियों के संघर्ष को कुचला जाता है,[18] तथापि आशा उपन्यासकार का साथ नहीं छोड़ती। परिणामस्वरूप वह उपन्यास का अन्त मिटाए जाने के बाद पुन: उठ खड़े होने के आदिवासियों के संकल्प के साथ करता है।

इस प्रकार कह सकते हैं कि यह उपन्यास एक प्रकार से आदिवासी जीवन संघर्ष का मार्मिक किन्तु सच्चा दस्तावेज बन जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सोनवने राजेन्द्र अक्षत – आदिवासी विमर्श (लेख) वर्तमान साहित्य अप्रेल 2009, पृ. 38
2. राजाराम भादु – और अब आदिवासी विमर्श (लेख) कथादेश अगस्त 2002, पृ. 73
3. रणेन्द्र – ग्लोबल गाँव के देवता, भारतीय ज्ञानपीठ 2013, पृ. 7
4. वही, पृ. 11
5. वही, पृ. 12
6. हरिराम मीणा – आदिवासी दुनिया, प्रस्तुति वक्तव्य, पृ. 11
7. रणेन्द्र – ग्लोबल गाँव के देवता, पृ. 17
8. वही, पृ. 19
9. वही, पृ. 19
10. वही, पृ. 19
11. वही, पृ. 14
12. गंगा सहाय मीणा – आदिवासी साहित्य विमर्श, पृ. 20
13. रणेन्द्र – ग्लोबल गाँव के देवता, पृ. 13
14. वही, पृ. 16
15. वही, पृ. 20
16. वही, पृ. 20
17. वही, पृ. 49

****

डॉ. गिरिराजशरण जी अग्रवाल के व्यंग्य प्रहार

निधि पाटीदार * डॉ. चन्दा तलेरा जैन**

प्रस्तावना – व्यंग्य – परम्परा बहुत प्राचीन है। वैसे सोचा जाए तो मौखिक रूप से व्यंग्य का जन्म व्यक्ति के सामाजिक रूप में आने के साथ ही हुआ। किसी के आवांछित आचरण पर आलस्य की प्रवृत्ति पर या किस प्रकार की अक्षमता पर जली – कटी सुनाना मनुष्य के स्वभाव में सहज ही है और यही विशेषता या आदत व्यंग्य के जन्म की कारक भूमि है।

व्यंग्य साहित्य की एक कला है, या शैली मात्र है। विधाएँ तो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध है। इसमें हास्य व्यंग्य का उपयोग विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। व्यंग्य का स्वरूप क्या है? इसे अनेक परिभाषाओं में बांधने का यत्न किया गया है–

'व्यंग्य एक साहित्य कला है, जो विषय या वस्तु को उपहास बनाकर इसे घटाती है, और इसके लिए मनोरंजन, घृणा या तिरस्कार की दृष्टि पैदा करती है।'

'क्या व्यंग्य को सहित्य की सीमा में बांधना उचित होगा ? क्या व्यंग्य चित्र में व्यंग्य का पुट नहीं होता '?

'इसे और साफ करने के लिए आगे कहा गया है कि व्यंग्य से इसलिए भिन्न है, कि कामदी हास्य को पैदा करती है, जो अपने में साध्य है, जबकि व्यंग्य अपहासता है। हास्य को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। एक अहमक के खिलाफ जो कृति के बाहर होता है। यहॅ अहमक व्यक्ति हो सकता है (व्यक्तिगत व्यंग्य में) एक संस्था, एक कौम या मानव जाति कामदिय और व्यंग्यीय में अंतर जातियों पर सुक्ष्म हो जाता है। जहॉ पात्र सृजन के स्तर पर होता है।' – [1]

अत्यधिक तेजी से भागते हुए इस आधुनिक युग में श्वास लेने वाले समाज के जीवन में किसी न किसी प्रकार के असंतुलन और असंगतभाव का आ जाना स्वाभाविक है। समाज चेतना से युक्त एवं आदर्शवादी सहित्यकार इन विसंगतियों और उनके कारणों को अनदेखा नहीं कर सकता। वह सदैव ऐसे अवसर की खोज में रहता है, जबकि वह इन विसंगतियों और कारणो पर तीक्ष्ण प्रहर कर सके ।

'सच्चा व्यंग्यकार समाज की कुरीतियों को सही रूप में देखता है। और उसे अपने व्यंग्य बाण से भेदता है। उसका उद्देश्य समाज का परिशोधन होता है। वह व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता, बल्कि छीछोरी मान्यताओं का पर्दाफाश करता है।' – [2]

व्यंग्य क्या है – ? साहित्य की विभिन्न विधाओ मे शायद सबसे मुश्किल विधा व्यंग्य लेखन की है। व्यंग्य के लिए सुक्ष्म दृष्टि ही नहीं वरन अभिव्यक्ति में पेना–पन भी आवश्यक है।

यदि पैनापन नहीं है, तों व्यंग्य का वार खाली जाएगा और तलवार हवा में लहराकर निरूद्देश्य ही रह जाएगी। व्यंग्य में लेखक शब्दों का चयन सही लक्ष्य पर करे तो वह व्यंग्य कहलाता है, नहीं तो वह व्यंग्य व्यंग्य नही रहता। व्यंग्य के समालोचकों ने व्यंग्य को परखने के लिए कई मापदंड स्थापित किए व्यंग्य रचना का कथ्य और प्रभाव व्यंग्यकार को लोकप्रिय बनाता है। क्योंकि ऐसी व्यंग्य रचना जो हमेशा पढ़ने पर ताजा और रूचिकर लगे व्यंग्य को सार्थकता प्रदान करती है। स्पष्ट है कि यहाँ व्यंग्य के शाश्वत होने की बात हो रही है डॉ. अग्रवाल के व्यंग्य के विषय जन जीवन और समाज से इस कदर जुडें हुए है कि पढ़ने पर हमेशा तरोताजा लगते है। डॉ. अग्रवाल के व्यंग्य के विषय समाज के कुछ ऐसे पात्र बने है। जिसमें अपने दैनिक जीवन में हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है।– बाबू, लेखक, मास्टर, साधू, गुरूजी, साहित्यकार, डाक्टर, चौर डकैत, मंखीचूस, दीवानजी, शायर, मेहमान, पडौसी, पत्नी, मित्र, पति, यह ऐसे पात्र है। जिन्हें केन्द्र में रखकर डॉ. अग्रवाल जी ने व्यंग्य लेखों का रचना संसार बनाया है। इन पर व्यंगात्मक प्रहार की हर गुंजाइश को डॉ.अग्रवाल ने अपने व्यंग्य में स्थान दिया है। डॉ. अग्रवाल जी के व्यंग्य समाज के कुछ पात्रों के अतिरिक्त जीवन की रोज घटने वाली घटनाओं से भी साक्षात्कार कराते है। जो आम आदमी के पल्ले पढती है। मसलन मोहल्ले का झगड़ा आदमी का बकरीकरण, ऊपरी आमदनी मुकदमे बाजी प्यार – मोहब्बत व्यवसाय , झुठी गवाही पडोसन की बात – चीत अस्पताल , आराम, परीक्षा जैसे विषय है, जो कभी पूराने पड़ ही नहीं सकते है। इन विषयों पर लिखी गई व्यंग्य रचनाएँ कभी मर नही सकती है। डॉ.अग्रवाल के व्यंग्य लेखन की अपनी अलग भाषा शैली है। सामान्य भाषा में विचारों की ऐसी कला है, जो अनेक अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होती है।

'कुछ लोग स्वभाव के साधु होते है तो कुछ लुभाव के।' – [3]

'आसू हो या हॅसी इस युग मे झुठे नहीं है, तो कुछ भी नहीं। सच्चे आँसू और सच्ची हॅसी तो सिर्फ मूर्खो के यहाँ मिलते है। या समझदार तो इनसे कब का दामन झाड़ चुके है।' – [4]

डॉ. गिरिराजशरण जी प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य रचनाएँ संग्रहितकर प्रकाशित करने आए है और इस प्रसंग से साहित्य की दुनियॉ विशेषकार हास्य व्यंग्य में रूचि लेने वाली असंरव्य पाठकों के बीच भली प्रकार– जाने – पहचाने जाते है।

विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके व्यंग्य, रचनाओं में प्रकाषित होते रहे है। उनका हास्य व्यंग्य 'बाबू झोलानाथ' इसमें एक व्यंग्यकार के रूप में उनका विस्तृत परिचय साहित्य जगत को मिला है। इस पुस्तक में उनके छब्बीस व्यंग्य शामिल है ओर यह बात किसी हद तक संतोषजनक है, कि इन सभी लेखों में डॉ.गिरिराजशरण जी ने व्यंग्य की विद्या के साथ न्याय

* शोधार्थी (हिन्दी) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (हिन्दी) माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

किया है।

व्यंग्यकार हर उस स्थिति पर चोट करता दिखाई देता है, जो मानवता की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है डॉ. अग्रवाल के शब्दो में ही नहीं उनकी सोच में भी वह पेनापन है, जो उनके व्यंग्य को उच्च स्तरीय बनाता है।

किसी और व्यंग्यकार ने अपने व्यंग्यों में कहावतों और मुहावरों का प्रयोग इतनी संख्या में नही किया है। इस बारे में स्वयं डॉ.अग्रवाल ने अपने व्यंग्य साहित्यकार बटा पेशकार (बाबू झोलानाथ, पृष्ठ 153 में स्वीकार किया गया है।

'मुहावरों को अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर देना भी एक कला है और यह कला मुहावरों की हद तक हमें खुब आती है।' मुहावरों के प्रयोग से पाठक व्यंग्य को पढ़ने में एक विशेष अनुभव होता है तथा पाठक व्यंग्य-रचना में जुड़ा रहता है।

समय और समकालीन समाज की विसंगतियों और विदूषताओं को डॉ. अग्रवाल के व्यंग्यों में एक अलग ही अंदाज में देखा जा सकता है। समाज की संवेदनाओं को बडी ही शांति के साथ डॉ. अग्रवाल उजागर करते है।

'सोना या सोते रहना तो दरअसल हमारा राष्ट्रीय गुण है। सरकार यह चाहती है कि जनता सोई रहे और हम भी आखिर जनता है अर्थात दहकते हुए अंगारों पर रखी हुई उस देश का एक चावल है, जो जल तो सकता है पर उबलने को तैयार नहीं है।' - [6]

निष्कर्ष - डॉ.अग्रवाल जी ने अपने व्यंग्य में समाज के हर उस व्यक्ति की खबर ली है, जो इमानदारी देश भक्ति जन सेवा का चोला पहनकर , बेईमानी, राष्ट्रद्रोह और स्वयं का पेट भरने का उपक्रम करता है। डॉ. के गोरखधंधे, नीम हकीमों की लुट खसोट और बीमारी में मुक्त सलाह देने वालों की व्यंग्यात्मकता विवेचन' 'ऑख ओर हम' (बाबू झोलानाथ) में की गई है। कोर्ट-कचहरी के चक्कर में आदमी अपनी जमीन भूल जाता है और कचहरी के चक्कर में खानदान के खानदान पीस जाते है। कचहरी मे नए मुकदमो की बाढ बढ़ती ही जा रही है। इन सब बातों पर मुकदमों की मान - मर्यादा में चिंता व्यक्त की गई है, जो आम पाठक को सोचने पर विवश कर देती है, सामाजिक और समसामयिक विसंगतियों पर डॉ. अग्रवाल ने वैचारिक व्यंग्य का सृजन किया है। परिवेश की व्यापकता लिए हुए डॉ. अग्रवाल के व्यंग्य समाज के पाखंड को उजागर करते है, तो ईमानदारी के साथ सचेतक की भूमिका का निर्वाह करते है। डॉ.अग्रवाल के व्यंग्य अनुभवो का ऐसा दस्तावेज है, जिसे पढ़कर समाज के मुखोटों से परिचय किया जा सकता है। शालीनता की परिधि में रहकर व्यंग्य लेखन करना हर किसी के बस की बात नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी की हास्य व्यंग्य विधा का स्वरूप और विकास डॉ.इन्द्रनाथ मदान, पृष्ठ 1-2 हिन्दी सहित्य सम्मेलन प्रयोग संस्करण: प्रथम 1978
2. काका हाथरसी अभिन्नदन ग्रंथ - डॉ गिरिराजशरण अग्रवाल पृष्ठ 143
3. बाबू झोलानाथ - पृष्ठ (31)
4. राजनिति में गिरगिटवाद पृष्ठ (117)
5. डॉ.गिरिराजशरण व्यक्ति और साहित्य।

****

हिन्दी पत्रकारिता उद्भव एवं विकास

संतोष कुमार *

प्रस्तावना – हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भ 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित उदंत मार्तण्ड से होता है। इसके सम्पादक पण्डित युगल किशोर सुकुल थे। इस समाचार पत्र के माध्यम से भारतीय जनमानस में जागरण का सन्देश देना था, उस समय प्रेस पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण था। अंग्रेजी शासकों के मन में भारतीयों के प्रति न तो अत्यीमता थी, न ही कोई मानवीय संवेदना या सहानुभूति दिखाई देती थी, भारतीयों को सभी तरह से आर्थिक शोषण का शिकार बनाया जा रहा था। इस पत्र के माध्यम से भारतीय जनता की मानसिकता को बलदना था। इस पत्र ने बहुत कम समय में हिन्दी जनता के बीच जगह बना ली। प्रेमचन्द गोदस्वामी के अनुसार 'भारतीय पत्रकारिता की पृष्ठभूमि में अनेक सरकारी विरोध, दमन, शोषक और बलिदान के प्रसंग रहे हैं। इस सभी स्थितियों को पार करती हुई, भारतीय भाषाओं के सहारे पत्रकारिता ने चलना सीखा। कलकत्ता सें ही हिन्दी पत्रकारिता का विकास हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप हिन्दी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत-मार्तण्ड का प्रकाशन आरम्भ हुआ।'

हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास के काल-विभाजन पर विद्धानों के विभिन्न मत है। हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास पुराना नहीं है। परन्तु फिर भी अपने उदय से लेकर वर्तमान काल तक हिन्दी पत्रकारिता के अनेक परिवर्तनों के साथ विकास हुआ, हिन्दी पत्रकारिता को सीमाओं और काल खण्डों में विभाजित करने का प्रयास अनेक विद्धानों ने किया। कुछ विद्धानों द्धारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है।

'काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्धारा प्रकाशित हिन्दी साहित्य के वृहत् इतिहास' के त्रयोदश भाग के तृतीय खण्ड का काल विभाजन इस प्रकार किया गया है।

प्रथम उत्थान- सन् 1826 से सन् 1867
द्धितीय उत्थान- सन् 1868 से सन् 1920
आधुनिक काल- 1920 के बाद।

डॉ0 मृदुला वर्मा ने पाँच भागों में बाँटा। यह विभाजन अपने शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी को सर्वोदय पत्रकारिता' में किया।

प्रारिम्भक युग - 1826 से 1867 तक
भारतेन्दु युग - 1868 से 1900 तक
द्धिवेदी युग - 1900 से 1920 तक
गाँधी युग - 1920 से 1947 तक
स्वातंत्रयोतरयुग - 1947 से आज तक

इसी प्रकार 'हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास' में डॉ. रमेश जैन ने जो काल विभाजन किया, वह डॉ. मृदुला वर्मा द्धारा दिए गए काल विभाजन के ही समान है।

हिन्दी पत्रकारिता का विकास दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों के साथ-साथ मासिक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। पं0 युगल किशोर ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से 'उदन्त-मार्तण्ड' नामक पहला हिन्दी साप्ताहिक-पत्र प्रकाशित कर हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास रचा। पत्रकारिता के इस प्रथम हिन्दी समाचार-पत्र 'उदन्त-मार्तण्ड' का जीवन आर्थिक कठिनाइयों के कारण अधिक नही चल पाया और साथ ही कलकत्ता में हिन्दी भाषा का प्रचलन भी नहीं था। अन्तत: 4 दिसम्बर 1827 को यह पत्र बन्द हो गया। इस पत्र की अल्पकालिक सफलता से प्रेरित होकर 10 मई 1829 को कलकत्ता से ही बंगदूत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन बंगला तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में हुआ। इन पत्रों में राष्ट्रीय जागरण से सम्बन्धित आलेखों और समाचारों के साथ-साथ व्यावसायिक समाचार भी प्रकाशित होते थे। इसी क्रम में सन् 1845 में काशी से यबनारस अखबार' प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक गोविन्द रघुनाथ थत्ते थे। फिर 1850 में बनारस से एक पत्र प्रकाशित हुआ 'सुधाकर' इसके सम्पादक तारामोहन मैत्र थे। कलकत्ता से 1854ई0 में 'समाचार-सुधा वर्शण' पत्र निकला। यह हिन्दी का पहला दैनिक पत्र था। इस युग में अन्य प्रकाशनों में जो महत्वपूर्ण रहे वे है आगरा से प्रकाशित 'बुद्धि प्रकाश' (1855), ग्वालियर से प्रकाशित ग्वालियर गजट (1853), अलमोड़ा अखबार, सार सुधानिधि 1879, भारत मित्र 1878 तथा उचित वक्ता 1880 जैसे प्रकाशन इस आदि युग के उल्लेखनीय प्रकाशन है जिन्होंने हिन्दी भाषा जनता को जागरण का सन्देश दिया था। हिन्दी को एक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अन्य प्रकाशनों में 'प्रजा हितैषी' (1855) तत्वबोधनी पत्रिका (1865) ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866 वृतान्त विलास 1867 जिनका योगदान महत्वपूर्ण है। इस युग के प्रतिष्ठित सम्पादकों में पण्डित दुर्गा प्रसाद मिश्र उल्लेखनीय है।

भारतेन्दु कालीन पत्रकारिता - (1867 ई0 से 1900 ई0 तक) - भारतेन्दु हरिशचन्द्र जैसे साहित्यकार, पत्रकार के व्यक्तित्व की अमिट छाप है, भारतेन्दु युग के अग्रदूत माने जाते है। भारतेन्दु ने जहाँ साहित्य को नवीन विधाओं को विकसित किया। वहीं हिन्दी पत्रकारिता को भी कई दिशा प्रदान की। भारतेन्दु ने अपने साथ लेखको, सम्पादकों और साहित्यकारों पत्रकारों का एक मण्डल तैयार किया। जिसमें प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी यप्रेमधन' बालकृष्ण भट्ट, लाला श्री निवासदास जैसे व्यक्तियों का नाम उल्लेखनीय है। इस मण्डल को भारतेन्दु मण्डल का नाम दिया गया।

इस काल में सन् 1868 में भारतेन्दु ने 'कविवचन सुधा' का प्रकाशन कर हिन्दी पत्रकारिता को एक आयाम दिया, भारतेन्दु ने ही 1873 'हरिश्चन्द्र

* शोधार्थी (हिन्दी भाषा एवं विज्ञान) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

मैंगजीन' प्रकाशित की जो सन् 1874 में हरिश्चन्द्र चन्द्रिका के रूप में निकलने लगी और बहुत लोकप्रिय हुई। सन् 1884 में भारतेन्दु ने नवोदित हरिश्चन्द्र चन्द्रिका का प्रकाशन भी किया। इसके बाद भारतेन्दु मण्डल के अन्य पत्रकारो ने भारतेन्दु की प्रेरणा से अनेक पत्रों का सम्पादन एवं प्रकाशन किया, जिसमें 'हिन्दी प्रदीप' का नाम उल्लेखनीय है। इस युग के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में है- जगत समाचार 1869, सुलभ समाचार' 1871 बिहार बन्धु 1872, भारतबन्धु 1877, कायस्थ समाचार 1875 आर्यमित्र 1875 सार सुधा निधि 1879, आनन्द कादिम्बनी 1881, भारतेन्दु 1883, ब्राह्मण 1883, इन्दु 1883, कान्यकुब्ज प्रकाश, 1884, हिन्दोस्थान 1885 और भारतोदय 1885 प्रकाशित हुई।

इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव और विकास अनेक विषम परिस्थितियों में हुआ। इस काल के दौरान जो पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई, उनके समक्ष भी अनेक बाधाएँ आई, जिसके कारण कुछ बन्द हो गई और कुछ ने हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। इस प्रकार अपने उदय के आरंभिक क्षण से लेकर निरन्तर पत्रकारिता गति प्राप्त करती गई।

द्विवेदी कालीन पत्रकारिता (1900 से 1920 ई0 तक) - भारतेन्दु युग में जहाँ साहित्य की अनेक विधाएँ एवं नये स्वरों का विकास हुआ, वहीं द्विवेदी युग में भाषा को नया संस्कार तथा नई शैली को पौढ़ता मिली। 1900 में प्रकाशित सरस्वती के माध्यम से पं0 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक पत्रकारिता को समृद्ध और परिष्कृत किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में मासिक 'सरस्वती' का सम्पादन कार्य आरम्भ कर हिन्दी पत्रकारिता के एक नये युग का सूत्रपात किया। द्विवेदी जी ने 20 वर्षो 'सरस्वती' का सम्पादन किया और हिन्दी पत्रकारिता के स्वर का उन्नत किया। यसरस्वती के प्रकाशन के बाद हिन्दी पत्रकारिता जगत में अनेक पत्र-पत्रिकाओं से भर गया।

द्विवेदी युग के हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का विकास इस क्रम में देख सकते है। सन् 1902 ई0 में पं0 चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के संपादकत्व में जयपुर में 'समालोचक' पत्रिका 1907 इलाहाबाद से शान्ति नारायण ने 'स्वराज्य पत्र' निकाला, मनमोहन मालवीय ने प्रयाग से ही 'अभ्युदय' और इसी समय तिलक के केसरी का हिन्दी संस्करण 'हिन्दी केसरी' प्रकाशित हुआ। सन् 1909 में काशी से जयशंकर प्रसाद ने 'इन्दु' पत्रिका का प्रकाशन किया। 'इन्दु' पत्रिका पर प्रसाद के व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। डॉ0 धर्मेन्द्र गुप्त के शब्दों में, 'प्रसाद का बहुत सा लेखन 'इन्दु' के माध्यम से सामने आया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद नाट्य परम्परा को आगे बढ़ाने का दायित्व प्रसाद ने संभाला तथा नाट्य लेखन को ऐसी ऊँचाई प्रदान की, जिससे वह भविष्य में साहित्य की प्रमुख विधा बन सका।' इसी समय पं0 सुन्दरलाल ने प्रयाग से 'कर्मयोगी' प्रयाग से ही सन् 1910 में पं0 कृष्णकान्त मालवीय ने 'मर्यादा' पत्रिका 1913 ई0 कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' का प्रकाशन किया। इसी समय 1913 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 'सम्मेलन पत्रिका' का प्रकाशन साहित्यिक प्रत्रकारिता के विकास की दिशा में उल्लेखनीय है।

स्वातंत्रयोत्तर पत्रकारिता (1947 से अब तक)

जब हमारा देश 1947ई0 आजाद हुआ तो आजादी के पहले पत्रकारिता का उद्देश्य स्वतंत्रता ही था, परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास, हिन्दी के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान का उद्घाटन साहित्य और शोध को बढ़ावा आदि उद्देश्यो को लेकर पत्रकारिता आगे बढ़ी। पत्रकारिता केवल राजनीति और साहित्य के क्षेत्र तक ही सीमित नही रही और इसकी पहुँच हर क्षेत्र तक हो गई। स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता फिल्म, उद्योग व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान, धर्म, खेलकूद, बाल, रेडियो, टी0वी0 ग्रामीण, स्वास्थ्य आदि अनेक रूपों में विकसित हुई। 1947 के बाद हिन्दी की अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगी। सन् 1947 में स्वतन्त्रता के बाद अज्ञेय की 'प्रतीक' पत्रिका ने साहित्य को नया स्वरूप प्रदान किया। सन् 1948 में बनारस से 'ज्ञानोदय' पत्र प्रकाशित हुआ इसके सम्पादक भी लक्ष्मीचन्द्र जैन थे। यह एक मासिक पत्र था। 1950 में धर्मयुग के प्रकाशन से साहित्यिक पत्रकारिता में एक नया मोड़ आया। इसके प्रथम सम्पादक इलाचन्द्र जोशी थे। धर्मयुग भारत की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी पत्रिका है। इसने पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की।

स्वातंत्रयोत्तर साहित्यिक पत्रिकाओं में 1949 में 'चंदामामा' का प्रकाशन हुआ, 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' (1950), 'कादम्बिनी (1960), संचेतना (1966), भारतीय साहित्य (1980), 'कथादेश' (1980) इन पत्रिकाओं में कहानियों के अतिरिक्त निबन्ध, लेख, कविता समीक्षा डायरी रिपोर्ताज आदि विधाओं को समुचित स्थान मिला।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है, कि स्वतन्त्रता पूर्व हिन्दी की पत्रकारिता ने जहाँ दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरित किया गया। वहीं समाज की अनीतियों, कुरीतियों पर प्रहार करके उसमें नये परिवर्तनों का समर्थन किया। हिन्दी को एक समृद्ध भाषा बनाने का अच्छा कार्य इसी युग में हुआ। हिन्दी पत्रकारिता अपने उद्भव काल से वर्तमान काल तक विकास के विभिन्न स्तरों से प्रगति की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ0 अर्जुन तिवारी, आधुनिक पत्रकारिता पृ0 2
2. प्रेमचन्द गोदस्वामी, पत्रकारिता के प्रतिमान- पृ0 13
3. डॉ0 रामचन्द तिवारी, पत्रकारिता के विविधरूप पृ0 16
4. डॉ0 कृष्ण बिहारी मिश्र, हिन्दी पत्रकारिता पृ0 51
5. डॉ0 धीरेन्द्र सिंह हिन्दी पत्रकारिता पृ0 20
6. डॉ0 सुशीला जोशी, हिन्दी पत्रकारिता - विकास और आयाम पृ018
7. डॉ0 मृदुला वर्मा, हिन्दी की सर्वोदय पत्रकारिता पृ0 45
8. डॉ0 विष्णु पंकज, हिन्दी पत्रकारिता का सुबोध इतिहास पृ0 10

****

रमेशचन्द्र शाह के साहित्य में विधाओं का वैविध्य

किरण अलावा * डॉ. संध्या गंगराडे **

प्रस्तावना – श्री रमेशचन्द्र शाह का जन्म सन 1937 अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड में हुआ था। रमेशचन्द्र शाहजी आधुनिक काल के प्रमुख कवि है, जो की कोई भी विधा ऐसी नहीं है, जो शाहजी ने, न हुई हो कवि उन बिरले लोगों में है जो शुद्ध साहित्यिक या साहित्यकार से अधिक एक समग्र बुद्धिजीवी की भमिका और जिम्मेदारी का अहसास रखते है तथा उसके निर्वाह में भी अपने लेखक की अलग ही पहचान बनाते है उनके लेखक व्यक्तिव की सक्रियता उन्हें लेखक बिरादरी में एक अलग ही प्रतिष्ठा प्रदान करती है।

'व्यवसाय से अध्यापक शाह का व्यक्तित्व साहित्यकार के रूप में वैविध्यमय है, वे कवि, आलोचक निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार यहॉ तक कि नाटककार के रूप में भी हमारे सामने आते है किन्तु ये सारी भूमिकाऍ उनके व्यक्तित्व को विभाजित करने की बजाए उनके विभाजित व्यक्तित्व को एकीकृत करने वाली है,जब हम समकालीन हिन्दी साहित्य को शाह के योगदान से जोडते है, तब हमारे लिए उनके समग्र रचना संसार पर दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है।'[1]

रमेशचन्द्र शाह के समकालीन साहित्यकार नामवरसिंह कुवरनारायण जैनेन्द्र अशोक वाजपेयी, शेलेश मरियानी आदि है। रमेशचन्द्र शाह के साहित्य के विविध विधाओं का वैविध्य तथा समग्र साहित्य के माध्यम से यह प्रयास किया की आज के आधुनिक दौर में कई साहित्यकार है लेकिन रमेशचन्द्र शाह एक ही ऐसे साहित्यकार है, जो विविध विधाओं का वैविध्यमय को प्रस्तुत किया है जो सामाजिक,धार्मिक, पौराणिकता, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन, स्वराज्य, गहनता, व्यंग्यात्मकता, लयात्मकता, अतीत, आधुनिकता, शिक्षा, भाषा, शिल्प, वैविध्यमय, प्रासंगिकता आदि विविध विधाऍ इनके साहित्य जगत में विद्यमान है।

रमेशचन्द्र शाह के समग्र साहित्य में जीवन की यथार्थ और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक राजनीतिक आदि स्थितियों का उल्लेख किया है, उसमें व्यक्ति–व्यक्ति का संबंध निरूपित है, सामाजिक विसंगतियों के सीमाहीन फैलाव और उसमें जकडें आदमी की जीवन्त तस्वीर है। अपने समकालीनों में रमेशचन्द्र शाह सबसे जुडकर भी सबसे अलग है, उनका यह अलगॉव ही उनके साहित्य की उपलब्धि है

रमेशचन्द्र शाह का व्यक्तित्व किसी एक आयाम में नही देखा जा सकता है इनका व्यक्तित्व मुलत: विशुद्ध भारतीय जीवन दर्शन से प्रभावित प्रतीत होता है उनकी रचनाओं में छावियों बिखरी पडी है। रमेशचन्द्र शाह अपने व्यक्तित्व एवं साहित्य में कुमाउनी, संस्कृति का सच्चा स्वरूप संजोए हुए है स्पष्ट है कि कुमाउॅनी आंचलिकता, कुमाउॅनी लोकजीवन और कुमाउनी संस्कृति आदि का उन्होनें पुर्ण रूप से आत्मसात किया है। बहरहाल कहानी, उपन्यास लिखने की प्रेरणा अपने परिवेश की जीवन्तता से मानव चरित्र के प्रति घनघोर कुतुहल और आकर्षण के चलते मिली है। जब हम उनकी आलोचना पढ रहे होते है, तब हम उनके कवि व्यक्तित्व को भुल जाते है और उनकी कविता पढते हुए हम भुल सकते है कि यह उस व्यक्ति की कविता है जिसकी गंभीर आलोचना हम अभी पढ रहे थे, शाह जी ऐसे कहानीकार और उपन्यासकार है, वे ऐसे लेखक है, जिन्होंने हिन्दी खड़ी बोली की लगभग आदि विधा निबंध को अपने सृजन और आलोचना की एक समकालीन विधा बनाने का प्रयत्न किया। शाह जब अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में प्रस्तुत होते है, तो पहचाना मुश्किल होता है कि वे हिन्दी के एक हर फनमौला लेखक है।

रमेशचन्द्र शाह के रचना संसार की जो छवि और छाप है, वह एक ऐसे विफल बुद्धिजीवी की छवि और छाप है जो उनके विधाओं की व्यापक भुमिका पर साहित्य के प्रश्नों और अपनी सुजनात्मकता को समझने रचने की कोशिश करता है, उनकी भाषा चाहे वह आलोचना की हो चाहे निबंधों को चाहे कविताओं या कहानियों की हमेशा एक संवादी मुहावरें में अपने को प्रकट करती है।

रमेशचन्द्र शाह के उपन्यास साहित्य गोबर–गणेश किस्सा गुलाम, पुर्वापर, आखिरी दिन, आप कही नहीं रहते विभुति बाबु सफेद परदे आदि उपन्यासों में सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृति स्थिति, राजनीतिक स्थिति, साहित्यिक स्थिति, ऐतिहासिक गरीबी, अत्याचार, बाल विवाह, गांधी दर्शन, अरविन्द दर्शन आदि का उल्लेख किया गया है कहानी– मानपत्र, मुहल्ले के रावण, थिएटर, जंगल में आग, प्रतिनिधि कहानियों आदि में सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक चित्रण प्रकृति सौन्दर्य तथा धार्मिक , आर्थिक आदि जीवन मुल्यों को उल्लेखित किया है

रमेशचन्द्र शाह की कविता –प्यारे मुचकुन्द, कछुए की पीठ पर हरिशचन्द्र आओ, आदि कविताओं में पौरणिक स्मृतियों आधुनिक बोध, अतीत, सामाजिक, राजनैतिक, आदर्शवादी प्राकृतिक सौन्दर्य, समृद्धि वैविध्य आदि का उल्लेख किया है। निबंध – रचना के बदले स्वधर्म और कालगति शैतान के बहाने, आडु का पेड, पढते–पढते, नेपथ्य से, सबद निरन्तर, सभ्यता, रामायण, महाभारत, दार्शनिक – अलौकिक , भारतीय एवं पाश्चात्य कवियों के विचार आत्मज्ञान, योग साधना, सत्य आत्मा–भिव्यक्ति, बौदिद्धकता आदि विधि रूपों का वर्णन किया गया है। आलोचना साहित्य –छायावाद की प्रासंगिकता भुलने के विरूद्ध आलोचना का पक्ष, आदि आलोचना साहित्य में प्राकृतिक सौन्दर्य, विचारोत्तेजक आलोचना, साहित्यिक और सांस्कृतिक समस्या, प्राचीन और नवीन भारतीय संस्कृति

* शोधार्थी (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर, (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय किला भवन, इंदौर, (म.प्र.)

व्यावहारिक समीक्षा, विचार विमर्ष, कबीर तुलसी रामकृष्णा, रमण महर्षि , अरविन्द दर्शन गॉधी दर्शन भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति का तुलनात्मक विवेचना की है, नैतिकता, बौदिद्धकता , गुणवत्ता व्यावहारिक साक्षात्कार, ज्ञान,धर्म संस्थापन, मानवीय ज्ञान, सभ्यता बोध आदि का वर्णन किया गया है।

निष्कर्ष – रमेशचन्द्र शाह के साहित्य में विधाओं का वैविध्य है, जैसे – उपन्यास, कहानी कविता नाटक आलोचना आदि विधाओं में वैविध्य है। शाह जी ने साहित्य के हर पहलुओं का छुआ है और उसे अपने साहित्य लेखन में प्रस्तुत किया है। शाह जी का साहित्य सबसे अलग तथा विविध विधाओं का वैविध्य है, जैसे– दार्शनिक चिंतन तथा मानवीय चिंतन आत्मानुभव पौराणिक ग्रामीण जनजीवन, शहरी जनजीवन, आँचलिकता आदि का उल्लेख किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अक्षरा–पत्रिका, (मार्च–अप्रेल 2011)
2. किस्सा गुलाम – रमेशचन्द्र शाह।
3. विनायक – रमेशचन्द्र शाह।
4. गोबर गणेश – रमेशचन्द्र शाह।
5. मानपत्र – रमेशचन्द्र शाह।
6. थिएटर – रमेशचन्द्र शाह।
7. आलोचना का पक्ष – रमेशचन्द्र शाह।
8. रचना के बदले – रमेशचन्द्र शाह।
9. प्यारे मुचकुन्द को – रमेशचन्द्र।
10. आडु का पेड – रमेशचन्द्र शाह।

****

श्री लाल जी शुक्ल का कृतित्व और व्यक्तित्व

पुष्पा बर्डे *

प्रस्तावना – हिन्दी के समृद्ध लेखनीय परिदृश्य में बहुत कम ऐसे लेखक होगे जिन्हें श्री लाल जी शुक्ल जैसी ख्याति मिली हो। हिन्दी में उपन्यास भी बहुतेरे लिखे गए है किन्तु राग दरबारी अपने–आप में अनुठा है। किस्सागोई की ऐसी विरल शैली उनके समकालीन में किसी अन्य कथाकार उपन्यासकार के यहां देखने को नहीं मिलती। एक समय हिन्दी समाज में यह किसी के वाकई पढे लिखे होने का सबूत माना जाता रहा है यदि उसने अन्य चुनिदा उपन्यासों के साथ–साथ राग दरबारी भी पढ़ रखी हो। एक बड़े आख्यान को व्यंग्य की अटटू शैली में पेष करना आसान नहीं है। केवल इसी आधार पर उसे महज व्यंग्य के खाते में डाल कर चलता किया जा रहा सकता है।

वे किसी बड़े घर में नही जन्में किन्तु अपनी प्रतिभा के बुलबुते समाज में बडे लेखक होने का यश कमाया। अपने जीवनकाल में वे अनेक सम्मानों के भागी बने, कई उल्लेखनीय सम्मानों के अलावा व्यास सम्मान यशभारती सम्मान साहित्य अकादेमीं सम्मान और अतंत: ज्ञानपीठ सम्मान, वे हालांकि आलोचना जैसी उबाऊ चीज में प्राय: हाथ नहीं लगाते थे किन्तु अज्ञेय से प्रेम के चलते उन पर आलोचना की पुस्तक भी लिखी –''अज्ञेयकुछ रंग , राग '' और लखनऊ के अपने संगी साथियों में भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर पर मोनोग्राफ भी। महान साहित्यकार होने के भी बावजूद वे अपने आसपास एक सरस वातावरण बनाए रखते थे और हमेशा ध्यान रखते थे कि जहां तक हो सके, न तो साहित्य में और न जीवन में ही ऊब का निर्माण हो।

श्रीलाल शुक्ल के लिखने का सदैव ही अपना एक मकसद रहा है। वे कभी न लिखने के कारण जैसे टोटको के शिकार नहीं हुए और न ही मैं बिना लिखे नहीं रह सकता जैसी खुषफहमी पाली। उनके समूचे लेखन पर व्यंग्य की परत भी कोई

श्री लाल शुक्ल के व्यंग्य हवा में खप नहीं जाते बल्कि तलछट की तरह हमारी चेतना में चिपक जाते है। मौजूदा समय के व्यंग्य विधा के अनेक संचनाकारों कि आधीरता जहां अक्सर किसी भी विषय में भदेस की चौहदी लाघकर हास्य का समस्त रस उडेल देने की रहती है, उनकी कोषिष सहजता से व्यग्यं का वातावरण बुनने और उसे स्थितियो के भीतर से ही रचने की होती थी – और इस प्रक्रिया मे वें खुद को भी नहीं बख्शते थे। श्री लाल जी की विशेषता थी कि वे वह अपनी ओर से साहित्य चर्चा नही शुरू करते थे। कोई पहल करे तो बिना किसी दभं और प्रदर्शन के वह उसे अपने संस्कृत और आधुनिक साहित्य के ज्ञान से प्रभावित करने में सक्षम थे। शुक्ल जी महान इस अर्थ में भी थे कि वह महानता का मुखौटा नहीं लगाते थे। एक बार, यो ही चर्चा के दौरान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था कि – 'महान वह होता है जो मिलने पर आंगुतक को बिना किसी दिखावे या प्रयास के अपनी महानता का कुछ अंश दे जाता हैं।

परिचय – श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को गांव अतरौली लखनऊ जनपद(उत्तर प्रदेश) में हुआ। वे गरीब परिवार होने के कारण प्राय: उनकी शिक्षा बाधा उपस्थित होती रही है। उनकी परिवार में एक शिक्षित व्यक्ति उनके चाचा पण्डित चन्द्रमौलि शुक्ल अपने समय 1907 के ग्रेजवेट थे, उन्हें बी.ए की परीक्षा में सर्वोच्य स्थान भी प्राप्त हुआ था। वे हिन्दी के अच्छे लेखकों में से एक थे उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। उनके निजी पुस्कालय में तमाम साहित्यिक पत्रिकाएँ थी प्रसाद और प्रेमचन्द्र की पुस्तके भी थी। इनके बीच श्रीलाल जी की वाल्यावस्था बीती और साहित्यिक संस्कार पनपे। शुक्ल जी बचपन गरीबो की गलियो में बीता। यहां के बच्चों में साथ खेलकर गांव के आसपास की खेतियों और जगल में घुमकर उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया था। गॉव मैं अलग –अलग जाति के लोग रहते थे। उन सब के अपने–अपने आचार–विचार भी थे। जमीन्दारी प्रथा का समय था। शुक्ल जी के पिता एक किसान थे। गरीब परिवार के होने के बावजूद उनके परिवार मे पठन–पाठन की परम्परा बनी रही थी। उनके मन में उच्च शिक्षा पाने की अदम्य इच्छा थी। साहित्य के प्रति जिज्ञासु थे लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण उन्हें एम. ए और कानून की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। शुक्ल जी की माता कंचन देवी का जन्म उन्नीसवी सदी के अन्त मे हुआ। उस समय लडकियों को पढ़ाना मना था। परन्तु शुक्ल की माता जी को पढ़ने–लिखने का मौका मिलने के कारण उन्हें हिनदी और गणित की सामान्य जानकारी थी। वह बहुत उदरमना एवं हमेषा आनन्द और उत्साह के साथ्ज्ञ जीवन में आने वाले प्रत्येक पल को हँसकर ग्रहण करती थी। क्रिकेट लैडमिंटन के मैच और सिनेमा देखने और गाना सुनना ये उनके खास शौक थे। शुक्ल जी ने उनको 57 वर्ष की उम्र में रायफल चलाना सिखाया था। वह अपने जीवन के बहुरंगी पक्षों पर उत्साह से प्यार करती थी। उनका देहान्त सन् 1967 में अलमोड़ा में अपने छोटे–छोटे बेटे घर हुआ जो सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट थे, जिनका नाम भवानी शंकर शुक्ल है। शुक्ल जी के पिता पडित ब्रजकिशोर शुक्ल का हिन्दी,ऊर्दू संस्कृत का काम चलाऊ ज्ञान था। वे करारत और संगीत के शौकीन थे। वे जीवन के पूर्वार्ध में अपने पिता पर तत्पत्तत वे यत्किचित कृषि तथा अपने भाग्य पर और अपने जीवन उत्तरार्ध में अपन बडें पुत्र पर निर्भर रहे। वे सन् 19947 में दिवंगत हुए उस समय श्री लाल शुक्ल बी.ए. के विद्यार्थी थे।

श्रीलाल शुक्ल के पितामह पं. गदायधर प्रसाद सुकुल हिन्दी,संस्कृत फारसी और ऊर्दू के प्रकांड विद्धान थे। उन्हें सगीत का बहुत शौक था। कुछ वर्षो तक उन्होनें पास के विद्यालय में अध्यापन कार्य किया वहाँ से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 55–56 वर्ष की उम्र मे सितार बजाना सिखा था। श्रीलाल

* शोधार्थी, जे. एच. कॉलेज, बैतुल (म.प्र.) भारत

शुक्ल के जन्म के कुछ माह पूर्व ही इनका देहांत हो गया। श्रीलाल जी के पिताजी के चचेरे भाई पं.चन्द्रमौति शुक्ल अपने समय के हिन्दी लेखकों में माने जाते थे। वे टिचर्स ट्रेनिग कॉलेज में अध्यापक थे उन्हीं के कारण श्रीलाल शुक्ल को साहित्य में रूचि जाग्रत हुई।

श्रीलाल शुक्ल का बचपन अपने दो भाई तथा दो बहनों के बीच गुजरा वे बचपन से ही कुषाग्र बुद्धि तथा परिश्रमी और साहित्यिक रूचि के रहे है। उनका परिवार सुसंस्कृत होने के कारण उनके बचपन को एक सुसंस्कृत - माहौल में पनपने का अवसर मिला। बचपन में ही अपने पिताश्री से संस्कृत श्लोकों तथा हिन्दी कविताओं का ज्ञान उन्होंने पर लिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद इनको बचपन से ही साहित्यिक एवं सुसंस्कृत वातावरण प्राप्त हुआ। जिसका असर उनकी रंग-रंग मे समा गया बचपन से ही साहित्य के प्रति लगाव हो गया था इस प्रकार रचानात्मक व्यक्तित्व के विकास से माता- पिता एवं चाचा का अभूतपूर्व योगदान रहा। बाल्यावस्था में ही ज्ञान सम्पन निर्धन पिता ने संस्कृत सिखाना प्रारम्भ कर दिया था। वे हाईस्कुल तक पहुँचते-पहुँचते संस्कृत बोलना सीख गये थें। साथ ही शब्दों को कविता में ढालने का घिटपुट प्रयास भी प्रारम्भ कर दिया था। यहाँ पर यह कहावत की पूत के पाँच पालने में दिखाने देते है चरित्रतार्थ हो उठती है। तब व्याकरण के सम्यक ज्ञान क अभाव में रची गई कविताएँ भी भावों और अभिव्यक्ति शैली में सशक्त थी। इस प्रकार बचपन से ही शुक्ल जी को साहित्य के प्रति विशेष प्रीति रही। इस बारे में शुक्ल जी स्वंय लिखते है- ' वह हमारे लिए चाँद, माधुरी , सुचा सरस्वती गंगा हंस सुकवि काव्यमाला आदि जो पुस्तके उन्हें (चाचा जी ने) भेंट की गयी थी, वे सब आठवी पास करने से पूर्व पढी थी।'

जिस समय शुक्ल जी का बचपन बीत रहा उस समय देश की परिस्थिति भी कुछ अच्छी न थी। तत्कालीन भारतीय परिवेश में स्वंतत्रता प्राप्त करने की बढती जाती जिजीविषा साथ ही किसानों की दिन पर दिन बिगड़ती जाती दशा। खाश करके अवध के खेतिहरों की जीर्ण-शीर्ण आर्थिक स्थिति थी। आजादी के लिए संघर्षरत जनता आर्थिक एवं अंग्रेजों भारत छोड़ों का शंखनाद करते हुए गाँधरी की तेजस्वी वाणी से गुंजते हुए वातावरण में शुक्ल जी बचपन बीता। उनके कठिनाई में बीता। पग-पग पर मुसीबत एवं आर्थिक कष्टो का सामना करना पड़ा तत्कालीन भंयकर आर्थिक संकट का वर्णन करते हुए यह घर मेरा नहीं में शुक्ल जी लिखते है - मुझे याद है, सन् 1925 भंयकर आर्थिक गिरावट के दिनों मे मेरा जन्म 1925 के आखिरी दिन हुआ था। अवध के सामान्य खेतहरों की दुरावस्था से मेरा परिवार को भी निकलना पडा था।

शिक्षा - श्रीलाल शुक्ल की प्रारभिक शिक्षा अपने ही गाँव अतरौली के पास वाले कस्बे मोहनलाल गजं में हुई। उसके बाद मीडिल भी मोहनलाल गंज मे ही पास की । हाईस्कूल तक की शिक्षा कान्यकुब्ज वोकेशन कॉलेज , लखनऊ से पूरी की इटरमीडियट की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद इलाबाद विश्व-विद्यालय में बी. ए. में प्रवेश लिया। बी. ए. के बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एम. ए (प्राचीन भारतीय इतिहास) तथा कानुन की परीक्षाओं मे प्रवेश तो लिया था मगर यहाँ उनकी पढाई आगे चल नहीं सकी इसे छह- साल महीने बाद कोर्स छोड दिया और सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। पी.एस. सी की तैयारी के दौरान कान्यकुब्ज वोकेशन इंटर कॉलेज में नौकरी कर ली उसी समय उनका विवाह एक परिचित परिवार की कन्या गिरिजा देवी से सम्पन हुआ। अपने विवाह के बारे में उन्होंने कहा कि है- 'मैने तो इन्हें (गिरिजा शुक्ल) देखा भी नही था। इनके भाईयों की प्रतिभा संपन्नता से मैं प्रभावित था। मैंने सोचा जो लडकी ऐसे परिवार की है, बी.ए की तैयारी कर रही है संगीत मे गहरी दिलचस्पी रखती है जरूर मेरे योग्य होगी और मैंने गलत भी नहीं सोचा। 'उन्होंने एक और जगह अपने विवाह के विषय में कहा है-' यह फरवरी 1948 की बात है। अत: युनिवर्सिटी मैने बनने का स्वाभाविक ख्याब छोड़ते हुए घर जाकर बैठ गया। फिर कुछ करने की सोच रहा था तभी शादी कर ली पत्नी है। आज भी मैं अपने उस यकीने की दाद देता हूँ। '

वह तो दो शरीरों से ज्यादा दो आत्माओ का मिलन, दो मनो का संगम कराने वाली प्रथा है। यही मिलन और संगमं श्री लाल शुक्ल जी के जीवन में भी हुआ है। ऐसा ही उनके इन शब्दों से प्रतीत होता है। उनका वैवाहिक जीवन संतोषजनक रहा है। श्री लाल शुक्ल जी का पारिवारिक जीवन पूर्णतया सुखी है, उनके एक पुत्र और तीन पुत्रियाँ है। पुत्र आशुतोष शुक्ल पुत्रियाँ रेखा अवस्थी, मधुलिका मेहता और विनीता माथुर।

बहुत पहले अथार्त हाईस्कुल उत्तीर्ण करते-करते कुछ महीने द्वितीय युद्ध के एक संगठन सी. ओ. डी. में उन्होंने कार्य किया। उसके बाद बी. ए हाने के उपरांत पी.सी.एस की तैयारी के दौरान कान्युब्ज- वोकेशनल इंटर कॉलेज में दिन अधीनस्थ राजस्व सेवा में भी रहे। सन् 1949 में वे सर्विस में आ गए। कुछ साल बाद 1973 मे आई.ए.एस में पदोन्नत हो गए। उत्तर प्रदेश के अनेक उच्च पदों पर कार्य करने के बाद विशेष सचिव (चिकित्सा एवं स्वस्थ) पद से 30 जून 1983 को उन्होनें अवकाश प्राप्त किया।

श्रीलाल शुक्ल जी को भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्य करने का अवसर मिला। जहाँ-जहाँ उन्होंने कार्य किया वहाँ के जनजीवन खासियतों को समझने की कोशिश भी की है। नौकरी के क्षेत्र में वे समाजधर्मी एवं निष्ठावान थे। सरकारी अफसर के रूप में उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में विषम क्षमता दिखाई। उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस में काम करते हुए उन्होंने संघीय लोकसेवा आयोग में विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य करने का भी अवसर मिला। नौकरी के क्षेत्र में उन्हें कई अनुभव प्राप्त हुए है। बडे बडे लोगों से मिलने तथा उनकी आदतों के साथ चारित्रिक विशेषताओं को समझने का अवसर भी उन्हें मिला। राजनीतिक परिस्थिति तथा प्रषासनिक क्षेत्र में व्यस्त रहने पर भी वे एक अच्छे पाठक भी थे। वे नौकरशाह नहीं थें ना हि वैसा दम उन्हें था। सरकारी फाइलों के बीच सालों तक रहने पर भी वे सच्चे मनुष्य, मानवीयता का वक्ता बनकर रहे है। ममता कालिया ने लिखा है- 'वे हिन्दी के एकमात्र ऐसे कथाकार है, जिन्होंने खाकी रंग की सरकारी फाइलों की अटपटी जानकारी एवं शब्दावली से अपनी मौलिक रचनात्मक भाषा का अनुसंधान किया है पूर्ण कालिक जिम्मेदार नौकरी मे इतने बरस बिताकर और कोई, कई आदमी यांत्रिक और बेजान हो जाते है उनमें से फाइलों की बू आने लगती है, पर श्री लाल जी ने इन सीमाओ को अपना सामर्थ्य बनाया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

ग्रामीण विकास में पत्रकारिता का योगदान

डॉ. सियाशरण ज्योतिषी *

प्रस्तावना – भारत की सबसे बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर करती है। उनका रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान, आचार-विचार आदि को लेकर उनकी अपनी जीवनचर्या होती है। जिसमें समय के साथ परिवर्तन भी आता है और समस्याएँ भी उत्पन्न होती है। जिनके निपटारे और समाधान के लिए पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह देश के विकास से ग्रामीण जनों का परिचित होना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार देश के विकास के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि उसकी सबसे बड़ी आबादी यानि ग्रामीण क्षेत्र की परिपाटी से देश के अन्य सभी लोग, शासन और वैज्ञानिक आदि भी परिचित हों और यह तभी संभव है, जबकि ग्रामीण जनों तक पत्रकारिता की पहुँच हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास के साथ-साथ बिजली, सिंचाई, सड़क, परिवहन के साधन, ट्रेक्टर-हारवेस्टर आदि से लेकर अन्य उन्नत तकनीकों से गाँवों को न केवल परिचित कराने बल्कि उनके उपयोग और रख-रखाव आदि से संबंधित समस्त क्रिया-प्रतिक्रिया के पीछे पत्रकारिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इतना ही नहीं ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य-परिचर्या आदि के प्रति जागरुक करते हुए स्वास्थ्य दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया है।

ग्रामीण शिक्षा के उत्थान में पत्रकारिता के योगदान को कभी भुला पाना संभव नहीं है। प्रारंभ से ही ग्रामीण परिवेश में असंख्य प्रतिभाएँ रहीं हैं किंतु शिक्षा और जागरुकता के अभाव में उनका उतना प्रकीर्णन नहीं हो पाया जितना पत्रकारिता के माध्यम से हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी आवश्कताएँ, समस्याएँ और संस्कृति होती है। जिनको प्रकाश में लाने के साथ-साथ तकनीकी सुविधाओं से लाभान्वित करने का कार्य जितना दुष्कर है, वह सर्वविदित है। किंतु पत्रकारिता ने इस दुष्कर कार्य को करने का बीड़ा उठाया और आज ग्रामीण जन को प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ते हुए न केवल तकनीकी सुविधाएँ प्रदान कीं बल्कि ग्रामीण जनता को जागरुक बनाते हुए उनके समाज में फैले अंधविश्वासों, रूढ़ियों और प्रथाओं आदि से उन्हें मुक्त करते हुए 'राम राज्य' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में महत्तम प्रयास किया है।

जनता की आवश्यकताओं से शासन को अवगत कराने के साथ-साथ शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योग दिया है। दलितों पर होते अत्याचार उनके जातीय झगड़े, महिलाओं की स्थिति, ग्रामीण जनों व्याप्त अंधविश्वास, छुआछूत, आदि को लेकर समय-समय पर विभिन्न अखबारों ने अपने विभिन्न कॉलमों में स्थान देकर जांगरुकता और सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिन्दी साहित्य के संवेदनशील विद्धानों ने तो ग्रामीण परिवेष का अत्यंत बारीकी से चित्रण किया है। जहाँ प्रेमचंद ने 'गोदान' में गाँव के एक पक्ष को प्रस्तुत किया वहीं फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'मैला आँचल' में बिहार के पूर्णिया जिले के माध्यम से समूचे भारत के ग्रामीणों के जीवन से संबंधित अन्य पक्षों को भी उभारा है। किंतु साहित्य से जुड़े लोगों की संख्या अत्यंत कम होने के कारण ग्रामीण सरोकारों से एक सीमित संख्या ही जुड़ सकती है। यहाँ साहित्य की सीमाएँ दिखाई देने लगती हैं। किंतु पत्रकारिता का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके लिए कोई सीमाएँ निर्धारित हैं। व्यक्ति साहित्य से जुड़ा हो या न हो किंतु अखबार सभी पड़ते हैं, समाचार सभी देखते हैं, आकाशवाणी से सभी जुड़े हैं जिसके कारण पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों से अन्य लोग भी जुड़े होने के कारण ग्रामीण समस्याओं से सभी मुखातिब हो सकते हैं।

छुआछूत और अस्पृश्यता को लेकर गाँवों की स्थिति में बहुत हद तक बदली नहीं है। 'द ट्रिब्यून' ने गाँवों की समस्याओं को स्थान देकर सदैव उनके उत्थान के लिए प्रयास किया है। 18 नवम्बर 2000 को जालंधर के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। जिसके अनुसार- 'पटियाला जिला के क्योई कलां गाँव के अनुसूचित जाति के 105 परिवारों को, गाँव के उच्च जाति के परिवारों द्वारा सामाजिक बहिष्कार करने के कारण अपना गाँव छोड़ना पड़ा। वे पिछले पाँच साल से अपने घर होने के बावजूद भी भटक रहे हैं। उनका दोष केवल इतना था कि उन्होंने अपने जमींदार मालिक से दशकों पुराने वेतन बढ़ाने की माँग की थी।

कृषि क्षेत्र में अत्यंत विकसित तकनीकों को प्रयुक्त करने वाले गाँवों में महिलाओं के लेकर अभी चिंता जनक हालात हैं, राजस्थान का भँवरी देवी के प्रकरण इसका साक्ष्य है। 'ग्रामीण पत्रकारिता के लिए सबसे अधिक जरूरी है ऐसी घटनाओं को प्रकाष में लाना और इनके विरुद्ध जनमत तैयार करना। कहते हैं ना कि पत्थर पर लगातार पानी गिरने से पत्थर भी किसी दिन टूट जाता है इसीलिए पत्रकार अगर लगातार प्रयास करें तो ग्रामीणों को ऐसी परिस्थितियों से उबारा जा सकता है। वास्तव में समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएँ केवल समाचार के रूप में ली जाती हैं। समस्या के रूप में नहीं। विंध्यप्रदेश के प्रथम साहित्यिक 'मधुकर' पत्रकार-पवर पं. बनारसीदास चतुर्वेदी के संपादन और संयोजन में सन् 1930 में टीकमगढ़ से प्रकाशित हुआ था। इसमें अंचल से संबंधित लोककला-लोकसंस्कृति को बढ़ाने का प्रथम प्रयास किया था। जिसे आज पत्रकारिता के युग में साकार होते देखा जा रहा है। किंतु अब तस्वीर बदल रही है 'पंजाब केसरी', दैनिकभास्कर, जैसे समाचार पत्रों से लेकर टेलीविजन पर आने वाले 'डी डी किसान' चैनल और रेडियो पर आने वाले 'कृषि जगत्' और 'किसान कॉल सेन्टर' आदि में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं केवल खबर नहीं बनाया जाता बल्कि उनकी समस्याओं से शासन को अवगत कराने से लेकर न्याय प्राप्ति तक सुलझाने का भी प्रयास किया

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर, जिला-मंडला (म.प्र.) भारत

जा रहा है। 'इधर कुछ आंचलिक पत्रकारों ने एक विशेष प्रकार का पाठक बनाने का प्रयास किया। ग्रामीण पत्रकारिता ने भी अपना योगदान किया। कृषि, सामुदायिक विकास तथा पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ी पत्रिकाएँ जनजातीय समस्याओं तथा विकास पर विशेषांक निकालती रही हैं। देखने में आया है कि समाचारपत्रों के मुखपृष्ठ आदिवासी जीवन से परहेज रखते हैं। उनके लिए अंदर के पृष्ठ का कोई कोना सुविधानुसार आरक्षित हो जाता है। आज पत्रकारिता के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट दोनों ही माध्यम ग्रामीण विकास को लेकर जागरुक हैं और उसके विकास में अपना सभी संभव योग देने मे प्रयासरत् हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. द ट्रिब्यूनल, जालंधर, 18 नवम्बर 2000
2. ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता, डॉ रेणुका नैयर, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, पृ.–132
3. मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता – एक शताब्दी, डॉ. कैलाश नारद, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ.–98
4. भारतीय पत्रकारिता (कल आज और कल), सुरेश गौतम, वीणा गौतम, साहित्य प्रकाशन दिल्ली, पृ.–273

****

हिन्दी साहित्य में चन्द्रगुप्त 'विक्रमादित्य' का चरित्रांकन

प्रेम सिंह कुम्भकार* डॉ. गणेश लाल जैन**

प्रस्तावना – साहित्य समाज का मानवीय जीवन का सच्चा लेखा–जोखा है। युग का प्रतिबिम्ब है। 'हित संयुक्त साहित्यम्' साहित्य वह है, जिसमें हित हो जो हित से संयुक्त हो।

'जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहॉ कि जनता की चित्तवृति का संचित प्रतिबिम्ब होता है तब यह निश्चित की जनता की चित्तवृति में परिवर्तन के साथ–साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के माध्यम से हम किसी भी देश व समय की समसमायिक घटनाओं, सामाजिक राजनैतिक, ऐतिहासिक आर्थिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक घटनाओं का समावेश होता है। इस प्रकार साहित्य के दर्पण में समाज सदैव प्रतिबिम्बित होता है।साहित्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति समाज और राष्ट्र का हित चिंतन है। चन्द्रगुप्त 'विक्रमादित्य' समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के बहुत से पुत्र पौत्र थे, किन्तु उन्होंने अपने अंतिम समय में चन्द्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना। ध्रुवस्वामिनी चन्द्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है, उसके पिता ने उसे चन्द्रगुप्त को भेंट में दिया था पर चन्द्रगुप्त के बडे भाई रामगुप्त ने छल–बल से उसका बलात् अपहरण कर उसके साथ राक्षस विवाह कर लिया। ध्रुवस्वामिनी को रामगुप्त ने अन्त:पुर में रखा है, पर वह बंदिनी की भॉति है। रामगुप्त की नपुंसकता, कायरता, विलासता से उसे घृणा है। रामगुप्त अयोग्य, कायर, दुर्बल, नपुंसकता और युद्ध भय के कारण शकराज से अपमान जनक संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। वह स्वयं के लिए 'ध्रुवस्वामिनी' अपने सामंतो के लिए रामगुप्त के सामंतो की पत्नी की मॉग करता है। रामगुप्त संधि की शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी जानकारी जब चन्द्रगुप्त को मिलती है, तो चन्द्रगुप्त ने स्त्री वेश में शकराज के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे समाप्त किया। परासर और नारद स्मृतियों से उस काल की समाजिक व्यवस्था में पुन: लग्न होने के प्रमाण के आधार पर उसने ध्रुवस्वामिनी से पुन: लग्न किया।

मानस का एक ज्वलन्त और तेजस्वी चित्र चन्द्रगुप्त नाटक में मिलता है। 'पुरूषों ने स्त्रियों का अपनी पशु–सम्पत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास शताब्दियों से पुरूषों ने जो बना रखा है। वह ध्रुवस्वामिनी के साथ नहीं चलने का आज की नारी प्रतिनिधी ध्रुवा, अनाचारी निर्लज्ज मद्यप और क्लीव पति रामगुप्त की अनुगता होने के लिए बाध्य नहीं है।' चन्द्रगुप्त ने आधुनिक नारी की समस्या को सनातन समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हुए जीवन के एक जटिल प्रश्न का समाधान दिया गया है। इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने शकराज को मारकर व ध्रुवस्वामिनी की रक्षा कर राष्ट्र और वंश के गौरव का अनूठा उदाहरण दिया है।

'बृहत्कथा मंजरी में विक्रमादित्य' के सैनिक पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा गया है, 'उन्होंने 'भ्रू–भंगमात्र' से मलेच्छो, कम्बोजो, यवनौ (यूनानियों) बर्बरों से सहित नीच हूणों, तुषारों, जिन्होंने आर्याचार को त्याग दिया था जो पत्ति हो गए थे, परास्त किया और पृथ्वी का भार उतार डाला। यह सारा साहस का काम उन्होंने आसानी से सम्पन्न किया।

चन्द्रगुप्त गुप्तकाल की गौरव–रक्षा के विचार से ही शासन–भार रामगुप्त के ऊपर छोड देता है। प्रकृति से ही वही वीर, उदार निर्भीक और कर्त्तव्य परायण है। अपने सम्मान और सम्पूर्ण गुप्तकाल के गौरव का विचार रखने वाला वह युवक अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास रखता है। चन्द्रगुप्त की स्निग्ध, सरल और सुन्दर मुर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। उसके हृदय में ध्रुवस्वामिनी अनन्य अनुराग स्थापित हो चुका है, परन्तु वस्तु स्थिति से वह विवश है। विवेक–बल के कारण अपने हृदय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस बात को वह कभी भूल नहीं पाता कि वह उसकी वाग्दत्ता पत्नी है। उसको आत्महत्या के लिए उद्यत देखकर वह क्षुब्ध हो उठता है। उसे शकराज के पास उपहार स्वरूप भेजते देखकर उसका पुरूषत्व उद्दीप्त सक्रिय हो उठता है। स्वयं नारी–वेष में शकराज के पास जाकर उसका वध करता है। इसी नारी अपमान के प्रतिकार स्वरूप वह रामगुप्त की सारी दुरभिसंधि को नष्ट करके पुन: कुल के गौरव की स्थापना करता है। इसीलिए वह राजनीतिक क्रांति के लिए तत्पर हुआ है। इस क्रांति में उसके चरित्र–प्रधान व्यक्तित्व का विशेषस्थान है। उसका चरित्र न्यायोचित है और नाटक भर में उसके चरित्र का विकास भी भव्य दिया गया है।

इस प्रकार सम्राट चन्द्रगुप्त 'विक्रमादित्य' भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रतापी राजाओं में से एक थे। नाटककार के मतानुसार उनका स्थान राम और कृष्ण के पश्चात का है। इन्हीं का गौरव–गान साहित्यकारों ने अपनी रचना में किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. समुद्रगुप्त एरण अभिलेख ध्रुवस्वामिनी परिशीलन/डॉ. हरिहर प्रसादगुप्त।
2. हिन्दी और मराठी के ऐतिहासिक नाटक का तुलनात्मक विवेचन/प्रा. रा. भुपटकर।
3. प्रसाद के नाटक एवं रचना प्रक्रिया/डॉ. जगदीश प्रसादगुप्त।
4. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन/जगन्नाथ प्रसाद शर्मा

* शोधार्थी, शासकीय चन्द्रशेखर आजाद अग्रणी महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

तत् वाद्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व

डॉ. ऋचा उपाध्याय *

प्रस्तावना – संगीतात्मक ध्वनि की उत्पत्ति जिस उपकरण के द्धारा होती है, उसे 'वाद्य' कहते हैं। वाद्य शब्द वद् धातु में णिच् प्रत्यय+यत् प्रत्यय के संयोग से बना है। इसका अर्थ है, वह वाद्य यंत्र जो बोलता है या जिसे बोलाया जा सके। संभवत: यही कारण रहा है कि मनीषियों ने मानव कंठ को 'दैवी या ईश्वरीय वीणा' की संज्ञा दी एवं मानव द्धारा निर्मित वाद्यों को 'मानुषी' या दारवी वीणा'

(अर्थात काष्ठ की बनी वीणा) कहकर पुकारा है। कम्पित पदार्थ यानि वाद्य में स्वरोत्पत्ति के लिए प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर वाद्य को प्रमुख चार भागों में विभाजित किया गया है– तत्, घन, अवनद्ध, सुशिर। तत् वाद्यों में सभी तंत्री वाद्यों को समाहित किया गया है। जैसे रूद्र वीणा, सितार, सरोद आदि इनमें तारों को छेड़ने के लिए कोण, गज या अंगुलि का प्रयोग किया जाता है। घन वाद्य वे हैं जो प्राय: लकड़ी, मिट्टी या धातु से बने होते हैं। जैसे मंजीरा, घंटा, मटका आदि। अवनद्ध वाद्य चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, ऐसे वाद्यों पर हाथ या दण्ड से आघात किया जाता है– जैसे पखावज, मृदंग, तबला आदि। सुशिर वाद्य उन्हें कहते हैं, जो अन्दर से खोखले होते हैं–जैसे वांसुरी, शहनाई आदि। किसी भी क्षेत्र का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने हेतु वर्गीकरण की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। संगीत का कोई पहलू इससे अछूता नहीं रह पाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संगीत के अनतर्गत चतुर्विध वाद्य (घन, अवनद्ध,तत्, सुशिर) वर्गीकरण का उल्लेख प्राप्त होता है। जिसका अनुकरण हम आज भी करते हैं

यदि वाद्यों के चतुर्विध वर्गीकरण को देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग के वाद्यों का अपना–अपना अलग स्थान स्पष्ट होता है। इनमें तत् वर्ग के वाद्य सर्वश्रेष्ठ स्थान ग्रहण करते हैं, जिनसे सभी स्वरों की निष्पत्ति संभव है । इस तथ्य की पुष्टि करते हुए अभिनव गुप्त जी कहते हैं– 'शरीर में वाणी की पौरूषता अर्थात् कर्कशता होती है। इस दोष को तंत्री अपनी स्वभाव मधुर ध्वनि से आच्छादित करती है। अत: इस अर्थ में वाद्य कंठ का आहार्य है। जैसे शरीर में मनोहरता की वृद्धि के लिए अलंकारादि धारण किए जाते हैं, कंठ में मधुरता के अभाव की पूर्ति के लिए वाद्य की सहायता ली जाती है। मुर्च्छित अर्थात् मिली हुई वीणा में स्वर की न्यूनता या अधिकता होने की आशंका न होने से अशिक्षित द्धारा आघात करने से भी स्वरत्व की प्राप्ति होती है।'[1] अर्थात् तंत्री वाद्य ही वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विद्यमान है

तत् वाद्यों की उपयोगिता व श्रेष्ठता को निम्न बिन्दुओं के आधार पर अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है–

सिद्धांतों को स्थापित करने की दृष्टि से – बिना सिद्धांत के किसी वस्तु का निर्माण संभव नहीं होता। संगीत की उत्कृष्टता और निकृष्टता का ज्ञान भी सिद्धांत के आधार पर ही होता है। उत्तम से उत्तम कोटि के संगीतज्ञ भी संगीत के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं कर सकते। शास्त्रीय सिद्धांतों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में तंत्री वाद्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। सर्वप्रथम आचार्य 'भरत' ने 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए वीणा का ही आधार लिया है। बाद में अन्य आचार्यों ने भी वीणा के माध्यम से सप्तक के स्वरों में पं0. अहोबल, हृदयनारायण देव, श्री निवास ने भी अपने ग्रंथों में श्रुति व्यवस्था की विस्तृत चर्चा की है। 'डॉ. लालमणि मिश्र जी' ने प्रचलित रूद्र वीणा में आवश्यक परिवर्तन कर 'श्रुति वीणा' नामक तंत्री वाद्य का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से 'भरत' के षड्ज तथा मध्यम ग्राम के स्वरों को (अर्थात् 22 श्रुतियों के अंतर को) स्पष्ट समझना संभव हुआ है।'[2] इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि स्वर संबंधित या सप्तक संबंधी सभी सिद्धांतों का आधार तंत्री वाद्य ही रहे हैं।

स्वरों को श्रव्य व दृश्य रूप प्रदान करने तथा निश्चित स्थान प्रदान करने की दृष्टि से – स्वरों को श्रव्य व दृश्य रूप प्रदान करने का सम्पूर्ण श्रेय तत् वाद्यों को जाता है क्योंकि तत् वाद्यों के द्धारा ही उनका एक स्थान निश्चित हुआ। जिससे स्वर सप्तक बन सके। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से आज तक विद्धान प्रयासरत हैं तथा निरंतर नवीन अवधारणाएँ प्राप्त हो रही हैं। 'स्व: आचार्य बृहस्पति' जी ने श्रुतियों के अंतराल की असमानता को सिद्ध करने के लिए एक 'श्रुति दर्पण' नामक वाद्य का निर्माण किया। जिससे एक–एक श्रुति का स्थान स्पष्ट होता है।[3]

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक निराकार स्वर को साकार रूप देने से अर्थात् प्रत्यक्ष समझाने में वीणा का (तंत्री वाद्यों का) ही सहारा लिया गया है। जिससे यह सरलता से प्रमाणित होता है कि संगीतिक सिद्धांतों को अर्थात् गायन, वादन के प्रधान तत्व स्वर को समझाने में वीणा महत्वपूर्ण माध्यम है।

तंत्री वाद्यों में अधिक प्रायोगिक क्षमता होने के कारण सांगीतिक विकास में उनका महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त है। मत्तकोकिला या स्वर मण्डल जैसे तंत्री वाद्यों पर एक साथ कई ध्वनियों को सुनाना संभव हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति में मानव कंठ से 22 श्रुतियों को सरलतापूर्वक निकालने में सक्षम नहीं है, जबकि तंत्री वाद्यों द्धारा ये संभव है।

वीणा की सारिकाएँ दृश्य होने के कारण, ग्रंथकारों द्धारा बताए स्वरों को स्पष्ट बार–बार सुनना व स्पष्ट समझने में अधिक सहायक होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल तंत्र वाद्य ही ऐसा माध्यम है जिससे स्वरों को, श्रुतियों को सुनना स्पष्ट रूप से संभव हो सका।

वाद्यों को जन साधारण में लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से – वाद्यों को यदि जन साधारण में लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से देखे तो तंत्री वाद्यों की लोकप्रियता में भी रूपात्मक सौंदर्य का विशेष महत्व है। अपने विशिष्ट

* व्याख्याता (संगीत) सोना देवी सेठिया पी जी कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़ (राज.) भारत

गुणों के कारण अवनद्ध तथा सुशिर वाद्य भी लोकप्रिय अवश्य हैं, परन्तु सौंदर्य की दृष्टि से वे तंत्री वाद्यों से पीछे हैं और इसी सौंदर्यात्मक विशिष्टता के कारण तंतु वाद्य (तंत्री वाद्य) अधिक लोकप्रिय भी है। जैसे मयूरी वीणा, शततंत्री, सितार नक्काशीदार, रूद्रवीणा, विचित्र वीणा आदि सभी सुन्दर नक्काशी से सजे होते हैं। इसमें लगे तारों को देख कर स्वयं ही मन इसे छेड़ने को करता है और छेड़ते ही ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जैसे एकाएक सारी खुशियाँ प्राप्त हो गई हैं। रूप सौंदर्य के साथ ही तंत्री वाद्यों की दूसरी विशेषता है मधुर आवाज। तंत्री वाद्यों के अनेक प्रकारों में वे अधिक लोकप्रिय हैं, जिनमें नादात्मक माधुर्य अधिक है। यदि सभी वर्गों का अध्ययन किया जाए तो ये देखने को मिलता है कि सबसे अधिक तत् वाद्यों के ही प्रकार प्रचलित हैं। चाहे वो शास्त्रीय वर्ग हो अथवा लोक या सुगम वर्ग सभी वर्गों में तत् वाद्यों के ही अधिक प्रकार प्राप्त होते हैं। यदि प्राचीन काल में देखे तो उस समय वीणा के 100 से अधिक प्रकार प्रचलित थे तथा संगीत मनीषियों ने भी मनुष्य कंठ को 'गात्रवीणा' और 'शारीरी वीणा' की ही संज्ञा प्रदान की है। जो जनसामान्य में तंत्री वाद्य की लोकप्रियता को दर्शाती है।

चिकित्सा व जीवों को वश में करने की दृष्टि से – प्राचीन समय में प्रात: काल वीणा वादन का विधान था। इससे माना जाता था कि वातावरण शुद्ध होता है। जिससे व्यक्ति के आस-पास बीमारियाँ नहीं फटकती हैं। आज घरानेदार वादकों का मानना है कि बीमारी के समय इसके वादन से आराम मिलता है। व्यक्ति का कष्ट काफी हद तक कम हो जाता है तथा केवल सुनने से भी इसका प्रभाव दिखता है। इसके प्रमाण हमें विभिन्न प्राचलित कथाओं के माध्यम से प्राप्त होता है जैसे- 'अलवर के राजा विनयसिंह जी का ज्वर जब किसी चिकित्सा से न हटा तो वैद्य ने कहा किसी उस्ताद की भैरवी में तासीर हों, तो उससे यह ज्वर जाएगा। राजा ने 'रहीम सेन', 'अमृत सेन' से ये वृतांत कहा। उन्होंने सितार में भैरवी ऐसी बजाकर सुनाई कि राजा का ज्वर दूर हो गया।'[4] एक बार झंझर के नवाब ने रहीम सेन-अमृत सेन जी से सितार में सोरठ बजाकर सर्प बुलाने की फरमाइश की, फिर नवाब ने इनकी और इनके पूर्वजों की बहुत प्रशंसा की तो इन्होंने सोरठ बजाना आरंभ किया। शीघ्र ही एक मोटा काला सर्प नवाब की कोठी में प्रकट हुआ। नवाब तथा और सब तो डरकर दूर हट गए, किन्तु ये पिता-पुत्र देर तक सितार बजाते रहे। सर्प भी फन उठाए मस्त हो इनका सितार सुनता रहा। सितार बंद करते ही वह चुपके से चला गया, उसने किसी को कुछ नहीं किया।[5] जयपुर के राम निवास बाग में अमृत सेन जी ने ऐसा सितार बजाया कि कई चिड़ियाँ सितार पर ही आकर बैठ गई।[6] यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति इनका सितार सुनकर पागल हो गया था। आदि कई कथा प्राप्त होती हैं।

तत् वाद्यों का महत्व

वैदिक काल में तंत्री वाद्यों का महत्व – तंत्री वाद्यों का महत्व हर काल में बना रहा है। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक तत् वाद्यों का महत्व दृष्टिगोचर होता है। भारतीय संस्कृति में सदैव तंत्री वाद्यों ने अपना महत्व बनाए रखा है। ऋग्वेद काल के 'शाट्यायन ब्राह्मण' के अनुसार एक बार असुरों ने कण्व मुनि से यह कहा गया कि वह बिना आँख खोले ही यह बात बताए कि प्रात:काल की बेला है या नहीं और वे इस आधार पर अपना ब्राम्हणत्व को स्थापित करे। कण्व मुनि के ब्राह्मण होने के कारण अश्विन देवता ने प्रात:काल वीणा वादन कर उन्हें उषा गमन का संकेत दिया। मुनि ने असुरों को प्रात:काल की सूचना दी, जिससे असुरों ने उन्हें मुक्त कर दिया।[7] इस कथा से स्पष्ट होता है कि उस समय प्रात:काल में मंगल वाद्य के रूप में वीणा का प्रयोग होता है। जो ऋग्वेद काल में वीणा के महत्व को दर्शाता है। यजुर्वेद संहिता के अनुसार अवश्मेघ आदि यज्ञों के समय मनोरंजन और गाथा गान हेतु वीणादि वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। सामगान के समय भी वीणा की संगति आवश्यक थी जिसके बिना सामगान पूर्ण नहीं मानते थे। प्राचीन समय में तो प्रात: सायं प्रत्येक घरों में व मंदिरों में आरती के समय वीणा वादन आवश्यकथा। उस समय गुरूकुल में सर्वप्रथम संगीत की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वीणा वादन व गायन आवश्यक माना जाता था और प्राचीन वीणाओं के नाम या तो देवताओं के नाम पर या तो ऋषि-मुनि के नाम पर होती थे। क्योंकि वे ही उसके वादक माने जाते थे ।जैसे आज भी हम बिना वीणा के ना तो देवी सरस्वती को पहचानेगें ना ही नारद मुनि को बिना नारदी वीणा के। 'सामवेद' के समय में विभिन्न उत्सवों में रात्रि जागरण में वीणा और तुणव वाद्य की ध्वनि गुंजित हुआ करती थी-

'वीणा तूणवेनेनमेतां रात्रि जागरयन्ति'[8]

सामवेद की ऋचाओं में किसी वाद्य विशेष की चर्चा उपलब्ध नहीं है परन्तु इसके ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में वर्णित वाद्यों के नाम दुन्दुभी, द्रव्य, ताल्लुक वीणा, काण्ड वीणा, पिच्छोरा, अलाबु वीणा, कपिर्शीषि वीणा, कर्करी गर्गर बुकर, आडम्बर, गोधा आदि वाद्यों का उल्लेख मिलता है। वेदों में 'वाण नामक तंत्री वाद्य के विषय में वर्णित है कि जो व्यक्ति सोम स्तुति गायन के समय वाण का प्रयोग करेगा उसकी आयु 100 की हो जाती है। इस प्रकार के सब वर्णन तंत्री वाद्यों के स्पष्ट महत्व को वैदिक काल में दशति हैं।

रामायण काल में तंत्री वाद्य का महत्व – रामायण महाकाव्य के प्रत्येक काण्ड में तंत्री वाद्यों का उल्लेख अवश्य ही प्राप्त होता है।

उदाहरण स्वरूप कुछ काण्ड का वर्णन हमने यहाँ देने का प्रयास किया है

अयोध्याकाण्डम् – अयोध्या काण्डम् में वर्णित एक प्रसंग है श्री राम के वनवास प्रस्थान के पश्चात् जब भरत अपने ननिहाल से लौटते हैं तो अयोध्या पुरी में 'भेरी व 'वीणा की मंगल ध्वनि सुनाई न पड़ने से अपशगुन व्याप्त प्राप्त होता है-

'भेरी मृवड् गवीणानां कोण संघट्टित: पुन:।
कि मद्य शब्दो विरत: सदादीनगति: पुरा।।29।।'[9]

रामायण काल में तीन महानगरी थी-श्रीराम की अयोध्या, वानर राज सुग्रीव की किष्किन्धा और राक्षस राज रावण की लंका वीणा वादन से सदा निनादित रहती थी। सामाजिक संस्कारों, अतिथि सत्कार में आवश्यक व नगर एवं राष्ट्र की कुशलता की सूचक वीणा की झंकार मानी जाती थी। तात्पर्य यह है कि वैदिक काल के समान रामायण काल में सभी वर्ग के लोगों को वीणा प्रिय थी एवं सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक अवसरों पर उसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।

महाभारत काल में तंत्री वाद्यों का महत्व – महाभारत काल में भी रामायण की तरह ही तंत्री वाद्यों का महत्व दिखता है इस समय भी सप्ततंत्री वीणा प्रचलन में थी। नारद मुनि अन्य गंधर्वों के द्वारा वीणा वादन के साथ गान का सहचर्य अनेक स्थान पर देखने को मिलता है। महाभारत में एक स्थान पर जब अर्जुन देवराज की सभा में जाते हैं, तो उनका स्वागत में 'तुम्बरू' आदि गंधर्वों ने वीणा के साथ गान व नृत्य प्रस्तुत किया था।

इस काव्य में वीणा की मधुर ध्वनि की तुलना द्रौपदी के मधुर कण्ठ से की गई है। तत् वाद्यों का वर्णन इस काल में युद्ध भूमि से लेकर राज्य संभावों व यज्ञों तक प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होता है।

महाभारत में वीणा के रूप की तुलना वर्ण कर्ण के 17वें अध्याय के 7वें

श्लोक में और विराट पर्व के 33 वें अध्याय के 15वे श्लोक में और 16वें श्लोक में धनुष से की गई है तथा वीणा के स्वर या वर्ण और धनुष से की गई तथा वीणा के स्वर या वर्ण और धनुष के स्वर और उसके वर्ण एक समान बताए गए हैं।13 जिनमें से एक श्लोक निम्नलिखित हैं–

'महा स्ववैर्दुन्दुभिनादितैश्च बभूव तत्संकुलमन्तरिक्षम्
विमान संबाधामभूत्स भन्तात्तसवेणु वीणापणवानुनादम्।।14।।'[10]

इस काल में स्त्रियाँ सामगान के साथ वीणा की संगीत तो करती ही थी साथ ही वीणा की शिक्षा भी ग्रहण करती थी। निष्कर्षत: हम यह कह सकते हैं कि तत् वाद्यों का हस्तक्षेप हर स्थान पर था।

संस्कृत नाटकों में तंत्री वाद्य का महत्व – संस्कृत नाटकों में 'कालिदास' द्वारा रचित नाटक ही सर्वाधिक प्रचलित हैं। इसमें इन्होंने नायिका का अधिकतर चित्रण वीणा की उपमाओं द्वारा किया है जैसे–

1. 'कुमार संभव' में 'कालिदास' ने उमा के कण्ठ मधुरता की तुलना में कोकिला के स्वर को कर्ण–कटु बताया है, वितंत्री वीणा की तुलना कोकिला के कण्ठ से की है।[11]
2. इन्होंने 'मेघदूत' की नायिका को कुशल संगीतज्ञा के रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है। उसके अश्रुओं की धारा से तंत्री गीली हो जाने के कारण वादन के लिए उसे बार–बार तंत्रियों की सारणा करनी पड़ती है।[12]
3. कालिदास जी को वीणा की उपमा अत्यन्त प्रिय थी उन्होंने 'रघुवंश' महाकाव्य में इंदूमती के मृत शरीर की अस्त व्यस्तता को व्यक्त करने के लिए विस्वर तंत्रियों से युक्त वीणा का उदाहरण प्रस्तुत किया है और कहा है बेसुरी तंत्री वीणा वादक जिस प्रकार गोद में रखकर मिलाने का प्रयत्न करता है उसी प्रकार इंदुमती की देह को राजा गोद में रख सहला रहा है।[13]

इस तरह से देखा जाए तो संस्कृत नाटकों में भी तंत्री की महत्ता स्पष्ट होती है। यहाँ कवि की कल्पना की नवीनता के साथ ही वीणा की महत्ता भी स्पष्ट होती है।

पुराणों में तंत्री वाद्य का महत्व – 'स्कंद पुराण' में भगवान शिव की प्रदोष कालिक पूजा के समय भगवती सरस्वती को वीणावादिका के रूप में चित्रित किया गया है। जो वीणा के मांगलिक अवसरों पर प्रयोग तथा महत्व को दर्शाता है। 'मार्कण्डेय पुराण' में कहा गया है कि जिस गृह में वीणा वादन होता है, उसमें यक्षादि क्षुद्र जातियों का प्रवेश संभव नहीं। इस उल्लेख से यह पता चलता है कि पुराण लिखने वाले की दृष्टि में वीणा से उत्पन्न होने वाली ध्वनि इतनी मांगलिक है कि अमंगलकारी जीव या वस्तु के प्रवेश पर रोक है वीणा के महत्व की दृष्टि से इससे अधिक उच्च दृष्टि और क्या हो सकती है।[14]
'जायसी' जी ने 'पद्मावत' में तत् वाद्यों का कई स्थानों पर प्रयोग किया है एक स्थान पर वियोग की दशा का वर्णन 'किंगरी वाद्य को लेकर किया है।

'हाड़ भये झुरि किंगरी नसें भई सब ताँत।
रोंव रोंव तन धुनि उठे कहेसु विथा एहि भाँति।।'[15]

'कबीर दास' जी ने तत् वाद्य को आधार लेकर विरह वर्णन किया है, किन्तु विरह साईं से वियोग कराने वाला नहीं। यहाँ तो साईं का अहर्निश संयोग प्राप्त हो चुका है, जहाँ आत्मा और परमात्मा के मध्य और कोई वस्तु आ नहीं सकती। वह कहते हैं–

'संब रंग तंत रबाब तन बिरह बजावे नित।
और न कोई सुणि सके के साईं के चित्त।।20।।'[16]

कबीर वचनामृत –

महादेवी वर्मा – इसी प्रकार की एक सुकोमल कल्पना जो महादेवी वर्मा के द्वारा सत्य की कठोर भूमि पर
खड़ी की गई है, पठनीय है –

'कसी निर्मम कर का आघात
छेड़ता जब वीणा के तार,
अनिल के चल पंखों के साथ
दूर जो उड़ जाती झंकार,
जन्म ही उसे विरह की रात
सुनावे क्या वह मिलन प्रभात।'[17]

उपर्युक्त पंक्तियों में हृदय का स्वाभाविक स्पन्दन झंकृत हुआ है। 'महादेवी जी' की इस आकर्षक कल्पना के पीछे कितनी गहरी अनुभूति छिपी है, यह देखते ही बनता है।

उक्त वर्णित तथ्यों से तत् वाद्यों का महत्व स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है। अत: हम यह कह सकते हैं कि तत् वाद्य प्रत्येक काल, संगीत के प्रत्येक क्षेत्र (गायन,वादन,नृत्य)में एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. संगीत, पत्रिका (वाद्य–वादन अंक) जनवरी–फरवरी, 1975, पृष्ठ–177
2. महाडिक, डॉ. प्रकाश, 'भारतीय संगीत के तंत्री वाद्य', पृष्ठ–2
3. वही, पृष्ठ–3
4. संगीत(वाद्य–वादन अंक) जनवरी–फरवरी, 1975, पृष्ठ–46 वही
5. पंजाबी, पं. सुदर्शनाचार्य, 'संगीत–सुदर्शन'।
6. महाडिक, डॉ. प्रकाश, 'भारतीय संगीत के तंत्री वाद्य',पृष्ठ–4
7. मिश्र, डॉ. अरूण, 'भारतीय कंठ संगीत और वाद्य संगीत', पृष्ठ–20
8. वही, अयोध्या काण्डम् एकोनचत्वारिश: सर्ग श्लोक 29, पृष्ठ–380
9. मिश्र, डॉ. अरूण, 'भारतीय कंठ संगीत और वाद्य संगीत' पृष्ठ–37
10. महाभारत, आदि पर्व, 178 वाँ अध्याय 14 वाँ श्लोक
11. महाडिक, डॉ. प्रकाश, 'भारतीय संगीत के तंत्री वाद्य', पृष्ठ–5
12. वही
13. वही, पृष्ठ–6
14. वही
15. जायसी, 'पद्मावत' पृष्ठ–441
16. मिश्र, डॉ. लालमणि, 'भारतीय संगीत वाद्य', पृष्ठ–191
17. संगीत(पत्रिका), 2007 जून, पृष्ठ–16

****

आदिवासी करमा नृत्य गीतों का प्रासंगिक चिंतन (मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. स्वल्पा बड़गैंया *

प्रस्तावना – 'करमा' आदिवासियों के समस्त नृत्य गीतों का राजा है। आदिवासियों की कलात्मक साधना एवं सांस्कृतिक चेतना का यह प्रतीक गीत है। चूकि मण्डला जिले में अधिकांश आदिवासी जनजाति गोंड़, बैगा, परधान, कोलों का निवास है। अत: इन जातियों में खासकर गोंड़, परधान एवं बैगाओं में करमा नृत्य गीतों का प्रचलन अधिक है। यद्यपि करमा नृत्य देश के कई प्रान्तों में नर्तक नर्तकियों द्वारा अपने कलात्मक उत्कृष्ट स्वरूप में प्रदर्शित किया जाता है किन्तु मण्डला जिले में करमा गीत एवं करमा नृत्य की अपनी विशिष्ट पहचान है। विविध सुअवसरों पर यह नृत्य गीत आमोद-प्रमोद का माध्यम बन जाता है। पद्मभूषण डॉ. वैरियर एलविन ने जब गोंड़ युवक से परिचय पूछा तो प्रत्युत्तर में उसका जवाब था- यदि तुम मेरे जीवन की कहानी जानना चाहते हो तो मेरे करमा गीतों को सुनो।'

नामकरण – इस गीत का नाम 'करमा' क्यों पड़ा? इस संदर्भ में अनेक किवदंतियाँ प्रचलित हैं-

1. कहा जाता है कि एक करमा सिंघ नामक एक राजा था। उस पर एक बार विपत्ति आ गई। उसने मनौती की कि यदि उसकी विपत्ति दूर हो जाएगी तो वह विशेष प्रकार के नृत्य गीतों का आयोजन करेगा। उसकी विपत्तियों का अंत हुआ और उसने विशिष्ट नृत्यगीत का आयोजन किया, यही विशिष्ट नृत्य गीत 'करमा' के नाम से प्रचलित हुआ।
2. पुरातात्विकों की सम्मति है कि करमा रानी के क्रोध को शांत करने के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है।
3. यह गीत करम राजा और करमा रानी के सम्मान में गाया जाता है। यह नृत्यगीत ज्यादातर श्रृंगारिक है। किस्मत को 'करम' करते हैं, इसी 'करम' से संदर्भित गीतों से 'करमा' गीतों का सृजन हुआ।
4. कतिपयों के कथन हैं कि 'करमा' नामक पेड़ की ओर आदिवासी नृत्य करते हैं और भावी मंगल की कामना करते हैं। यही नृत्य 'करमा' नृत्य के रूप में प्रचलित हो गया।
5. संसार में कर्म ही प्रधान है, अत: कुछ लोगों की धारणा है कि करमा, अच्छे कर्म करने की दिशा में ईश्वर आराधना का भी गीत है।
6. अन्य मान्यता है कि आदिवासियों के प्रत्येक कर्म अर्थात् कार्य में करमा नृत्यगीत गाया जाता है।
7. डॉ. नित्यगोपाल दीक्षित अपने शोध प्रबंध में लिखते हैं कि- अनार्यों के द्वारा जिस नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता था, उस नृत्य शैली का नामकरण आर्यों द्वारा 'करमा' किया गया है। इसका तत्सम रूप 'कर्मा' एवं तत्भव् रूप 'करमा' है। 'कर' अर्थात् 'हाथ' और 'मा' अर्थात् मुझे। आशय यह है कि मुझे हाथ देकर या हाथ मिलाकर नाचो। समस्त प्रकार के करमा नृत्य शैलियों में एक नर्तक का हाथ दूसरे नर्तक के शरीर पर होता है। हाथ कभी गले में, कभी कमर में, कभी हाथ में होता है।

करमा – विविध प्रसंग

- 'करमा' नृत्यगीत वर्षा ऋतु के बाद शरद-पूर्णिमा से प्रारम्भ होता है और ज्येष्ठ की पूर्णिमा के बाद एक-दो झला पानी गिरने तक चलता रहता है। स्वच्छ चाँदनी रात इसका सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। वर्षा में कृषक खेती-बाड़ी में व्यस्त होता है। अत: इस ऋतु में 'करमा' नहीं गाया जाता है।
- 'करमा' नृत्यगीत अतिथियों के स्वागतार्थ गाया जाता है। खासकर जब कोई नवयुवती किसी गाँव में किसी के घर में मेहमानी में आती है तो उसके स्वागत में प्रसन्नता जाहिर करने के लिए यकरमा' नृत्यगीत का आयोजन किया जाता है।
- 'करमा' गीतों का प्रासंगिक चिंतन यह है कि उनमें भावना होती है कि हाथ मिलाओ और हाथ मिलाकर नाचो। परोक्षत: शत्रुता भाव भूलकर साथ-साथ नाचो और नूतन प्रेम की अभिवृद्धि करो, ऐसा दार्शनिक भाव इन करमा गीतों में होता है।
- मण्डला जिले का आदिवासी समाज आज भी इस अभिन्न परम्परा का निर्वहन कर रहा है। किसी की कितनी भी पुरानी शत्रुता हो और यदि वह करमा गीत उस शत्रु के साथ हाथ मिलाकर गा लेता है, तो सैकड़ों वर्षों की शत्रुता भी मित्रता में परिणित हो जाती है। इन करमा गीतों का उद्देश्य ही वैमनस्य की जगह प्रेम की अभिवृद्धि करना ही प्रतीत होता है।

करमा नृत्य गीत की तान-

करमा नृत्य गीत तीन भागों में विभक्त होते हैं-

1. राग- एक प्रकार का प्रारंभिक आलाप है। यह गान शुरू करते ही निर्धारित हो जाता है। नर्तक द्वारा जैसे ही इस राग को छेड़ा जाता है, उससे धुन का पता चल जाता है। कुछ राग हैं-

- ए हे हे हाय।
- ओ हो हो हाय।
- ओ हो हो हो।
- ओ हो हो रे हाय।
- ओ हो ओ रे।
- अरे ओ हो हो रे।

2. टेक- राग के बाद पहली लाईन को टेक के रूप में गाया जाता है और नृत्य भी इस टेक के साथ प्रारंभ हो जाता है।
3. आड़ (पद)- टेक के बाद पद लगाया जाता है। इन पदों की प्रस्तुति में

*संगीत शिक्षिका, महर्षि उ.मा. विद्यालय, मण्डला (म.प्र.) भारत

नर्तक दलों द्वारा नृत्य की विविध भाव भंगिमायें प्रदर्शित की जाती हैं।

करमा नृत्य की शैलियाँ–

करमा, नृत्य गीत है। इसे तरह–तरह से प्रस्तुत किया जाता है। –

- एक शैली है कि एक पंक्ति में पुरूष और दूसरी पंक्ति में नारियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर या कमर में हाथ डालकर या गले में हाथ लगा कर खड़े हो जाते हैं। मादर वादक दोनों के मध्य में रहता है। एक दल दाग और आड़ को दो बार खड़े होकर गाता है और दूसरा दल वैसी ही पुनरावृत्ति करता है। फिर दूसरा दल राग को लौटाते हुए 'टेकी' मारता है। इस प्रकार उत्तर–प्रत्युत्तर चलता है और घूम–घूम कर नृत्य चलता रहता है।
- नृत्य की दूसरी शैली है– नर्तक दल एक कदम आगे जाता है और पुन: पीछे हटता है। इस प्रकार नर्तक बाए से दाए नृत्य करते हुए बढ़ते जाते हैं। नारियाँ आगे होती हैं तथा पुरूष उनके पीछे दोनों अर्द्ध–चंद्रकार वृत्त का निर्माण करते हैं।
- तीसरी शैली में एक नर्तक दल अर्द्ध–चंद्रकार वृत्त में बाए से दाए की ओर जाता है और दूसरा नर्तक दल उसके विपरीत दाए से बाए की ओर जाता है।

लोकवाद्य एवं आभूषण – 'करमा' नृत्य गीत में मादर, टिमकी, थाली एवं ठिसकी, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कभी–कभी बाँसुरी भी बजायी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मादर वादक की ही होती है। वह करमा गीतों में जान फूँकने का कार्य करता है। मादर वादक स्वयं मदमस्त हो जाता है और मादर की 'टिक–धिक्का' –'टिक–धिक्का' ध्वनि से युवक–युवतियों और श्रोताओं को थिरकने के लिए बाध्य कर देता है।

इन नृत्य गीतों में पुरूष धोती, कुर्ता, जाकिट, हाथ में गमछा, सिर में फेटा (पगड़ी) और मयूर पंख की कलगी धारण करता है। नारियाँ धुतिया, गले में सुतिया, हमेल, कानों के ऊपर ढारें (तरकी), बिंदिया, माथे में चाँदी की टिकुली, आँखों में काजल, हाथों में चाँदी के कंगन, पैरों में छल्ली, चुटका, तोरण धारण करती हैं।

करमा नृत्य गीतों के उदाहरण – वैसे 'करमा' नृत्य गीतों के अनेक प्रकार हैं किन्तु इनमें झूमर, लँगड़ा, लहकी, ठाड़ा, रागिनी, बैगानी, ताड़िया, झरपट, खाल्हा और गैड़ी करमा प्रमुख हैं। समवेत रूप से इनके कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं–

//1//

'आहा हे हाय जमुनैया लोरय यार।
बाँस के कनैया जामुनैया लोरय रे।अरी बिछाय ले दरी बिछाय ले और बिछाय ले खोर
खेल–कूद के मजा उड़ाय ले नाम चलाय ले तोर।
जामुनैया .....।
या मादर बजैया मादर मा लोरी जाय।
या करमहिन बैया करमान मा लोरी जाय।
जामुनैया.....।
लावा डुरकैय तीतुर डरकैय अर डुरकैय मजूर।
बड़े सबेरे उठके देखय भग गए कितना दूर।
जामुनैया.....।।

//2//

घुमड़ रहे चारों ओर कारे बादर।
घुमड़ रहे रे।।
कौन कती गरजैय, कौन कती घुमड़ैय हो।
कौन कती बुंदला चुहाये, कारे बादर घुमड़ रहे।।
अगुम पती गरजैय, पछुम पती घुमड़ैय हो।बेबर पटी बुंदला चुहाये कारे बादर घुमड़ रहे।।

//3//

'हाय भाजी पानी मा राम,
कर लेबो गुजारा, भाजी पानी मारे।।
झै तो होवे चावल भाजी,
झै रोटी के खंडा– भैया .....।
ढ़क्कर–ढ़क्कर पेज पीबो।
चोला होई ठंडा रे– भाजी पानी मा राम।
रूखा–सूखा भोजन करले, संझा और सकार।
न काहू से लेना देना, सोबे पाँव पसार।
भाजी पानी मा राम .....।
घर में नैहां चिथड़ा–उथड़ा
तन मा नहियाँ आड़,
पैरा के बिछौना में, कट जाही वा जाड़।
भाजी पानी मा राम,
कर लेबो गुजारा, भाजी पानी मा राम।।

इस प्रकार करमा नृत्य गीत, आदिवासी जनजातियों की विशिष्ट पहचान है। करमा गीतों में इनके जन्म से मृत्यु तक की जीवन गाथा प्रतिबिंबित होती है। दैनिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, भक्ति, अध्यात्म, प्रणय, प्रकृति, पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय इत्यादि से लेकर जीवन का कोई अंश नहीं है, जिस पर करमा गीत न गाये गये हों।

'करमा गीत, कभी उल्लास के क्षण बन जाते हैं, कभी विरह–गम के बादल, कभी प्राकृतिक श्रृंगार, कभी वर्षा की फुहारें, कभी बसंत बहार, कभी नवयुवती के रसोद्रेक, कभी नदी–झरनों के कल–कल, कभी पक्षियों के कलरव, कभी भोर का उत्साह, कभी ढ़लती साँझ बेला, कभी प्रेमी–प्रेमिका की प्रणय वेदना। सुख–दुख के अवसर से लेकर कोई क्षेत्र अछूता नहीं, जिसे करमा नृत्य गीतों ने आह्लादित न किया हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दीक्षित, नित्य गोपाल (1993) मण्डला जिले के आदिवासी लोक साहित्य का अनुशीलन, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.) पृष्ठ–275–277
2. कुशराम, रूपसिंह (1993) गोंड़– म.प्र. आदिवासी लोककला परिषद बाणगंगा, म.प्र. भोपाल पृष्ठ–119, 134 एवं 141.
3. ज्योतिषी, सियाशरण (2009) मण्डला जिले के आदिवासी लोकगीतों में सामाजिक चेतना, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, म.प्र. पृष्ठ–200.
4. चौरसिया, विजय (2004) प्रकृतिपुत्र बैगा, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (म.प्र.)

****

निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों का संस्थागत ढाचें का अध्ययन

प्रियंका कटियार * प्रो. शुभा व्यास **

शोध सारांश – कच्ची बस्ती अत्यधिक आबादी वाला शहरी आवासीय क्षेत्र है, जो ज्यादातर खस्ताहाल या अधूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति में निकटता से भरे, विघटित आवास इकाइयाँ है, जो मुख्य रूप से गरीब लोगों द्वारा बसायें गये है। कच्ची बस्तियाँ आकार और अन्य विशेषताओं से भिन्न होती है जिनमें स्वच्छता, स्वच्छ पानी की आपूर्ति, विश्वसनीय बिजली, कानून प्रवर्तक और अन्य बुनियादी सेवाओं कमी होती है।

प्रस्तावना – निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 4 अप्रैल 2009 को भारत सरकार द्वारा पारित किया और अप्रैल 2010 में सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम और नितियाँ बनाई गई फिर भी अशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है।

एक अच्छे विद्यालय में बेहतर संस्थागत ढाचें का बहुत ही महत्तवपूर्ण स्थान होता है। जो कि समस्त शैक्षिक कार्यो की पूर्ति में सहायक है। तथा विद्यालय का स्तर ऊँचा उठाने में मददगार होता है। संगठन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों तथा कार्य के बीच सम्बन्धों का केन्द्र है, जो एक तन्त्र के अन्तर्जाल या ढाचें के रूप में बनाया जाता है, हॉज तथा जॉनसन ।

समस्या कथन – निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों का सस्थागत ढाँचा ।

उद्देश्य – निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों का संस्थागत ढाचें का अध्ययन करना।

शोध विधि – सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

जन्संख्या एवं न्यायदर्श – प्रस्तुत शोध की जनसंख्या जयपुर जिले की समस्त कच्ची बस्ति के राजकीय विद्यालय है, इनमें से 2 कच्ची बस्ती के निकट 12 राजकीय विद्यालायों को सोउद्देश्य विधि से चुना गया।

उपकरण – शोधार्थी ने संस्थागत ढाचें को जानने के लिए अनुसूची का निर्माण किया ।

प्रदतों का स्त्रोत – प्रदतों का स्त्रोत प्राथमिक है।

विश्लेषण – गुणात्मक विश्लेषण किया गया।

परिसीमाए –

1. जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारण कच्ची बस्तियों के विद्यालय तक।
2. कच्ची बस्तियों के निकट केवल राजकीय विद्यालयों को लिया गया है।

तालिका – 1**(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका संख्या 1 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों के संस्थागत ढाँचे के आयाम कक्षा कक्ष की स्थिति से सम्बन्धित है।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के 12 राजकीय विद्यालयों में कक्षा कक्ष की स्थिति का विवरण यह दर्शाता है कि राजकीय 12 विद्यालयों में से 3 विद्यालयों की कक्षा कक्ष की स्थिति सन्तोषजनक, 4 विद्यालयों की सामान्य एवं 5 विद्यालयों का असन्तोषजनक है।

तालिका – 2 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका संख्या 2 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों के संस्थागत ढाँचे के आयाम बेठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था से सम्बन्धित है।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के 12 राजकीय विद्यालयों में बैठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था का विवरण यह दर्शाता है कि 12 राजकीय विद्यालयों में से 4 विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था संतोषजनक, 1 विद्यालय में सामान्य एवं 7 विद्यालयों में असन्तोषजनक है।

तालिका – 3 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका संख्या 3 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों के संस्थागत ढाचे के आयाम श्यामपट्ट की स्थिति से सम्बन्धित है।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के 12 राजकीय विद्यालयों में श्यामपट्ट की स्थिति यह दर्शाता है कि 12 राजकीय विद्यालयों में से 3 विद्यालयों में श्यामपट्ट की स्थिति सन्तोषजनक, 5 विद्यालय सामान्य एंव 4 विद्यालयों का असन्तोषजनक है।

तालिका – 4 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका संख्या 4 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों के संस्थागत ढाचे के आयाम पीने के पानी की उचित व्यवस्था से सम्बन्धित है।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के 12 राजकीय विद्यालयों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था यह दर्शाता है कि 12 राजकीय विद्यालयों में से 7 विद्यालयों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था सन्तोषजनक, 4 विद्यालय में सामान्य एंव 1 विद्यालय में असन्तोषजनक है।

तालिका – 5 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका संख्या 5 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों के संस्थागत ढाँचे के आयाम बालिका हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था से सम्बन्धित है।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के 12 राजकीय विद्यालयों में बालिका हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था को दर्शाता है 12 राजकीय विद्यालयों में से 7

* शोधार्थी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत
** जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

विद्यालयों में बालिका हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था सन्तोषजनक, 1 में विद्यालय सामान्य एंव 4 विद्यालयों में असन्तोषजनक है।

तालिका – 6 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका संख्या 6 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों के संस्थागत ढाँचे के आयाम खेलने हेतु स्थान की व्यवस्था से सम्बन्धित है।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के 12 राजकीय विद्यालयों में खेलने हेतु स्थान को दर्शाता है 12 राजकीय विद्यालयों में से 5 विद्यालयों में खेलने हेतु स्थान सन्तोषजनक, 2 विद्यालयों में सामान्य एंव 5 विद्यालयों में असन्तोषजनक है।

तालिका – 7 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका संख्या 7 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों के संस्थागत ढाचे के आयाम पुस्तकालय में बेठने की व्यवस्था पुस्तके पत्रिकाए आदि व्यवस्था से सम्बन्धित है।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के 12 राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था पुस्तकें पत्रिकायें आदि को दर्शाती है 12 राजकीय विद्यालयों में से 2 विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था सन्तोषजनक, 2 विद्यालयों में सामान्य एंव 8 विद्यालयों में असन्तोषजनक है।

तालिका – 8 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका संख्या 8 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्ती के राजकीय विद्यालयों के संस्थागत ढाँचे के आयाम विद्यालय के आसपास का वातावरण से सम्बन्धित है।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के 12 राजकीय विद्यालयों में आसपास का वातावरण को दर्शाता है 12 राजकीय विद्यालयों में से 4 विद्यालयों में आसपास का वातावरण सन्तोषजनक, 2 विद्यालयों में सामान्य एंव 6 विद्यालयों में असन्तोषजनक है।

निष्कर्ष –

1. कच्ची बस्ती के निकट राजकीय विद्यालय में कक्षा कक्ष की स्थिति तथा बैठने हेतु समस्याए पायी गई है।
2. कच्ची बस्ती के निकट राजकीय विद्यालय में बालिका हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप बालिकाओं में संकोच पाया गया।
3. इन विद्यालयों में खेलने का मैदान तथा खेल के सामान में कमी पायी गई जिससे कि विद्यालयों में आयोजित होने वाली विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यार्थी भाग नहीं ले पाते है।
4. कच्ची बस्ती के निकट राजकीय विद्यालय के आस पास के वातावरण के कारण इनके सामाजिक और सांस्कुति विकास में कमी पाई गयी। जिसके फलस्वरूप विद्यालय आने में परेशानी का सामना करना पडता है।

शैक्षिक निहतार्थ –

1. विद्यालय में कक्षा कक्ष की स्थिति तथा विद्यार्थियों बैठने के लिए उचित व्यवस्था में कमी पायी गई सरकार तथा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
2. शोध के निष्कर्ष में पाया गया कि शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है इसलिए सरकार शौचालय की स्थिति ढीक करें तथा सैनट्री नेपकिन की व्यवस्था करे।
3. विद्यालय में खेलकूद का मैदान तथा खेलकूद के सामान में कमी पायी गई इसके लिये राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग प्रयास करे जिससे कि विद्यार्थी खेलने में रूचि ले पायेगे और उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास सुदृढ़ होगा
4. विद्यालय के आस पास के वातावरण में कमी पाई गई।साफ सफाई का ध्यान नगर निगम दे जिससे कि विद्यार्थियों को विद्यालय आने में कठिनाई का सामना नहीं करना पडे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वर्मा, प्रिति (1994) मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी, विनोद पुस्तक भंड़ार आगरा।
2. गुडे एंव हॉट (1962) मैथडस इन सोशल रिर्सच, मेग्राहिल बुक कम्पनी न्यूर्याक।
3. तरूण, हरवश (2000), भारतीय शिक्षा व उसकी समस्याऐं तथा विश्व की शिक्षा प्रणालिया, नई दिल्ली प्रकाशन।
4. अग्रवाल संध्या (2005) शिक्षा मनोविज्ञान विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी।

तालिका – 1

कक्षा कक्ष की स्थिति – रोशनी एंव हवा

शास्त्रीनगर कच्ची बस्ती				
क्र.स.	विद्यालय का नाम	सन्तोषजनक	सामान्य	असन्तोषजनक
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर		✓	
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर		✓	
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्धा बस्ती		✓	
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भट्टा बस्ती			✓
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर		✓	
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम का टीला			✓
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीद इन्द्रा ज्योति नगर			✓
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर			✓
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंकापूरी	✓		
जवाहर नगर कच्ची बस्ती				
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर लोकल	✓		
11.	राजकीय सिंधी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	✓		
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन घाटगेट			✓
	कुल	3	4	5

तालिका – 2

बेठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था

शास्त्रीनगर कच्ची बस्ती				
क्र.स.	विद्यालय का नाम	सन्तोषजनक	सामान्य	असन्तोषजनक
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर			✓
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्धा बस्ति			✓
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भट्टा बस्ति			✓
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर		✓	
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम का टीला			✓
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीद इन्द्रा ज्योति नगर			✓
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर			✓
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंकापूरी	✓		
जवाहर नगर कच्ची बस्ती				
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर लोकल	✓		
11.	राजकीय सिंधी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	✓		
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन घाटगेट			✓
	कुल	4	1	7

तालिका – 3

श्यामपट्ट की स्थिति

शास्त्रीनगर कच्ची बस्ती				
क्र.स.	विद्यालय का नाम	सन्तोषजनक	सामान्य	असन्तोषजनक
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्धा बस्ती		✓	
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भट्टा बस्ती			✓
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर		✓	
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम का टीला		✓	
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीद इन्द्रा ज्योति नगर		✓	
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर			✓
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंकापूरी		✓	
जवाहर नगर कच्ची बस्ती				
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर लोकल			✓
11.	राजकीय सिंधी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	✓		
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन घाटगेट			✓
	कुल	4	1	7

तालिका – 4

पीने के पानी की उचित व्यवस्था

शास्त्रीनगर कच्ची बस्ती				
क्र.स.	विद्यालय का नाम	सन्तोषजनक	सामान्य	असन्तोषजनक
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्धा बस्ती		✓	
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भट्टा बस्ती	✓		
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर	✓		
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम का टीला		✓	
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीद इन्द्रा ज्योति नगर			✓
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर	✓		
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंकापूरी		✓	
जवाहर नगर कच्ची बस्ती				
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर लोकल	✓		
11.	राजकीय सिंधी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	✓		
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन घाटगेट			✓
	कुल	7	4	1

तालिका – 5

बालिका हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था

शास्त्रीनगर कच्ची बस्ती				
क्र.स.	विद्यालय का नाम	सन्तोषजनक	सामान्य	असन्तोषजनक
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्धा बस्ती			✓
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भट्टा बस्ती	✓		
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर	✓		
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम का टीला			✓
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीद इन्द्रा ज्योति नगर			✓
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर	✓		
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंकापूरी	✓		
जवाहर नगर कच्ची बस्ती				
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर लोकल		✓	
11.	राजकीय सिंधी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	✓		
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन घाटगेट			✓
	कुल	7	1	4

तालिका – 6

खेलने हेतु स्थान

शास्त्रीनगर कच्ची बस्ती				
क्र.स.	विद्यालय का नाम	सन्तोषजनक	सामान्य	असन्तोषजनक
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर			✓
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्धा बस्ती		✓	
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भट्टा बस्ती	✓		
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर		✓	
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम का टीला			✓
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीद इन्द्रा ज्योति नगर			✓
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर	✓		
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंकापूरी			✓
जवाहर नगर कच्ची बस्ती				
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर लोकल	✓		
11.	राजकीय सिंधी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	✓		
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन घाटगेट			✓
	कुल	5	2	5

तालिका – 7

पुस्तकालय में बेठने की व्यवस्था पुस्तके पत्रिकायें आदि

शास्त्रीनगर कच्ची बस्ती				
क्र.स.	विद्यालय का नाम	सन्तोषजनक	सामान्य	असन्तोषजनक
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर		✓	
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्धा बस्ती			✓
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भट्टा बस्ती			✓
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर			✓
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम का टीला			✓
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीद इन्द्रा ज्योति नगर			✓
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर		✓	
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंकापूरी			✓
जवाहर नगर कच्ची बस्ती				
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर लोकल			✓
11.	राजकीय सिंधी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	✓		
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन घाटगेट			✓
	कुल	5	2	5

तालिका – 8

आसपास का वातावरण

शास्त्रीनगर कच्ची बस्ती				
क्र.स.	विद्यालय का नाम	सन्तोषजनक	सामान्य	असन्तोषजनक
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर		✓	
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर	✓		
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्धा बस्ती			✓
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भट्टा बस्ती			✓
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर		✓	
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम का टीला			✓
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीद इन्द्रा ज्योति नगर			✓
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर	✓		
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंकापूरी			✓
जवाहर नगर कच्ची बस्ती				
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर लोकल	✓		
11.	राजकीय सिंधी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	✓		
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन घाटगेट			✓
	कुल	4	2	6

****

किशोर सुधारगृह में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का किशोर अपराधियों के अन्त: पारस्परिक संबधों के सन्दर्भ में अध्ययन

डॉ. ग्रीष्मा शुक्ला * नीलम शर्मा **

प्रस्तावना – किसी भी समाज को सामाजिक रूप से व्यवस्थित रखने के लिए कुछ नियम कानून होते है, जिनके पालन की अपेक्षा सभ्य समाज से की जाती है।जब कोई भी व्यक्ति चाहे,वह व्यस्क हो,बालक हो इन सामाजिक मापदण्डों का पालन नहीं करता तो समाज उसका विरोध करता और यह कार्य अनैतिक समाज विरोधी एवं अपराध माना जाता है। किन्तु बालक या किशोर के द्वारा जब इस प्रकार का कार्य किया जाता है,तब उसका कार्य किशोर अपराध की श्रेणी में आता है।

अपराध की श्रेणी एवं किशोर अपराधियों की आयु क्रमानुसार प्रत्येक देश में अलग-अलग है। भारतवर्ष में वह किशोर-अपराधी कहलाएगा,जिनकी अधिकतम आयु 16 वर्ष या उससे कम और न्यूनतम आयु 6 वर्ष हो,उसके द्वारा किया गया समाज विराधी कार्य किशोर अपराध की श्रेणी में आता है।(जे.जे.एक्ट1986)। बालक जो समाज की सुविधाओं का प्रयोग तो करता है, समाज द्वारा जिस व्यवहार की उससे अपेक्षा की जाती है, उसे वह नहीं करता, ऐसे बालक को किशोर अपराधी कहते है।

वेलेंटाइन के अनुसार 'कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, किशोर अपराधी है।'

किशोर में अपराध की प्रवृति को रोकने के लिए परिवार,विद्यालय,समाज एवं राष्ट्र द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे है। राज्य के वैधानिक प्रयासों के माध्यम से किशोरों को समाज की मुख्य धारा से पुन: जोड़ा जा रहा है। किशोर सुधारगृह इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे है। किशोर सुधारगृह में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का किशोर अपराधियों के अन्त:पारस्परिक संबध से तात्पर्य है कि किशोर अपराधियों के मध्य पाए जाने वाले एक दूसरे के प्रति विश्वास व सम्मान से है, जिसके द्वारा उनके मध्य आपसी संबंध सुदृढ़ होते है।

शोध का औचित्य – जो किशोर अपने पथ से विचलित हो चुके है, उन्हें सही दिशा देने एवं उचित मार्ग प्रदान करके परिवार,विद्यालय,समाज एवं राष्ट्र द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है और उन तथ्यों को जानने के लिए शोधार्थी के मन में निम्न प्रश्न उत्पन्न हुए-

- स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए किशोर अपराधियों के लिए किन दिशा निर्देशों की आवश्यकता है?
- किशोर सुधारगृह में कौन-कौन से शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे है?
- किशोर सुधारगृह में किस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है?
- किशोर सुधारगृह में संचालित कार्यक्रम किशोर अपराधियों के अन्त: पारस्परिक संबंधों को सुधारने में क्या भूमिका निभा रहे है?

इन समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की दृष्टि से शोधार्थी ने इस क्षेत्र का चुनाव किया है।

समस्या कथन – 'किशोर सुधारगृह में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का किशोर अपराधियों के अन्त: पारस्परिक संबंधों के संन्दर्भ में अध्ययन'।

शोध के उद्देश्य –

1. किशोर सुधारगृह में संचालित शैक्षिक विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
2. किशोर अपराधियों के अन्त: पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना।
3. किशोर सुधारगृह में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का किशोर अपराधियों के अन्त: पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ –

1. विभिन्न किशोर सुधारगृह के अपराधियों के अन्त: पारस्परिक संबंधों के माध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. किशोर सुधारगृह में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का किशोर अपराधियों केअन्त: पारस्परिक संबंधों पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श – प्रस्तुतअध्ययन में न्यादर्श चयन हेतु व्यवस्थित यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया हैं। जिसकेअन्तर्गत राजस्थान की राजधानी जयपुर के 2 राजकीय किशोर सुधारगृहों का चयन किया है(बालक-बालिका) न्यादर्ष में चयनित किशोर सुधारगृह में 100 किशोर अपराधी बालक है, जबकि बालिका किशोर सुधारगृह में 75 किशोर अपराधी बालिकाओं को सम्मलित किया गया है। न्यादर्श की कुल संख्या 175 है।

शोध परिसीमन – प्रस्तुत अध्ययन में जयपुर में स्थित सेठी कॉलोनी बालक किशोर सुधारगृह व गॉधीनगर स्थित बालिका किशोर सुधारगृह में किशोर अपराधियों(बालक-बालिका) को ही शामिल किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण –

- मित्रता मापनी सुनन्दा चन्दना(2012)
- साक्षात्कार अनुसूची
- अवलोकन

प्रदत्तें का विश्लेषण – शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त प्रदत्तें का सारणीयन करके प्रदत्ते का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण किया। जिसमें

* एसोसियेट प्राध्यापक जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत
** एसोसियेट प्राध्यापक जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में मित्रता मापनी से ज परीक्षण का प्रयोग करते हुए प्रदत्ते का सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। साक्षात्कार व अवलोकन से सम्बन्धित प्रदत्ते का गुणात्मक विश्लेषण किया गया है।

किशोर अपराधी बालक-बालिकाओं का अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध का आयामवार विश्लेषण किया गया है। जो इस प्रकार है-

तालिका संख्या -1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

प्रथम आयाम - मनोरंजकता के संदर्भ में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं)के अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में भिन्नताएँ है। किशोर अपराधी बालकों का माध्य 4.52 व किशोर अपराधी बालिकाओं का माध्य 5.9 हैअर्थात् किशोर अपराधी बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक मनोरंजकता पाई गई।

द्वितीय आयाम - स्वीकृति के संदर्भ में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं)के अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में समानताएँ है। किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं) का माध्य क्रमश: 4.28 एवं 4.18 हैअर्थात् किशोर अपराधी(बालक-बालिका)दोनों की मित्र बनाना,उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करते है।

तृतीय आयाम - सत्यता के संदर्भ में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं)के अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में समानता है। किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं) का माध्य क्रमश: 4.09 एवं 3.93 हैअर्थात् दोनों ही अपनी रूचि के अनुसार दोस्त बनाने की कोशिश करते है।

चतुर्थ आयाम - सम्मान के संदर्भ में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं)के अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में भिन्नताएँ है। किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं) का माध्य क्रमश: 4.05 एवं 2.84 हैअर्थात् किशोर अपराधी बालकों में किशोर अपराधी बालिकाओं की अपेक्षा सम्मान का दृष्टिकोण अधिक रखते है।

पंचम आयाम - पारस्पपरिक सहायता के संदर्भ में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं)के अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में भिन्नताएँ है। किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं) का माध्य क्रमश: 3.87 एवं 2.6 है अर्थात्किशोर अपराधी बालक किशोर अपराधी बालिकाओं की अपेक्षा परस्पर सहयोग करने में आगे है।

षष्ठ आयाम - आत्मविश्वास के संदर्भ में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं)के अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में भिन्नताएँ है। किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं) का माध्य क्रमश: 3.82 एवं 2.88 है अर्थात् किशोर अपराधी बालिकाओं की तुलना में किशोर अपराधी बालक अधिक आत्मविश्वास रखते है।

सप्तम् आयाम - समझदारी के संदर्भ में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं)के अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में समानताएँ है। किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं) का माध्य क्रमश: 3.42 एवं 3.21 हैअर्थात् किशोर अपराधी(बालक-बालिका) दोनों की सीखने,निर्णय लेने एवं माफी मॉगने में समानता रखते है।

अष्ठम् आयाम - तत्परता के संदर्भ में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं)के अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध में समानताएँ है। किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं) का माध्य क्रमश: 3.43 एवं 3.38 है अर्थात् दोनों ही अपने-अपने मित्रों के साथ स्वतन्त्रता का अनुभव करते है।

शोध के निष्कर्ष:-

1. **अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध के आयामों-**मनोरंजकता ,सम्मान, पारस्परिक सहायता आत्मविश्वास में किशोर अपराधी बालक-बालिकाओं में सार्थक अन्तर पाया गया है। किशोर अपराधी बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा अन्त: पासस्परिक सम्बन्ध के आयाम मनोरन्जकता अधिक सुदृढ़ होने के पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हो सकते है- जैसे किशोर अपराधी बालकों को अपनी चीजें साझा करने में कठिनाई महसूस होती है। वे अधिक समय तक मित्र के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकते है। उन्हे ड़र लगता है कि कहीं वे आपस में झगड़ा नहीं कर लें तथा वे नकारात्मक दृष्किोण रखते है।जबकि अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध के अन्य आयामों-सम्मान,पारस्परिक सहायता,आत्मविश्वास में किशोर अपराधी बालक-बालिकाओं में भिन्नताएँ है किन्तु किशोर अपराधी बालिकाओं की अपेक्षा किशोर अपराधी बालकों मेंअन्त: पारस्परिक सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ पाए गए जिसके पीछे कुछ कारण हो सकते है-

   जैस -किशोर अपराधी बालिकाओं को मित्र बनाने में कठिनाई महसूस होती है। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है,हीन भावनाओं के कारण वे परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करने से डरती है, वे अपनी बातों को या समस्याओं को किसी से व्यक्त नहीं करती है। वही अन्त: पारस्परिक सम्बन्ध के शेष आयामों-स्वीकृति,सत्यतता,तत्परता और समझदारी में किशोर अपराधी बालक-बालिकाओं में समानताएँ पाई गई। इनके अन्त: पारस्परिक सम्बन्धों में काई भिन्न्ताएँ नहीं पाई गई है।

2. किशोर सुधारगृह में किशोर अपराधी बालक-बालिकाओं को प्रदान किये जाने वाले अधिगम निवेशों में शैक्षिक तथा सहशैक्षिक दोनों प्रकार के अधिगम निवेश प्रदान किए जाते है। शैक्षिक अधिगम निवेशों के अन्तर्गत इन किशोर अपराधी बालक-बालिकाओं को अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है।इन्हें इतिहास, भूगोल, हिन्दी, गणित और मूल्य शिक्षा का भीा अध्ययन करवाया जाता है।पढाई से सम्बन्धित सभी सामग्री जैसे-किताब,पेन्सिल,बोर्ड,इत्यादि सुधारगृह से ही प्राप्त करवाई जाती है तथा परीक्षा भी दिलवाई जाती है। वही पर बालिका सुधारगृह में किशोर अपराधी बालिकाएँ उच्च शिक्षा(बी.ए.) हेतु स्वयं के स्तर पर तैयारी करती है तथा परीक्षा दिलवाई जाती है।शिक्षा से उनके मन में उत्पन्न नकारात्मक विचाारों को दूर करवाकर सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसरित करते है। शिक्षा ग्रहण करवाकर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाया जाता हैं जिससे वे अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

3. सहशैक्षिक अधिगम निवेशों के अन्तर्गत किशोर सुधारगृहों में किशोर अपराधी(बालक-बालिकाओं) को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाते है। इसके अन्तर्गत इन्हें अलग-अलग प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण करवाया जाता है।

   जैसे - किशोर अपराधी बालकों को कम्पयूटर प्रषिक्षण,केनिंग बनाना, हैडमेंड पेपर से सजावट की वस्तुऐ बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि किशोर अपराधी बालिकाओं को कम्पयूटर प्रशिक्षण के साथ-साथ पार्लर का कार्य सिखाया जाता है, मेहन्दी बनाना,सिलाई सिखाना,पेन्टिग बनाना इत्यादि कार्य सिखाए जाते है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के पीछे इन सुधारगृहों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि भविष्य में समाज की मुख्य धारा में जुड कर अपना योगदान दे सकते है।

4. किशोर अपराधी बालक-बालिकाओं में अन्त: पारस्परिक सम्बन्धों

को मजबूत बनाने के लिए सुधारगृह में उपस्थित प्रशिक्षक भिन्न-भिन्न प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से मित्रता का व्यवहार अपनाने को अग्रसर करते है तथा खेलकूदों के माध्यम से अन्त: पारस्परिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाते है। इनके व्यवहार में सुधार होने के बाद इन्हें समाज की कडी से जोड़ने हेतु परिवार में भेजकर पुनर्वास दिया जाता है।

इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि किशोर सुधारगृह में प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम इन किशोर अपराधियों के अन्त: पारस्परिक संबधों को सुधारने में प्रभाव डालते है।

शैक्षिक निहितार्थ -

1. किशोर सुधारगृह में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को बालिकाओं में ऐसी गतिविधियॉ करवानी चाहिए जिनसे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो।
2. किशोर सुधारगृह के प्रशिक्षकों को चाहिए कि वे किशोर अपराधी बालकों में मनोरंजकता को बढाने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करे।
3. किशोर अपराधी बालिकाओं के लिए समूह गतिविधियों का आयोजन करें।छोटी-छोटी प्रेरक कहानियों के माध्यम से उनमें दूसरो के प्रति सम्मान करने की भावनाओं को विकसित किया जा सके।सामूहिक कार्य करवाकर उनमें परस्पर सहयोग की भावना में भी वृद्धि होगी।
4. किशोर सुधारगृह में प्रशिक्षकों को चाहिए कि अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाएँ करवाए ताकि किशोर अपराधी बालक-बालिकाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास और आत्मविश्वास समुन्नत हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, भारती (1994) - बाल अपराध - जयपुर - रूपा बुक्स पब्लिकेशन।
2. बक्शी,एस.आर.(2000) - चाइल्ड वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट - नई दिल्ली: दीप एण्डदीप पब्लिकेशन।
3. शेण्डे,रामजी हरिदास (2007) - बालश्रम अपराध एवं समाधान - जयपुर - साहित्यगार पब्लिकेशन।
4. पण्डेय, सुषमा (2007) - साइकॉलाजिकल कॉनसिकवे ऑफ चाइल्ड एब्यूज - नई दिल्ली - कॉनसेप्ट पब्लिकेशन कम्पनी।
5. मनारिया,चेतन - (2008) - बाल अपराध - समाज कल्याण, वाल्यूम 53,नं .9,10, अप्रैल-मई,नई दिल्ली - केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
6. मिश्रा,भावना,(2008) - अपराध के कारण.भारतीय आधुनिक शिक्षा,वाल्यूम 25, नं. 3,4,जनवरी-अप्रैल, नई दिल्ली - एन.सी.ई.आर.टी.।

तालिका संख्या – 1

क्र. सं.	अन्त: पारस्परिक सम्बन्धों के आयाम	किशोर सुधार गृह के बालक–बालिका	माध्य	प्रमाप विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	मनोरंजकता	किशोर अपराधी बालक =100	4.52	1.78	3.94	सार्थक
		किशोर अपराधी बालिकाएँ =75	5.19	0.23		
2.	स्वीकृति	किशोर अपराधी बालक =100	4.28	1.62	0.38	असार्थक
		किशोर अपराधी बालिकाएँ =75	4.18	1.90		
3.	सत्यता	किशोर अपराधी बालक =100	4.09	1.51	0.61	असार्थक
		किशोर अपराधी बालिकाएँ =75	3.93	1.84		
4.	सम्मान	किशोर अपराधी बालक =100	4.05	1.56	4.84	सार्थक
		किशोर अपराधी बालिकाएँ =75	2.84	1.72		
5.	पारस्परिक सहायता	किशोर अपराधी बालक =100	3.87	1.85	4.5	सार्थक
		किशोर अपराधी बालिकाएँ =75	2.61	1.93		
6.	आत्मविश्वास	किशोर अपराधी बालक =100	3.82	1.83	5.52	सार्थक
		किशोर अपराधी बालिकाएँ = 75	2.88	0.17		
7.	समझदारी	किशोर अपराधी बालक =100	3.42	1.85	0.92	असार्थक
		किशोर अपराधी बालिकाएँ = 75	3.2	1.50		
8.	तत्परता	किशोर अपराधी बालक =100	3.43	1.7	0.20	असार्थक
		किशोर अपराधी बालिकाएँ =75	3.38	1.58		

****

डिजिटल शिक्षा का शिक्षकों के विकास पर प्रभाव

डॉ. शिवाली शाक्या *

शोध सारांश – वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतया अधिकांश विद्यार्थी एक साथ कई कार्यो में संलग्न है, इसलिए वे कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं साथ ही केवल शिक्षक ज्ञान प्रदान करने का स्त्रोत नहीं है आजकल तकनीकी परिवर्तन के कारण ज्ञान को प्राप्त करने के बहुत सारे स्त्रोत उपलब्ध है, जैसे MOOCS, MOODLES, CLOUD computing OER आदि। ये सभी स्त्रोत सूचना प्रदान करने के साथ–साथ शिक्षकों व विद्यार्थियों का विकास करते हैं। डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा लेने के तरीकों को आसान बनाया है लेकिन उसका प्रयोग सही कार्य के लिए व सोच समझकर किया जाए तो बेहतर है, अन्यथा कई बार एक छोटी सी गलती के भी भयंकर परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। डिजिटल शिक्षा ने जहाँ विकास में गाति प्रदान की है, वहीं सभी को आलसी भी बना दिया है। अब सभी व्यक्ति अपने समय के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं अत: वर्तमान युग में डिजिटल शिक्षा अपनाना एक बड़ी चुनौती भी है।

प्रस्तावना – हम डिजिटलीकरण के युग में है और तकनीकी प्रगति का हमारे जीवन पर निरंतर प्रभाव पड़ता जा रहा है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अब आधुनिक दिनों की जटिल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। जहाँ सब कछ गतिशील है और बहुत तेज गति से विकसित होता जा रहा है। वर्तमान समय में दुनिया में दिन–प्रतिदिन अधिक परिवर्तन हो रहा है। पिछली शताब्दी के अंत तक भारत में शिक्षा–प्रणाली कक्षा आधारित सीखने पर काम कर रही थी, जहाँ छात्रों को परस्पर संवाद सत्रों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट करना आवश्यक हो गया और छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतियोगियों का सामना करने के लिए का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक हो गया। इसलिए डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता विकसित हुई। प्रोद्योगिकी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंख फैलाने के बाद पहले जो कक्षाएँ बहुत उबाऊ होती थी, वहीं तकनीकी के प्रयोग के बाद एक दिलचस्प और अच्छे वातावरण में बदल गई। डिजिटल शिक्षा ने छात्रों व शिक्षकों ,दोनों के जीवन को आसान बना दिया। भारत में डिजिटल शिक्षा का बाजार बहुत अधिक विकसित हो गया है। आज, डिजिटल शिक्षा एक विलासिता नहीं है बल्कि विद्यालयों व महाविद्यालयों में सीखने के लिए डिजीटल उपकरणों का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। भारत में डिजिटल शिक्षा के विकास के लिए बहुत से साधन उपलब्ध है जैसे – MOOCS, MOODLES, CLOUD computing OER आदि। नए युग के प्रोद्योगिकी मंच समग्र रूप से छात्रों, शिक्षकों और संस्थाओं के प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करते है। भारत में शैक्षिक संस्थानों द्वारा तेजी से अपनाए जा रहे क्लाउड आधारित प्लेटफार्म कक्षा को पेपरलेस बनाने में मदद करते है। इसके साथ ही Presentation पर विडियों बनाकर उसे अपलोड कर विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा प्रस्तुतीकरण तैयार किया जा सकता है। इसके आलावा आई टी से संबंधित प्लेटफार्म को शुरू करने से उद्यमशीलता के बडे अवसर पैदा हुए है ओर स्टार्ट अप, ई–लर्निंग, मॉडयूल के नए और बेहतर संस्करणों के साथ छात्रों की मांगे बढती हुई मांगों और लगातार बदलती जरूरतों के अनुरूप विकास हुआ है। आजकल दृश्य–श्रव्य संबंधी प्रस्तुतीकरण, सीखने व सिखाने को अधिक रोचक बनाते हैं क्योंकि शिक्षार्थी अब दृश्य व श्रव्य दोनों इन्द्रियों का प्रयोग करते हैं। आज हम डिजीटल सामाग्री के साथ देश भर में मिलियन से अधिक शिक्षार्थियों का समर्थन करते हैं।

शोध प्रविधि – यह शोध पूर्णत: द्वितीयक समंकों पर आधारित है जिसके लिए जर्नल्स व वेबसाइट्स का प्रयोग किया गया हैं।

डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता – वर्तमान समय में सीखने व सिखाने पर अधिक महत्व दिया जा रहा है आज पूरा देश डिजिटल बनता जा रहा है। इंटरनेट,मोबाईल फोन, टेबलेट, लेपटॉप और अन्य आधुनिक उपकरणों के विकास के कारण ही दुनिया की अधिकांश चीजें डिजिटल होती जा रही हैं पूरी दुनिया में कब, कहाँ और क्या हो रहा है, ये पूरी जानकारी हम घर बैठे तकनीकी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है, इसलिए डिजिटल शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शिक्षक को पढ़ने व पढ़ाने में बहुत आसानी रहती है। वह अच्छी प्रकार से अपने विषय को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से तैयार कर सकता है। डिजिटल शिक्षा की वजह से कक्षा में सीखना ज्यादा संवादात्मक होता जा रहा है डिजिटल शिक्षा के प्रयोग से ही लर्निंग को अधिक से अधिक प्रभावात्मक बनाया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव – डिजिटल शिक्षा से शिक्षक अपने समय की बचत कर अपनी लर्निंग को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसके साथ ही वह अपने विद्यार्थियों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, साथ ही वह विषय के साथ–साथ अतिरिक्त शिक्षा संबंधी ज्ञान प्राप्त कर अपने विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

1. डिजिटल शिक्षा के प्रयोग से शिक्षकों व विद्यार्थियों के समय की बचत होती है। वे पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण, Presentation Tube आदि के माध्यम से अधिक से अधिक ज्ञान विद्यार्थियों को आसानी से प्रदान कर सकते हैं चूंकि ये दृश्य एवं श्रव्य दोनों हो सकता है। अत: वे इसे अधिक प्रभावी व आकर्षक बनाकर दोनों के समय की बचत कर सकते

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

हैं।

2. शिक्षक, विद्यार्थियों को सूचना प्राप्त करने संबंधी सभी स्त्रोतों की जानकारी प्रदान करते है, जिससे कि उन्हें विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न स्त्रोत प्राप्त हो जाते हैं इसके साथ ही MOODLES, CLOUDS, MOOCS आदि पर कार्य कैसे किया जाता है। ई-लर्निंग एप्स, स्मार्ट टूल्स, ई-पाठशाला आदि संबंधित स्त्रोतों पर जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। प्रयोग कैसे कर सूचना प्राप्त की जाती है, आदि उन्हें आसानी से बता सकते है।[3]
3. शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा से एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ है कि उनकी कक्षाएँ परस्पर संवादात्मक बनी है। अर्थात् पहले अध्यापक ही कक्षा में बोलता था परंतु अब विद्यार्थी भी परस्पर संवाद करते है जिससे कई बार शिक्षकों को भी विद्यार्थियों से नए विचार, नई सोच, तथा नए तथ्य व नए-नए तरीके सीखने को मिलते है और ऐसे कई मूलमंत्र मिलते है, जिसे वो भी अपनी टीचिंग तकनीक में शमिल कर सकते हैं।
4. शिक्षक को डिजिटल शिक्षा के माध्यम स कई स्त्रोतों से सूचनाओं की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, कई बार इन टूल्स पर कार्य करते-करते उन्हें कई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे वह अपने विद्याथियों को प्रेषित करता है, जिससे विद्यार्थी भी अपना पूरा सहयोग देकर कुछ नया सीखने व करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। डिजिटल शिक्षा पारंपरिक शिक्षण की तुलना में अधिक आकर्षक अनुभव है।
5. शिक्षक, तकनीकी के माध्यम से अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को आसानी से जानकारी प्रदान कर सकता है। इसमें लागत भी कम आती है। शिक्षक को इसके लिए पहले मेहनत तैयारी अवश्य करना पड़ती है। इसके बाद वह अपने विषय को तैयार कर अच्छे से पीपीटी प्रस्तुतीकरण व Presentation Tube आदि के माध्यम से आसानी से सभी विद्यार्थियों को प्रेषित कर सकता है। जिससे वह एक ही समय में अधिकांश विद्यार्थियों को अपना ज्ञान पहुंचा सकता है। इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। शिक्षक व शिक्षार्थी किसी भी समय प्रशिक्षण ले सकता है।

डिजिटल शिक्षा के नकारात्मक प्रभाव – हर सिक्के के दो पहलू होते है। इसलिए जिस प्रकार डिजिटल शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। कई बार कुछ ऐसी तकनीकी व आर्थिक समस्याएँ आती है। जिनके कारण शिक्षकों व विद्यार्थियों दोनों पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते है।

1. तकनीकी समस्या जैसे लाईट या अच्छे से पावर सप्लाय न होने के कारण शिक्षक अपने प्रस्तुतीकरण को सभी विद्यर्थियों तक आसानी से नहीं पहुँचा पाते हैं। अत: यह प्रमुख समस्या हैं। इसके साथ ही आई.टी. तकनीक का विकास करने की आवश्यकता होगी। तकनीक में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे है, इसलिए एक अतिरिक्त तनाव व जिम्मेदारी में बढ़ोत्तरी होती है।
2. तकनीक व डिजिटल संसाधन महंगे है। इसलिए सभी शिक्षक व विद्यार्थी इसका अधिक प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि विद्यार्थी व शिक्षक इन संसाधनों को खरीद नहीं पाते है। डिजिटल टूल्स जैसे - मोबाईल, लेपटॉप, पी.सी. आदि महंगे होते है। इस कारण वे कई बार घर बैठे इसके प्रयोग का फायदा नहीं उठा पाते है।
3. भारत देश में आज भी कई क्षेत्र ऐसे है, जहाँ तकनीकी का विकास नहीं हो पाया है। वहाँ पर तकनीक संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में न तो शिक्षक तकनीकी का प्रयोग कर पाते हैं और न ही विद्यार्थी उनका लाभ उठा पाते हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन तकनीकों का प्रयोग करना अधिक खर्चीला होता है इस कारण वे उसका लाभ नहीं उठा पाते है।
4. जहाँ परंपरागत तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ के शिक्षकों को नई तकनीकों का प्रयोग नहीं आने से उनमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है। अत: शिक्षकों को नई तकनीकी का प्रयोग करने हेतु सही मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वे भी इन तकनीकों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे सकें।शोध अध्ययन का महत्व : इस विषय पर शोध के उपरांत यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटल शिक्षा अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। डिजिटल शिक्षा ने देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में क्रांति ला दी है। शिक्षक व अन्य सभी व्यक्ति अपनी दिन-प्रतिदिन के कार्यो हेतु भी डिजिटल तकनीकों का प्रयोग करते हैं। डिजिटल शिक्षा ने न केवल शिक्षक व विद्यार्थियों के समय की बचत की है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि की है वे स्वंय अपने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं और डिजिटल लेन-देन भी आसानी से करते है।

निष्कर्ष – तकनीकी शिक्षा आज के युग की सच्चाई है। तकनीकी शिक्षा के प्रयोग से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों पर प्रभाव पड़ता है शिक्षक, शिक्षा के नए-नए तरीके खोजते है व अपने विद्यार्थियों को पर्याप्त ज्ञान देते है साथ ही उन्हें किन - किन माध्यमों से सूचनाएँ प्राप्त हो सकती है। इन सभी स्त्रोतों की जानकारियाँ एकत्रित कर वे अपने विद्यार्थियों के भविष्य को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं आज के युग में सभी को तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों व विद्यर्थियों दोनों को इसका पर्याप्त प्रशिक्षण मिले जिससे वे इस तकनीक को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाकर उसका दिन - प्रतिदिन प्रयोग करते रहें और तकनीकी शिक्षा का प्रयोग कर अपने व देश के विकास में अपना सहयोग कर प्रदान करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Gihan wikramanayake (Aug 2005), 24th National Imformation Techology comference for the University of Colombo
2. http://www. Indiatoday.in
3. http://en.wikipedia.org/wiki/educational-technology.
4. http://elearningindustry.com
5. http://www. Maps of india.com

****

पितृसत्ता और महिला हिंसा (मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में)

डॉली जोशी *

शोध सारांश – हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ सदियों से हो रहे अत्याचारों, खासतौर पर घरों की चाहर दीवारी में हो रही हिंसा का सीधा सम्बन्ध पुरूष मानसिकता से है, जिसके कारण पुरूष अपने को श्रेष्ठ और महिला को हीन मानता हैं ।महिलाएँ मुख्य रूप से यौन उत्पीडन, बलात्कार, दहेज, परदा, भ्रूण हत्या, सतीप्रथा, मारपीट इसी तरह की हिंसा का शिकार प्रतिदिन हो रही हैं और इसका प्रतिशत दिनों–दिन घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है । आज घरेलू हिंसा निषेध कानून को किताबों से लाकर आम औरतों के लिए रोजमर्रा की जिन्दगी की हिंसा से बचने की ढाल बनाना होगा और महिला को यह विश्वास दिलाना होगा कि इस मामले में उसकी मदद के लिए न सिर्फ कानून वरन् पूरी सामाजिक व्यवस्था उसके साथ हैं। साथ ही यह भरोसा भी दिलाना होगा कि कानून का इस्तेमाल करने के बाद भी वह समाज में सम्मान से जी सकेगी । इसके साथ ही यह जरूरी हैं कि कानून का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह किया जाए । इसे औरतों के सशक्तिकरण की सकारात्मक मुहिम का हिस्सा बनाया जाए ।एक लोकतान्त्रिक समाज बनाने के लिए हमें ऐसी तमाम छोटी–बड़ी लड़ाइयॉ लड़नी होंगी और इसका पहला कदम औरत को ही उठाना पड़ेगा ।

प्रस्तावना – महान विचारक एन्गल्स के अनुसार – मानव द्वारा खेती सीखने के बाद धीरे–धीरे समाज में पुरूष आधिपत्य स्थापित हो गया और फिर पितृसत्तात्मकता का जन्म हुआ । पुरूषों ने अधिकांश उत्पादन कार्य संभाला और स्त्रियों को उनसे अलग कर मात्र प्रजनन कार्य की ओर धकेल दिया । एन्गाल्स ने इस परिवर्तन पर टिप्पणी करते हुए कहा हैं – मातृसत्तात्मकता का अन्त मादा लिंग की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हार थी । पुरूष ने परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले ली तथा स्त्री को पद से हटाकर व अपमानित कर उसे केवल पुरूष की कामुकता का शिकार बनाकर बच्चे पैदा करने का साधन बना दिया ।

तब से लेकर आज तक हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ सदियों से हो रहे अत्याचारों, खासतौर पर घरों की चाहरदीवारी में हो रही हिंसा का सीधा सम्बन्ध पुरूष मानसिकता से है, जिसके कारण पुरूष अपने को श्रेष्ठ और महिला को हीन मानता हैं ।

आज अगर घरेलू हिंसा को हम आंकड़ों में देखे तो हमें पता चलेगा कि –

भारत में प्रतिदिन 26 वें मिनट में महिला का उत्पीड़न होता हैं ।

हर 24 वें मिनट में बलात्कार होता हैं ।

42 वें मिनट में यौन उत्पीड़न होता हैं ।

हर 43 वें मिनट में महिला का अपहरण होता है, 93 वें मिनट में एक महिला जलाई जाती हैं

अमेरिका में हर 18 मिनट में महिला की पिटाई होती हैं ।

कोलंबिया में महिला मरीजों में 20 प्रतिशत घरेलू हिंसा की शिकार हैं ।

ब्रिटेन में हर तीसरे परिवार में एक महिला उत्पीडित होती है ।

ऑस्ट्रिया में डेढहजार तलाकशुदा महिलाओं में से 59 प्रतिशत ने घरेलू हिंसा के चलते तलाक लिया हैं ।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की 70 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार हैं ।

नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो के अनुसार पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर हिंसा के मामलों में पिछले एक साल में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

ऑकडों के अनुसार – वर्ष 2004 में घरेलू हिंसा के 55 हजार 439 मामले दर्ज हुए, जिनकी संख्या वर्ष 2003 में 50 हजार 703 थी । यह हालत तो तब हैं, जब कि घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामले थानों तक जाते ही नहीं है । गरीब और अनपढ़ ही नहीं, पढ़ी–लिखी और सम्पन्न महिलाएँ भी घरेलू–हिंसा की यन्त्रणा भोगती रहती हैं । घरेलू हिंसा के जो मामले दर्ज होते भी हैं उनमें से ज्यादातर में अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती । इन तथ्यों से आसानी से यह निष्कर्श निकलता है कि महिला हिंसा का ताल्लुक विकसित या विकासशील देश, धनवान या गरीब मुल्कों से नहीं वरन यह पूरे विश्व में एक समान मौजूद हैं । आमतौर पर औरतें घरेलू हिंसा समेत बहुत सारे अन्याय अपनी किस्मत का हिस्सा मानकर सहती रहती हैं

ख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि – 'जहॉ असमानता होती है, वहां लोग उस असमानता को पहचान भी नहीं पाते हैं और बेइंतिहा विषमताओं के शिकार होते जाते हैं । ऐसे में वंचित वर्ग उसे सहज मान बैठता हैं ।'

परिवार व समाज में वंचित वर्ग यानि माहिला इन अप्रत्यक्ष भंयकर शोषण का अनजाने में ही शिकार होती रहती हैं । कुछ प्रचलित प्रथाएँ बानगी के तौर पर काफी हैं – परदा, दहेज, भ्रूणहत्या, सतीप्रथा, बालविवाह आदि। ये इस प्रकार की प्रथाएँ हैं जो समाज द्वारा महिलाओं को जबरन ही थोपीं गई हैं ।

वर्ग भिन्नता के आधार पर भूमिका को हम समाज द्वारा दिए गए अधिकार तथा कर्त्तव्य के माध्यम से इस प्रकार देख सकते हैं – **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

और इसी वर्ग को प्राप्त दैनिक खुराक की तालिका के ऑकड़े भी चौकानें वाले हैं –

कैलोरी	औरत	आदमी
प्राप्त	2,410	3,270
खर्च	2,505	2,473

*शोधार्थी (मनोविज्ञान) श्री सत्य सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंस, सीहोर (म.प्र.) भारत

माओ ने कहा था – सामान्यत: चीन में पुरूष तीन व्यवस्थओं के अधीन शासित हैं। राजनीतिक सत्ता, वंश सत्ता, धार्मिक सत्ता।

लेकिन स्त्रियॉ इन सभी के अलावा पति की सत्ता द्वारा भी शासित हैं। सारे संसार में कुल कार्य घंटों में का लगभग दो–तिहाई भाग औरतों की मेहनत का होता हैं।

महिला श्रम को आज भी मान्यता नहीं है। औरतों को संसार की कुल आय का 10 प्रतिशत ही मिलता हैं। संसार की 1 प्रतिशत से भी कम सम्पत्ति की स्वामिनी औरतें हैं।

विकासशील विश्व में 48 प्रतिशत अशिक्षित पुरूषों की तुलना में 68 प्रतिशत औरतें अशिक्षित हैं।

अगर महिलाओं की साक्षरता दर पर नजर डालें तो पता चलता है कि 12 से 17 वर्ष की लड़कियॉ, लडकों की तुलना में आधी संख्या में ही स्कूल जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में औरतें विश्व आहार का लगभग 50 प्रतिशत पैदा करती हैं। हम देखें तो ज्ञात होगा कि नई तकनीक व मशीनें केवल पुरूषों को उपलब्ध होती हैं।

घरेलू हिंसा में महिलाओं को बचाने के मार्ग में जो मुख्य बाधाएं है, उनमें परम्परागत सोच, सामाजिक लांछन, आर्थिक पराधीनता के अलावा जटिल और लम्बी कानूनी प्रक्रियाएँ भी हैं।

महिलाओं से सम्बन्धित अपराध एवं उसके लिए जो सजा का प्रावधान तय किया गया है, वह हमारे देश में हाल ही में बने नए कानून में इस प्रकार है –

धारा 304 बी दहेज हत्या करने पर 7 वर्ष तक आजीवन कारावास, आत्महत्या के लिए महिला को दबाव डालने पर धारा 306 के तहत 10 वर्ष की सजा तय हैं। धारा 366/363 में अपहरण, भगाना, शादी के लिए मजबूर करना, 366.। में नाबलिग लड़की को कब्जे में रखने का प्रयत्न करना, इस अपराध के लिए 10 वर्ष का कारावास तय हैं। धारा 376 में बलात्कार के लिए 7 वर्ष से आजीवन कारावास, पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास। धारा 497 महिला के साथ व्याभिचार करने हेतु 5 वर्ष का कारावास, धारा 509 में अपशब्द कहना या अष्लील हरकतें करने पर 2 वर्ष का करावास निश्चित हैं। 354 के अन्तर्गत छेडछाड़, बुरी नीयत से महिला को पकड़ने के लिए 3 वर्ष का कारावास निश्चित है।

जाहिर है कि ऐसे कानून में घरेलू हिंसा से त्रस्त महिलाओं की समस्याओं को पहचानने और उन्हें राहत दिलाने की दिशा में एक अच्छा कदम साबित हो सकता हैं।

सवाल है, तो बस यह कि नया कानून कहां तक व्यवहारिक हो पाऐगा। यह कानून रातों रात नहीं बना बल्कि इसे बनाने और लागू कारवाने में तमाम महिला संगठनों ने खासा संघर्ष किया हैं और जिन संगठनों ने इसके लिए संघर्ष किया उन्हें यह अच्छी तरह पता हैं कि अमलीकरण का असली संघर्ष तो इसके बाद शुरू होगा।

घरेलू हिंसा निषेध कानून को किताबों से लाकर आम औरतों के लिए रोजमर्रा की जिन्दगी की हिंसा से बचने की ढाल बनाना बड़ी चुनौती हैं। ऐसे कानून तभी कारगर हो सकते हैं, जब पीड़ित पक्ष को यह जानकारी ही नहीं बल्कि यह भरोसा भी दिलाया जाए कि अन्याय उसकी किस्मत नहीं हैं। उसे इससे मुक्ति मिल सकती हैं और इस मामले में उसकी मदद के लिए न सिर्फ कानून वरन् पूरी सामाजिक व्यवस्था उसके साथ हैं।

स्त्री अधिकार को लेकर संवेदनशील सामाजिक व्यवस्था बनाना और उसका भरोसा दिलाना कानून बनाने जितना ही महत्वपूर्ण है ताकि उत्पीड़िता को यह न लगे कि यदि वह कानून का इस्तेमाल करती है तो पूरा जमाना उसका दुश्मन बन जाएगा।

उसे यह भरोसा रहे कि कानून का इस्तेमाल करने के बाद भी वह समाज में सम्मान से जी सकेगी। इसके साथ ही जरूरी है उस मशीनरी की मानसिकता को बदलना, जो इसे निचले स्तर पर लागू करेगी।

जरूरी है कि कानून का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह करने और प्रतिघात न्यौतने के बजाय इसे औरतों के सशक्तिकरण की सकारात्मक मुहिम का हिस्सा बनाया जाए।

एक लोकतान्त्रिक समाज बनाने के लिए हमें ऐसी तमाम छोटी–बड़ी लड़ाईयॉ लड़नी होंगी और इसका पहला कदम औरत को ही उठाना पड़ेगा। कवि वर वर राव की कविता की कुछ पंत्तियॉ हैं –

जो निजाम तुम्हें
भोग की चीज मानता है
उससे निकलकर बढ़ो
उस नये समाज की ओर
जो तुम्हें एक शक्ति
एक व्यक्ति का दर्जा देती है
और क्रान्ति के संकल्प
के साथ हो जाओ
क्रान्ति–पथ पर बढ़ते कदमों से
अपने कदमों की ताल मिलाओं
तुम्हारे हृदय में
क्रान्ति–सूर्य के उदित हुए बिना
विजय असम्भव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. काम्बेट लॉ (अक्टूम्बर–नवम्बर–06)
2. महिला विकास के आयाम (FAO-UNO)
3. हमारा शिविर–हमारी बात (FAO-UNO)
4. नारी जीवन संघर्ष (मानुषी)
5. समान (ऑक्सफेम)

महिला	पुरूष
समाज द्वारा दिए गए अधिकार	**समाज द्वारा दिए गए अधिकार**
● शादी के बाद मां बनना। ● शादी के बाद पति के साथ सम्बन्ध बनाना	● परिवार का मुखिया ● सभी निर्णयों का हक ● सम्पत्ति का हक ● वंश का चिराग ● सम्बन्धों की छूट ● घूमने-फिरने की आजादी
समाज द्वारा दिए गए कर्त्तव्य	**समाज द्वारा दिए गए कर्त्तव्य**
● सुबह से रात तक सभी घरेलूकाम करना ● बेटा पैदा करना ● धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन ● पति को खुश रखना ● बड़े-बूढ़ों की सेवा करना ● परिवार नियोजन	● परिवार का भरण-पोषण ● सुरक्षा देना

****

सामान्य एवं आदिवासी छात्रों की व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन

घनश्याम डेहरिया *

प्रस्तावना – भारत देश अनेक जातियों का देश है, जिसमें सभी धर्म,जाति एवं सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें सामान्य एवं आदिवासी जाति समूह के लोगों में कुछ सामान्य रूप से कुछ अंतर पाया जाता है । जिसमें सामान्य जाति के लोगों का रहन–सहन,खान पान एवं उनके मकान आदि सुख–सुविधाओं में अलग–अलग अंतर देखा जाता है जिसके आधार पर सामान्य जाति के लोग अधिक मात्रा में शहरी एवं विकसित क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं। ये अपना स्वयं का व्यवसाय करना पसंद करते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं और ये लोग अपने मकान पक्के बनाते हैं और पक्के मकानों में रहना पसंद करते हैं।

अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक मात्रा में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसके कारण उनके पास आय के साधनों का आभाव होता है,क्योंकि वह अपना जीवनयापन कृषि एवं मजदूरी के माध्यम से पूरा करते हैं और ये अपने कच्चे मकानों में रहते हैं, जिसको मिट्टी,पत्थर,लकड़ी आदि से तैयार करते हैं।

आवश्यकता– यद्यपि शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में रूचि के पारस्परिक संबंधों का विशेष महत्व है। किसी कार्य की उन्नति में अभिक्षमता के बाद रूचि का विशेष स्थान है। अत: यह सोचा गया कि क्या सामान्य एवं आदिवासी छात्रों की समान प्राप्ताकों में रूचि किस प्रकार की होगी। प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में रूचियों का अत्यधिक महत्व होता है,क्योंकि यह व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग होता है।रूचियॉ किसी कार्य में सम्मिलित रहकर कार्य को करने की प्रवृत्ति का द्योतक है। रूचियों के अनुसार किया गया कार्य व्यक्ति के लिए लाभप्रद भी होता है। यद्यपि केवल रूचि के माध्यम से कैरियर योजना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। परन्तु फिर भी यह उस दिशा में घटक के रूप में है। आदिवासी अर्थात् अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं।

उद्देश्य– हाई स्कूल स्तर के छात्रों की व्यावसायिक रूचि के अनुसार व्यावसायिक क्षेत्रों का चुनाव करने के लिए निर्देशित करना।

व्यवसायिक अर्थात इस समस्या के अन्तर्गत छात्रों की रूचि के अनुसार व्यावसायिक विषय समूह के चयन का तुलनात्मक अध्ययन करना है। छात्रों को हाई स्कूल स्तर के शिक्षण काल में ही यदि व्यावसायिक विषयों का चुनाव उनकी व्यावसायिक विषय रूचि समूह के अनुसार करा दिया जाय तो आगे चलकर उन्हें अपनी रूचि एवं योग्यता के अनुसार व्यावसाय चयन करने में असुविधा नहीं जावेगी।

आज के युग में प्रत्येक विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि विद्यार्थी अपनी विशिष्ट रूचि एवं योग्यता के अनुसार ऐसे व्यावसायिक विषयों का चुनाव करता है।जिससे वह उस रूचिकर व्यावसायिक विषय संबंधी व्यवसाय का चयन कर सके।

प्रस्तुत शोध कार्य के निम्नांकित उद्देश्य :

1. सामान्य एवं आदिवासी छात्रों की व्यावसायिक रूचि का अध्ययन करना ।
2. सामान्य एवं आदिवासी छात्रों को व्यावसायिक रूचि के स्तर का अध्ययन करना।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या :–

1. सामान्य जाति – भारत वर्ष को प्राचीन वर्ग अवस्था के आधार पर चार वर्णो में विभाजित किया गया है । जिनमें से तीन वर्ग – ब्राम्हण, क्षत्रिय एवं वैश्य । ये तीनों जातियॉ सामान्य के अन्तर्गत आते है । चौथा वर्ग शूद्र जाति जिसको अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है । इस वर्ग समूह का मेल – मिलाप सामाजिक स्वीकृति एवं सामाजिक, आर्थिक स्तर पर यह जाति के लोग अपेक्षाकृत उच्चवर्गीय होता है ।

भारत के विभिन्न अंचलों में लोग वर्षो से निवास करते आ रहे है । जो कि आदिमानव की तरह जीवन व्यतीत करते है। भारतीय समाज में ऐसे अपार जाति के लोग हैं, जो सामान्य जाति की श्रेणी में आते है। ये जाति के लोग उच्च श्रेणी में गिने जाते है । जिनकी सम्यता एवं संस्कृति अति प्राचीन है और सामान्य लोगों के रीति–रिवाज रहन–सहन भी अलग होते है

अनुसूचित जनजाति –जनजातियों के लोगों में सामाजिक संगठन अधिक पाया जाता है और ये अपने धर्म के साथ –साथ जादू टोना इन जातियों की महत्वपूर्ण विशेषता है । इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अब हम धर्म व जादू के जातीय स्वरूप का विभिन्न दृष्टियों से अवलोकन करेंगे । जन जातियों में झाड– फूंक व जादू–टोने का पर्याप्त उपयोग करते है । इन जातियों में देवताओं की विभिन्नता के साथ ही साथ पूजा और आराधना आदि के कई रूप प्रचलित है । इनके देवी, देवता, पर्वत, वृक्ष, पत्थर के हुआ करते है। ये जाति के लोग साज के वृक्ष में अपने देवता का निवास मानते है, उनकी धार्मिक मान्यताएं व हिन्दुओं के धार्मिक मान्यताओं व प्रथाओं से मेल खाती है , परन्तु कुछ प्रथा अलग होती है ।

रूचि का अर्थ– साधारण प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय किसी तथ्य, वस्तु या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केन्द्रित करना है ।जब हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है या पसन्द आती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी रूचि उसके प्रति होती जाती है । जिसके फलस्वरूप हम उस ओर अपना ध्यान केंन्द्रित कर लेते है ।

'रूचि वह प्रवृत्ति है, जो किसी अनुभव में लग जाती है तथा उसमें निरन्तर होती है ।' – बिंघम

'रूचि कोई पृथक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है ।' – सुपर

* अतिथि विद्वान (मनोविज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

परिकल्पना –सामान्य एवं आदिवासी छात्रों के विभिन्न व्यावसायिक रूचि के क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं होता है एवं इनकी रूचि स्तर सामान्य रहता है।

योजना – इस लघु शोध के लिए निम्नांकित योजना बनाई गई सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र के स्कूलों का चयन किया गया। जिसमें 25 सामान्य जाति के छात्र 25 आदिवासी छात्रों को व्यावसायिक रूचि के लिए चुने जाएगे। यह डॉ एस0पी0कुलश्रेष्ठ व्यावसायिक रूचि के आधार पर छॉटे जायेंगे , इन छात्रों से व्यावसायिक रूचि भरवाई जाएगी एवं इसका फलांकन किया जावेगा व सांख्यिकी का प्रयोग कर परिणामो का विश्लेषण व्याख्या की जाएगी।

न्यायदर्श का चयन – प्रस्तुत प्रयोज्य कार्य के लिए आर.एस. बेलासिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं शासकीय पंचशील माध्यमिक शाला जबलपुर के 25–25 छात्रों को चुना गया है जिनकी आयु 14 से 17 के बीच थी। प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया है –

विद्यार्थीयों की प्रकृति	संख्या
सामान्य	25
आदिवासी	25
योग	50

परीक्षण – व्यावसायिक रूचि प्रपत्र डॉ एस0पी0 कुलश्रेष्ठ, डी.ए.वी. देहरादून के द्वारा मानकीकृत किया गया है। जिसे परीक्षण में लाया गया , यह प्रपत्र माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों का दस विषयों की अभिरूचि का मापन करता है।

विधि – इस समस्या में प्रदत्त संकलन के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई गई है। सर्वप्रथम 10वी के 25 सामान्य बालक एवं 25 आदिवासी छात्रों को चुना गया है डॉ. एस.पी. कुलश्रेष्ठ एवं डी.ए.वी. कालेज देहरादून के द्वारा मानकीकृत किया गया है जिसका परीक्षण का उपयोग किया गया है।

सांख्यिकी विधियॉ–

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी वेल्यू के आधार पर सार्थकता

सामान्य एवं आदिवासी छात्रों के व्यावसायिक रूचि के विभिन्न क्षेत्रो में वर्गीकरण संबंधी तालिका:–

क्र.	रूचि क्षेत्र	सामान्य		आदिवासी	
		Mean	Stanine	Mean	Stanine
1	साहित्य	8.16	IV	10.32	IV
2	वैज्ञानिक	10.92	V	10.68	V
3	प्रशासनिक व्यावसाय	12.08	VI	12.96	VI
4	व्यापार वाणिज्य	7.6	IV	8.44	IV
5	निर्माणकर्ता	5.04	III	5.32	III
6	कलाकार	10.84	V	10.68	V
7	कृषि	8.28	IV	8.84	IV
8	प्रयासरत	10.16	V	11.24	VI
9	समाज	11.04	VI	12.02	VI
10	घर का कार्य	9.56	IV	10.04	V

उपरोक्त तालिका में आदिवासी एवं सामान्य छात्रों के स्टेनाइन प्राप्तांक दिए गए परिणामों से स्पष्ट होता है कि स्टेनाइन के दृष्टिकोण से ही दोनों समूहो के मध्य विशेष अंतर नहीं है, निर्माण कार्य संबंधी रूचि क्षेत्रों को छोड़ के सभी क्षेत्र औसत के अंतर्गत आते है।

परिणाम की व्याख्या – उपरोक्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय के निजी क्षेत्रों में सामान्य एवं आदिवासी छात्रों की व्यवसायिक रूचि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है क्योंकि रूचि वह प्रवृति है जो किसी अनुभव में जन्मजात एवं अर्जित गुण है इसलिए उसके विकास में व्यक्ति की जाति का प्रभाव नही पड़ता है। अत: इस आधार पर हम कह सकते है कि जातिगत सामान्य एवं आदिवासी छात्रों की व्यवसायिक रूचि का कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

परिकल्पनाओं का सत्यापन – 'सामान्य एवं आदिवासी छात्रों के विभिन्न व्यवसायिक रूचियों के क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं होता है एवं इनके रूचि का स्तर सामान्य रहता है'।

अत: परिकल्पनाओं के सत्यापन के आधार पर हमारी विभिन्न व्यवसायिक रूचि क्षेत्रों में सांख्यिकीय गणना के आधार पर 'टी' मानों के प्राप्तांको से स्पष्ट होता है कि दोनो समूहो के मध्य विशेष अंतर नहीं हो।

निष्कर्ष:

1. आदिवासी एवं सामान्य छात्रों के व्यावसायिक रूचि क्षेत्रों में अन्तर नही है।
2. आदिवासी एवं सामान्य के व्यावसायिक रूचि औसत वर्गीकरण के अन्तर्गत आती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. भार्गव, डॉ. महेश एवं श्रीवास्तव,डॉ. डी. एन. – 'आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन', छठा संस्करण 1985 प्रकाशक – भर्गव बुक हाउस आगरा
2. कपिल, डॉ. एच. के. – 'अनुसंधान विधिया', प्रथम संस्करण 1978 प्रकाशक – हरप्रसाद भार्गव एण्ड संस
3. कपिल, डॉ. एच. के. – 'सांख्यिकी के मूलतत्व', प्रथम संस्करण 1978 प्रकाशक – हरप्रसाद भार्गव एण्ड संस
4. सिंह, अरूण कुमार –'उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान', मोती लाल बनारसीदास संस्करण –तृतीय संसोधन 2002 पुन: मुद्रण दिल्ली – 2005
5. पाठक, पी.डी. – 'शिक्षा मनोविज्ञान', पंचम संस्करण – 1974विनोद पुस्तक मंदिर आगरा

****

उराँव-सदान जनजाति-जाति निरंतरण

सोमनाथ उराँव *

शोध सारांश – निरंतरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया था। निरंतरण शब्द का कई पर्यावाची शब्द है जैसे – सातत्य इत्यादि निरंतरण का शब्दिक अर्थ है। विकास की प्रक्रिया का प्रभाव जो एक साथ रहने पर दो समाजों पर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और इससे जो बदलाव आता है, उसे निरंतरण कहते है। उराँव-सदान जनजाति-जाति निरंतरण से तात्पर्य है, जब दो या दो से अधिक समाज या जाति आपस में एक साथ मिलते है। दो या एक से अधिक समाज या जाति आपस में साथ-साथ रहते है, तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। सम्पर्क के कारण संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामने आती है तथा समाज में परिवर्तन और रूपांतरण होता है और समाज में जो एक दूसरे से संपर्क में अपनी विशेषता को खोते जाते है या अगला के रीति-रिवाज को अपना लेते है ।उनमें पृथकता, समागत सामुहिक भावना तथा नातेदारी का प्रभाव समाप्त होता जाता है। जो कभी लोक समाज की विशेषताएं थी अब समाज में भी वैयक्तिकरण बाजार बाजार अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विघटन की घटना घटित होती है। जब भी कोई दो समाज एक दूसरे के सम्पर्क में आते है, तो परिवर्तन की घटना आवश्यक रूप से घटती है। इसी को जनजाति-जाति निरंतरण का नाम दिया गया है।

झारखण्ड विविध संस्कृतियों वाले जाति समूहों का निवास स्थान है। यहाँ आदिवासी है, तो गैर-आदिवासियों की भी बड़ी आबादी वास करती है। सदानों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ है, तो आदिम समूहों की भी टोली-टोलियाँ है। झारखण्ड के अधिकांश गाँवों में विभिन्न जातियों की मिश्रित आबादी एक साथ बसती है। मगर अलग-अलग जातियों और पेशों के लोगों के टोले-टोलियाँ बंटे होते है। ऐसे गाँव सांस्कृतिक रूप से बहुतेरे रंग वाले होते है। साल भर उत्सव का महौल होता है। लोग धर्म और जाति के अनुरूप सांस्कृतिक व्यहार करते है। इन गाँवों में विविधताएं चरम पर होती है। जिसकी कल्पना इन रूपों में की जा सकती है।

शब्द कुंजी – उराँव-सदान जनजाति-जाति निरंतरण ।

प्रस्तावना – झारखण्ड विविध संस्कृतियों वाले जाति समूहों का निवास स्थान है। यहाँ आदिवासी है, तो गैर-आदिवासियों की भी बड़ी आबादी वास करती है। सदानों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ है, तो आदिम समूहों की भी टोली-टोलियाँ है। झारखण्ड के अधिकाश गाँवों में विभिन्न जातियों की मिश्रित आबादी एक साथ बसती है। मगर अलग-अलग जातियों और पेशों के लोगों के टोले-टोलियाँ बंटे होते है। ऐसे गाँव सांस्कृतिक रूप से बहुतेरे रंग वाले होते है। सालों भर उत्सव का महौल होता है। लोग धर्म और जाति के अनुरूप सांस्कृतिक व्यहार करते है। इन गाँवों में विविधताएं चरम पर होती है। जिसकी कल्पना इन रूपों में की जा सकती है।

झारखण्ड के गावों में कई समूह-समुदायों के मिल जाने से एक बेहद ही संमृद्ध संस्कृति ने जन्म लिया है। ये गाँव सारखण्डी लोकजीवन और सांस्कृतिक अस्मिता के केन्द्र बने हुए है। सामूहिक सह अस्तित्व की भावना ने झारखण्डी भाईचारे को मजबूत गठबंधन तैयार किया है। इतनी सारी सांस्कृतियां, धर्म और जातियाँ एक स्थान पर निवास करती है इसके बावजूद टकराव की कोई स्थिति नहीं है। हर समूह समूदाय दूसरे का सम्मान करता है और उनके साथ जीता मारता है।

सदियों से एक साथ रहने के कारण सांस्कृतियाँ आपस में घुल मिल गई है। इससे एक समृद्ध एकीकृत झारखण्डी संस्कृति की पहचान विकसित हुई है। 16 वीं सदी में मुसलिम आबादी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भी झारखण्डी जीवन शैली को अपनाया। मुगल शासको का इस क्षेत्र में विशेष लगाव नहीं था। उनकी नजर केवल झारखण्ड के जंगली हाथियों और शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे पर थी। मुगल फौज के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। इसी क्रम में कुछ मुसलिम आबादी यहाँ बसी थी। उसके बाद शेरशाह सूरी के हजारो अनुचर यहाँ बसे। इस तरह झारखण्ड के गाँवों में इस्लाम धर्म मानने वालों की भी अच्छी खासी आबादी है। तीन-चार सदी तक यहाँ रहने के कारण मुसलिम समुदाय भी झारखण्ड के रंग में रंग गए है। उनकी जीवन शैली, भाषा, सोच पर इसका असर दिखता है। ईद-बकरीद जैसे उत्सवों के मौके पर हर इलाके में मिलन समारोह का आयोजन होता है। इस तरह झारखण्ड के गाँव धार्मिक भाईचारे की मिशाल बनकर उभरते है।

आदिवासियों की आबादी सरना, ईसाई और हिन्दु धर्मो में बटी है। सरना आदिवासियों का मूल धर्म है। इसे मानने वाले प्रकृति के तत्वों की पूजा करते है। प्रकृति को सर्वोच्च मानते है। प्रकृति को जीतने की बजाय उसका सम्मान करते हुए उसके साथ तालमेल भरा जीवन जीते है। माता सरना सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है। उनका निवास जंगल में सखुआ पेड़ पर होता है। इसलिए सखुआ यानी साल यानी सरई के पेड़ को सरना गाछ कहते है। झारखण्ड का मूल सांस्कृतिक आचार-विचार इसी धर्म से पैदा हुआ है। मानव प्रकृति के सामजस्यकारी गठबंधन का लोकविधान आदिवासियों के सरना धर्म से निकला है।

झारखण्ड के गाँवों में इस धर्म की खासियत मूल झारखंडियत की सृजन करते है। सरना धर्म, इनके धार्मिक विधान, नियम व लोक आचरण ही

* मानवशास्त्र, राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड) भारत

झारखण्ड की मौलिक पहचान है। इसकी उत्पति, विकास और विस्तार झारखण्ड की धरती से हुआ है। लगभग हर आदिवासी समुदाय माता सरना को ही सर्वोच्च देवी के रूप में स्वीकार करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ईसाई मिशनारियों के विस्तार झारखण्ड में हुआ। धर्म प्रचार हुआ। कई झारखण्डी आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। हिन्दू धर्म के गैर-आदिवासी तो सदियों पहले ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। सरना धर्म पर हिन्दू और ईसाई धर्म को भारी प्रभाव पड़ा है। कांलांतर में झारखण्डी ने इन तीनों धर्मो का एक साथ स्वीकार कर लिया। इसलिए जो आदिवासी ईसाई है, वे भी सरना धर्म के सरहुल पर्व में नाचते गाते बजाते है। धार्मिक कार्य कांडो में हिस्सा लेते है। इसी तरह सकरात (मकर-संक्रांति) होली, दीपावली, शिवरात्री जैसे हिन्दू पर्व त्योहारों को भी मनाते है। ऐसा धार्मिक लचीलापन दुनिया के किसी कोने में देखने को समाज में धार्मिक कट्टरता, हिंसा और घंमड का कोई स्थान नहीं है। मिश्रित आबादी वाले गाँवों में इस महान समाज की खासियत को देखा जा सकता है। इसी तरह बाद के दिनों में भी विभिन्न प्रांतों से आकर लोग यहाँ के गाँवो में बसे है। झारखण्ड की सीमा पूरब में प. बंगाल, पश्चिम में छतीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा से सटी हुई है। इन राज्यों की सीमा पर अवस्थित गाँवों में मिश्रित आबादी का बसना लाजिमी है। इसका प्रभाव भाषा संस्कृति पर भी देखने को मिलता है। संथाल परगना के संथाल और पहाड़िया आदिवासी बंगला भाषा भी समझते-बोलते है। दक्षिणी सीमा पर स्थित गाँवों के लोग उड़िया-बांग्ला और अपने समुदाय की भाषा का इस्तेमाल करते है। पू. सिंहभूम के भूमिज आदिवासी उड़िया और बांग्ला अच्छी तरह समझते और बोलते है। इसी तरह रहन-सहन, साज-श्रृंगार के भी कई रंग देखने को मिलते है। दरअसल मिश्रित आबादी वाले झारखण्डी गाँव संस्कृति, जीवन शैली और धार्मिक गतिविधियों की एक साथ अनेक छटा बिखेरती है।

उद्देश्य -

- उराँव एवं सदान परम्परागत इतिहास को समझना या जनना।
- उराँव जनजाति पर सदान के प्रभाव को उजागर करना।
- सदान पर जनजाति प्रभाव का व्याख्या करना।

शोध विधियाँ - प्रस्तावित शोध मुख्यत: क्षेत्रीय कार्य पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन राँची जिला के माण्डर प्रखण्ड के करकरा एवं पुनगी ग्रामों के उराँव तथा सदान एक जाति-जनजाति निरत्रारण का मानवशास्त्रीय अध्ययन' अध्ययन क्षेत्र में सामग्री का संकलन कुछ निश्चित वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोत से प्राप्त सामग्रियों का भी उपभोग किया गया है। इसके लिए भारत में प्रकाशित पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, जर्नल, सरकारी गजट और दैनिक समाचार पत्र आदि का भी सहारा लिया गया है।

आकडों का विश्लेषण - (तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका के अनुसार कुल प्रतिदर्शो की संख्या 400 में 200 करकरा गाँव के पारिवारिक रहन-सहन का स्तर एवं 200 पुनगी गाँव के परिवार में पारिवारिक रहन-सहन का स्तर को लिया गया है। जिसमें करकरा गाँव के पारिवारिक रहन-सहन का स्तर प्रतिशत निम्न है, जिसमें निम्न 45 प्रतिशत, माध्यम 38 प्रतिशत, उच्च 17 प्रतिशत है। पुनगी गाँव के पारिवारिक रहन-सहन का स्तर प्रतिशत निम्न है जिसमें निम्न 48 प्रतिशत, माध्यम 33 प्रतिशत, उच्च 19 प्रतिशत है। 48 प्रतिशत परिवारों में पारिवारिक रहन-सहन का स्तर सर्वाधिक पायी गई है।

करकरा एवं पुनगी गाँव में शिक्षा की स्थिति (स्तर) **(तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका के अनुसार कुल प्रतिदर्शो की संख्या 400 में 200 करकरा गाँव के षिक्षा की स्थिति एवं 200 पुनगी गाँव के शिक्षा की स्थिति को लिया गया है। जिसमें करकरा गाँव के शिक्षा की स्थिति प्रतिशत निम्न है जिसमें निरक्षर 17 प्रतिशत साक्षर 15 प्रतिशत मैट्रीक से नीचे 12 प्रतिशत मैट्रीक 19 प्रतिशत इन्टर 15 प्रतिशत बी.ए. 16 प्रतिशत एम.ए. 3.5 प्रतिशत अन्य 2.5 प्रतिशत है। पुनगी गाँव के शिक्षा की स्थिति प्रतिशत निम्न है, जिसमें निरक्षर 19 प्रतिशत साक्षर 14 प्रतिशत मैट्रीक से नीचे 15 प्रतिशत मैट्रीक 17.5 प्रतिशत इन्टर 16 प्रतिशत बी.ए. 17 प्रतिशत एम.ए. 2 प्रतिशत अन्य 1.5 प्रतिशत है। 19 प्रतिशत शिक्षा की स्थिति सर्वाधिक पायी गई है।

निष्कर्ष - दोनों समाज उराँव तथा सदान दोनों की अपनी भाषा एवं संस्कृति है, फिर भी दोनों के मध्य सम्पर्क भाषा के रूप में सादरी या सदानी भाषा का प्रयोग करते देखा जाता है। नागवंशियों के इतिहास के बहुत सारे पहलु अब भी प्रकाश में नहीं आए है। पर एक बात निर्विबाद रूप में सत्य है कि नाग जाति (सदान) भारत की प्राचीन जातियों में एक है। इस जाति के पास अपनी समृद्ध परम्परा और संस्कृति रही है।

दोनों समाजों के खान-पान को देखने से पता चलता है कि उराँव तथा सदान समाज दोनों के खान-पान में बहुत सारे चीजों में एकरूपता नजर आता है। इससे यह अन्दाज लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन किसने अपनाया या ग्रहण किया। इसके अलावा सदान समाज के लोगों ने उराँव समाज से बहुत सारे चीजों को आज के दौर में आत्मसात किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आलोका 2013, झारखण्ड की श्रामिक महिलाए के.के. पब्लिकेशन्स इलाहाबाद।
2. आहूजाराम, 2012, सामाजिक अनुसंधान रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, नई दिल्ली।
3. उराँव प्रकाशचन्द्र, 1993 मुण्डा, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी राँची।
4. ओहदार बी.एन. जून 2000 जनहूल, आदिवासी झारखण्ड दर्शन राँची पृ.सं.6
5. एल.पी. विद्यार्थी, बिहार के आदिवासी, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1960 पृ.सं. 47

करकरा एवं पुनगी गाँव में पारिवारिक रहन–सहन का स्तर

रहन–सहन का स्तर	करकरा गाँव		पुनगी गाँव	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निम्न	90	45	96	48
माध्यम	76	38	66	33
उच्च	34	17	38	19
कुल प्रतिदर्शों की संख्या	200	100	200	100

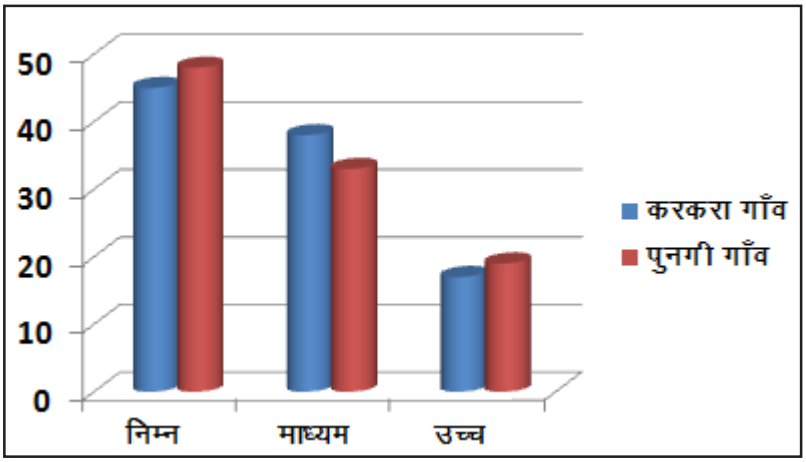

करकरा एवं पुनगी गाँव में शिक्षा की स्थिति (स्तर)

शिक्षा की स्थिति	करकरा गाँव		पुनगी गाँव	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	34	17	38	19
साक्षर	30	15	28	14
मैट्रीक से नीचे	24	12	30	15
मैट्रीक	38	19	35	17.5
इन्टर	30	15	32	16
बी.ए.	32	16	30	15
एम. ए.	07	3.5	04	2
अन्य	05	2.5	03	1.5
कुल प्रतिदर्शों की संख्या	200	100	200	100

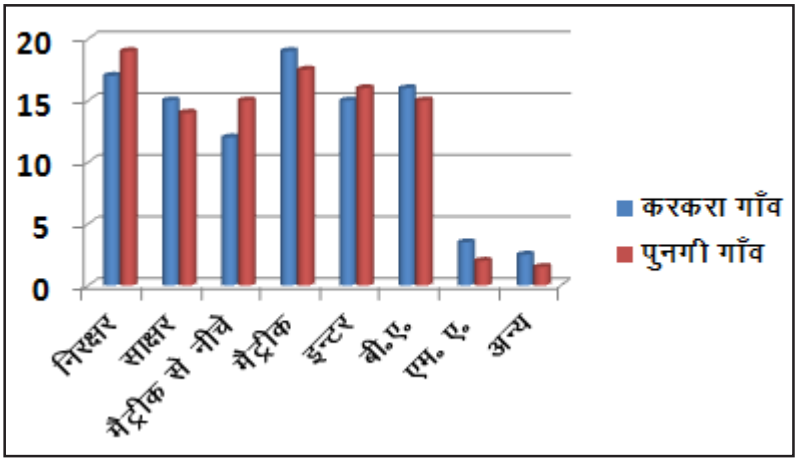

****

खड़िया जनजाति की पारम्परिक गहने एवं गोदना

शालिनी मिंज *

प्रस्तावना – पारम्परिक गहनों एवं पहनावे की बात की जाए तो हर जनजाति की अपनी एक विशेष पहचान या पारम्परिक गहने परिधान है। जिसमें की लोगों के बाल बनाने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, गोदना, आभुषण, इत्यादि है। ये आभुषणों के रूप में प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का ही अधिक प्रयोग करते थे। जैसे कि फूल, फल, पत्तो, बीज, लकड़ी, बाँस, पंख, हडिया, शंख, सीप कौड़ी, मुंगा, मोती, धातुओं में सोनी–चाँदी, गम्बा, गिलट, कांसा, पीतल, टीन, अल्युमिनियम, लोहा एवं कहीं–कहीं हीरा भी। इस अध्ययन में खड़िया जनजाति के पारम्परिक गहनों एवं गोदना की प्रकृति से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानने का और विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य –

- खड़िया जनजाति के गोदना से संबंधित इतिहास एवं विश्वास की जानकारी लेना।
- खड़िया जनजाति के पारम्परिक गहनों के बारे में जानना।

शोध प्रणाली – इस शोध आलेख हेतु शोध विषय से संबंधित तथ्यों व सूचनाओं का संकलन हेतु उद्देश्य पूर्ण निदर्शन (Purposive Sampling Method) का प्रयोग किया गया है। इसके साथ–साथ प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत अवलोकन, सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची केन्द्रीय समूह परिचर्चा एवं द्वितीयक स्त्रोतों आदि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन खड़िया जनजाति पर आधारित है। ये प्रजातिए दृष्टिकोण से ऑस्ट्रोएशियाटिक एवं भाषायिक दृष्टिकोण से प्रोटोआस्ट्रोलोइड भाषा समुह के माने जाते है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखण्ड में इनकी जनसंख्या 1,96,135 है। जबकि 2001 के अनुसार इनकी जनसंख्या 16,40,22 थी। खड़िया जनजाति के तीन उपविभाग है। (1) दूध खड़िया (2) डेलकी खड़िया (3) एरेंगा खड़िया। दूध खड़िया एवं डेलकी खड़िया ने नौ (9) गोत्र है। जबकि एरेंगा खड़िया में हर जगह अलग–अलग गोत्र लिखें जाते हैं। जिसके अनुार मयूरभंज के एरेंगा खड़िया, मानभूम के एरेंगा खड़िया एवं सिंहभूम के एरेंगा खड़िया में छ:–छ: गोत्र है लेकिन तीनों स्थानों के खड़िया गोत्र बिल्कुल अलग–अलग है।

अध्ययन से संबंधित आँकड़ों के संकलन हेतु दो खड़िया बहुल गाँव का चयन किया गया है। (i) केउंद टोली (ii) टीलेडीह यह दोनों गाँव गुमला जिले के पालकोट प्रखण्ड में आते हैं।

विश्लेषण – गोदना/खोदा (सोमोंग खोदना) – खड़िया जनजाति में मुख्यत: महिलाओं के माथे में तीन खड़ी लकीर देखने को मिलती है। लोग इसे एक सौ ग्यारह भी बोलते हैं। पर इसके पीछे भी एक खास बात है कि तीन खड़ी लकीर ही क्यों और कुछ क्यों नहीं। खड़िया बुजुर्गों से बात करने पर ज्ञात होता है कि खड़िया जनजाति के लोग बहुत पहले जब गंगा और यमुना नदी के बीच में बसे हुए थे। तब वहाँ आए दिन मुसलमानों अर्थात् मुगलों का आक्रमण हुआ करता था। आक्रमणकारी आते इनके बीच और खड़िया पुरूषों को मार डालते और अपने साथ खड़िया लड़कियों को जबरन ले जाते और रखैल बनाकर रखते या इज्जत लूट कर मार डालते थे। खड़िया जनजाति के लोगों के लिए अपने बहन बेटियों को ढूढना एवं उनकी पहचान कर पाना बहुत ही कठिन हो रहा था। फिर उन्होंने विचार किया कि इनको कुछ चिन्ह दिया जाए। विचार विमर्श करने के बाद इनके माथे में खोदा द्वारा अंकित किया। जिसमें कि किनारे के दो लकीर विजय पताका का चिन्ह है। बीच की लकीर समाट (मूसल) का प्रतीक है। इसके पीछे की घटना यह है कि एक बार सोहराई के दिन जब सारे खड़िया पुरूष नशे में चूर थे तब मुगल आक्रमणकारियों ने समय का फायदा उठाना चाहा। लेकिन स्त्रियों ने अपनी बुद्धि से काम किया और पुरूषों जैसे ही पोशाक धारण किए और मूसल को बन्दुक स्वरूप उपयोग किया। स्त्रियों ने लड़ाई में मुसलमानों के दाँत खट्टकर दिया। ऐसा युद्ध उस दिन तीन बार हुआ और तीनों बार खड़िया स्त्रियाँ ही विजयी हुई। अत: खड़िया, लड़कियों के लिए गोदना विजय, वीरता, और गौरव प्रतीक है। आज अधिकांश सरना धर्म मानने वाली महिलाओं के माथे में ये विजय चिन्ह दिखाई पड़ता है, अलग बात है इनको इसकी पीछे की घटना याद ना हो। ईसाई खड़िया में भी गोदना है पर हर ईसाई खड़िया स्त्री आज समय के साथ गोदना नहीं कराती है। पर इके–दुके स्त्रियों में आज भी दिख ही जाती है।

सिक्का बैठाना (सिक्का डोबकोना) – सिक्का बैठाना जिसे कि खड़िया लोग सिक्का डोबकोना कहते है। यह लगभग विलुप्त होता जा रहा है क्योंकि यह बहुत ही कष्टदायक संस्कार है। इस संस्कार में खड़िया लड़का दस या बारह वर्ष की उम्र में नौ सिक्कों अपने बाँये हाथ पर बैठाता है। इसके लिए कुदरूम, सनई या गंगाई के गुद्दे को जलाकर अपने हाथ पर जलाते थे जिससे यहाँ स्थाई भाषा में दागना कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया में चर्म के जलने तक नदी हटाते हैं। जिसके फलस्वरूप उस लड़के के चमड़े में घाव हो जाता है। एवं जीवन भर के लिए एक चिन्ह् के रूप में उसके शरीर पर रह जाता है। इस संस्कार के द्वारा लड़के की सहनशीलता देखी जाती है। नौ सिक्के दूध खड़िया के नौ गोत्र का प्रतीक है। यह चिन्ह भी एक अलग पहचान जो कि खड़िया जनजाति के लड़के को अन्य जनजाति के लकड़े से भिन्न करता है।

खोपा की बनावट – खड़िया महिलाए अधिकतर अपने बालों को बाँधकर रखना पसंद करती हैं। इसलिए ये अधिकतर खोपा बनाकर रखती है। देखा गया है कि ये जब खोपा बनाती है तो इनका खोपा हमेशा दाहिने ओर झुका रहता है। ये बड़ों को मान–सम्मान देने की सोच से ही अपने खोपा को दाहिने झुका कर रखती है। लड़कियाँ जब तक शादी की होती है, तब तक ये रबर

*शोधार्थी (मानव शास्त्र) राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड) भारत

बैण्ड के द्वारा या फीते के द्वारा अपने बालों को बाँध कर रखती है। लेकिन शादी के बाद ये खोपा ही बनाती है और कभी भी अपने भाईसुर या सास-ससुर के सामने खुले बाल में नहीं आती है। खड़िया महिलाओं का टेढ़ा खोपा बुजुर्गों का मान सम्मान देने का प्रतीक है।

जिडोई - खड़िया महिलाए अपने बाल को आकर्षित बनाने के लिए अपने बालों और खोपा में कई तरह के चीजें लगाती है। कभी फुल-पत्तियाँ तो कभी मयुर पंख लेकिन साथ ही धातु से निर्मित कुछ चीजें हैं, जिसका उपयोग भी ये करती है। जिड़ोई महिलाए अपने खोपा में लगाती है। इसका आकार मधु के छते के समान होता है। जिड़ोई के साथ ये झिका खोमसो, छाप खोमसो, पैसा खोमसो और काँटा खोमसो खोपा में लगाती है। ये सभी भी धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। पर झिका खोमसो का आज भी कुछ महिलाए अपने पास सम्भाल कर रखी हुई है।

कान बौड़ी - कान बौड़ी प्राय: पीतल का बना होता है, जिसे कि मलार द्वारा बनवाया जाता है। इसे कुँवारी लड़कियाँ शादी से पहले कान के ऊपर पहनती है।

लुतुर बिड़ियो - लुतुर बिड़ियों कान में पहनने की वाली श्रृंगार की वस्तु है। लुतुर बिड़ियों को बनाने के लिए आम की पत्तियों, ताड़ की पत्तियों या कागज का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए पत्तियाँ अथवा कागज को गोल-गोल मोड़ा जाता था और गोल बन जाने के बाद कान में डाला जाता है। जिसके दोनों सीरे कान के आर-पार निकले होते हैं। इसे पहने-पहने महिलाओं के कान के छिद्र धीरे-धीरे बड़े हो जाते हैं। शादी के दिन ही बिड़ियों को निकालकर लड़की के माथे पर सिन्दुर लगाया जाता है। पर समय के साथ-साथ श्रृंगार की बहुत सी चीजें आज दिनों दिन लुप्त होती जा रही है। पर कहीं-कहीं पर बहुत ही कम महिलाओं के कानों में आज भी दिखाई पड़ती है। आज की बच्चियाँ लुतुर बिड़ियों की जगह बाजार से मिलने वाली सोने, चाँदी या कृत्रिम झुमके और बालियाँ पहनना पसंद करती है। यही कारण है कि लुतुर बिड़ियाँ पहले की अपेक्षा बहुत ही कम दिखाई पड़ता है।

लुढ़का - लुढ़का पीतल अथवा ताम्बे का होता है। इसे भी मलार द्वारा ही बनाया जाता है। जब बच्चे पाँच वर्ष के होते हैं, तभी 'लुटुर भोकना' यानी कर्ण छिद्र संसकार होता है। कर्ण छिद्र करके दोनों कानों में लुढ़का पहिना दिया जाता है।

कोंको माला - खड़िया महिलाए गले में मोटा माला पहनना पसन्द करती है। इसके सिकरी माला, टिकली माला, हरवा माला भी इसके रूप हैं। सिकरी माला ये पीतल, चाँदी या सोने से बना जंजीर नुमा आकृति का माला हुआ करता है। टिकली माला भी चाँदी के सिक्कों को बीच से छेद कर एक धांगे की सहायता से पहनना जाता है, इसे ही टिकली माला कहा जाता है। आज भी ये महिलाओं के गले में शोभामान है, हरवा माला ये हार को कहा गया है।

हँसली - खड़िया महिलाए अपने गले में बहुत सारे सिक्कों को आगे में पिरोकर पहना करती है। इसे ही हँसली कहा जाता है। या चाँदी, सोने या पीतल द्वारा मोटे और गोल आकृति के गले से सटा हुआ माला होता है, जिससे खड़िया महिलायें पहनती हैं। ये आकार में गोत्र और भारी वजन का होता है। हँसली कुँवारी एवं विवाहित दोनों ही महिलाए पहनती है।

कड़म - कड़म पीतल धातु द्वारा बनाया जाता है। चूड़ी में इसका आकार मोटा साथ ही वजनदार होता है। स्त्रियाँ इसे अपने दोनों हाथों में पहनते हैं। यह भी आज लुप्त होता नजर आ रहा है। आज कड़म की जगह में खड़िया महिलाए बाजार से आसानी से मिलने वाली काँच की चुड़ियाँ ही अधिक पहनना पसन्द कर रही है। इसके अलावा, लाह, शांखा पोला जैसी चुड़ियाँ या अन्य धातु की चुड़ियाँ भी इनके हाथों में दिखाई पड़ रही है। छोटी-छोटी बच्चियाँ के हाथ में भी रंगबिरंगी चमकदार चुड़िया दिखाई पड़ रही है।

अंगठा - इसका आकार अंगुठी की तरह होता है इसे खड़ियाँ महिलाए अपनी हाथ की बड़ी अंगुली में पहना करती है।

झोटिया - इसका आकार भी अंगुठी की तरह होता है। खड़िया महिलाए इसे पैर की होती अँगुली में पहनती है। आखिरी में छेदी लगाती है। जिससे यह निकल न जाए। इसे कतरी भी कहते हैं।

निष्कर्ष - भारत में जितनी भी जनजातियाँ है, सबकी अपनी एक विशेष पहचान है। इनकी अपनी अलग-अलग पारम्परिक गहने, पोशाक, एवं गोदना (Tattoo) है। लेकिन समय के साथ ये धीरे-धीरे धुमिल होते जा रहे हैं। ये अधिकतर या तो किसी और जनजाति के पारम्परिक, गहनों एवं गोदना समिश्रण के रूप में सामने आ रहे हैं या श्रृंगार के पारम्परिक गहनों के जगह आज के आधुनिक गहने स्थान बनाते जा रहे हैं और कुछ विलुप्त होते जाता है। आज के अधिकांश खड़िया परिवार के लोगों से बात करने पर ज्ञात होता है कि आधुनिकता के प्रभाव में आने के कारण स्वयं इनकों अपनी पारम्परिक श्रृंगार एवं गहनों की जानकारी एवं गोदना के अर्थ ये अनभिज्ञ है। ये उपकरण और साज श्रृंगार की सामग्रियाँ खड़िया जनजाति के लोगों की आपार सम्पत्ति है। इन सामग्रियों की रक्षा करना जनजातिय समाज का परम कत्ताव्र्य है। सरकार ने संग्रहालय में इन उपरकरणों और आभूषणों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। प्राचीनकाल में ऊपर लिखित श्रृंगार सामग्रियों से भी अधिक सामग्रियाँ खड़िया समाज में पायी जाती थी। सुरक्षा की कभी के कारण एवं आधुनिकिरण के कारण ये श्रृंगार सामग्रियाँ लुप्त होती जा रही है। आज सर्वप्रथम स्वयं खड़िया समाज अपनी श्रृंगार सामग्रियों की जानकारी एवं स्वयं खड़िया श्रृंगार की सुरक्षा न करें तो ये पुरी तरह से लुप्त हो जाएँगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राय,एस.सी. एवं आर.पी. राय1937 ई0द खड़िया भाग-1 एवं 2 काथलिक प्रेस, राँची।
2. विद्यार्थी, एल.पी. एवं वी.एस. उपाध्याय1980 ई0खरिया देन एण्ड नाऊ, अशोक कुमार न्यू दिल्ली, 110015
3. डुँगडुँग एन्थोनी1981 ई0द खरियास ऑफ छोटानागपुर अ सोर्स बुक (राँची) कैथोलिक प्रेस राँची।
4. कुल्लू पौलुस1981 ई0खड़िया व्याकरण एवं संक्षिप्त शब्दकोश: धार्मिक साहित्य समिति।
5. बनर्जी, जी.सी. 1982 ई0इंट्रोडक्शन टू खरिया लैंग्वेज, कोलकता, बंगाल सेक्रेटेरियट प्रेस।
6. मुखोपाध्याय1988 ई0खरिया - द विकटिम ऑफ सोशल स्टिगमा।
7. केरकेट्टा, रोज 1990 ई0खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, अन्नपूर्णा प्रकाशन कानपुर, यू.पी.।
8. डुँगडुंग, जोवाकिन1999 ई0खड़िया जीवन और परम्परा, राँची येसु समाजी, काथलिक प्रेस, राँची, 834001
9. कुल्लू, पौलुस2000 ई0खड़िया धर्म और संस्कृति का विश्लेषण: सत्य भारती।
10. उपाध्याय, विजय शंकर2001 ई0हिल खरिया/सबर:रांची, झारखण्ड ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीच्यूट।
11. डुँगडुँग, जोवाकिम2014 ई0खड़िया, मुण्डा और उराँव संस्कृति झारखण्ड झरोखा, राँची-834001
12. गौंझू गिरिधारी राम 'गिरिराज' एवं शकुन्तला मिश्रा 2015 ई.झारखण्ड की पारंपरिक कलाएँ, झारखण्ड झरोखा, राँची।

शिक्षा के विकास में वैदिक कालीन ग्रन्थालयों का महत्व

अरविन्द अतुलकर * श्रद्धा वर्मा अतुलकर **

शोध सारांश – भारत में लिखने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल में भारत वर्ष में ब्राम्ही लिपि का प्रचार था मध्य तथा आधुनिक कालों की समस्त भारतीय लिपियां इसी ब्राम्ही लिपि से निकली है। आर्य सभ्यता बहुत पुरानी है फिर भी ई0पू0 300 के पहले की आर्य भाषा में लिखा हुआ कोई भी लेख न तो अभी तक मिला है और न ही पढ़ा गया है। वैदिक काल में आर्यों ने एक मौलिक ब्राम्ही लिपि का आविष्कार किया था। उसका विकास होते होते उसकी यह वर्णमाला बन गयी थी जो आज की देवनागरी वर्णमाला का पूर्व रूप थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और वेद उनके धार्मिक ग्रन्थ थे।

प्रस्तावना – वैदिक काल में नगरों के कोलाहपूर्ण वातावरण से दूर गुरूकुल स्थापित किए जाते थे। वहां बालकों के शरीर मन एवं आत्मा तीनों का प्रशिक्षण एवं विकास होता था। बालक गुरू के परिवार का अंग बन जाता था। उस काल की सबसे बडी विशेषता थी कि गुरू स्वयं चलते फिरते ग्रन्थालय हुआ करते थे। भोजपत्रों एवं ताड़ पत्रों पर ग्रन्थ लिखे जाते थे, किंतु शिष्यों को लिखे हुए ग्रन्थ पढ़ने को नहीं दिए जाते थे। गुरू के मुख से शिष्य वेदों की ऋचाओं तथा अन्य ज्ञान को सुनकर कण्ठस्थ कर लिया करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि ग्रन्थ बहुत कम संख्या में होते थे। वे ग्रन्थ गुरूओं के पास ही उनके निजी ग्रन्थालय के रूप में रहते थे।

बौद्ध कालीन शिक्षा के सार्वजनिक प्रणाली नहीं थी व मुख्य रूप से विहारों एवं मठों तक ही सीमित थी। बौद्ध भिक्षु उन विहारों में रहते हुए धर्म प्रचार किया करते थे। जाति पांति का विचार किए बिना इस शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले हुए थे। ग्रहस्थ उपासक एवं उपासिकाएं भिक्षु तथा भिक्षुणियों से शिक्षा ग्रहण करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार के पाठ्यक्रम थे – धार्मिक और लौकिक।[1]

धार्मिक में दो बौद्ध धर्म की पुस्तकें त्रिपिटक आदि होते थे। लेकिन पाठ्यक्रम में अनेक कला कौशल, रथहांकना, भास्त्रार्थ, धनूर्विद्या, मल्लविद्या, चित्रकला, संगीत और चिकित्सा शास्त्र आदि होते थे। विद्या का माध्यम लौकिक भाषा थी परंतु विश्वविद्यालयों में लिखाने का माध्यम संस्कृत था। इस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा के केन्द्र धीरे–धीरे सुसंगठित हो गए। इन केन्द्रों में से तक्षशिला, नालन्दा और विक्रम शीला आदि तो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र हो गए थे। इन शिक्षा केन्द्रों के साथ महत्वपूर्ण ग्रन्थालय भी थे।

तक्षशिला भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था। यह नगर 'गान्धार' राज्य की राजधानी थी। वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय के साथ ही एक अच्छा ग्रंथालय था। तक्षशिला के आचार्यों की योग्यता और उसके ग्रंथालय में संग्रहित बहुमूल्य ग्रंथों की धूम दूर–दूर तक फैल चुकी थी।'[2] अत: भारत के कोने–कोने से तथा विदेशों से भी छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे। यहाँ के ग्रंथालय में वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, तर्क तंत्र, व्याकरण, चित्रकला, वास्तुकला, कृषि व्यापार और पशुपालन आदि विषों के ग्रंथों का अच्छा संग्रह था, क्योंकि तक्षशिला केन्द्र में भी ये विषय उस समय पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे।

उत्तर पश्चिम से होने वाले विदेशी आक्रमण से यह ग्रंथालय अपने विश्वविद्यालय सहित सदा के लिए नष्ट हो गया। नालंदा के इस विशाल ग्रंथालय का नाम धर्मगंज था। दर्शन और धर्म के ग्रंथों का विशाल संग्रह होने के कारण व्यवस्था की दृष्टि से इसे तीन भागों में बाँट दिया गया था। पहले भाग को रत्नोदधि, दूसरे भाग को रत्नसागर, और तीसरे भाग को रत्नरंजक कहते थे। ग्रंथालय में संग्रहित ग्रंथ विषय क्रम से पत्थर के फलकों पर अलमारियों में व्यवस्थित किए जाते थे'।[3] इन ग्रंथों की सुरक्षा की व्यवस्था सुंदर थी। सभी ग्रंथ बहुमूल्य वस्त्रों से बंधे रहते थे। प्रत्येक आचार्य पर ग्रंथालय के एक विभाग का दायित्व था। वही उन ग्रंथों के रक्षक थे। धर्मपाल के शिष्य भीलभद्र दस ग्रंथालय के ग्रंथालयाध्यक्ष थे। इस ग्रंथालय की आभ्यंत्रिक छटा भी मनोहर थी।

मगध के प्रसिद्ध राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला ग्रंथालय की स्थापना आठवीं शताब्दी में की थी। उसने एक पहाड़ी के ऊपर विक्रमशिला के मठ को बनवाया था। इस स्थान पर छोटे–बड़े 108 मठ थे। पंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि यहाँ के सबसे बड़े विद्वान 'दीपकर श्रीज्ञान' जी थे। तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे वहाँ गए थे। राजा ने दो सौ हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपि और अनुवाद की हुई पुस्तकें उन्हें भेंट की थी।

बारहवीं सदी में आठ हजार बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी यहां रहा करते थे। इस महान ग्रंथालय की प्रशंसा आक्रमणकारियों ने स्वयं की थी। इस ग्रंथालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तबाकत–इन–नसीरी के अनुसार सभी बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया था। इस ग्रंथालय में हिंदु धर्म के अनेक ग्रंथ थे। खिलजी को पुस्तकों से ज्ञात हुआ था कि संपूर्ण मठ एक महाविद्यालय था।

भारतीय इतिहास का मध्य युग यद्यपि शैक्षणिक संस्थाओं के ग्रंथालयों

* शोधार्थी, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, रबिन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

के अस्तित्व के बारे में चुप है लेकिन मुस्लिम सुल्तानों ने अपने महलों में ग्रंथालय बनाए थे। मौहम्मद भाह बहमनी (1463-1482) के दरबार के वजीर महमूद खाँ द्वारा बिहार के एक महाविद्यालय में ग्रंथालय निर्मित कराए जाने का अवश्य उल्लेख मिलता है। बाद में इस राज्य को औरंगजेब ने जीता और लगभग 3000 पुस्तकों को वह दिल्ली ले गया और उन्हें अपने महल के ग्रंथालय में शामिल कर लिया'।[4]

मुसलमानी शासन के अंत और अंग्रेजों के आगमन के बीच का काल ग्रंथालय विकास की दृष्टि से अप्रगतिशील रहा है। अंग्रेजों ने धर्मप्रचार और शिक्षा की ओर ध्यान दिया। सिरामपुर (बंगाल) में माशमिन तथा वार्ड नामक पादरियों ने एक छापाखाना खोला और पुस्तकें प्रकाशित करके हिंदु व इस्लाम धर्म पर आक्षेप करने लगे। उन्हें अपने ढंग से शिक्षा प्रचार के लिए कई सौ स्कूल खोले और उनमें कुछ ग्रंथालय भी शामिल किए।'[5]

भारत में अंग्रेजों के उत्कर्ष के बाद शिक्षण संस्थानों के ग्रंथालयों के विकास का क्रम सन् 1781 से प्रारंभ हुआ माना जाता है। जबकि सर्वप्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्ज ने यह अनुभव करके कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गये क्षेत्रों में समुचित रूप से शासन करने के लिए कंपनी के कर्मचारी तथा अधिकारियों को अरबी फारसी का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, इस उद्देश्य के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। सन् 1791 में बनारस संस्कृत महाविद्यालय तथा सन् 1800 में फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना की और इनके साथ ग्रंथालय भी स्थापित हुए। सन् 1853 के बाद कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय तथा बहुत से महाविद्यालय भी खोले गये जिनमें ग्रंथालयों की व्यवस्था भी की गई थी।'[6]

इसके बाद महाविद्यालयों में ग्रंथालय बनाने के लिए पुस्तकों की संख्या में वृद्धि का क्रम प्रारंभ हुआ। महाविद्यालय के विकास पर सन् 1882 में हंटर कमीशन द्वारा कि गई रिपोर्ट के अनुसार एस. पी. जी. महाविद्यालय, त्रिचनापल्ली महाविद्यालय, लाहोर में 1400 पुस्तकें तथा शासकीय महाविद्यालय जबलपुर में 1000 पुस्तकें दीं।

भारत में शिक्षा प्रसार का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार शैक्षणिक सुवधिाओं में समन्वय स्थापित करने तथा उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा, शोध एवं अन्वेषण, तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के स्तर को निश्चित करने के लिए उत्तरदायी है आज जबकि शिक्षा का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक और ग्रंथालयों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति का अनिवार्य साधन हो गया है, तो आधुनिक शैक्षणिक संरचना में ग्रंथालय ज्ञान की आधार शिला बन गई है।'[7]

डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) और डॉ. कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग (1964) के द्वारा बताए गए उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं के ग्रंथालयों की स्थिति को सुधारने पर भी बल दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रंथालयों के विकास के प्रति सदैव जागरूक रहा है।

सन् 1957 में आयोग द्वारा गठित रंगनाथ समिति ने विश्वविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास के लिए अनेकों प्रभावी अनुसंशाएं की हैं। जिनका प्रतिपादन विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों द्वारा समय-समय पर यथोचित रूप में किया गया है। वर्तमान समय में जीवाजी विश्वविद्यालय में 106 सम्बद्ध महाविद्यालय है।'[8] जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत मान्य हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के विकास के लिए भवन निर्माण, उपस्कर, ग्रंथ संग्रह आदि के लिए निरंतर अनुदान देता है और ग्रंथालयाध्यक्ष एवं कार्यरत् कर्मचारियों के वेतन तथा स्तर को निर्धारित करने में अपना योगदान दे रहा है। मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय अग्रणी महाविद्यालय की संख्या-50, शासकीय महाविद्यालय-457, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय-75, अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय-789 है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिपाठी (एस.एम) - ग्रंथालय समाज एवं ग्रंथालय विज्ञान के पाँच सूत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा एवं अन्य में ग्रंथालयों की भूमिका, आगरा, वाई.के. पब्लिकेशन्स, 1999 पृ. 14-20
2. TEJOMUTI(A) - studies in Academic libratianship; jaSipur, printwell co. 1987 p,5
3. TEJOMURTI(A) - studies in Academic librarianship; jaipur, printwell co. 1987 p8
4. MUKHERJEE(A.K.) - Librarianship : its philosophy and history; Bombay, Asia publiship house, 1966 p.43
5. सुन्दरेश्वरन (के. एस.) - शैक्षणिक पुस्तकालय संगठन तथा प्रबंध, नई दिल्ली, एस.एस. पब्लिकेशन्स, 1991 पृ. 499
6. अग्रवाल (श्यामसुंदर) - ग्रंथालय तथा समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए पब्लिकेशन्स, 1994 पृ 194
7. ARAIAN (J.W.) - Administration of college; Bombay asia publishing house, 1965. P.15
8. सुंदरेश्वरन (के. एस.): शैक्षणिक पुस्तकालय संगठन तथा प्रबंध, नई दिल्ली, एस.एस पब्लिकेशन, 1991 पृ6

****

अजन्ता एवं बाघ के भित्ति चित्रों में संख्यातीत हाव-भाव का अद्भुत संयोग

डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला * अनुभा **

प्रस्तावना – अजन्ता एवं बाघ के भित्तिचित्र भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि अजन्ता की चित्रकला अनुपम तथा अलौकिक है, तो बाघ की चित्रकारी भी उससे कम नहीं है। बाघ के चित्रों में औचित्य का विशेष स्थान रखा गया है। अजन्ता एवं बाघ के कुशल चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अमूर्तता को मूर्त रूप में अभिव्यक्त कर संख्यातीत हाव-भाव का अद्भुत संयोग प्रदान कर चित्रों को उत्कृष्टता तक पहुँचाया। विविध भाव और मनोस्थिति किसी भी कथानक में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जिसको उदाहरण स्वरूप हम अजन्ता एवं बाघ गुफा के भित्ति चित्रों में देख सकते हैं ऐसा कोई भाव और मुद्रा नहीं छुटी जो कुशल चित्रकारों द्वारा चित्रित नहीं किया गया हो। किसी न किसी भित्ति चित्र में हमें संचारी और स्थायी भाव परिलक्षित हो ही जाता है।

नाट्यशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार के रस माने गए हैं और उनके स्थायी -भाव आठ हैं। जबकि अभिनय दर्पण के अनुसार नौ प्रकार के रस माने गए हैं और वस्तुत: उनके स्थायी भाव भी नौ ही हैं। अजन्ता और बाघ के भित्ति चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभिनय का संसार है, प्रत्येक भाव और रस इनमें देदीप्यमान हैं। जिन्हें देखकर मानव अन्तस आनन्द विभोर हो उठता है। नेत्रों में आश्चर्य और मन आनन्द प्रफुल्लित होने लगता है। निश्चित रूप से ये सारे तथ्य मेरे अनुभव हैं, जिन्हें मैंने इन गुफाओं में महसूस किया है।

रायकृष्णदास के अनुसार भाव भारतीय चित्रकारों की सर्वप्रधान विशेषता है। हाव-भाव में चित्रकार (भावुक) और चित्र के विषय (भाव) की कल्पना द्वारा एकतानता हो जाती है। इस एकतानता से चित्र में जो बात पैदा होती है, वही है, भाव अर्थात चित्रकार चित्रित किए जाने वाले विषय की सम्यक् अनुभूति और उसके प्रति सम्यक् सहानुभूति के कारण ऐसी आकृति अंकित करने में समर्थ होता है, जिसमें बाह्य सादृश्य ही नहीं, अंत: स्थल का अर्थात स्थूल शरीर का ही नहीं प्रत्युत्त सूक्ष्म शरीर का काल भी होता है।

अजन्ता एवं बाघ के भित्ति चित्रों में श्रृंगार, हास्य, करूणा, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स (घृणा), अद्भुत, शान्त आदि रस एवं भाव परिलक्षित होते हैं। चित्रकला बिना किसी भाव के अंकन के बिना स्वयं अपूर्ण है। उसके प्राण और सजीवता भाव और रस ही हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक मुख्य तथ्य अंकन की कुशलता ही है।

अजन्ता का एक चित्र काफी विश्व-प्रसिद्ध है और वह है गुफा सं0-17 का 'मरणासन्न राजकुमारी' का चित्र। जो 'डांइग प्रिन्सेस' के नाम से भी जाना जाता है। यह अद्भुत चित्र सहसा प्रत्येक दर्शक को अपनी ओर बरबस आकृष्ट कर लेता है। विदेशी कलाशास्त्रियों ने इस चित्र को 'म्रियमाण राजकन्या' अर्थात् डांइग प्रिन्सेस की संज्ञा दी है। यदि इस चित्र का सम्पूर्ण वर्णन हम करेंगे तो वह अपने अन्दर एक कथा को समाए हुए है कि आखिर वह क्या बात रही होगी जिसकी वजह से राजकुमारी की यह दशा हुई। कथा इस प्रकार है कि 'नन्द के भिक्षु के रूप में रहने का निश्चय करने पर एक सेवक उसके मुकुट को उसकी पत्नी सुन्दरी के पास लाया। उसे देखकर सुन्दरी मरणासन्न हो गयी। सुन्दरी एक गहरे आसन पर मसनद से टिककर बैठी है। मरणासन्न अवस्था में होने के कारण उसकी गर्दन नीचे झुक गयी है। उसकी अधमिची आँखों से उसको शक्तिपात सूचित किया गया है। नीचे गिरने से बचाने के लिए एक दासी ने उसे पीछे से संभालकर पकड़ रखा है। उसके दाहिनी ओर बैठी हुई दासी उसकी ओर शोकपूर्ण दृष्टि से देख रही है। वह अपना एक हाथ सुन्दरी के हाथ पर रखकर उसकी नाड़ी देख रही है। उसका दूसरा हाथ उसके शोक से धड़कते हुए वक्षस्थल पर रखा है। समीप ही खड़ी पंखा झलने वाली दासी के विकलांगत्व से उसके मन की चिन्ता व्यक्त हो रही है। उसके बाजू में स्थित सेवकों के मुख पर भी सुन्दरी की स्थिति के प्रति चिन्ता और दु:ख स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। दाहिनी ओर बाहर के आंगन में खड़ी दो दासियां परस्पर सुन्दरी की स्थिति के विषय में चर्चा कर रही है। मण्डप के ऊपर बैठा मोर भी दु:ख से विह्वल हो उठा है। लगता है वह अपनी मान (गर्दन) लम्बी करके मानों दासियों की बातचीत सुनने का प्रयत्न कर रहा हो''1 (देखिए चित्र सं0-1)।

अजन्ता

मानवों की ही भांति पशु-पक्षी भी बहुत समझदार होते हैं। विशेषत: ये सन्दर्भ पालतू पशु-पक्षी के विषय में है। जिस प्रकार दु:ख में मनुष्य संगीत-नृत्य आदि बन्द कर देते हैं, उसी प्रकार पशु-पक्षी भी अपने दु:ख या स्वामी दु:ख के समय अपने क्रिया-कलाप को छोड़ देते हैं। इस चित्र में मोर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह शोकमय वातावरण को देखकर अपने क्रिया-कलाप को छोड़कर शोकमय विषय को समझने की कोशिश में हो। छज्जे पर उसका इस तरह बैठा होना निश्चित ही उसको पालतू घोषित करता

* शोध निर्देशिका (चित्रकला) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राज.) भारत
** शोधार्थी (चित्रकला) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राज.) भारत

है। या ऐसा भी हो सकता है कि उस समय मानवीय सामाजिक वातावरण में पशु-पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हो।

इस चित्र के सम्बन्ध में ग्रिफिथ्स महोदय ने ठीक ही कहा है कि 'करूणा, मनोवेग तथा अपनी कथा स्वयं व्यक्त करने की निभ्रान्त शैली की दृष्टि से यह चित्र संसार की कला के इतिहास में अप्रतिम है। सम्भव है फ्लोराइन शैली वाले इसमें सुन्दरतर रेखाएं डाल देते और वेनिस वाले भव्यतर रंग भर देते किन्तु उनमें से यह सामर्थ्य किसी में नहीं था कि इससे अधिक सुन्दर भाव-व्यंजना व्यक्त कर पाते।'[2]

सीताराम चतुर्वेदी ने अपने लेख में इस चित्र के विषय के सम्बन्ध में एक आलोचना की है। उनका कहना है कि 'विदेशी कला मर्मज्ञों ने अत्यन्त भावुकता के साथ इस चित्र की सुन्दरता का विश्लेषण और इसकी सराहना की है किन्तु इस चित्र का विषय निर्धारण करने में उन सभी ने व्यापक भूल की है। जिस किसी ने भी काव्यशास्त्र तथा काम-शास्त्र का तनिक भी अध्ययन किया होगा उन्हें यह समझने में तनिक भी विलम्ब नहीं लगेगा कि यह चित्र 'म्रियमाण राजकन्या' का नहीं वरन् 'वियोगिनी राजकन्या' का है। इस चित्र में राजकन्या के जो मृत्यु के से लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं वे सब विप्रलम्भ श्रृंगार की दस दशाओं (अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण) में से व्याधि, जड़ता और मरण की दशाओं के द्योतक हैं, जिनमें वियोगिनी की दशा मृत-प्राय: हो जाती है। इसके अतिरिक्त राजकन्या कि म्रियमाण न होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चित्र में चित्रित राजकन्या पीठासन पर बैठी हुई है मृत्यु शैय्या पर पड़ी हुई नहीं। यदि वह मृत्यु शैय्या पर होती तो वैद्य, राजा, रानी तथा राज-परिवार के अन्य उच्चपदस्थ पुरूष और स्त्रियों का भी वहाँ जमघट होता किन्तु इस चित्र में तो केवल राजकन्या की परिचायिका ही चित्रित दिखाई गई है, दूसरा कारण यह है कि यदि राजकन्या म्रियमाण होती तो उसके शरीर पर वस्त्र पड़ा होता किन्तु चित्र में चित्रित राजकन्या निर्वसना या अल्पवसना है। भारतीय काव्यशास्त्र में वर्णित परम्परागत विवरण के अनुसार यह परिस्थति केवल नायिका की वियोगावस्था में ही संभव हो सकती है।'[3]

इसी प्रकार बाघ गुफा का एक चित्र भी अजन्ता के इस चित्र की भाँति एक स्त्री का शोकाकुल होने को प्रदर्शित करता है। यह चित्र 'महावस्तु अवदान की मालिनी वस्तु' चित्र के नाम से जाना जाता है। इसमें शोक और दु:ख के भाव को अत्यन्त सुन्दरता से दर्शाया गया है। इस चित्र में राजकुमारी मालिनी के शोकमग्न अवस्था के कारण के पीछे एक अत्यन्त सुन्दर लघुकथा है। कथा इस प्रकार है कि बनारस की राजकुमारी मालिनी तिष्य, कश्यप, एवं भारद्वाज बौद्ध भिक्षुओं के प्रति समर्पित थी। बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के प्रति अपनी भक्ति एवं विश्वास के कारण वह ब्राह्मणों की आँखों में खटकने लगी। तत्पश्चात् ब्राह्मणों ने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए एक योजना तैयार कर राजा को एक अन्तिम चेतावनी दी कि वह मालिनी अथवा ब्राह्मणों में से किसी एक को चुनें। तब राजा ने अनिच्छा से मालिनी को त्यागने का निश्चय किया। एक स्त्री अन्त:पुर से निकलकर राजकुमारी मालिनी को अनपेक्षित समाचार सुनाने आई है। इस दृश्य में एक स्त्री हृदय विदारक समाचार सुनकर अपने चेहरे को सफेदर रंग के उत्तरीय (ऊपरी वस्त्र) से ढक लेती है। इस दृश्य में राजकुमारी मालिनी और उसकी सहेली छत के ऊपर एक मण्डपिका में बैठी है। बांयी ओर अधिक श्रृंगार किए हुए बैठी स्त्री राजकुमारी मालिनी है, तथा शोक संतृप्त अवस्था में प्रदर्शित स्त्री उसकी सहेली है। (देखिए चित्र सं0-2) इस चित्र में मण्डप के ऊपरी छज्जे पर एक कबूतर के जोड़े को भी दर्शाया गया हैं।

बाघ

अजन्ता की गुफा सं0-17 मे 'मातृपोषक जातक' चित्र मातृत्व एवं वात्सल्य भाव को प्रस्तुत करता है। मातृपोषक जातक की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान बुद्ध श्वेत हाथी के रूप में जन्में थे। वे अपनी अन्धी माता के साथ एक अन्य पर्वत पर रहते थे। बोधिसत्व रूपी श्वेत हाथी ने भटकते हुए एक वनवासी को पीठ पर लादकर वन के बाहर निकाला। वह वनवासी बनारस के राजा के पास गया और उसने इस श्रेष्ठ हाथी का स्थान उस राजा को बता दिया। अपनी अन्धी माता की सेवा करने वाले श्वेत हाथी को जब शिकारी पकड़कर अपने साथ ले गये तो वह मां के वियोग में अपने आगे रखे हुए पकवान की ओर झुककर देखता तक नहीं है। बनारस राजा को जब यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने श्वेत बोधिसत्व हाथी के लिए पुन: जंगल भेज दिया। इस जातक कथा में कुशल चित्रकार ने मां से पुन: मिलने की दशा को बड़ी मार्मिक दृष्टि से अंकित किया है। इस जातक कथा के अन्तिम दृश्य में श्वेत गज को अपनी सूँड से अपनी अन्धी माँ को सहलाते हुए दिखाया गया है। (देखिए चित्र सं0-3)

अजन्ता

''स्पष्ट ही इस चित्र में चित्रकार ने हाथी का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। क्रोध होने पर हाथी अपनी सूँड मोड़ लेता है, दु:खी होने पर उसे नीचे लटकती छोड़ देता है और आनन्दित होने पर उसे आगे करके चलता है, यह सब चित्रकार ने अत्यन्त सुन्दर रीति से व्यक्त किया है।''[4]

इस चित्र में प्रेम और वात्सल्य भाव के साथ-साथ वियोग औत्सुक्य और क्रोध आदि भावों का कितना सुन्दर परिपाक हुआ है। जो चित्र और जातक कथा के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। चित्रकार ने मूक पशुओं के संवेदनशील भावों को उनकी आकृति में व्यवस्थित कर दिखाया है।

बाघ गुफा संख्या-4 में हल्लीसक का दृश्य अत्यन्त सुन्दर तरीके से

चित्रित किया गया है। इस चित्र में कुशल चित्रकारों ने अपनी तूलिका से उत्साह, हर्ष (आनन्द) और श्रृंगार रस के साथ-साथ यथेष्ट गति और रमणीयता का सुन्दर अंकन किया है। यह चित्र जीवन की दैनिक घटनाओं से सम्बन्धित है। इस चित्र में एक स्त्री और पुरूष के चारों ओर सात और छ: के समूह में 13 कुमारियों का नृत्य चित्रित किया गया है। प्रथम समूह के चित्र में एक पुरूष के चारों ओर सात नर्तकियों में से एक ढोलक बजा रही है और तीन गायिकाऐ दोनों हाथों में काष्ठदण्ड का वाद्य प्रस्तुत कर रही हैं। और शेष बची तीन मंजरियाँ बजा रही हैं। इसमें प्रस्तुत नृत्य आनन्दात्मक प्रतीत होता है, द्वितीय समूह में एक स्त्री के चारों ओर छ: स्त्रियों को नृत्य के द्वारा मानव की उदात्त भावनाओं का निदर्शन कराया गया है। इनके केश विन्यास के चित्रण में केशपाश को बाँधने की पुष्पमाला वेणी में संयोजित कमल का पुष्प वेणी-सूत्र में जटित रत्न आदि का निदर्शन कलाकार के हस्तलाघव का परिचय देते हैं। उपर्युक्त दृश्य का आधार सम्भवत: किसी राजसभा के नाट्य सम्बन्धी मनोरंजन का है। इसमें सभी ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। (देखिए चित्र संख्या-4)

बाघ

अजन्ता की पहली और छठी गुफा में 'मार विजय' का भव्य चित्र अंकित है। इसमें भय, निर्वेद (शान्त), क्रोध, आदि भाव एवं रसों की अभिव्यक्ति बहुत सुन्दर हुई है। इसमें राक्षसों और भालू को भयानक मुद्रा में दर्शाया हैं, तो दूसरी ओर भगवान बुद्ध को अत्यन्त शान्त भाव में दर्शाया हैं। मार-विजय के चित्रण में चित्रकार ने अपनी पूर्ण योग्यता का परिचय दिया। यह विषय अजन्ता में भित्ति-चित्र और शिल्पांकन दोनों रूपों में परिलक्षित हुआ है। गुफा सं0-26 में यह शिल्प सीधे हाथ की तरफ शिल्पांकित किया गया है, वह अब भी सुरक्षित अवस्था में हैं।

'ललित विस्तर' के अनुसार मार राक्षस की सेना और उसकी पुत्रियाँ बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। गुफा सं0-1 में चित्रित इस दृश्य के मध्य में बुद्ध तटस्थ भाव से वज्रासन पर भूमिस्पर्श मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर भयानक आकृतियाँ हैं। इनमें से कुछ आकृतियाँ अस्त्र-शस्त्र सहित अंकित हैं। बुद्ध के दाहिने ओर क्रूर मुखाकृति का पुरूष अथवा मार राक्षस दाहिने हस्त में तलवार लिये लाल और तीक्ष्ण नेत्रों से बोधिसत्व को देख रहा है। बुद्ध के बायीं ओर भी भयावह मुखाकृतियाँ चित्रित हैं। इन भयानक आकृतियों के साथ चार सुन्दर स्त्रियाँ भी प्रदर्शित हैं। बौद्ध धर्मानुसार ये चारों मार राक्षस की पुत्रियाँ हैं। चारों अधोवस्त्र पहने, आकर्षण भाव-भंगिमा, नृत्य-गायन एवं अंग-प्रत्यंग के संचालन से बोधिसत्व के तप को भंग करना चाहती है।''[5] (देखिए चित्र सं0-5) **अजन्ता (देखे)**

अजन्ता की गुफाओं में आलेखनों का अंकन बहुत सुन्दर हुआ है। गुफाओं की छतों को लताएं, पुष्प, पशु और पक्षियों को आलेखनात्मक अलंकरण से सुशोभित किया है। अजन्ता की गुफा सं0-1 में बायीं ओर के स्तम्भों में से एक के ऊपर दो बैलों की लड़ाई का एक बड़ा ही सजीव चित्रण चित्रित है। दोनों बैल सिर झुकाये जोर लगा रहे हैं। उनकी पूँछ घूमी हुयी है और लगता है कि खुरों से धूल उड़ रही है। रेखाओं के घुमाव से बैलों का जोर लगाना सहज ही स्पष्ट हो जाता है। दोनों बैलों का रंग भी एक-दूसरे से अलग-अलग है। दोनों एक-दूसरे से जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस चित्र में रौद्र रस का भाव स्पष्ट होता है। क्योंकि बिना रौद्र अर्थात क्रोध के लड़ाई नहीं होती है। बैल का चित्रण सजीव व चितवन भावपूर्ण है। बैलों की लड़ाई का चित्रण फूलों की डालियों से घिरा हुआ है (देखिए चित्र सं0-6)।

अजन्ता

वहीं दूसरी ओर बाघ की गुफा में भी एक आलेखन चित्रण में दो बैलों का अंकन परिलक्षित होता हैं। इसमें बैल पुष्पवल्लरी के मध्य शक्तिशाली व उत्तेजित प्रतीत होते हैं (देखिए चित्र सं0-7)।

बाघ

भाव-चित्र में रस प्रदान करता हैं। तभी चित्रों को देखने में भी आनन्द आता है और यही चित्र का सौन्दर्य होता है। भाव में ही चित्र का आन्तरिक सौन्दर्य रहता है। अजन्ता एवं बाघ के चित्र भाव-प्रधान हैं। उनमें भाव-व्यंजना की एक अजीब शक्ति है।

अजन्ता के चित्रकारों ने सुन्दरता में ही रूचि प्रदर्शित नहीं की है बल्कि कुरूप और भयानक रूपों के अंकन में भी पूर्ण सफलता प्राप्त की है।

भय, शान्ति, हर्ष, श्रृंगार, रौद्र, वीर, प्रेम, सौहार्द्र, विनय, व्यग्रता, त्याग एवं वात्सल्य और करूणा आदि संख्यातीत हाव-भाव का अद्भुत संयोग निश्चित अजन्ता एवं बाघ के भित्ति-चित्रों में अत्यन्त सुन्दर रुप में परिलक्षित होता है। भाव के अनुकूल ही चित्रकारों ने असंख्य रूपों का निर्माण किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिराशी, डॉ0 वासुदेव विष्णु, अनुवादक डॉ0 अजय मित्र शास्त्री, वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख, तारा पब्लिकेशन्स,

वाराणसी, प्रथम संस्करण– 1964, पृ0 सं0–105
2. निगम, केशव गोपाल, रामेश्वर उपाध्याय, आजकल, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली, मई 1968, वर्ष 24: अंकन–1 पूर्णांक : 286, पृ0 सं0– 6
3. निगम, केशव गोपाल, रामेश्वर उपाध्याय, आजकल, पूर्वोद्धत, पृ0 सं0– 6
4. मिराशी, डॉ0 वासुदेव विष्णु, अनुवादक डॉ0 अजय मित्र शास्त्री, वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख, पूर्वोद्धत, पृ0 सं0– 114
5. पाण्डेय, डॉ0 सन्ध्या, गुप्तकालीन बौद्ध चित्रकला परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण– 1989, पृ0 सं0– 103

(देखिए चित्र सं0–5) **अजन्ता (देखे)**

****

मालवा का परिचय व भित्ति चित्र

बबीता यादव *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से मालवा के भित्ति चित्रों का परिचय कराना है। समय के साथ भित्ति चित्रों में परिवर्तन आया ।हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है ।

प्रस्तावना – भारत का हृदय स्थल मालवा अति प्राचीन प्रदेश हैं। वर्तमान में यह मध्यप्रदेश राज्य का एक समृद्ध भू–भाग है। मध्यप्रदेश राज्य गठन से पूर्व यह मध्य भारत का एक हिस्सा था। मालवा भारत का एक विशिष्ट क्षेत्र रहा है। भारत के नाभिस्थल में अवस्थित यह राज्य श्यामल उर्वर क्षेत्र अपनी धन्य धान्य सम्पन्नता के लिए सदैव ख्यात रहा है। उत्तर एवं दक्षिण भारत के संधि स्थल यह अंचल सदैव ही राजनैतिक शाक्तियों धार्मिक एवं दार्शनिक महापुरूषों, संस्कृति चेतनाओं, साहित्यिक मनीषियों व्यापारियों एवं पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। मालवा शब्द मसई से बना जिसका अर्थ होता है, पहाड़ या टेकरी । प्रहलाद चन्द्र जोशी के अनुंसार मालवा शब्द उर्वरा शक्ति युक्त भूमि का द्योतक है। मालवा के लिए कहावत है।

देस मालवा गहन गम्भीर। डग डग रोटी पग पग नीर ।।

इसी प्रकार मालवा के सीमांकन के संम्बध में भी एक दोहा लोक प्रचलित है। 'इत चम्बल, उत, बेतवा, मालव सीम सुजान। दक्षिण दिसि है। नर्मदा, यह पूरी पहलान'।।

अर्थत चम्बल नदी, बेतवा नदी और नर्मदा के मध्य का भूभाग मालवा हैं। दक्षिण में नर्मदा नदी पूर्व में बेतवा नदी और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी इस प्रांत को सीमांकित करती है। पश्चिम ने कांठल और बांगड़ के प्रदेश मालवा को राजस्थान और गुजरात से पृथक करते हैं। उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा हाड़ौती प्रदेश तक पहुंचती है। मालवा के पूर्व–उत्तर में बुंदेलखंड प्रांत स्थित हैं।

अधिकांश विद्धान गुना, भेलसा, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, विदिशा, झाबुआ, सीहोर, भोपाल, रायसेन, जिलों को मालवा के अंतर्गत ही मानते हैं। मालवा अति प्राचीन प्रदेश है। रामायण और महाभारत काल के मालवा, अवंती के नाम से भी जाना जाता था। इसी प्रकार देवव्यास कृत महाभारत के उद्योग पर्व में अवंती देश के राजकुमार विन्द और अनुविन्द का उल्लेख हुआ।

विन्दा नु विन्दा वावत्यों संमतौ। कृतिनौ समेर ताल दृढ़ वीर्य पराक्रमा। उक्त पुराणों के अतिरिक्त श्री मद्भागवत पुराण ,स्वन्द पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, लिंगपुराण आदि में अवंती का उल्लेख है।

भित्ति चित्रों के केन्द्र – मालवा के चित्रकला का प्रारंभ प्रयौतिहासिक काल से ही प्रारंभ हो चुका था। मालवा के मंदसौर नगर से चालीस किलोमीटर दूर चंबल नदी किनारे विशाल बलुए पाषाण खंडों में शैल चित्र मिले हैं। ये चित्र मोढी सीता खर्डी, सुजानपुर, हिंगलाजगढ़, चीबर नाला आदि स्थानों में उपलब्ध हैं। स्व. पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने शैल चित्रों को खोजा नरसिहं के पास कोटरा पहाड़ी में भी शैल चित्र उपलब्ध हुए हैं। रायसेन की पहाड़ियों में भी शैल चित्र उपलब्ध हुए हैं।

चित्रकला की वास्तविक शुरूआत मालवा में गुप्तकालीन बाद्य गुफाओं से प्रारंभ होती है। बाद्य के चित्रों से पूर्व उन्नत प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं। डॉ. भगवतशरण उपाध्याय बाद्य के चित्रों की प्रशंसा में लिखते हैं। इन गुफाओं के चित्र भी अजंता शैली में लिखे गए हैं। उनकी छते दीवारे और स्तंभ की भूमि भी अजंता की ही भांति विराग के बीच तपो भिन्न अलहड़, उल्लसित, उन्मत्त, अनियंत्रित, अविरल जीवन वहां के चित्रों में भी प्रवाहित है। वहां भी पशु, मानव, समाज उदारता से अंकित हुए हैं। संसार के सुन्दरतम आलेख्य में उचित ही बाद्य के चित्रों की भी गणना है।

अधिकतर चित्र गुप्तकालीन हैं। मध्यप्रदेश के मालवा प्रांत के धार जिले से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी एक छोटी नदी के किनारे एक पहाड़ी में 9 गुफाएं हैं। इनके चित्र भी भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। इन गुफाओं के चित्रों का विशुद्ध वर्णन मार्ग पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वर्तमान में इन गुफाओं के चित्र पूर्णत: नष्ट हो चुके हैं। इन चित्रों कि अनुकृतियां मप्र की राजधानी भोपाल के नवनिर्मित श्यामला हिल्स पर स्थित संग्रहालय के कक्ष में प्रदर्शित हैं। मंदसौर के निकट धर्म राजेश्वर की बौद्ध गुफाओं में कहीं–कहीं रंग दिखाई देते हैं।

मालवा के बाद्य परम्परा का अंत नहीं हुआ, किन्तु अपभ्रंश शैली के रूप में कला का क्रम निरंतर रहा। इस समय कला भित्ति से उतरकर कागज पर आ गई थी। मालवा मांडव के निकट अपभ्रंश शैली का केन्द्र था जहां सचित्र कल्पसूत्र का चित्रांकन हुआ। मालवा शैली का विकास 17वीं शताब्दी में अधिक तीव्र हुआ। मालवा शैली के दो केन्द्र थे माण्डव एवं नरसिंहगढ़।

नरसिंहगढ़ मे 1652 ईसवी में माधवदास चित्रकार और उनके शिष्यों ने अनेक पोथियों का चित्रण किया । इन चित्रों मे चटक रगों का अधिक प्रयोग हुआ । मुगल कमजोर हुए और मराठा मालवा पर काबिज हो गए।

मराठो के आगमन से मालवा शैली का दोबारा द्रुत विकास हुआ । मंदिरो का जीर्णोद्धार एवं नवीन मंदिरों का निमार्ण प्रारम्भ हुआ नवीन हतेलियॉ बनी और चित्रित की गयी। हवेलियों एवं मन्दिरों में पुन: भित्ति चित्रण प्रारम्भ हुआ। इन चित्रों में धार्मिक, पौराणिक राजनैतिक, राग–रागनी, सामाजिक मनोरंजनार्थ एवं कहीं–कहीं रति चित्र भी बने। इन चित्रों मे चटक रगों का भी प्रयोग हुआ। पृष्ट भूमि अधिकतर लाल रंग की बनायी गयी।

* जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

पहनावा मालवी एवं मराठा प्रभाव से महाराष्ट्रीयन रहा। आकृतियों की सीमा रेखाए श्याम रंग से बनायी गयी अधिकांश एक चरम चेहरे कि प्रधानता रही। हाशिये, बैलबूटेदार कहीं अधिक कहीं न्यूनतम बना गए। रिक्त स्थानों में फूलो के गुच्छे बनाए गए। उक्त विशेषताओं ने राजस्थान शैली के निर्माण में प्रारम्भ मे प्रेरणा का कार्य किया ।

नरसिंहगढ़ शैली का प्रमुख केन्द्र रहा है। यहाँ 1650 ई. में अमरूशतक तथा 1686 में रागमाला का चित्रण हुआ मालवा शैली के चित्र देश के अनेक संग्रहालयों में प्रदार्शित हुए। नगर में एक सरोवर पर रामघाट स्थित चम्पावत मंन्दिर के सभागृह की छत में भिन्ति चित्र आज भी विद्यमान है।

मंदसौर की कई हवेलियों और मन्दिर में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ था। मालवा मराठा शैली के भित्ति चित्र आज भी सुरक्षित है। सागरमल पोखाल की हवेली में 88 चित्र है। पन्नालाल बावरेचा की हवेली में लगभग 14 चित्र है।

भानपुरा यहॉ यशवंतराव होलकर की छत्री के एक कक्ष में उत्कृष्ट भित्ति चित्र है। यहॉ दशावतार, रामलीला, चीरहरण, राजवाड़ा ;इन्दौर का उत्सव चित्र प्रमुख है।

नीमच आज नीमच जिला मुख्यालय है। पूर्व में यह मदसौर जिले का तहसील था और अंग्रेजी शासन में छावनी था। आज भी यहाँ सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख केन्द्र है। नीमच नगर की पुरानी बस्ती बघाना में चौधरी जी की हवेली में मालवा शैली के भित्ति चित्र उपलब्ध है। इसकी सख्या लगभग 85 है। यहॉ के एक कक्ष में रति चित्र है। किन्तु इन्हें देखने नहीं दिया जाता है। और कक्ष सदैव बन्द रहता है।

रतलाम मे कोटा वाले बाफना परिवार की जीर्ण-क्षीर्ण हवेली के कुछ चित्र आज भी है। चित्र तेलरंग एवं पाशात्य शौली के है।

ओंकारेश्वर ममलेश्वर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह नगरी पुराण पुरूष मांधाता की है। यहॉ के पूर्व राव दौलतसिंह जी ने लगभग 250 वर्ष पूर्व राजमहल का निर्माण कराया था छ: वर्ष में पूर्व इस प्रसाद में स्थित कुल देवता का मन्दिर से इस मन्दिर की भित्तियों पर भित्ति चित्र अंकित है। सख्या मे 46 इन चित्रों में देवी-देवताओं के सुन्दर चित्र अंकित है।

इन्दौर सन् 1818 मे इन्दौर में राजा के निवास हेतु राजवाड़ा का भव्य प्रसाद बनाया गया। सात मंजिले इस भव्य भवन में मार्तण्ड मंदिर बनाया गया प्रथम द्वितीय में भित्ति चित्र है। तीसरी मंजिल मे 250 चित्र थे प्रधानमंत्री इदिरा गांधी की हत्या के कारण उपद्रवकारियो ने आग लगा दी और राजवाडे का बहुत सा भाग नष्ट हो गया चित्र शैली समाप्त हो गयी।

उज्जैन ऐतिहासिक धार्मिक व पौराणिक नगरी है, इन मन्दिर की भित्तियों को चित्रों से अलंकृत भी किया गया अनादि कल्पेश्वर मंदिर, चिटवीस मन्दिर, राम जनार्दन मंदिर, काल भैरव मन्दिर, तिलकेश्वर मन्दिर की भित्तियो पर मालवा शैली के सुन्दर चित्र थे, जो आज नष्ट हो चुके है। कालभैरव मन्दिर के गर्भगृह में कुछ लघु चित्र है।

निष्कर्ष - रूप में मालवा शैली के अन्य शैलियों को भी प्रेरित किया है। आज तो चित्र शेष है। उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नन्दलाल जी लोढ़ा- मालवाचंल के जैन लेख श्री कावेरी शोध संस्थान, उज्जैन सन् 1995
2. डॉ. प्रहलाद चन्द्र जोशी- मालवी और उपबोलियों का व्याकरण दी स्टूडेण्डस बुक कम्पनी जयपुर 1999
3. कुसुम भैया - मालवा की लोक चित्रकला (शोध प्रबंध टंकित) वि.वि.वि. उज्जैन 1981
4. महार्षि वाल्मीकि - रामायण - किष्किन्धाकाण्ड श्लोक ।
5. महार्षि वेदव्यास - महाभारत, उद्योग पव्र अ 166 श्लोक ।
6. राय आनन्द कृष्ण मालवा पेंटिग्स् ।
7. उज्जयिनी दर्शन, डॉ भानुगुप्त लेख, मसलमानी शासन मे अवन्ती ।

****

Reflection Of Caste And Class Discrimination In Indira Goswami's Novel *The Moth-Eaten Howdah Of The Tusker*

Dr. Swati Chandorkar* Akanksha Agrawal **

Abstract - This paper attempts to explore the immobilization and deficiency of area specific caste system in India by examining Indira Goswami's novel *The Moth-Eaten Howdah of the Tusker.* In order to cure a disease it is essential to find out the cause of its generation. Here, an effort has been made to understand the root cause of caste system in India so that this evil can be eradicated from the society. Goswami is known for autobiographical elements in her novels. She observed that not only men but women also encourage many social evils. And these evils become hurdle in the progress of society. In this novel the protagonist Indranath is against stigmas like caste system. He has a liberal attitude. He spends time with low class people and do not consider them as untouchable. But the irony is that the women characters of his home warn him to stay away from them as it can spoil their reputation. A series of such incidences prove that their are women who aren't interested in getting rid of the shackles tied to their legs. But all of them are not same. There are many who don't believe in such hypocrisy. Goswami has proved that both the high class as well as low class people suffer due to this discrimination. It is quite difficult to be open-minded from within even if there is no external restriction. This paper is an attempt to find out the root cause from where it generates, and consequently suggests the ways using which these problems can be eradicated from the society.
Key Words - Patriarchy, socio-cultural power structure, caste and class system, marginality, discrimination, restriction, suppression, hypocrisy, sufferings.

Introduction - Mamoni Raisom Goswami (1942-2011), also known as Indira Goswami was an editor, author, poet, scholar, professor and social activist. She won many awards including Sahitya Academi in the year 1983, Jnanpith Award in 2001 and Principal Prince Claus Laureate in 2008 for her literary works. Her works are highly recognised and many of them like the novel which has been chosen for this paper have been performed on stage as well.

The novel *The Moth-Eaten Howdah of the Tusker* was published in English in the year 2004. It was translated by the author herself. It deals with multiple themes like widowhood, marginalization, alienation, revolts of farmers against landlords, feudal system and fight for women's rights to name a few. Another theme running through this novel was caste and class system which has been picked up and reflected upon in this paper. The novel provides various instances highlighting the fact how caste and class system is deeply rooted in the form of social evil in Indian society. The caste and class system is an age old custom. It has been observed by the historians that caste system has been existing in Indian society since thousands of years and has remained one of the major social issues till today. Many theorists and social activists worked on this theory since the dawn of literature to eradicate this problem. Still it is strongly rooted in the present scenario. The novel also highlights this issue using various characters and situations. Through this paper an attempt has been made to understand how Indira Goswami illustrates the brutal rites, still prevailing in our times, replace healthy sentiments with hostility and heartbreaking sadness. This paper focuses on how Goswami's characters ironically overturn the rituals of patriarchy and caste system to create confusion, incredulity and fright in the male dominant society. It focuses on how the caste and class system gives birth to many other social evils which then becomes a hurdle in the progress of society itself.

Caste system in our country is one of the most complicated issues. To speak about caste system, a famous research scholar Anita Goswami too writes about the complexity of caste system in India in this way,

'Caste in the Indian context is always very complicated and distinct as it functions diversely among different groups in different regions. Like its theory of origin, caste, is definitely plural in nature in India for it depends broadly on local aspects.' (618)

Many theories have been given on the origin of caste system in India. Various people have expressed their views on this in multiple ways. While discussing about these theories, A.P.Barnabas and Subhash C. Mehta in Caste in Changing India aptly comment,

*Professor & Head (English) Govt. S.S.N.M. Mahila Mahavidyalaya, Narsinghpur (M.P.) INDIA
**Research Scholar, R.D.V.V., Jabalpur (M.P.) INDIA

"…there are also so many theories on the origin of the caste system in India – some seeking its roots primarily in the racial and ethnic differences, some in the socio spiritual evolution of the tribal characteristics of India in ancient times, some only in the occupational differences, some merely in the spiritual beliefs of the pre-Aryans and Arayans in India and so forth. It is likely that several factors working jointly led in course of time to the emergence of the Indian caste system, its social, economic and ideological factors being specially influenced by several factors."(10)

Undoubtedly the discrimination between people prevailed due to caste system. But the condition of women was unpleasant for all the castes. Indira Goswami was herself a Brahmin and a widow. Therefore she had written her heart out while describing the plight of widows. The plot of the novel was constructed in 1948. At that time the Brahmin girls were forced to get married before attaining puberty. Attaining puberty before marriagewas considered a sin.In such an instance, the girl and her family became so inauspicious that they were even out casted. Goswami wrote in her novel "Steeped in hoary customs and superstitions, Brahmin girls get married before the age of puberty; many are widowed at a tender age and subjected to inhuman rigours."(385)

Brahmins were allowed to commit any crime. They being high caste were prohibited from being imprisoned. It was believed that to keep any Brahmin behind the bars is a sin and anyone doing so will not be forgiven by God. In the novel Goswami even mentioned an incidence of Dibakar Gossain. When he was being imprisoned, it attracted the rage of whole Gossain community, and they stood against law. They threatened and warned the police not to do so otherwise it would lead them to their own downfall. Goswami asserted, "They warned the Inspector that if he threw this Brahmin into prison, he will surely fall into a deep pit of sin so heinous that he would never be redeemed."(389) Of course, it was an irrational and illiterate behaviour. Instead of punishing the culprit, the police inspector was being accused of committing a sin.

Goswami also alluded to communism in this novel. When two women of Indranath's (the protagonist of the novel) family discussed about it, it enraged him. He even shouted at them. Despite being allowed by the head of the family they denied embracing any kind of liberty, as they always wanted to maintain the fake reputation of their caste. On the contrary, they even advised Indranath to keep himself away from the low caste people to maintain the dignity of their caste.

Both of these women were widows. One of them was Durga (Indranath's aunt). After her husband's death she was thrown out of her in-laws house as to keep a widow was considered inauspicious. Though she needed economic help yet she never dared to demand her share in property. Goswami puts her mentality in this way, 'As far as her memory went, she had never heard of a lady from a Gossain's household stepping across the household of a court.'(396). The gravity and penetration of this issue was so much that this theme persists in many of her other works as well. In one such work, she writes about a lady who is forced into prostitution due to dearth of money. She can get physical with high-caste people but when the question of low caste person comes she screams in this way: 'That pariah! How dare he send this proposal to me! Doesn't he know that I am the jajamani Brahmin caste and he, the vermin, is a low-caste Mahajan?'(77)

The major concern of the high caste people has always been to maintain their purity by keeping themselves away from the touch of low caste people. In this process the role of class structure amongst them have been generally ignored. Excessive significance is usually provided to caste as the chief driving force in defining individuality within various groups of people. In some cases, as Goswami illustrates, class and caste unite to shape more multifaceted characteristics at numerous ranks. A classic example of maintaining their purity can be seen in one of her works where a low caste woman tries so console an upper caste woman but the later keeps herself away from the touch of the former as it would make her impure. To quote Goswami, "It was forbidden for Bishnupriya, the daughter of a high caste priest, to touch her."(83)

One more hypocritical norm has been highlighted. The condition was if a boy wants to marry a girl then both should belong to same caste but different Gotras. That means they were forbibidden to married if they belonged to same Gotra. Therefore, the girl offered to Indranath was perfect for her as per societal rule but still on the basis of class difference she wasn't acceptable for his family. The lady who had come with her daughter's proposal said, "Your gotras are different. You are Chandilya gotra, she is from Bhardwaj gotra. I have studied everything! That's why I have come to you. Your words will be enough."(430-431)

While reading the novel, we come across an incidence where Indranath saved a girl named Eliman from drowning. When she tried to thank him, the other women around her shouted at her as Brahmin women were not allowed to talk to men. An old woman even screamed in this way, "Can a brahmin's daughter talk so shamelessly!"(402) It proves that caste system restricted a person's life even on such petty things. She was even told the fatal consequences of her act. Her whole family could be out casted if she talked to a strange man.

In the novel we are also exposed the fact that women were the victims of class discrimination. They were considered as weaker sex. Widows were not allowed to speak to men as they were always taken for granted and regarded as the segregated class of society. Despite suffering from one of the major social issues, they were prone to support caste system and they were in favour of maintaining this age old custom in India.

An example of this discrimination is showcased aptly

by the author through Eliman. When Eliman attained puberty before marriage, her mother had to keep this fact hidden from the family and before people come to know about it she wanted to tie her knot with Indranath. She also revealed that there are many girls in the southern part who have attained puberty and kept this fact hidden. It proves that women are subjugated because of their gender. They are considered as second sex and they even have to suffer because of their biological differences.

Another example of class discrimination as illustrated in the novel is Indranath's love affair with Eliman who belonged to the same caste but he still couldn't marry her as the girl belonged to lower class family. All the members of Indranath's family were married to high class rich women. Eliman was criticized for being poor and Indranath was advised not to marry her. Though she too was a Brahmin but she wasn't very rich. So if he married her, it could spoil his family's reputation. . Goswami wrote, "His ancestors never married ordinary Brahmin girls; his mother, grandmother,... all came from established sattras..."(416) Goswami was a widow. So she was also categorized as marginalized by the society. But she wanted to stand for those who are the victims of caste and class discrimination. She felt a dire necessity to expose the fact that even women, who too are the victims of class system, supported caste system. Most of her works have been derived from her personal experience and that is why, while reading her works a sense of empathy towards her characters can be felt by the readers.

The whole society becomes biased due to this caste and class system. The upper caste people keep their position in centre while the lower castes remain in periphery. Obviously, those who are in periphery are being harassed and exploited by the upper class people. The high caste people become richer while the low caste people become poorer. If people are given proper education and they are taught to treat everyone equally then this caste system can be eradicated from the society. If there is no centre, there will be no margin. If people stop categorizing themselves on the basis of their caste and religion then equality amongst people can be established.

Conclusion- In a nutshell, it can be said that throughout the novel, Goswami gave ample examples to paint a realistic picture of caste and class system prevailing in the Indian society. Therefore, this paper too concludes that the discrimination on the basis of caste does nothing good for human welfare. It divides people on the basis of race and gender which becomes a hurdle in the progress of society. For the progress of the nation, people must stop such kind of discrimination and join each other's hand and only then the goal of getting a better, balanced and peaceful society can be achieved. Since the beginning of civilization till today, there are many changes which can be seen in Indian society which is a mark of progression. Initially, Goswami also presented a regressive society. But by the end of the novel, she highlighted some changes in the society. The caste and class discrimination had reduced. The high caste youth had started having love affairs with low caste youth. The society at large is progressing, but the pace is slow. There are pockets in India where caste and class discrimination exists. This paper is an appeal to all the readers to join their hands and come forward to eradicate this social evil from our society.

References :-

1. Barnabas, A.P., and Subhash C. Mehta. Caste in Changing India, New Delhi: The Indian Institution of Public administration. 1967. Print
2. Goswami, Indira. Indira Goswami & Her Fictional world- The Search for the Sea New B. R. Publishing Corporation. 2001 Print.
3. ————. "The Offspring." Indira Goswami (Mamoni Raisom Goswami) & Her Fictional World- The Search for the Sea. Delhi: B. R. Publishing Corporation. 2002. 69-85. Print.
4. ————. The Man from Chinnamasta. Trans. Prashant Goswami, New Delhi: Katha Books. 2006 Print.
5. Goswami, Anita. "Cast as a Social Stigma in Indira Goswami's "Sanskaar": A Woman's Predicaments." Research Journal of English Language and Literature (RJELAL) A Peer Reviewed (Refereed) International Journal Vol.3.3 (2015): 617-621. Print.

****

Women Empowerment in India through Parliament

Dr. Poornima Sharma*

Abstract - Empowerment of women from some years has become a subject of great concern for the countries all over the world especially in under-developed and developing countries. Empowerment means participation of women in harmonious co-existence with men in the society. Power provides social recognition, prosperity, dignity, property and security. Hence empowerment has acquired considerable importance. The political participation has function to its potential to empower.

Key Words - Empowerment, Women, Lok Sabha and Raj Sabha.

Introduction - Women's empowerment as a phenomenon is not something absolutely new. It has been there throughout history in almost all societies for a variety of reasons. What is still more recent is the increasing realisation and recognition that empowering women is absolutely essential rather imperative, for familial, societal, national and international progress and development. While women have made significant advances in many societies, women's concerns are still given second priority almost everywhere. Although development, planning and the special position accorded to women in the Indian Constitution, there has not been a considerable qualitative improvement in the position of a large majority of women living in rural areas.[1]

Empowerment Concept -Empowerment has become a fashionable and buzz word. It essentially means decentralisation of authority and power. It aims at getting participation of deprived sections of people in decision-making process. In other words it aims at giving voice to voiceless. Empowerment is the course by which the disempowered or powerless people can change their conditions and begin to have rule over their lives. It results in a change in the balance of power, in the living conditions and in the relationships. Unless competence is built in these sections in actuality the power is used by others rather than the section for which they are meant.[2]

Women empowerment may mean equal importance to women, freedom and opportunity to develop her. The focus of empowerment is equipping women to be educationally, economically independent, self-sufficient, have a positive self-esteem to enable them to face any complicated situation and they should be able to participate in the process of decision-making. Empowerment of women in all fields, in particular the political field is critical for their development and the establishment of a gender-equal society. Women's political empowerment is premised on three essential and non-negotiable principles: the equality between women and men; women's right to the full development of their potentials; and women's right to self-representation and self-determination.

Empowerment through Indian Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) - In India numerous steps have been undertaken to provide constitutional safeguards and institutional framework for activities for women welfare. The development of women has been the central focus in development planning since independence. There have been various shifts in policy approaches during the last 40 years from the concept of 'welfare' in the 70s to 'development' in the '80s, and now to 'empowerment' in the 90s and afterwards. Now the emphasis is on the inclusion of women in decision making and their participation at the policy formulation levels.[3]

The 73rd and 74th Amendments to the Indian Constitution in 1992 and 1993 provided for 33 per cent reservation for women in panchayats and urban local bodies. The Constitution's 110th Amendment Bill 2009 provides reservation for women from 33 per cent to 50 per cent in PRIs. The Bill seeks to amend the Article 243D to enhance the number of reservation for women from 1/3 to one-half of the total seats in the panchayats. Similar reservation shall be provided among the total number of offices of chairpersons.[4]

These amendments, as a strategy of affirmative action, served as a major breakthrough towards ensuring women's equivalent access and better participation in political power structures.[5] Thus, women are making large gains in the political field where increased participation is rapidly empowering women, boosting their confidence, changing perceptions regarding their contribution, and improving their status and position in society.

Table 1 shows representation of women in Lok Sabha (Lower House) since 1952 up to 2019. The percentage of elected women Lok Sabha members show increasing trend and at present it is 14.36%.[6]

*Head (Political Science) St. Norbert's College, Jabalpur (M.P.) INDIA

TABLE 1: Women Presence in the Lok Sabha

Year	Seats	Women MPs	% of Women MPs
1952	499	22	4.41
1957	500	27	5.40
1962	503	34	6.76
1967	523	31	5.93
1971	521	22	4.22
1977	544	19	3.29
1980	544	28	5.15
1984	544	44	8.9
1989	517	27	5.22
1991	544	39	7.17
1996	543	39	7.18
1998	543	43	7.92
1999	543	49	9.02
2004	543	45	8.03
2009	543	59	10.86
2014	543	61	11.23
2019	543	78	14.36
Average	531.76	39.23	7.34

TABLE 2: Women Presence in the Rajya Sabha

Year	Total Seats	No. of Women	% of Women
1952	219	16	7.3
1957	237	18	7.6
1962	238	18	7.6
1967	240	20	8.3
1971	243	17	7.0
1977	244	25	10.2
1980	244	24	9.8
1985	244	28	11.4
1990	245	38	15.5
1996	223	20	9.0
1998	223	19	8.6
2004	245	27	11.1
2009	245	22	8.97
2014	245	29	11.83
2019	245	26	10.61
Average	238.66	23.13	9.65

The presence of women in the Rajya Sabha (Upper House) has been only slightly higher overall, probably due to indirect elections and nomination of some women members. It was highest in 1990 at 15.5 per cent and shows a declining trend thereafter. Nonetheless, this representation does not even come close to the 33% mark.[7] No doubt there has ever increase in strength of women in both the houses of parliament since the first parliamentary election in India, which is the most important indicator of sincere efforts of Government of India towards empowerment of Indian women. Exertion of more efforts towards realisation of goal of women empowerment through participation in parliamentary democracy in more effective way is the need of an hour.

Conclusion - Empowering of women is pre-supposes a fundamental, radical, vibrant and democratic change in the insight and anticipation from women in society. It can be irrefutably stated that there has been a drastic change in the movement for empowerment of women. Detection is dawning that women are indeed becoming a political force, both nationally and internationally. In this context it would be remarkable to recall the remarks of Nobel Laureate Amartya Sen in his book, "India : Economic Development and Social Opportunity", "Women's empowerment can positively influence the lives not only of women themselves but also of men, and of course, those of children". Political parties cannot remain unconcerned towards women who constitute 586.5 million population and nearly 48.46 per cent of the electorate (2011 Census). Although almost all parties have attempted to construct women organisations to secure their support and make their organisations more broad based, but in practice they have fielded much less proportion of women candidates in the elections giving them proportionately much less representation in the legislative bodies than their actual population strength. Former CEC M.S. Gill's proposal to make it compulsory for all political parties to nominate at least a-third of women candidates for the seats deserves to be highly praised. If they are not prepared to accept the rule of representation within their own parties, what moral right do they have to support reserving parliamentary constituencies for women?

References :-

1. Kuldeep Fadia**, "**Women's Empowerment Through Political Participation In India," *Indian Journal Of Public Administration*, Vol. LX, No. 3, July-September 2014.
2. Promilla Kapur, "Empowering the Indian Women", Publications Division, New Delhi, Preface, 2001.
3. V. S. Gupta, "Nation Building and Empowerment of Women", *Employment News*, 11- 17 August, p.8, 2001.
4. The Constitution (One Hundred and Tenth Amendment) Bill, 2009 was introduced in the Lok Sabha on November 26, 2009 by the Minister of Panchayati Raj, Shri C. P. Joshi.- Article 243D of the Constitution provides that a minimum of one-third of the total number of seats filled by direct elections in the Panchayats shall be reserved for women. The seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat. Offices of Chairpersons in Panchayats shall be reserved for SCs/ STs and women in a manner to be prescribed the state legislatures. The reservation shall be in proportion to the population of SCs/STs in the state. Also, a minimum of one-third seats shall be reserved for women among the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats. The Bill seeks to amend the Article 243D to enhance the quantum of reservation for women from one-third to one-half of the total seats in the Panchayats. Similar reservation shall be provided among the total number of offices of Chairpersons.
5. National Commission to Review the Working of the Constitution, A Consultation Paper on "Pace of Socio-Economic Change under the Constitution." pp. 33-35, May 2001.
6. Kuldeep Fadia**, "**Women's Empowerment Through Political Participation In India," *Indian Journal Of Public Administration*, Vol. LX, No. 3, July-September 2014.
7. Ibid.

ब्रिटेन और अमेरिका में किशोर अपचारिता एवं सुधार व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल *

शोध सारांश – किशोर अपचारिता की समस्या एक विश्वव्यापी समस्या है भारत की तरह किशोर अपचारिता का अन्य देशों में वही अर्थ है जो वयस्क अपराधी के मामले में अपराध का होता है। अत: अपचार और अपराध की विषयवस्तु में कोई अन्तर नहीं है। इन दोनों में अन्तर केवल यह है कि वयस्क द्वारा किये गये अपराध का विचारण सामान्य दण्ड न्यायालय में होता है जबकि किशोर द्वारा किये गये अपचार का निपटारा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अनौपचारिक प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाता है। क्योंकि किशोर अपचारी स्वभावत: चंचल और शरारती होते हैं। अत: उनके प्रति सहिष्णुता और उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अपराध करते समय किशोर अपचारी की मन:स्थिति वैसी नहीं होती जैसा कि सामान्य अपराधी की होती है। अत: दोनों को समान रूप से विचारित और दंडित करना उचित नहीं है। इसलिए भारत में किशोर अपचारियों के दांडिक उपचार से संबंधित कानून अलग से बनाये गये हैं जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 है। इसी प्रकार विश्व के प्रमुख देशों में भी किशोर अपचारियों के दांडिक उपचार एवं सुधार से संबंधित विधियाँ सामान्य विधियों से अलग होती होंगी। इस अध्ययन में ब्रिटेन और अमेरिका में किशोर अपराधी एवं सुधार व्यवस्था का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – अपचार, किशोर, सुधार, व्यवस्था, दंड।

अध्ययन का उद्देश्य – इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन और अमेरिका में प्रचलित किशोर अपचारिता एवं सुधार व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र पुर्णत: सैद्धांतिक विधि पर आधारित है जिसमें विषय से संबंधित सर्वमान्य ग्रन्थ एवं प्रशासकीय दस्तावेजों प्राप्त सुचनाओं को आधार मानकर अध्ययन किया गया है।

विवेचना – इस शोध पत्र में ब्रिटेन और अमेरिका में किशोर अपचारिता एवं सुधार व्यवस्था का अध्ययन प्रस्तुत है

ब्रिटेन की किशोर अपचारिता एवं सुधार व्यवस्था – ब्रिटेन के आपराधिक न्याय प्रशासकों ने किशोर न्याय व्यवस्था को अपनी सामान्य दण्ड विधि के ढॉचे से बाहर रखा है। यद्यपि ब्रिटेन में इस समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया हैं परंतु फिर भी दण्डशास्त्रियों की धारणा है कि समय के साथ वयस्कता प्राप्त कर लेने के बाद अधिकांश किशोर अपचारिता त्यागकर जीवन के सही मार्ग पर आ जाते है। अत: इस समस्या के प्रति विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि अंग्रेजी विधि सुधारकों ने किशोर अपचारियों के लिए पृथक् प्रक्रिया अपनाई है।

उन्नीसवीं सदी के मध्य के लगभग इंग्लैण्ड में रेगेड इंटस्ट्रियल स्कूल अभियान प्रारंभ हुआ जो संभवत: निराश्रित एवं अपचारी किशोरों के उपचार और पुनर्वास की दिशा में प्रथम सुनियोजित प्रयास था। इस अभियान के अंतर्गत निराश्रित, लावारिस तथा उपेक्षित बच्चों के लिए एक औद्योगिक विद्यालय स्थापित किया गया। इस दिशा में मिस मेरी कारपेंटर ने उल्लेखनीय योगदान किया और उन्हीं के अथक प्रयासों से इस संबंध में सन् 1847 में हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा एक विशेष कानून पारित किया गया।

सन् 1838 में परख़ुर्स्ट कारागार को किशोर की उपचारात्मक सुधार व्यवस्था के लिए सुधारगृह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। शीघ्र ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन् 1879 में समरी जूरिस्डिक्शन एक्ट पारित किया जिसके अंतर्गत सात वर्ष से कम आयु के बालक को आपराधिक दायित्व से पूर्णत: मुक्त रखा गया। यह आयु पश्चात्वर्ती कानून द्वारा बढ़ाकर आठ वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा किशोर अपराधियों के विचारण के लिए अत्यंत सरल प्रकिया लागू की गई तथा मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये गये कि वे किशोरों के प्रति उदारता बरतते हुए वैयक्ति सुधार पद्धति लागू करें।

सन् 1895 में अपराध निवारण तथा अपराधियों के उपचार हेतु आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में यह आम राय बनी थी कि किशोरों के विचारण के मामलों में मजिस्ट्रेटों को व्यापक स्वविवेक शक्ति प्रदान की जाए ताकि वे उनके प्रति सुधारात्मक दण्ड पद्धति लागू कर सके। इसके परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड में प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट 1907 पारित किया गया जिसके अंतर्गत उचित मामलों में मजिस्ट्रेट अपने स्वविवेकानुसार किशोर अपराधी को केवल चेतावनी देकर या परिवीक्षा पर छोड़ सकता था। अधिनियम के अधीन परिवीक्षा पर छोड़े गए किशोर अपराधियों पर निगरानी रखने तथा उनका उचित मार्गदर्शन करने हेतु परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि इन अपराधियों को समाज में रखकर ही सुधारा जा सके और वे अपराधी कहलाने के लांछन से बचे रहें।

सन् 1908 में इंग्लैण्ड में किशोर न्यायालयों की स्थापना की गई। इन न्यायालयों की कार्य प्रणाली अन्य सामान्य न्यायालयों से भिन्न थी तथा वे कम औपचारिक तथा कम सार्वजनिक थे। फिट्सजिराल्ड के अनुसार इनमें तीन प्रकार के किशोरों के मामले निपटाए जाते थे – नियंत्रण के बाहर किशोर, संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किशोर तथा, स्कूल या घर से भगोड़े किशोर।

इन किशोर न्यायालयों में अपचारियों की पहचान गोपनीय रखी जाती है तथा उनके फोटोग्राफ आदि प्रकाशित नहीं किये जाते है। किशोर

* सहा. प्राध्यापक, डॉ. सी. वी रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

न्यायालयों की प्रक्रिया में अपचारियों को उनके अभिभावकों के संरक्षण में रखे जाने पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हे दूषित वातावरण से दूर रखे जाने का भरसक प्रयास किया जाता है तथा उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाती है।

इसके अतिरिक्त चिल्ड्रन एण्ड यंग ऑफेन्डर्स एक्ट 1933 केअधीन दांडिक अधिकारिता के अलावा किशोर न्यायालयों को कतिपय महत्वपूर्ण मामलों में सिविल अधिकारिता भी प्राप्त है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अपचारी बालक तथा किशोर व्यक्ति का संक्षिप्त विचारण किया जाना अनिवार्य है तथा वह यथासंभव अनौपचारि होना चाहिये।

किशोर के न्यायिक विचारण के पूर्व उसकी पारिवारिक परिस्थितियों की सूक्ष्म छानबीन की जाती है। ताकि उसकी अपचारिता के कारणों का पता लगाया जा सके। यह कार्य परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। किशोर अपचारी की दोषसिद्धि होने के दो परिणाम हो सकते थे। उसे अर्थदण्ड देकर या उससे अच्छे आचरण का घोषणापत्र भरवाकर नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र पर अपनी हाजिरी दर्ज कराने के आदेश के साथ घर वापस भेजा जा सकता है।

इंग्लैण्ड में अपचारियों के लिए अटेन्डेंस सेन्टर्स की स्थापना क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1948 के अंतर्गत की गई है। जिसमें सामान्यत: अपचारी को केन्द्र में बारह घंटे उपस्थित रहना आवश्यक होता है। कुछ मामलों में यह अवधि 24 घण्टे तक बढ़ाई जा सकती है।

इंग्लैण्ड के बाल अधिनियम 1933 की धारा 77 के अंतर्गत बालकों तथा किशोरों के उपचार हेतु रिमोंड होम की स्थापना की गई है। इसमें सत्रह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को संप्रेक्षण में रखा जाता है।

जुलाई सन् 1961 में एशफोर्ड तथा मिडिलसेक्स में एक-एक रिमांड होम स्थापित किया गया जिनमें 17 से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को सुधार हेतु रखा जाता था। सन् 1982 में इंग्लिश क्रिमिनल जस्टिस एक्ट पारित होने के बाद किशोर न्याय को अत्यधिक उदार बना दिया गया है।

अमेरिका की किशोर अपचारिता एवं सुधार व्यवस्था – अमेरिका में किशोर न्याय का प्रारंभ सन् 1869 में मेसेच्युसेट्स राज्य के बोस्टन शहर में स्टेट एजेन्टों की नियुक्ति से माना जाता है। इन राज्य एजेंटों को किशोरों की देख-रेख तथा संरक्षण का दायित्व सौंपा गया था। सन् 1878 में स्टेट एजेन्टों का कार्य परिवीक्षा अधिकारियों को अंतरित कर दिया गया जिनके संरक्षण में किशोरों को सुधार हेतु रखा जाता था।

वर्तमान में अमेरिका के सभी राज्यों में किशोर न्यायालय कार्यरत हैं ये राज्य की न्यायिक सेवा की विशिष्ट इकाइयॉ है जो स्थानीय समाज के सहयोग से कार्य करती है। इन न्यायालयों के न्यायाधीश चुनाव पद्धति से नियुक्त किये जाते है तथा वे राज्य के जनकल्याण विभाग के साथ मिलकर काम करते है। इनका वित्तीय व्यय स्थानीय सरकार वहन करती है।

अमेरिकन किशोर न्यायालयों की कार्यपद्धति एवं प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल तथा अनौपचारिक है। सर्वप्रथम पुलिस द्वारा किशोर अपराधी को अभिरक्षा में लिया जाता है। यदि पुलिस चाहे तो किशोर अपचारी को प्रारंभिक पूछताछ के बाद तत्काल छोड़ सकती है या चेतावनी देकर रिहा कर सकती है या उसके माता-पिता को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर सकती है। यदि पुलिस अपराधी किशोर को हिरासत में रखा जाना आवश्यक समझती है तो वह इसकी सूचना तत्काल किशोर न्यायालय को देगी जो अपचारी के माता-पिता या संरक्षक को अधिसूचित करेगा कि वे अपने प्रतिपाल्य को अभिरक्षा में लेकर उसकी जिम्मेदारी संभालें। पुलिस अपचारी के फोटोग्राफ या अंगुलीछाप ले सकती है ताकि अन्वेषण में इसकी सहायता ली जा सके।

किशोर न्यायालय द्वारा अपचारी किशोर के मामले में विचारण प्रारंभ करने से पूर्व परिवीक्षा अधिकारी को बुलवाकर उससे विचारणाधीन किशोर के बारे में पूछताछ की जाती है। परिवीक्षा अधिकारी किशोर के पूर्ववृत्त से न्यायालय को अवगत कराता है तथा यदि आवश्यक हुआ तो किशोर के रहने की उचित व्यवस्था करता है। वह अपचारी किशोर की शिक्षा, नियोजन आदि की व्यवस्था के लिए भी दायित्वाधीन होता है। यदि अपचारी किशोर परिवीक्षा शर्तो का उल्लंघन करता है तो न्यायालय द्वारा उसे किसी प्रमाणित विद्यालय या बाल सुधरगृह में भेज दिया जाता है। किशोर के लिए आयु सत्रह वर्ष से कम रखी गई है।

अमेरिका में अपचारी किशोर को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो किशोर न्यायालय द्वारा अनौपचारिक प्रक्रिया से विचारण के अधिकार का अभित्यजन कर सकता है। उस स्थिति में उसका विचारण सामान्य अदालत में किया जाएगा। ऐसे किशोर अपराधी जिनके किशोरावस्था की समाप्ति निकट है यदि समाज के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हों तो उनका विचारण किशोर न्यायालय की बजाय सामान्य अदालत में ही किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका में किशोर अपचारियों की समस्या अन्य यूरोपीय दशों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर एवं शोचनीय है। अमेरिका के किशोर अपचारियों से संबंधित एक अध्ययन में सोफिया रॉबिन्सन ने इस बुराई को रोकने के लिए अमेरिकन न्याय प्रशासन की विफलता के कारणों का सटीक विवेचन किया है।

उपसंहार – ब्रिटेन और अमेरिका में किशोर अपचारिता एवं सुधार व्यवस्था का अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ब्रिटेन में किशोर न्याय व्यवस्था को अपनी सामान्य दण्ड विधि की परिधि से बाहर रखा गया है। वहीं अमेरिका में भी इस प्रकार के अपराधियों को राज्यों में संचालित किशोर न्यायालयों में ही विचारण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के न्यायालय न्यायिक सेवा की विशिष्ट ईकाइयां हैं। जो स्थानीय समाज के सहयोग से कार्य करती है। ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1838 में किशोरों की उपचारात्मक सुधार व्यवस्था के लिए सुधार गृह बनाये गये तथा 1879 में ब्रिटीश संसद ने समरी जूरिसडिक्शन एक्ट पारित किया जिसके अन्तर्गत सात वर्ष से कम आयु के बालक को अपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया। इसी प्रकार सन् 1907 में प्रोबेशन ऑफ अफेन्डर्स एक्ट पारित किया गया तथा सन् 1908 में किशोर न्यायालयों की स्थापना की गई तत्पश्चात् इस प्रकार के बाल अपचारियों हेतु बाल अधिनियम 1933 भी पारित किया गया।

अमेरिका में अपचारी किशोर को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो किशोर न्यायालय द्वारा अनौपचारिक प्रक्रिया से अपने अधिकार का त्याग कर अपना विचारण करा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है। कि ब्रिटेन में भारत की तरह ही अपचारी किशोरों को विधिक अधिकार प्राप्त हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. वी. एन. परांजपें, अपराधशास्त्र
2. एम. एस. चौहान, अपराधशास्त्र
3. आर. के. नरूला, किशोर न्याय अधिनियम
4. के. पी. तिवारी, बाल अधिनियम
5. विभिन्न वेबसाइट्स।

गौ प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था/संस्कृति की मेरुदंड

डॉ. नितिन सहारिया *

प्रस्तावना – गौ भारतीय संस्कृति के पांच आधार स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण प्रथम स्तंभ है। भारतीय संस्कृति गौ आधारित संस्कृति रही है। प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार गौ हुआ करती थी। गौ का भारतीय संस्कृति– मानव जीवन में बहुत बड़ा आध्यात्मिक व भौतिक महत्व है। गो के बिना अन्न, जन जीवन,पर्यावरण, स्वास्थ्य, प्रकृति संतुलन एवं श्रेष्ठ मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी बात का संदेश देने के लिए योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने गोपालन किया, गौ गोवर्धन पूजन,गोवर्धन पर्वत धारण किया, गौ दुग्ध का पान किया व ग्वाल वालों समेत माखन– मिश्री खाया। गौ की महिमा अपरंपार है। भारतीय हिंदू वन्ड्मय पुराण गौ महिमा से भरे पड़े हैं। बगैर गौ की समृद्धि, संरक्षण, पूजन ,संवर्धन के रामराज, जगद्गुरु भारत की संकल्पना ही नहीं की जा सकती है। गौ को पालने के कारण भगवान श्रीकृष्ण का एक नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन भारतीय कृषि प्रणाली, अर्थव्यवस्था गौ आधारित थी। गौ भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। गो के बिना समृद्ध भारत –सुसंस्कृत भारत की कल्पना ही अधूरी है। 'गावो विश्वस्य मातररू' गौ विश्व की माता है। 'गौधनं राष्ट्रवर्ध्न' गौ से ही राष्ट्र की समृद्धि है। गौ महिमा से वेद –पुराण, स्मृतियां ,श्रीमद्भागवत महापुराण, महाभारत ,रामायण तथा अन्यान्य ग्रंथ भरे पड़े हैं। गौ माता में समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों और तीर्थों का निवास बताया गया है। गौ रक्षा के लिए ही भगवान को धरती पर अवतरित होना पड़ा है। गौ को धरती माता के सदृश्य ही माना गया है। गौ महिमा अनंत है। इसके पीछे परब्रह्मा परमात्मा स्वयं श्रीकृष्ण के रूप में विचरण करता है।

गाय हमारी संस्कृति का प्राण है। यह गंगा ,गायत्री ,गोमती, गीता,गोवर्धन और गोविंद की भांति पवित्र है। गोपालन, गोसेवा, गोदान हमारी भारतीय संस्कृति की महान परंपरा रही है। गौ सेवा सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। यह लक्ष्मी प्राप्ति ,विद्या प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति का साधन है। गो दर्शन, गो स्पर्श ,गो पूजन तथा गौ स्मरण से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोमूत्र, गोवर ,गोदुग्ध ,गोदधी, गोघृत आदि सभी पदार्थ अति पावन आरोग्य प्रद ,आयु वर्धक, शक्ति वर्धक व अमृत के समान है।

गो दुग्ध से चमत्कारिक उपचार – गो दुग्ध के चमत्कार का वर्णन करते हुए योगीराज बलिराज जी कहते हैं कि – 'घटना संभवत: 1945 के आस–पास की है। काशी के प्रख्यात वैद्य पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री के यहां बिहार के एक संपन्न जमींदार अत्यंत क्षीण अवस्था में अपनी पत्नी को लेकर उपचार के लिए आए। उनकी पत्नी 30 वर्ष की आयु में ही सूखकर कांटा हो गई थी। पूरा शरीर झवरा गया था और वे भयानक पीड़ा से बेचौन थी। जमीदार ने बताया कि कई वर्षों से वे उपचार के लिए चारों ओर दौड़ कर थक गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ इसी। किसी को इनके रोग का थाह नहीं लगता। यह सुनकर वैधजी ने मुस्कुराते हुए कहा– 'अच्छा अब आप शांत हो जाएं।' इतना कहकर वैध जी ने उनकी पत्नी की नाडी देखी। कुछ देर विचार किया और जमीदार को एकांत में बताया कि इन्हें कैंसर हुआ है,किंतु घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेकर धैर्य और परहेज से यदि दवा करेंगे तो 6 माह में ठीक हो जाएंगी। इनकी दवा और भोजन केवल काली (श्यामा) गाय का दूध और काली तुलसी की पत्ती होगा। अत: ये जितना खा –पी सकें वहीं दूध और पत्ती दीजिए। यदि स्वाद बदलने की इच्छा हो तो मूंग की दाल का रस और जो की रोटी दे सकते हैं। साथ में कोई भी दवा लेना गो दुग्ध और तुलसी का अपमान होगा और उस से हानि भी हो सकती है। गाय और तुलसी दोनों हमारी माताएं हैं। वैद्य जी की बताई दवा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए वे अपनी पत्नी के साथ वापस लौट आए और तदनुसार ही गो दुग्ध और तुलसी का सेवन करने लगे। धीरे–धीरे समय बिता गया। 6 माह बाद जमींदार अपनी पत्नी के साथ जब वाराणसी में वैध जी के यहां आए तो स्वस्थ, सुंदर एवं प्रसन्न महिला को देखते ही वे पहचान गए और स्वयं हर्षित होकर बोल पड़े –'देखा न गौ दुग्ध और तुलसी का चमत्कार।' जमींदार ने बताया– उन्होंने काली तुलसी का एक बड़ा बगीचा ही लगवा दिया था और चार– पाँच काली गाये रख ली थी। महीने भर सेवन करते– करते उनकी पत्नी पर्याप्त स्वस्थ हो गईं। जमीदार ने श्रद्धा पूर्वक वैध जी को बहुत आग्रह पूर्वक कुछ देना चाहा और ग्रहण करने की प्रार्थना भी की,किंतु वे बोले – 'मैंने अपने ओषधालय से आपको कोई दवा दी नहीं तो पैसे किस बात के लूँ। हां,गौ माता ने आप पर कृपा की है अत: यह धन किसी गौशाला को दान दे दीजिए।'

एक नई शोध में पिछले दिनों ताइवान के इलान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक वेइजंगचेन ने देसी गाय के दूध में उपस्थित एक विशेष प्रोटीन(तत्व) लेक्टोफेरीसिन B–25 (L F Sin) को मनुष्य के पेट के कैंसर से लड़ने में सक्षम बताया है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि पेट की कोशिका में घुसकर(L F Sin) ने कैंसर कोशिका को 24 घंटे में ही निष्क्रिय कर दिया। अत: इस नई शोध से भारत सहित एशिया के पेट के कैंसर से प्रभावित लोगों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

गो घृत के चमत्कार – ऐसा अनुभव में आया है कि –श्यामा गाय के के प्रयोग से अनेक दुखी व्यक्तियों को रोग मुक्त होते देखा गया है। इससे गठिया,कुष्ठ रोग, जले तथा कटे घाव के दाग ,चेहरे की झाई ,नेत्र विकार, जलन,मुंह का फटना आदि पर आश्चर्य जनक लाभ होता पाया गया है।

इसी प्रकार से कुछ वर्ष पूर्व की एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति को गठिया रोग हो गया रुग्ण व्यक्ति स्वयं संपन्न थे और उनके यहां सौभाग्य

* शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

से एक श्यामा गाय भी थी उस गाय को एक माह तक हरे चारे के साथ ढाई-ढाई सौ ग्राम की मात्रा में गेहूं ,गुड, कच्ची गरी ,कच्ची मूंगफली ,आमा हल्दी,चना, सफेद दूध ,बेल की पत्ती ,महुआ, सेंधा नमक सफेद नमक तथा अजवाइन और मेथी 50-50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 1 माह तक खिलाया गया। गर्मी का समय था अत: गायकों अत्यंत स्वच्छ वातावरण में रखकर दोनों समय नहलाया - धुलाया जाता था। प्रात: और सायं थोड़ा गुड़ खिलाकर तीसरे दिन से निकाले गए उक्त गाय के दूध से ग्रामीण पद्धति के अनुसार गोहरी की आंच पर मिट्टी के पात्र में पकाये गए दूध से दही तैयार कर उसका घृत निकाला गया और इसी घी की मालिश से हफ्ते भर में घटिया गायब हो गया। इस घटना से आश्चर्य जनक प्रसन्नता हुई और उस घृत का प्रयोग कई लोगों पर किया गया। जिसमें शत-प्रतिशत सफलता मिली। एक व्यक्ति की ऑपरेशन के दौरान नाक में हफ्तों नली पड़ने के कारण आवाज चली गई थी। प्रयास करने के बावजूद 15- 20 दिन बाद भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मजबूर होकर भी अपनी बातें कागज पर लिख देते थे। तीन-चार दिन गले में उक्त घी की मालिश करते ही उनकी आवाज खुलने लगी और आठ-दस दिन में वह पूर्ववत बोलने लगे।

तीसरी घटना एक युवक से संबंधित है। प्रिंटिग मशीन में दबकर उसके बाएं हाथ की हथेली तथा कई अंगुलियां बुरी तरह फट गई अंगूठा तो कट कर अलग हो गया। तत्परता से ऑपरेशन एवं दवा के बाद दो -ढाई माह में जब उसका हाथ ठीक हो गया तो चमड़े के तनाव और ऑपरेशन के दाग से उसकी अंगुलियां खुल नहीं पाती थी और पूरी हथेली बदसूरत लग रही थी। इस घी की मालिश से महीने भर में ही शेष चारों उंगलियां और हथेली पूर्व बात हो गई और ऑपरेशन का दाग एक सामान्य रेखा के रूप में शेष रह गया। अब यह चमत्कार नहीं तो क्या है।

इसी प्रकार एक घटना और है वाराणसी नगर के एक संभ्रांत परिवार की सुशील एवं सुंदर कन्या के गले में जगह-जगह सफेद दाग हो जाने से पूरा परिवार चिंतित हो गया था। लड़की स्वयं हीन भावना के कारण उदास दिखाई देती थी। उनकी आग्रह पर उस लड़की को श्यामा गाय का वही घृत लगाने के लिए दिया गया। महीना बीतते- बीतते सफेद दाग के स्थान पर लाली आने लगी और दूसरे माह में उसकी त्वचा इक रंग की हो गई। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि गले में कभी कोई दाग भी था।

इसी प्रकार जोड़ों के दर्द में, नेत्र संबंधी विकार ,चोट, सूजन ,फोड़े-फुंसी आदि अनेक विकारों से पीड़ित अनेक लोगों का उक्त घृत से उपचार किया गया जिसमें आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई।

गोमूत्र एवं गोमय के दिव्य गुण - आयुर्वेदिक ग्रंथों में गाय की बड़ी महिमा गाई गई है। धार्मिक अनुष्ठानों में पंचगव्य का प्रयोग सर्व विदित है। गाय का गोबर इतना पवित्र माना जाता है कि उससे लीपे बिना पूजा अथवा यज्ञ स्थल पवित्र नहीं होता। गोवर में रोग निवारण के आश्चर्यजनक गुण पाए जाते हैं। इसकी गंध से हानिकारक विशैले जीव जंतु मर जाते हैं। गोमूत्र के बारे में भाव प्रकाश कहता है कि यह चरपरा, कड़वा, तीक्ष्ण, गर्म खारा, कसैला, हल्का, अग्नीप्रदीपक, मेघा के लिए हितकर, कफ, वात, शूल, गुल्म, उदर, खुजली ,नेत्र रोग, मुखरोग ,किलास,आमवात- रोग, बस्तीरोग, कोढ,खांसी, स्वास ,सूजन, कामला एवं पांडु रोग- नाशक है। कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। कहा गया है 'पंचगव्य प्राशनं महापातक नाशनं' पंचगव्य का पान करने से मनुष्य के महापातक (महान कष्ट) दूर हो जाते हैं। शास्त्रों ने गौ माता के पंचगव्य की अनंत महिमा गाई है।

अंग्रेजी दवाओं से प्रथम चरण में फाइलेरिया को कुछ दिनों के लिए भले दबा दिया जाए, किंतु पतले धागे की तरह लंबे इस के कीड़ों को केवल गोमूत्र से ही समाप्त किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यह कीड़े शरीर के भीतर रात में डोलकर पीड़ा पहुंचाते हैं और पीलपांव आदि को उभार कर शरीर को विकृत तथा स्वास्थ्य को चौपट कर देते हैं। फाइलेरिया से पीड़ित कई व्यक्तियों ने 40 दिन तक लगातार गोमूत्र पीकर फाइलेरिया से मुक्ति पाई, ऐसा अनुभव में देखा गया है।

यह सत्य है कि गोवंश से संपूर्ण भारत ऋण नहीं हो सकता क्योंकि अनादि काल से इस पर हमारा भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन आधारित रहा है किंतु इधर कुछ दशकों से वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण कृषि का मशीनीकरण हो गया और बाजारों डिब्बे बंद घृत और दूध से लोग अब काम चलाने लग लगे। ऐसी दशा में हमें गोवंश अर्थहीन सा प्रतीत होने लगा किंतु नास्तिकता, स्वेच्छाचरण एवं धर्म- दर्शन के प्रति उपेक्षित भाव होने के कारण गाय की धार्मिक एवं पारंपरिक मूल्यों को समाज में लोग भूलते चले गए। यही कारण है कि आज गोवंश पर कुठाराघात हो रहा है। जिसमें किसी को कोई हिचक या भय नहीं लगता है। गोवंश की रक्षा के लिए आंदोलन और सत्याग्रह करने वालों की भी कमी नहीं है, किंतु इसमें पूर्ण सफलता तभी मिलेगी जब संपूर्ण मानव समाज गो महिमा की जानकारी प्राप्त कर लेगा। प्राणी जब यह जान जाएगा की गाय धरती के लिए वरदान है। गऊ माता संपूर्ण विश्व की माता है। तथा उसकी रक्षा में ही मानव समाज की रक्षा है तभी समाज उसकी रक्षा में स्वयं तत्पर होगा। फिर किसी के उपदेश ,आदेश की फिर आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तभी भारत महान भारत बनेगा एवं विश्व का कल्याण होगा। इससे कम में बात बनने वाली नहीं अत: प्रत्येक भारतवासी गौरक्षा ,गौसंवर्धन के लिए संकल्प वद्ध हों। यही युगधर्म - आपातकालीन धर्म भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सर्वरोग हारी गोमूत्र चिकित्सा- डॉ. एस. एल. पाटीदार, गायत्री शक्तिपीठ ,एम पी नगर भोपाल, 2003।
2. गावरू सर्वसुख प्रदारूलेख- निर्माण योजना मथुरा ,उत्तर प्रदेश, 2004।
3. सेवा प्रेरणा- पत्रिका ,जनवरी 2014, संपादक -राजेंद्र शर्मा ,ड-214, गौतम नगर गोविंदपुरा ,भोपाल।
4. शाश्वत हिंदू गर्जना -विश्व संवाद केंद्र महाकौशल प्रांत ,जबलपुर , अप्रैल 2004।
5. राष्ट्र के अर्थतंत्र का मेरुदंड गौशाला - श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज ,हरिद्वार उत्तरांचल, 2002।
6. देश की समृद्धि में पशुधन का योगदान- लेख -युग निर्माण योजना (पत्रिका), पृस्ठ- 7, संपादक- पं लीलापत् शर्मा, प्रकाशन- युग निर्माण प्रेस मथुरा ,उत्तर प्रदेश ,1984।
7. विश्वमंगल गो ग्राम यात्रा (गौ एवं स्वास्थ्य)- पत्रक, विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान- एकनाथ भवन ,19 गवीपुरम सर्कल- केंपेगौड़ा नगर ,बेंगलुरू -560 019 ।
8. श्रीमद्भागवत पुराण- (10/ 08/24) , (10/44/15), (15/12), (4/3/22/), (10/16) गीता प्रेस ,गोरखपुर उत्तर प्रदेश।
9. महाभारत - आश्वमेधिक पर्व,वैष्णवधर्म पर्व, अध्याय 92 , गीताप्रेस,गोरखपुर ,उत्तर प्रदेश।
10. महाभारत अनुशासन पर्व -(83/50-52), (78/16-18),(78/5-6),(78/ 16- 18) , गीताप्रेस -गोरखपुर, (उ. प्र.)

11. वेदांत दर्शन का शंकर भाष्य- 2/1/ 24, गीताप्रेस ,गोरखपुर, उत्तरप्रदेश।
12. पद्मपुराण सृस्टिखंड -(57/156 -165), (151 -156) गीताप्रेस -गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
13. ब्रह्मावैवर्त पुराण- (21ध्91 -93), गीताप्रेस -गोरखपुर , उत्तर प्रदेश।
14 . श्रीरामचरितमानस - 1/193, 1/203, 1/ 144/ 7, 1/330/7, 1/331 /2- 3 , गीताप्रेस- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
15. गुरुग्रंथ साहिब ,पृष्ठ- 630,
16. महाभारत विराट पर्व- 10/2 ,10/14, 10/15, 10/ 9 -10 , गीताप्रेस- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
17. वाल्मीकि रामायण -1/53 , 13- 14, 1/14/50, 1/72 /23 , 2/32 /20 -21, 1/54 /18-23 , गीताप्रेस -गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
18. अथर्ववेद -5/18/1 ब्रह्मागवी सूक्त),(5/18- 8) ....
19. ऋग्वेद - 1/92 /4 , 2/24/ 3 ,7/ 98/6 , 6/ 28/5 ,1/33/ 10, 4/51/2, 1/4/1-2, 8 /101/ 15, ...।
20. कल्याण- गो अंक, पृ.143 , गीताप्रेस- गोरखपुर ,उत्तर प्रदेश।
21. इस्कंद नागर अ . 258 -59
22. स्कंद पुराण ब्रम्हा. धर्मारण्य -10/18-20....

****

Indian State and Protest Movements is Contemporary Era

Dr. Archana Singh*

Abstract - The key discussion of paper, interaction between civil society and political system in India after independence. The protest movements are integral to India's democratization process and they have long occupied a central role in shaping public policy. Protest throughout our history are of a disruptive nature dissent means withholding consent on showing disagreement, when dissent takes the form unorganized or organized activity is becomes a protest. There have been protest movements in different state of India.

Introduction - Democracy, market, civil society and borderless global village have emerged as the focal point of analysis during the 1990s. These fundamental changes at the global level had their direct learning on the issues of governance and management of intergovernmental relations especially between the powerful countries of the west and the weak but emerging peripheral nation-state of Asia, Africa and latin America.

During this period a dynamic interaction has come into existence between the politics of western countries and the politics of western countries and the politics developing countries. The leads to debate in favour and against of changing new political and economic system.

In many countries state threat by protest movements. When we concentrate on the these protest movement few facts are emerged.

In India the protest movement rapidly emerges after the independence. India adopted the parliamentary democracy but the India democratic process was inaugurates is an ironical situation. On the one hand democracy was being sought to be institutionalized on the other hand it was to be practiced in a highly unequal society individual freedom, social justice participate in political and economic decision making development towards a desired state of affair and minimization of violence between man and man and between man and nature these then are the main values that political institutions are supposed to optimize and in case of India, were explicitly accepted at different, points of time in recent decodes as a part of defining the strategy of building a national society. All the these values inherent in the constitutional structure adopted by the founders of modern India with these values and to meet the challenges of development. India adopted the democratic system. The founding fathers of India believed that democratic government certainly able to face the India social reality. The discussion of problems of politics and society on the basis of certain formal concept such as modernization, modernization, modern political elite, traditional cattiest, communal linguistic forces vs factional interests would be misleading circuitous and shorn of any fruitful grasp of the vital social forces of India society.

A democratic polity vs. supposed to be one in which the government and the people together create an open and civil society an integrated whole that is brought and kept together by virtue of its being open one in which the people participate not just in things. Like elections and development projects, but together in creating a common future.

In democratic framework the state slow generates major mutations in the social and political system. Because of the continuous operation of an open political process giving to the traditionally deprived communities a sense of power and a consciousness of their rights. Under the system and leading to a gradual challenges to traditional privileges and hegemonies. The content to such strivings and hegemonies. The content of such striving was not just political it entailed, first the demand for economic restructuring and redistributing of resources and opportunities. Second it entailed a redefinition of social status and a challenge not just to the power of economically rich and privileged and the traditional caste hierarchy, which were not doubt the most important. The masses have become aware of their right and they demand for their share in development fruit. They also protest against the state policy, which they find against their interest. Due to some challenges its quite difficult for the political system to satisfy the acceptance of various groups of society. All direct or indirect evidences connected with the measures adopted by the states with regard to propertied classes have proved that the state have pursued policies which have been systematically oriented to induce propertied classes particularly capitalist and rich farmer classes to develop economy in third world.

The Indian state's capacity to govern has declined. The strategy of development adopted by state benefited only educated middle class, business class and rich farmers in

*Associate Professor (Political Science) MMH College, Ghaziabad (U.P.) INDIA

other words, the special social groups enjoyed the development fruits. Development process has been controlled by corporate capitalism in the group of highly technology and democracy has become a playground of the corrupt polity and the economy. And yet, despite all this the democratic political process is still very much alive as against the logic and dynamics of development there has also been the logic and dynamic of democracy.

In Indian political scenario the conflict start between have or haves not member of the higher caste and class have gradually lost their capacity to influence the political behaviours of those below them in the socio-economic hierarchy. As a result, new social groups have entered the political arena and pressed new demand upon the state.

But interestingly, as soon as the masses started coming at the center-stage and began questioning the existing. Terms of its democratic institution ran into series of crises, leading to a whole host of undemocratic measures like centralism, authoritarianism, populism etc. these undemocratic thrusts of Indian state however, were soon countered and challenged by series of democratic upsurge emanating, women movements, ecological movement, movement for regional and cultural autonomy.

These movements signify a new understanding of the democratic process. Through the peaceful protest they demand for the equal opportunity in political, social and economic system.

Indian society is so complex and full of inner a reserve that to thinks to changing everything at one stroke is sheer daydreaming. The alternative is not be is not between changing it all at once and not changing it at all, but rather between changing it incrementally and progressively and not changing it at all.

These peaceful protest movement suitable for the Indian model of social transformation. The Indian system has drifted into such a rut that its capacity for change from with the establishment is severally limited. But these movement have to be conceived in the frame work at making the system more democratic and not less, more open and lot less and more sensitive to and demands of the people. These movements express the new form of political action and new definition of Indian democratic system. First of all the people aware about democratic rights and challenging the established order. Second the emergence of middle class as new social class which play the role of mediation between upper and lower class. Third the new form of voluntary action.

Implicit in such new expression and definition is a conception of politics that like the new radicalized conceptions of science or arts in some way like the order concept of like in its great diversity is multidimensional. The struggles are no longer limited to economic or even political demand but seek to cover ecological and cultural issues as well including a sustained attack on source of internal decay and generation.

In short, the articulation of new found conscious the civil society started getting canalized through a new politics, popular called peaceful protest movements. These movements should be treated as further and fuller extension of democratic process through their civil society are different from that of the proceeding period.

References:-

1. Bhambri C.P. (1997), The Indian state 1947-48 50 year Delhi, Shilpa publication.
2. Desai AR (1975) State and society in India essay in dissent" Mumbai popular Prakash Pvt. Ltd.
3. Kothari Rajni (1976) Democratic change polity and social change in India crisis and opportunities, New Delhi. Allied publication
4. Kothari Rajni (1989), Politics and the people in search of a Humane India "Volume II, New Delhi, Ajanta Publication.
5. Singh M.P. (1998) Indian Political system structure policies development Jhananda Prakash.

****

The Emotional Intelligence, Toughness and Resilience of Basketball Players and How it Impacts their Performance

Dr. Hitesh Chandra Raval*

Abstract - This study aims to examine the relationship between basketball players' performance and their scores in emotional intelligence, psychological hardiness, and resilience. Additionally, it compares these psychological attributes across different levels of competition among basketball players. The research involved 300 male and female players who were assessed not only on their logical intellect but also on their emotional and social intelligence.

Key findings revealed that both male and female university-level players could effectively manage stressful situations and crises. Experienced players significantly outperformed state-level players in their ability to strategize, maintain focus, and turn adverse situations into opportunities, all while disregarding personal distractions. However, no significant correlation was found between emotional intelligence, hardiness, and stress resistance across all players, regardless of their competitive level.

Moreover, a distinct gap was observed between state-level, university-level, and national-level players. Experienced players demonstrated superior mental and emotional stress management compared to state-level players. This study highlights the importance of emotional and psychological attributes in athletic performance, particularly at higher levels of competition.

Keywords: basketball, emotional intelligence, resilience, psychological hardiness.

Introduction - In the dynamic and competitive world of basketball, success is often determined by more than just physical ability and technical skill. Psychological factors such as emotional intelligence, psychological toughness, and resilience play a critical role in shaping an athlete's performance and overall success. This research investigates these key psychological attributes and their impact on basketball players, providing insights into how mental strength can enhance athletic performance.

Emotional Intelligence (EI) is a multifaceted construct that involves the ability to perceive, use, understand, and manage emotions. In basketball, EI can be a game-changer. Players with high emotional intelligence are adept at maintaining their composure under pressure, staying focused during high-stakes moments, and fostering positive interactions with teammates and coaches. This emotional regulation is crucial in a sport where the mental demands can be as taxing as the physical ones. Effective communication and emotional control can lead to better teamwork, strategic decision-making, and an enhanced ability to cope with the psychological pressures of competition.

Psychological Toughness refers to a player's capacity to remain determined, confident, and resilient in the face of challenges. It encompasses traits such as grit, perseverance, and mental toughness. Basketball is a fast-paced and unpredictable sport, requiring players to adapt quickly and remain composed under pressure. Those with high psychological toughness are more likely to view setbacks as opportunities for growth, maintain their focus and motivation, and push through fatigue and adversity. This toughness is not only essential for individual performance but also for inspiring and leading teams through difficult phases of a game or season.

Resilience is the ability to bounce back from adversity, recover from setbacks, and continue to pursue goals despite obstacles. In basketball, resilience is key to handling the inevitable ups and downs of the sport, from dealing with injuries to overcoming poor performances and losses. Resilient players are characterized by their ability to stay positive, adapt to changing circumstances, and maintain their commitment to improvement. This quality helps sustain long-term performance and fosters a supportive team environment where players are encouraged to persevere through challenges.

Understanding how these psychological attributes affect basketball performance can provide valuable insights for coaches, trainers, and sports psychologists. By assessing emotional intelligence, psychological toughness, and resilience, this research aims to identify patterns and relationships that can inform better training programs and mental conditioning strategies. For instance, training that

***Associate Professor (Physical Education) Bhupal Nobles' University, Udaipur (Raj.) INDIA**

enhances emotional intelligence can improve players' emotional regulation and teamwork, while programs that build psychological toughness and resilience can help athletes cope with pressure and recover from setbacks more effectively.

Moreover, comparing these attributes across different levels of competition—state, university, and national—can reveal how psychological strengths develop with experience and higher levels of play. Experienced players at higher levels are often better at handling stress and maintaining focus, suggesting that these attributes can be cultivated and strengthened over time.

In summary, this study explores the vital role of emotional intelligence, psychological toughness, and resilience in basketball performance. By highlighting the importance of these psychological factors, the research underscores the need for a holistic approach to athlete development that includes mental and emotional training alongside physical conditioning. This comprehensive understanding of the interplay between psychological attributes and athletic performance can lead to more effective coaching techniques and training regimens, ultimately helping players to achieve their full potential on the court.

Review of Literature:

Mayer, Salovey and Caruso (2002) depicted the ability model of El as for the most part a unitary concept, sub-separable into four dimensions and branches. It starts with the primary branch, perception and expression of emotion, which includes identifying and expressing emotions in a single's self and in other individuals. The second branch acclimatizing emotion in idea, includes utilizing emotions to improve thought. Branch three, understanding and analyzing emotion, includes utilizing thought to process emotions. The last branch, reflective guideline of emotion concerns emotional self management and management of emotions in other individuals.

Stubbs (2005) in thesis examined the relationship between team leader El competencies; team level El, and team performance. In considering teams in a military association, the creator found that the El or team leaders was significantly related to the nearness of emotional competent gathering standards on the team they lead, and that emotionally competent gathering standards are related to team performance. The creator proposed that her discoveries bolster both the thought that leader's El affects the teams they lead and that team level El affects team performance.

Lane and Devonport et al., (2010) This study looked at the relationship between self-reported measures of emotional intelligence and pre-competitive emotion memories before optimal and dysfunctional athletic performance. A total of 284 participant-athletes completed a self-report measure of emotional intelligence as well as two precompetitive emotion measures: a) emotions experienced before an optimal performance, and b) emotions experienced before a dysfunctional performance. The reported MANOVA results showed that pleasant emotions were associated with optimal performance and unpleasant emotions were associated with dysfunctional performance, which was in line with theoretical predictions. In both performances, emotional intelligence was linked to pleasant emotions, with people who scored low on the self-report emotional intelligence scale displaying intense unpleasant emotions prior to a dysfunctional performance. Future research should look into the relationship between emotional intelligence and athletes' emotion-regulation strategies.

Crombie et al., (2011) found that rivals indiscriminately relegated to vivid emotional intelligence training more than 10 three-hour workshops scored fundamentally higher on a proportion of emotional intelligence yield appraisal than rivals randomly allocated to a control gathering think about cricketers in a games science.

Research Objectives:

1. To investigate the differences in Stress Resiliency Profile, Hardiness Scale, and Emotional Intelligence between male and female university-level basketball players.
2. To determine the statistical differences in Stress Resiliency Profile, Hardiness Scale, and Emotional Intelligence between male and female state-level basketball players.
3. To identify the statistical differences in Stress Resiliency Profile, Hardiness Scale, and Emotional Intelligence between male and female national-level basketball players.
4. To evaluate the variations in Emotional Intelligence among basketball players at university, state, and national levels.
5. To analyze the differences in Stress Resilience among basketball players at university, state, and national levels.
6. To examine the differences in Hardiness among basketball players across university, state, and national levels.
7. To explore the interrelationships between Emotional Intelligence, Stress Resilience, and Hardiness among university-level basketball players.
8. To assess the interrelationships between Emotional Intelligence, Stress Resilience, and Hardiness among state-level basketball players.
9. To determine the interrelationships between Emotional Intelligence, Stress Resilience, and Hardiness among national-level basketball players.

Research hypotheses:

1. There will be no significant difference in the variables Stress Resiliency Profile, Hardiness Scale, and Emotional Intelligence between male and female university-level basketball players.
2. There will be no statistically significant difference in the variables Stress Resiliency Profile, Hardiness

Scale, and Emotional Intelligence between male and female state-level basketball players.
3. There will be no statistically significant difference in the variables Stress Resiliency Profile, Hardiness Scale, and Emotional Intelligence between male and female national-level basketball players.
4. There will be no significant difference in Emotional Intelligence among basketball players at university, state, and national levels.
5. There will be no significant difference in Stress Resilience among basketball players at university, state, and national levels.
6. There will be no significant difference in Hardiness among basketball players at university, state, and national levels.
7. There will be no relationship between Emotional Intelligence, Stress Resilience, and Hardiness among university-level basketball players.
8. There will be no relationship between Emotional Intelligence, Stress Resilience, and Hardiness among state-level basketball players.
9. There will be no relationship between Emotional Intelligence, Stress Resilience, and Hardiness among national-level basketball players.

Research Methodology:

Design Of The Study: This research is a survey inquiry that covers descriptive, comparative, and relationship assessment of three variables among university, state, and national level basketball players. These variables include stress resilience profile, hardiness scale, and emotional intelligence. This research likewise incorporates male and female assessment of three separate variables at all stages, with the specified hypotheses being kept in mind throughout the process. The basketball players' performance levels might be evaluated more accurately with the assistance of this research. Both independent and dependent variables are employed in survey research to describe the scope of the study; however, the researcher does not have direct control over the variables in this kind of research. Before beginning to conduct the survey, the researcher has to construct a model that identifies the typical links that exist between these variables. The survey is created next in order to validate this model by comparing it to people's impressions of the marvels.

Sampling Method: The researchers had selected university, state, and national level basketball competitions at various levels for the purpose of the study. The male and female participants were chosen at random using a method called simple random sampling. There were a total of one hundred of each kind of participant: university players (N=100), state players (N=100), and national players (=100). The participants in the 50 sample ranged in age from 18 to 25 years old and were all basketball players. The total number of participants in the sample was three hundred (N = 300).

Sampling Design:

Table: Game and Sample size

Basketball	Male	Female	Sample Size
University	50	50	100
National	50	50	100
State	50	50	100
Total			300

1. 100 players were selected from university level basketball teams players (Male &Female) from Rajasthan University, Mohanlal Sukhadia University.
2. 100 players were selected from national level basketball team's players (Male & Female) tournament.
3. 100 players were selected from Rajasthan state level Under 19 basketball teams (Boy & Girl).

Tests/Tools Used:

1. Hardiness scale (Kobasa and Kahn,1982)
2. Emotional Intelligence Scale (Hyde, Pethe and Dhar, 2001)
3. Stress Resilencey profile (Thomas and Tymon, 1995)

Statistical Techniques Used: Using the questionnaires, the researchers were able to compile all of the necessary information for the study. In order to achieve the goals of the research, the statistical methods and tools that were proposed were used. After collecting the data, it was entered into a spreadsheet using a computer programme like Microsoft Excel. After 56 the data had been cleaned and organized, it was analyzed using SPSS Version 25 while keeping in mind the goals of the research. In order to evaluate the results of the study, descriptive statistics, T-ratios, inter-correlations (Pearson's correlation coefficient was calculated in order to determine the nature of the connection between the variables), and one-way analysis of variance was used throughout the analysis process. In addition, the means of groups that were found to have some overall statistically significant differences were compared using the Scheffe's Post-hoc test. Using the post hoc tests, we were able to establish whether or not certain pairings of data had significant differences from one another. Post hoc tests were developed with the purpose of isolating the factors that contributed to specific significant variations in the group means. In all of the tests, the level of significance that was used was 0.05. Tables and bar charts were used to convey the information to the reader.

Conclusions:

1. It was discovered that while both male and female basketball players at the university level could handle stressful situations and deal with crises, they were unable to accurately monitor the emotions of others.
2. In a similar vein, the male and female basketball players competing at the state level were able to learn from issues and transform challenges into opportunities, but they were unable to learn from the errors of their peers.
3. The scenario was essentially the same for basketball players competing at the national level. They were able to cope with difficult conditions and survive in the mess, but they lacked emotional intelligence. They were able to deal with stressful situations.

4. There was no difference between basketball players at the national level and those at the university level in how well they handled stress. This shows that all levels are on the same psychological playing field.
5. There was a noticeable gap between the basketball players at the state level, those at the university level, and those at the national level. This suggests that more experienced and advanced players were better able to cope with mental or emotional strain than state-level players were.
6. Similarly, on a toughness scale, there was no difference between basketball players competing at the national level and those competing at the university level, demonstrating equivalent attention to current games.
7. There was a clear difference evident in the basketball players at the state level when compared to those at the university level and also when compared to those at the national level. This suggests that experienced players were much superior to state-level players in terms of their ability to make tactics, remain focused, and transform a bad circumstance into an opportunity while putting aside personal considerations.
8. When it came to emotional intelligence, a considerable divide could be seen across all of the study groups. In most cases, individuals fail miserably in comprehending their feelings, developing self-awareness, and realizing the extent of their own strength. All of the players, regardless of level, did not disclose any significant association between emotional intelligence, the hardiness scale, and stress resistance. This indicates that none of the variables has much of an influence on the other.

Recommendations for Further Studies:

1. Despite the fact that the study was restricted to basketball players from state and college programmes, it was proposed that the sample be broadened to include basketball players from a variety of individual game schools as well as other organizations in order to ensure more uniformity.
2. It's possible that the present research might be extended to a wider population by looking at players from different colleges.
3. This research came to the conclusion that having a high degree of sports confidence improves one's capacity to react to distressing life situations that occur on a regular basis in everyday life. As a consequence of this, college counselors and experts should take into account the impact of this factor while developing programmes to help college players enhance their confidence and deal with challenging experiences in their lives.
4. An investigation of this kind might be carried out at the national level as well as on an individual basis for each instance.
5. It is important to have an understanding of a wide range of factors, such as self ideas. In addition, these factors are measured in order to evaluate the extent to which they impact performance at different levels of interest.
6. Individuals, intercollegiate groups, and individual game controls can all be compared and contrasted in an analysis.
7. Some insights from the field of brain research that may be used in future investigations into the analysis of athletic performance at a variety of different levels and in a wide range of games and activities
8. The present investigation is quantitative in nature, and the data collected from the Participants were gathered via closed-ended questionnaires along these lines; participants are restricted to only two or four answer alternatives.
9. It is expected that the inquiry would make use of subjective methods, such as investigations based on interviews that contextualize previous events. It would be an accurate depiction of the situation from a number of different angles.

References:-

1. Allen, M. S., Greenlees, I., & Jones, M. (2011).An investigation of the five-factor model of personality and coping behaviour in sport.Journal of sports sciences, 29(8), 841-850.
2. Bal, B. S., & Singh, D. (2014). Emotional intelligence in basketball players: A predictor of sport performance. Educational Practice and Innovation, 1, 1-9.
3. Dulewicz, C., Young, M., &Dulewicz, V. (2004).The relevance of emotional intelligence for leadership performance. Journal of General Management, 30(3), 71-86.
4. Fletcher, D., &Sarkar, M. (2013). Psychological resilience: A review and critique of definitions, concepts, and theory. European psychologist, 18(1), 12
5. Lisa, J. R., & Dennis, W. H. (2007).Sport and exercise psychology.
6. Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict.International journal of conflict management, 13(3).

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻